राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] पंचम विधान सभा के तृतीय सत्र का 41 वां दिवस [संख्या 28

बुधवार,

दिनांक 28 मार्च, 1973.

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में आरम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(कृषि, वित्त, समाज कल्याण, उद्योग, स्वायत्त शासन, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, राजकीय उपक्रम, कारागृह, आबकारी, गृह, खाद्य, श्रम एवं नियोजन, विकास, अकाल सहायता एवं भू-तल-जल विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न 1, श्रीमती नगेन्द्रबाला।

श्रीराम केमिकल्स कोटा का नदी में गिरने वाला फालतू पानी

804. श्रीमती नगेन्द्रबाला (दीगोद): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या श्रीराम केमिकल्स कोटा द्वारा बनाई जा रही गैस का जो फालतू पानी नदी में गिरता है वह जहरीला है तथा जो भी जानवर अथवा ग्रामवासी इस पानी को काम में लेते हैं उन्हें मौत अथवा शारीरिक व्याधियों से ग्रसित होना पड़ता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस विषय में पूर्व में भी शिकायत उठाई गई और उस पर श्रीराम केमिकल्स ने नाला बना करके बोरखेड़ी नदी तक डालने का आश्वासन दिया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि 10 वर्ष की अवधि में अब तक यह नाला पूरा नहीं बनाया गया है और जिन गांवों के जानवर और व्यक्तियों को इससे बचाना था उनको कोई लाभ नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र ही इस नाले को पूरा करवा कर गांव के जन-जीवन को मौत के मुंह से बचाने की कृपा करेगी ?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : माननीय अध्यक्ष, इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है इसलिये इसको नेक्स्ट टर्न पर रख लिया जावे।

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन्ड।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर इसी सत्र में दिलाया जाय यह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट टर्न के लिए कहा है। नेक्स्ट वीक में ले लेंगे।

Page No 2

प्रश्न संख्या 805

श्री मोहरसिंह श्री लूणाराम।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 806

श्री हरीकिशन।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्रीमती गौरी पूनिया।

पंचायत समिति मकराना के ग्रामों को बांका पट्टी पेय जल योजना से पानी

807. **श्रीमती गौरी पूनिया** (मकराना): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति मकराना के ग्यारह ऐसे ग्रामों का प्रार्थना-पत्र जिनमें भी फ्लोराइड है क्या ग्रामीण जल योजना बनाने हेतु विचाराधीन है?

(2) क्या इन गांवों के पानी की परीक्षा करली है? अगर हां, तो क्या उन्हें भी बांका पट्टी पेय जल योजना से जोड़ा जायगा या इनके लिये अलग से कोई योजना बनाई गई है?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दन मल बैद) (1) जी हां, योजना बनाई जावेगी।

(2) जांच की जा रही है, योजना का सर्वेक्षण होने के उपरान्त ही यह बताया जा सकता है।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : अध्यक्ष महोदय, यह मामला काफी पुराना हो चुका है, डेफिनेट बतायें कि कब तक हो जाएगा।

श्री चन्दनमल बैद : अगले साल इस योजना को बना कर काम शुरू कर दिया जायगा।

प्रश्न संख्या 808

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र भारतीया।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्रीमती समुद्र कंवर।

तहसील जालौर के गांवों में पानी का अभाव

809. **श्रीमती समुद्र कंवर** (आहोर): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) तहसील आहोर, जिला जालोर में ग्राम देवकी मण्डी में पेय जल के अभाव को मिटाने हेतु सरकार क्या योजना बना रही है?

(2) तहसील आहोर, जिला जालोर के ग्राम नोसरा, बावड़ी, सानड़न, कोरना वेडिया के पेयजल का अभाव मिटाने हेतु सरकार ने क्या योजना बनाई है?

(3) उक्त योजनाओं पर कब तक कार्य चालू किया जायेगा? अगर नहीं, तो क्या सरकार उक्त गांवों में पेय जल का अभाव दूर करने के लिए अभी योजना बनाने को तैयार है?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद): (1) क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बनाने हेतु सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।

(जन-स्वास्थ्य मंत्री)

(2) क्षेत्रीय जल-प्रदाय योजना बनाने हेतु सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।

(3) अभी योजना के लिए सर्वे किया जा रहा है, योजना की स्वीकृति के बाद कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

प्रश्न सं. 810

श्री अध्यक्ष : श्री नानालाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 811

श्रीमती निर्मला कुमारी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 812

श्री राजेन्द्रसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री श्रीराम गोटेवाला : इसका जवाब दिला दिया जाय, अध्यक्ष महोदय, आथोरिटी तो नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री निरंजननाथ आचार्य।

कृषि उद्योग निगम द्वारा फर्नीचर की खरीद

813. **श्री निरंजन नाथ आचार्य** (मावली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान कृषि उद्योग निगम द्वारा सन् 68–69 से लेकर अब तक किस वर्ष में किस किस फर्म से किन किन दरों पर कौन कौन सा स्टील फर्नीचर खरीदा गया ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि जिन फर्मों से यह सामान खरीदा गया उनसे सैंट्रल स्टोर्स पर्चेज आर्गेनाइजेशन द्वारा रेट कॉन्ट्रेक्ट किया हुआ था ? यदि हां, तो किस-किस फर्म के रैट कॉन्ट्रेक्ट के सम्बन्ध में सी. एस. पी. ओ. द्वारा कृषि उद्योग निगम को सूचना प्रेषित की गई थी ? कृपया ऐसी फर्मों के मय सामान के नाम एवं उसकी दरों की एक तालिका सदन पर रखने का कष्ट करें।

कृषि मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा सन् 68–69 से लेकर अब तक स्टील फर्नीचर वर्षानुसार जिन दरों पर खरीदा गया था उसकी एक तालिका 'अ' फर्म के नाम सहित सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। जिस फर्म से स्टील फर्नीचर खरीदा गया प्रायः वह सब रैट कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर खरीदा गया है। वांछित तालिका 'ब' फर्म के नाम, रेट कॉन्ट्रेक्ट की दर आदि सहित सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री निरंजन नाथ आचार्य : यह दो फर्म्स हैं हनुत इण्डस्ट्री और जय इण्डस्ट्री, मैं जानना चाहता हूं कि इनके प्रोप्राइटर और पार्टनर कौन 2 हैं ?

Page No 4

श्री परसराम मदेरणा : इण्डस्ट्रियल फर्म्स के प्रोप्राइटर और पार्टनर कौन 2 हैं यह आपने प्रश्न मुझसे पूछा नहीं था, प्रश्न में पूछते तो जरूर सूचना एकत्रित करके आता।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : मैं आपकी याददाश्त को ताजा करूं और यह निवेदन करूं कि क्या यह सही है कि भूतपूर्व अध्यक्ष इस निगम के श्री चन्दन मल जी बैद थे इनके भाई इसके प्रोप्राइटर, और पार्टनर हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : यह सूचना अभी मेरे पास में नहीं है। जो कुछ भी माननीय सदस्य कह रहे हैं उसके सम्बन्ध में जानकारी करके सूचना दे सकता हूं।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : क्या यह सही है कि जो आंकड़े दिए हैं हनूत इन्डस्ट्री और जय इण्डस्ट्री के ये करीब 42 कान्ट्रेक्ट रेट उनमें से करीब 34 सिर्फ इन दोनों हनूत और जय इण्डस्ट्रीज को दिए गए हैं। इसका अर्थ यह है कि ज्यादा इनको मिला है यद्यपि कान्ट्रेक्टर्स कई हैं।

श्री परसराम मदेरणा : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : क्या आप बता सकते हैं कि भूतपूर्व अध्यक्ष इसके वे कब से कब तक इस निगम के अध्यक्ष रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : अलग से प्रश्न है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : यह तो सीधा सा प्रश्न है माननीय मंत्री महोदय। भूतपूर्व अध्यक्ष इसके श्री चन्दनमल बैद वे कब से कब तक रहे ?

श्री परसराम मदेरणा : प्रश्न में आपने यह नहीं पूछा था कि भूतपूर्व अध्यक्ष किस डेट से किस डेट तक रहे और नए अध्यक्ष कौन सी तारीख को नामीनेट किए गए हैं, यह सूचना आपने नहीं मांगी थी ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : एक प्रश्न और अध्यक्ष महोदय। यह तो ठीक है, आप इसको इन्कार कर दें लेकिन उनकी अध्यक्षता में इन दोनों फर्म्स को जो उनके सम्बन्धियों की हैं उनकी कोन्ट्रेक्ट रेट से अधिक से अधिक मंजूर हुआ है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह तथ्य सही नहीं है। जो लोयेस्ट रेट है उसके आधार पर खरीद की गई है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : मैंने लोयेस्ट रेट का नहीं कहा है मंत्री महोदय। उनकी अध्यक्षता में········

श्री परसराम मदेरणा : कोन्ट्रेक्ट रेट··

(दोनों साथ साथ बोलते रहे–अश्रव्य)

श्री निरंजन नाथ आचार्य : रेट पर डिस्प्यूट नहीं है मेरा।

श्री परसराम मदेरणा : सेंट्रल स्टोर्स पर्चेज ऑर्गेनाईजेशन ने जो रेट निर्धारित की हैं····

श्री निरंजन नाथ आचार्य : मेरा प्रश्न उनकी अध्यक्षता में खरीद का है। माननीय चन्दनमल जो वैद जो कि बहुत बड़े

Page No 5

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
राजनीतिज्ञ हैं, विद्वान हैं और परीक्षक हैं साहित्यकारों के, उनकी अध्यक्षता में ये बातें हुई। मैं रेट को डिस्प्यूट नहीं करता लेकिन उनकी अध्यक्षता में जय इण्डस्ट्री और हनूत इण्डस्ट्री से जो खरीद की गई .....

श्री परसराम मदेरणा : खरीद 69 से 71 तक और 72 और 73 में भी खरीद की गई है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री दीपंकर!

नागौर जिले में पेय जल की व्यवस्था

814. श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले में केराप. रीजनल जल-वितरण योजना दो पार्ट में विभक्त है ? अगर हां, तो कितने गांवों की कितनी जन संख्या लाभान्वित है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इस योजना से संलग्न गांव दादूवासनी, गरदेजांवासनी और पल्लोट को पीने का पानी दिया जाना प्रस्तावित है परन्तु इन गांवों को पानी अभी तक नहीं दिया गया है? अगर हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि डीडवाना रेल्वे स्टेशन पर स्थित अमरपुरा नामक गांव के एक मोहल्ले को डीडवाना योजना से पीने का पानी दिया जाता है परन्तु उसी आबादी के दूसरे मोहल्ले में पीने का पानी नहीं दिया जाता ? अगर हां, तो क्यों ? अगर दिये जाने का विचार है, तो कब तक ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद):
(1) जी हां, 22 ग्रामों की 11,131 जन संख्या (सन् 1961 की जनगणना के अनुसार) लाभान्वित है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) ग्राम दादूवासनी व गरदेजावासनी के लिए योजना में भुवाडिया ग्राम में बने हौज से पानी लेना प्रस्तावित है। ग्राम पल्लोट को पानी दिया जा रहा है।

(3) जल वितरण डीडवाना रेलवे स्टेशन पर स्थित मकानों में किया जाता है। अमरपुरा एक अलग से ग्राम है जो कि स्टेशन से लगभग 4500' की दूरी पर है वहां पर किसी भी मोहल्ले में पानी वितरण नहीं किया जाता है। इस ग्राम की आबादी 489 है तथा डीडवाना पुनर्गठन जल-वितरण योजना में इस ग्राम के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट-1 देखिये)

श्री दीपंकर : ग्राम दादूवासनी व गरदेजावासनी, इन दोनों को क्या अब पानी दिया जा रहा है ?

श्री चन्दनमल बैद : मैंने निवेदन किया कि ग्राम दादूवासनी व गरदेजावासनी को भुवाड़िया ग्राम के 'हौज' से पानी देना प्रस्तावित है।

श्री दीपंकर : प्रस्तावित तो है लेकिन इसको कार्यान्वित कब करेंगे ?

(अश्रव्य)

श्री चन्दनमल बैद : मैं अर्ज कर चुका हूं कि इनको अभी जो भुवाड़िया ग्राम में होज है उससे पानी देना प्रस्तावित है लेकिन इन दोनों ग्रामों के लिए जो हमने योजना बनाई है और जिस योजना की अनुमानित लागत 64,900) रुपया है और अमरपुरा के लिए जो योजना बनाई है उस योजना की लागत 25,600) है लेकिन चूंकि नागौर जिले में इस साल में 1 करोड़ 33 लाख की योजना का काम है इसलिए इन योजनाओं को अगले साल शुरू करने के बारे में विचार है।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि इन दोनों गांवों दादूबासनी व गरदेजाबासनी के नाम से मोडावासनी को पानी दिया गया है ?

श्री चन्दन मल बैद : मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री छंगाणी श्री गोटेवाला।

श्री श्रीराम गोटेवाला : नाम तो अलग अलग हैं साहब।

श्री रघुनाथ विश्नोई : एक का तो कल कुर्ता फड़वा दिया।

श्री रोशनलाल शर्मा : वह तो गोटे में छंगाणी लिपटा हुआ है।

कोटा में स्थित उद्योगों को चुंगी में छूट

815. **श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) एवं श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा नगर में स्थित उद्योग श्रीराम फर्टीलाईजर, श्रीराम विनायल एण्ड केमिकल्स, रैयन्स (डी. सी. एम. कन्सर्न्स) जे. के. सिन्थेटिक्स, मल्टी मेटल्स व बुल टॉप्स को चुंगी से छूट दी थी ? अगर हां, तो कब से कब तक ? कृपया गजट नोटिफिकेशन की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने चुंगी की वसूली को स्थगित रखने के आदेश दिये हैं ? अगर हां, तो क्यों व कब ? कृपया प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि नगर परिषद् कोटा ने उपरोक्त संस्थाओं के विरुद्ध डिमाण्ड नोटिस जारी किये हैं ? अगर हां, तो कब व कितनी अवधि के व कितनी कितनी राशि के लिये ?

राज्य मंत्री स्वायत्त शासन (श्री मूलचन्द) : (1) जी हां। गजट नोटिफिकेशन की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) जी हां। आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No 7

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि इनको जो ग्रांट दी गई है उसका आधार क्या है ? किस कारण से इनको यह ग्रांट दी गई है ?

श्री मूलचन्द : यह नीति विषयक प्रश्न है। नये उद्योग जिस मंशा से लगाए जाते हैं उनको समय समय पर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए इस वजह से यह दिया गया है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : क्या किसी पब्लिक अन्डरटेकिंग ने इसके लिए एप्लाई किया था और उनको भी यह ग्रांट दी गयी है ? श्रीराम फर्टीलाइजर, श्रीराम विनायल एन्ड केमिकल्स को दस लाख के एग्जम्पशन्स दिये गये हैं, जे. के. सिन्थेटिक्स को 6 लाख 28 हजार और मल्टी मेटल्स को 19 लाख 28 हजार के एग्जम्पशन्स आपके हिसाब से दिये गये हैं। यह आपके उत्तर से स्पष्ट होता है। तो क्या किसी पब्लिक अंडरटेकिंग ने इसके लिए एप्लाई किया था और उसको भी यह एग्जम्पशन्स दिये गये हैं ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : यह मांग कितनी ही म्युनिसिपैलिटीज से आयी है और राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है एग्जम्प्शन्स के लिए वह इम्पोर्टेड मेशीनरीज के इन्स्टाल होने और शुरू शुरू में जो रॉ मेटेरियल चाहिए उसके लिए यह एग्जम्पशन्स दिया था। यह एग्जम्पशन्स फ्राम टाइम टू टाइम अलग अलग स्पेसीफाइड आइटम्स के लिए स्पेसिफिक पीरियड के लिए दिया जाता रहा है। इसके बाद 1968 में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि जितनी भी नयी इन्डस्ट्रीज लगाई जा रही हैं उनको भी सात साल के लिए रॉ मेटेरियल और इन्स्टालेशन के लिए जो आर्टिकल्स हैं उनके लिए एग्जम्पशन दी जाए। अब राज्य सरकार के सामने यह प्रश्न विचाराधीन है जिन आर्टिकल्स के एग्जम्पशन के लिए सात साल का पीरियड दिया गया है उस नीति संबंधी कोई निर्णय लिया जाए। इसका ज्ञापन मंत्रिमण्डल के सम्मुख विचाराधीन है और निर्णय होने पर बता दिया जाएगा।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, जो लिस्ट दी गयी है उससे साफ जाहिर है कि राक फास्फेट और दूसरे मेटेरियल के लिए यह छूट दी जा रही है। जिस तरह से यह छूट का आर्डर दिया गया है उससे साफ जाहिर है कि श्रीराम फर्टीलाइजर, श्रीराम विनायल एण्ड केमिकल्स, रैयन्स, जे. के. सिन्थेटिक्स, मल्टी मेटल्स व वुल टाप्स को ही छूट दी जा रही है और इस से वे पैसा कमा रहे हैं। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि इस एग्जम्पशन के कारण वहां की म्युनिसिपैलिटी को 20 लाख का अब तक नुक्सान हो गया है। एक तरफ इन उद्योगों को रियायत मिलती है और दूसरी ओर जो पब्लिक अन्डरटेकिंग है उन्होंने भी इसके लिए एप्लाई किया था और इसमें आपकी क्या धारणा है कि जो क्राइटेरिया है एग्जम्पशन के लिए उसमें पब्लिक अन्डरटेकिंग को भी यह मिलना चाहिये या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, 1968 में इण्डस्ट्रीज के रॉ मेटेरियल, मशीनरी के इन्स्टालेशन और उसके एक्सपान्शन,

Page No 8

(श्री परसराम मदेरणा)

जो चीजें रॉ मेटेरियल की यूज में आती हैं, इन तीन केटेगरी के आर्टिकल्स पर एग्जम्पशन्स दिया गया था। 1668 के बाद में गवर्नमेन्ट ने यह पालिसी डिसीजन लिया कि जो नयी इन्डस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो उनको सात साल की अवधि के लिए, एक नोटीफिकेशन के द्वारा एग्जम्पशन दिया गया था। इसमें श्रीराम फर्टीलाइजर, श्रीराम विनायल एण्ड केमिकल्स, रेयन्स, जे.के. सिन्थेटिक्स, मल्टी मैटल्स को कोई विशेष रियायत नहीं दी गई है। राज्य सरकार के सामने यह प्रश्न आया है कि इस तरह से म्युनिसिपल कौन्सिल की आमदनी को नुकसान हो रहा है, वह इस आमद से वंचित हो रही है, परन्तु राज्य सरकार ने इस आमद से उनको वंचित नहीं किया है। दूसरी इन्डस्ट्रीज ने भी यह प्रश्न उठाया था कि किन्हीं इन्डस्ट्रीज को दो साल के लिए; तीन साल के लिए यह एग्जम्पशन मिला है तब एक जनरल आर्डर निकाला गया और उनको भी एग्जम्पशन दिया गया है जब तक गवर्नमेन्ट इस पर कोई पालिसी डिसीजन नहीं ले तब तक यह एग्जम्पशन जारी रहेगा परन्तु इसके साथ ही एक शर्त यह लगा दी थी कि इन्डस्ट्रीज और म्युनिसिपल बोर्ड या कौन्सिल के बीच में एक इकरारनामा होगा और उस इकरारनामे के अन्दर उस इन्डस्ट्री को यह लिख कर देना होगा, यह शर्त होगी कि गवर्नमेंट ने इस आर्टिकल को एग्जम्पट नहीं किया तो उस पर आक्ट्राय देना देय होगा। इस स्थिति के अन्दर इस प्रश्न पर पालिसी डिसीजन लेने की जरूरत है और वह सरकार के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री श्रीराम गोटेवाला : म्युनिसिपल बोर्ड ने कम्पेनसेशन की डिमाण्ड की है। कोटा म्युनिसिपल ने 22 लाख की रिकवरी करके डिमाण्ड नोट इन कम्पनियों के पास भेजे हैं। क्या राज्य सरकार म्युनिसिपैलिटी को कम्पेनसेशन देने के बारे में कुछ सोच रही है?

श्री परसराम मदेरणा : जो डिमाण्ड पत्र म्युनिसिपल कौन्सिल कोटा ने भेजे हैं उसकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। यह प्रश्न म्युनिसिपैलिटी कोटा का ही नहीं है राजस्थान की जो दूसरी म्युनिसिपैलिटीज हैं उनका भी है। दूसरे क्षेत्र के अन्दर भी इन्डस्ट्रीज एस्टेब्लिश की गई हैं। अरलियर यह डिसीजन लिया गया था कि इन्डस्ट्रीज को कम से कम प्रोत्साहन देने के लिए यह तालमेल बिठाया गया था, यह सोचा गया था कि आक्ट्राय ड्यूटी के बजाय टर्न ओवर दिलाया जाय। इस प्रकार का एक बिल इस सदन में पेश किया गया था परन्तु कई कारणों से वह बिल पारित नहीं हो सका। आक्ट्राय के रेशनेलाइजेशन के सम्बन्ध में और इस प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए जो कि एक नीति विषयक प्रश्न है, वह मन्त्रिमण्डल के विचाराधीन है और निर्णय होने के बाद ही माननीय सदस्यों को सूचित करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे दो सप्लीमेन्ट्री करने का अधिकार है...

श्री अध्यक्ष : टाइम ज्यादा लग जायेगा।

श्री राजेन्द्र भारतीया (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं करना चाहूंगा। क्या इन्स्ट्रूमेन्टल लिमिटेड कोटा को भी यह एग्जम्पशन दिया गया है ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, चार इन्डस्ट्रीज के बारे में ही प्रश्न पूछा गया है। इसलिए इस प्रश्न की सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक प्रश्न मेरा है।

श्री अध्यक्ष : पहले ही एक पूछ रहे थे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह एक ही होगा। सप्लीमेन्ट्री का राइट है। आपने यह अधिकार दिया है।

श्री अध्यक्ष : चलिए पूछिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : किन किन म्युनिसिपैलिटीज ने डिमान्ड राज्य सरकार को कर रखी है ? इन्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने रा मेटिरियल मशीनरी और जो दूसरा सामान है उस पर एग्जम्पशन्स दे रखा है परन्तु म्युनिसिपैलिटी की इससे रेवेन्यू खतम हो रही है और इस कारण वे कोई डवलपमेन्ट वर्क नहीं कर पाती है। अब राज्य सरकार कब तक इस पर निर्णय ले लेगी ताकि म्युनिसिपैलिटी के सामने यह जो संकट आ गया है वह दूर हो सके।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय यह प्रश्न.....

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप सुन तो लीजिये। आप भी लम्बा भाषण देते हैं।

श्री अध्यक्ष : Next question.

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक ही प्रश्न पूछ रहा हूं इसलिए उसमें ही सारी बात कह रहा हूं। आक्ट्राय लेने में दिक्कत आती है क्योंकि सरकार ने पहले ही ऐसा निर्णय कर रखा है। सरकार ने यह जो फैसला किया है उससे म्युनिसिपैलिटी की आर्थिक स्थिति में बाधा हो रही है। इन्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने के लिये आक्ट्राय का जो एग्जम्पशन्स दिया गया है, उसके अलावा टर्न ओवर टैक्स के रूप में म्युनिसिपैलिटी को किस प्रकार से राज्य सरकार कम्पनसेट करने का इरादा रखती है और कब तक ? कृपया बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : Next question.

श्री परसराम मदेरणा : एग्जम्पशन जो दिया गया है वह बड़ी, मध्यम और छोटी सभी इन्डस्ट्रीज को दिया है। इसके अन्दर कोई डिस्क्रिमीनेशन नहीं किया गया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इसके लिए जयपुर में झगड़ा होता है।

श्री परसराम मदेरणा : बड़ी इन्डस्ट्रीज और छोटी इन्डस्ट्रीज सब को ही यह सुविधा दी गई है। दूसरी बात यहां पर कम्पेनसेशन की बात कही गयी है, परन्तु प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि म्युनिसिपैलिटी की आक्ट्राय से आमद-कम हो रही है इसलिए इनको आक्ट्राय से एग्जम्पट नहीं किया जाए, यह प्रश्न है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कैम्पनसेशन भी है।

श्री परसराम मदेरणा : इसके साथ ही यह शर्त लगायी गयी थी कि हर म्युनिसिपल बोर्ड, कौन्सिल से इन्डस्ट्रीज एक इकरार करेगी, यह अन्डरटेकिंग इन्डस्ट्रीज उन म्युनिसिपैलिटीज को देगी कि यदि राज्य सरकार इन आर्टिकल्स को आक्ट्राय से मुक्त नहीं करेगी तो इन पर आक्ट्राय लगेगा और उसको देने के लिए ये उद्योग बाध्य होंगे। इस सम्बन्ध में नीति विषयक निर्णय लिया जाना है और यह मामला मन्त्री मण्डल के समक्ष विचाराधीन है।

प्रश्न संख्या 816

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या 817

श्री बनवारीलाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मीठालाल।

राजस्थान गो सेवा संघ

818. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने जैसलमेर, जोधपुर तथा बीकानेर जिलों के गो धन को बचाने के लिए राजस्थान गो सेवा संघ की मार्फत एक करोड़ रुपयों की स्वीकृति प्रदान की है? यदि हां, तो उक्त धन राशि किस किस स्थान पर किस किस प्रकार व्यय की जावेगी?

(2) इस प्रकार की सहायता उक्त जिलों के अतिरिक्त अन्य जिलों में क्यों नहीं दी गई?

उत्तर

कृषि मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) यह सही है कि जैसलमेर, जोधपुर तथा बीकानेर एवं भीलवाड़ा जिलों में कुल 4 पशु शिविर (कैटल कैम्प) एवं जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर पाली, सीकर, अजमेर, एवं उदयपुर जिलों में कुल 40 पशु पोषण केन्द्र, खोलने की अनुमति गो धन को बचाने के लिए राजस्थान गो सेवा संघ को दी है।

इस योजना पर कुल अनुमानित व्यय 31-7-73 तक 50,74,000) रुपये आवेगा।

(2) उपरोक्त प्रश्न के उत्तर से स्पष्ट है कि यह योजना केवल 3 जिलों में लागू न की जाकर 8 जिलों में लागू की गई है।

प्रश्न संख्या 819

श्री अध्यक्ष : श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 820

श्री फारूक हुसैन।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

(श्री अध्यक्ष)

श्री केसरीमल।

श्रम न्यायालय में विचाराधीन मुकद्दमें

821. श्री केसरीमल (ब्यावर): क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्रम न्यायालय, राजस्थान के समक्ष 31-12-72 तक कितने मुकद्दमें विचाराधीन थे और वे कितने समय से विचाराधीन हैं?

(2) औद्योगिक न्यायालय राजस्थान के समक्ष 31-12-72 तक कितने मुकद्दमें विचाराधीन थे और वे कितने समय से विचाराधीन हैं?

(3) वर्ष 1972 में श्रम न्यायालय तथा औद्योगिक न्यायालय ने कुल कितने कितने मुकद्दमों का फैसला किया?

(4) क्या राज्य सरकार श्रमिक एवं औद्योगिक विवादों का शीघ्र फैसला कराने के उद्देश्य से तथा श्रमिकों को शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिए अतिरिक्त श्रम न्यायालय का गठन करना उचित समझती है? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?

श्रम मंत्री (श्री औंकारलाल चोहान): (1) श्रम न्यायालय राजस्थान के समक्ष 31-12-72 तक कितने मुकद्दमें विचाराधीन थे और वे कितने समय से विचाराधीन हैं, इसकी सूचना संलग्न तालिका में अंकित है।

(2) औद्योगिक न्यायालय राजस्थान के समक्ष 31-12-72 तक कितने मुकद्दमें विचाराधीन थे और कितने समय से विचाराधीन हैं इसका विवरण भी संलग्न तालिका में अंकित है।

(3) औद्योगिक न्यायालय द्वारा वर्ष 1972 में 280 मुकद्दमों का फैसला किया गया और श्रम न्यायालय द्वारा 266 मुकद्दमों में फैसला किया गया। उनका विवरण संलग्न तालिका में अंकित है।

(4) मितव्ययिता यानी इकोनामी के कारण अभी सम्भव नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट सं. 2 देखिये)

श्री केसरीमल: अध्यक्ष महोदय, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि हमारी आर्थिक परिस्थिति ऐसी नहीं है इसलिए दूसरा न्यायालय मुकर्रर नहीं कर सकते, लेकिन आज संख्या उनकी केसेज की बढ़ रही है और उनके लिए यह सुविधा नहीं करेंगे तो आगे 10 साल तक भी उनको अभी न्याय नहीं मिल रहा है तो फिर तो न जाने कब मिलेगा। तो क्या उनको जल्दी से न्याय दिलाने की व्यवस्था करेंगे?

श्री औंकारलाल: मैंने बड़ा स्पष्ट निवेदन किया है कि राजस्थान में श्रम न्यायालयों की दो शाखाएं हैं और उनसे उम्मीद यह की जाती है कि इन दोनों में लोगों को जितना जल्दी हो सके मुकद्दमें फैसले किये जायं।

श्री केशरीमल: अध्यक्ष महोदय, सन् 57 से मुकद्दमें पेंडिंग चलरहे हैं और वह अभी तक फैसले नहीं हो रहे है तो फिर

(श्री केशरी मल)

मजदूरों को क्या न्याय मिलेगा और कैसे उनकी उनमें आस्था रहेगी कि श्रम न्यायालय से उनको न्याय मिल जायगा ? आज आदमी 10-15 साल से सस्पेंड बैठे हुए हैं और उनकी मांगें चल रही हैं तो वह कैसे विश्वास रखेंगे ? मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इनके अलावा कुछ और न्यायालय खोले जायं।

प्रश्न संख्या 822

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमान सहाय व्यास।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री अमृतलाल गहलोत।

महाराजा विद्यालय सरदारपुरा, जोधपुर को अनुदान

823. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि माननीय मुख्य मंत्री ने लगभग दस महीने पूर्व महाराजा विद्यालय, सरदारपुरा जोधपुर को लाईसेन्स कॉमोडिटीज चेरिटी फण्ड जोधपुर से पांच हजार रुपये अनुदान के रूप में देने के आदेश जारी किये थे जिसे अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया ?

(2) यदि हां, तो इस आदेश की अवहेलना के क्या कारण हैं ?

(3) भविष्य में उपरोक्त संस्था को स्वीकृत धनराशि कब तक अवश्य प्रदान कर दी जायगी ?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी हां। संस्था के लिए 5,000) रु. का चैक जारी कर दिया गया है।

(2 व 3) अब प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अमृतलाल गहलोत : यह कब विचार किया है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने कब आदेश दिए हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय मुख्य मंत्री जी के तीन महिने पहले आदेश हुए थे उसके बाद कल विचार किया है।

श्री अमृतलाल गहलोत : इतने महीने क्यों लग गये ?

श्री परसराम मदेरणा : पहले एन. सी. सी. फण्ड भारत सरकार के अनुरोध पर और एकाउन्टेन्ट जनरल के ऐतराज पर एक जुलाई, 1971 को समाप्त कर दिया गया था, और उससे पहले के जो चैक जोधपुर में जुलाई से पहले एन. सी. सी. के फण्ड से दिये जाने वाली संस्थाओं के लिए थे उतनी ही धनराशि इस फण्ड के अन्दर थी। इसके बाद में इस फन्ड को इक्वेलाइजेशन फण्ड को ट्रांसफर कर दिया गया है। यह चेरिटी फण्ड 1971 की बात नहीं है। लाइसेन्स्ड कामोडिटीज चैरिटी फण्ड तो प्राइसेज को नये पैसे के बराबर लाने में होलसेल रेट पर चाहे नाज का हुआ है खास तौर से जनता के साथ उसमें कुछ बकाया रकम जो जोधपुर सुपर मार्केट में थी उसकी सुपर मार्केट से रिकवरी पिछले महीने में हुई थी। इसलिए कल चैक जारी कर दिया गया है।

श्री अमृतलाल गहलोत : ऐसा नहीं है। हुआ क्या है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने

(श्री अमृतलाल गहलोत)

आदेश अप्रेल में प्रदान किये थे और सहकारी बाजार में पैसा मई में भेज दिया गया था। फिर भी आपके दफ्तर में 10 महीनों तक माननीय मुख्य मंत्री जी की आज्ञा का पालन नहीं किया गया। अगर यही हालत रही तो खुदा ही हाफिज है।

श्री परसराम मदेरणा : आप इल्लीगल कार्य कराना चाहते हैं। यह मामला ऐसा है कि 1970 में फार्मर चीफ मिनिस्टर ने जोधपुर में रूरल एरिया के अन्दर यह फण्ड ग्रान्ट कर दिया था। उसके तहत मैंने आपको भी देना पसन्द किया उसकी सैंक्शन बाद में हुई थी।

दूसरी बात यह है कि यह पैसा कहां से आया है। जोधपुर जिले में जाकर देख ले कि जो पैसा मिलता है वह ज्यादातर शहरों से मिलता है या गांवों से मिलता है। अनाज और चीनी पर तो कर लगाते हैं तो चीनी रूरल एरिया में ज्यादा कन्ज्यूम होती है इसलिए उनसे मिलता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : काफी अच्छी डांट फटकार है।

श्री अध्यक्ष : श्री जगमोहन सिंह।

कस्बा छबड़ा में शराब का ठेका

824. **श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा) :** क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा के कस्बा छबड़ा में देशी शराब के ठेके की दुकान व समाज कल्याण का छात्रावास एक ही मकान में चल रहे हैं? व इस शराब की दुकान के आसपास हरिजन व मजदूर लोगों की बस्ती है?

(2) क्या यह भी सही है कि छबड़ा की जनता द्वारा इस दुकान को इस स्थान से हटाये जाने बाबत प्रार्थना-पत्र भी दिये गये हैं? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई और उस दुकान को कब तक हटा दिया जावेगा?

आबकारी मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जी हां। दुकान पिछले कई वर्षों से इसी स्थान पर है छात्रावास पिछले करीब 6 महीने से चालू किया गया है। शराब की दुकान के आसपास हरिजन व मजदूर बस्ती नहीं है।

(2) अध्यक्ष नगरपालिका छबड़ा ने आबादी के बीच से इस दुकान को हटाने हेतु पत्र भेजे हैं। दिनांक 1-4-73 से इस दुकान को अन्य स्थान पर लगाने हेतु आदेश आबकारी अधिकारी को दे दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह।

श्री मुंशीलाल महावर।

जिला नियोजन अधिकारी पाली द्वारा नियुक्ति

825. **श्री रामसिंह (सादुलपुर)**
श्री मुंशीलाल महावर (बस्सी) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला नियोजन कार्यालय पाली के भूतपूर्व जिला

Page No 14

(श्री रामसिंह)

(श्री मुंशीलाल महावर)

नियोजन अधिकारी श्री आर. एन. भण्डारी ने एक व्यक्ति श्री पुखसिंह राजपूत को श्री पुखराज सुनार के नाम से नियुक्त किया था ? यदि हां, तो क्यों ? निदेशक महोदय को इस प्रकार गलत नाम व जाति से नियुक्त किये जाने की सूचना सर्व प्रथम कब प्राप्त हुई ? तथा इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? अगर नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई ?

(2) क्या यह सही है कि नियोजन कार्यालय पाली के एक भूतपूर्व लिपिक श्री रामचन्द्र धोलपुरिया ने कुछ खाली परिचय-पत्र जिस पर भूतपूर्व जिला नियोजन अधिकारी श्री आर.एन. भण्डारी के हस्ताक्षर हो रहे थे निदेशक को प्रस्तुत किये ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही न की जाकर उन परिचय पत्रों को निदेशक महोदय द्वारा दबा लेने के पीछे क्या कारण था ? यदि कथित हस्ताक्षर श्री आर. एन. भण्डारी के नहीं थे, तो इस प्रकार जाली हस्ताक्षर बनाये जाने के आरोप की जांच की जाकर श्री धोलपुरिया के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्रम एवं नियोजन मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : (1) श्री भण्डारी ने पुखराज सोनी नाम के एक व्यक्ति को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त किया था। यह सूचना गत वर्ष अगस्त में मिली। अभी इस विषय में जांच की जा रही है। जांच के बाद यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जावेगा तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(2) श्री धोलपुरिया ने खाली कार्ड जिस पर श्री भण्डारी के कथित हस्ताक्षर बताये गये थे एक अन्य अधिकारी को प्रस्तुत किये थे जिन्होंने निदेशक के पास पहुंचाये। इन पर वांछित पूछताछ करने पर श्री आर. एन. भण्डारी ने साफ मना किया है कि उन्होंने किसी खाली कार्ड पर हस्ताक्षर कभी किये। इस विषय में जांच की जा रही है।

श्री मुंशीलाल महावर : अध्यक्ष महोदय इस संबंध में मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब कार्ड पर वह अपने साइन होने से इन्कार करते हैं तो मि. धोलपुरिया के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? जब श्री धोलपुरिया ने कहा कि कार्ड पर भण्डारी के साइन थे तो इस प्रकार से फर्जी साइन कार्डों पर दे दिये जाते हैं। जिनसे पैसा मिल जाता है उनके नाम तो चले जाते हैं एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज से और बाकी लाइन में खड़े रहते हैं। जो नाम दर्ज कराते हैं उनके नाम तो नहीं जाते हैं। वह बिल्कुल गलत अधिकारी हैं, जांच करके उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : सवाल पूछें।

श्री मुंशीलाल महावर : पुखसिंह राजपूत से पुखराज सोनी बनाकर इस तरह से सर्विस दी जाती है। इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं तो मंत्री महोदय को पूरी तरह से जांच करना चाहिए। इस तरह के गलत अधिकारी एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज में हैं। जो लाइन में खड़े रहते हैं उनको तो चान्स नहीं मिलता है लेकिन दूसरे लोगों को पैसा खाकर कर दिया जाता है। इसकी

(श्री मुंशीलाल महावर)
पूरी जांच कराई जायगी इसका सदन में आश्वासन दें।

श्री ओंकारलाल : मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में बड़ा स्पष्ट निवेदन किया कि जांच चल रही है और कोई अधिकारी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जायगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : यह जांच कब से चल रही है और यह नियुक्ति कब हुई ?

श्री ओंकारलाल चौहान : इस प्रकार के एलीगेशन्स कि लोग लाइन में खड़े रहते हैं और जो पैसा दे देते हैं उनको कार्ड दे देते हैं यह गलत है। अगर कोई स्पेसिफिक एलिगेशन्स लगायें तो उसकी जांच की जायगी और उनके खिलाफ एक्शन लिया जायगा।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : यह मामला सरकार के ध्यान में कब आया और उसकी जांच कब शुरू हुई ?

श्री सुखलाल सेणचा (जेतारण) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि पाली के अन्दर जो अधिकारी लगे हुए हैं वह इस तरह के हैं।

श्री रोशनलाल : सरकार के कब ध्यान में आया है और कब जांच शुरू हुई ?

श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : क्या यह सही है कि रामचन्द्र घोलपुरिया को जो चार्जशीट दी गई थी 8 साल पहले उस वक्त एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज की जानकारी में यह बात आई है कि भण्डारी ने पुखसिंह राजपूत के कार्ड पर नाम काटकर पुखराज सोनी कर दिया और आगे इसकी नियुक्ति की है ? क्या यह चार्ज साबित हो गया था 8 साल पहले तो अब तक जांच क्यों शुरू नहीं हुई ? क्या यह सही है कि जब भण्डारी ने इस बात से इन्कार किया था कि उनके दस्तखत नहीं हैं तो क्या उनके दस्तखत की हैण्डराइटिंग एक्सपर्ट से जांच करवाई है कि यह जेनुइन दस्तखत हैं या फर्जी ? जब श्री रामचन्द्र घोलपुरिया की चार्ज शीट में यह जवाब दे दिया गया था तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही गई ?

श्री ओंकारलाल चौहान। मैं समझता हूं कि मैंने स्पष्ट उत्तर दिया है और यह निवेदन किया है कि इसके मामले की जांच की जा रही है। गत वर्ष इस केस की सूचना मिली और उसकी पूरी छानबीन की जा रही है। जब विभागीय जांच पूरी हो जायगी और उसमें जो भी व्यक्ति दोषी पाया जायगा उसके खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जायगी। इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता।

श्री अध्यक्ष : श्री बद्री प्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : यह आपके नोटिस में कब आया ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री बद्री प्रसाद गुप्ता

ग्राम हसामपुर में पुलिस चौकी की मांग

826. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले की तहसील नीम का थाना के ग्राम हसामपुर

Page No 16

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

में पुलिस चौकी कायम किये जाने के लिये वहां के सरपंच व पंचायत समिति के प्रधान ने सन् 1970 में सरकार से जनता की ओर से निवेदन किया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि इस कस्बे में जनता को बिना पुलिस चौकी बहुत परेशानी है, और जनता इसकी मांग कर रही है ?

(3) सरकार का कब तक इस कस्बे में पुलिस चौकी कायम करने का विचार है ?

राज्य मंत्री, गृह (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जी हां, इस सम्बन्ध में पंचायत समिति के प्रधान की ओर से एक प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक को प्राप्त हुआ था।

(2) ग्राम हसामपुर में पुलिस चौकी कायम करने का मामला पुलिस विभाग के पुनर्गठन हेतु गठित समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

(3) उक्त समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार विचार करने के पश्चात् उचित निर्णय लेगी।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : रिपोर्ट कब तक आजायेगी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : आशा है, रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

डूंगरपुर जिले के अभाव ग्रस्त ग्राम

827. **श्री रामचन्द्र (चौरासी) :** क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि डूंगरपुर ज़िले में 36 गांव अकाल ग्रस्त घोषित नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि गांव पासिया, घरमपुरी, कालगढ़ा और पालपुर में अन्य गांवों की तुलना में वर्षा कम हुई थी तथा वहां फसल बिल्कुल ही नहीं हुई फिर भी इसको अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? और क्या अब उक्त गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया जावेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : (1) यह सही है कि डूंगरपुर जिले के 36 ग्रामों को इस वर्ष अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। इन ग्रामों में फसल खरीफ सम्वत् 2029 में खराबा 50% से कम था।

(2) यह सही नहीं है। ग्राम वासियों, घरमपुरी, पालपुर एवं गढ़ा कोकल, (कालगढ़ा नाम गलत दर्ज किया गया है) में भी फसल में खराबा 50 से कम था। इस कारण इन ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया।

श्री रामचन्द्र : क्या डूंगरपुर जिलाधीश द्वारा जांच कराई गई, जैसी कि कमेटी ने सिफारिश की है।

श्री परसराम मदेरणा : इसकी सूचना इस विभाग को नहीं है।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जिले की अकाल राहत कमेटी ने यह सिफारिश की है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य अगर कहेंगे तो इस बारे में कार्यवाही की जायेगी।

श्री रोशनलाल शर्मा : आपको इस क्वेश्चन में कहां गया है, तो फिर जांच क्यों नहीं कराते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : जिलाधीश स्वयं जिम्मेदार आफिसर हैं। वह अकाल राहत कमेटी के जिले में चेयरमैन होते हैं। उन्होंने स्वयं ने काग्नीजेंस लिया होगा। प्रश्न किस सन्दर्भ में उठा है। माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है। जिलाधीश इस स्थिति में हैं या नहीं। क्योंकि प्रश्न उठाया जा रहा है मार्च में। फसल हो गई सितम्बर, अक्टूबर में। ऐसे कैसे अन्दाजा लगाया जा सकता है। बड़ी कठिनाई है।

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर): मैं निवेदन करूं कि सारा जिला अभावग्रस्त घोषित है। मैं इसका कोई निजी लाभ नहीं उठाना चाहता। लेकिन अगर पांच छः गांव छोड़ दिये जायें तो मैं समझता हूं कि यह बड़ा दुर्भाग्य पूर्ण है। जहां तक मुझे पता है, ये अकालग्रस्त गांव है। मैं मन्त्री महोदय से इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि वह जिलाधीश से पुनः जांच करायें और उनको अभावग्रस्त घोषित करायें।

श्री परसराम मदेरणा : खरीफ की फसल इस प्रदेश में मानसून पर निर्भर करती है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, मानसून इस प्रदेश के साथ साथ समय समय पर धोखा करता जा रहा है। 785 गांवों में से 783 गांवों में खराबा है। दो गांवों में फसल हो जाती है। मैंने होते देखी हैं। इसलिये यह कहना कि 36 गांव कैसे बच गये हैं। इसलिए ऐसी धोखेबाजी के अन्दर ऐसे एक्शन्स हो सकते हैं। तो भी माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, तो मैं जिलाधीश से दुबारा रिपोर्ट मांग रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : वहां पर जो गांव बताये हैं, वहां पर 80% आदिवासी रहते हैं। उनके पास अनाज नहीं है, भूखे मरते हैं। पैसा नहीं, अन्न नहीं। जो अभावग्रस्त किये हैं, उनके पास ही उनको मजदूरी पर लगा सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार अभावग्रस्त घोषित करने के लिए शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स या दूसरे किसी प्रकार के फर्क नहीं रखती है। सरकार की जानकारी में है, इस सदन की जानकारी में है कि 20 करोड़ लोग पावर्टी में हैं। हम शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स को मिनिमम दे रहे हैं।

श्री रोशनलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है।

श्री अध्यक्ष : उत्तर देने दीजिये।

श्री रोशनलाल शर्मा : जो गांव रिलीफ में नहीं आये, उनको आप लेंगे या नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : जो जनसंख्या अभाव से ग्रसित है, उन्हीं को काम दिया

(श्री परसराम मदेरणा)
गया है। दूसरे को काम देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री **रोशनलाल शर्मा** : भले ही वह भूखा मरता हो।

श्री **अध्यक्ष** : श्री करनसिंह।

एन. डी. एस. अनुदेशक

828. श्री **करनसिंह** (डीग) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार एन. डी. एस. अनुदेशकों का 1 मार्च, 1973 से केन्द्रीय सरकार से प्रशासनिक नियन्त्रण ले रही है?

(2) क्या यह सही है कि इन कर्मचारियों की ओर से देहली हाईकोर्ट में दायर की गई रिट एडमिट हो चुकी है? यदि हां, तो क्या कोर्ट के फैसले तक इन्हें केन्द्रीय सरकार के ही अधीन रखने का राज्य सरकार का विचार है?

राज्य मंत्री शिक्षा (श्री जुझारसिंह) :
(1) जी, हां।

(2) जी, हां। लेकिन इसमें कोर्ट के द्वारा अभी स्टे आर्डर नहीं दिया गया है। एन. डी. सी. अनुदेशकों का राज्य सेवान्तर्गत 'अब्जार्पशन' भारत सरकार के सुझावों के अनुसार किया जा रहा है। अतः इस सम्बन्ध म निर्णय केन्द्रीय सरकार पर ही निर्भर करता है।

श्री **करनसिंह** : क्या एन. डी. एस. अनुदेशको को वेतन सरकार से ही मिलता रहेगा? दूसरे, क्या हाई कोर्ट दिल्ली में रिट पिटीशन है, वह राज्य सरकार की है?

श्री **जुझारसिंह** : वेतन भारत सरकार ही देगी। राज्य सरकार पार्टी है। मगर उसके बारे में निवेदन नहीं कर सकता हूं।

श्री **करनसिंह** : अध्यक्ष महोदय, वेतन भारत सरकार से मिलते रहेंगे। जब तक केन्द्र के अधीन रखे जायें। तो क्या आपत्ति है?

शिक्षा मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है, वह हमारे यहां ज्वाइन करें। भारत सरकार में ज्वाइन करें। उससे पे कमीशन की रिपोर्ट को फायदा होने वाला होगा, वह होगा।

श्री **करनसिंह** : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से जानना चाहता हूं जिन कर्मचारियों को राज्य सरकार लेना चाहती है, उनकी सर्विस कन्डीशन्स को प्रोटेक्शन देना चाहती है या नहीं।

श्री **जुझारसिंह** : जो राज्य सरकार में आना चाहेंगे उनको राज्य सरकार एब्जार्ब कर लेगी।

श्री **केदारनाथ** : उनकी सीनियोरिटी कब से मानेंगे?

श्री **चन्दनमल बैद** : जब से हमारे यहां आयेंगे, तभी म मानी जायेगी।

श्री **केदारनाथ** : इससे तो उनकी सर्विसेज इफैक्ट होंगी।

श्री **चन्दनमल बैद** : ऐसा सम्भव नहीं हो सकता है, जो लोग भारत सरकार के

(श्री चन्दनमल बैद)
कर्मचारी रहे हैं उनको, हमारे जो वर्षों से कर्मचारी रहे हैं, उनसे सीनियर कर दूं। ऐसा किसी सरकार ने नहीं माना है। अगर भारत सरकार दूसरी स्टेट्स से मनवा ले, तो यहां भी हो सकता है। अन्यथा यह नहीं हो सकता है। दूसरी स्टेट्स में जब से एब्जार्ब करें, उसी दिन से उनको माना गया। यह नहीं हो सकता है कि राजस्थान अपने कर्मचारियों को तो छोड़ दे और जो भारत सरकार के कर्मचारी हैं, उनकी सीनियोरिटी उसी दिन से माने जिस दिन भारत सरकार की सर्विसेज में आये हों।

श्री केदारनाथ : भारत सरकार से ऐसा रैफरेंस किया है कि इससे यह डिस्पेरिटी पैदा होने वाली है ?

श्री चन्दनमल बैद : इस विषय पर भारत सरकार और सारे स्टेट्स की सम्मिलित बैठक हुई थी, उसमें भारत सरकार से सारे स्टेट्स ने कहा था, इससे यह काम्प्लीकेशन्स पैदा होने वाले हैं, इन लोगों को उस दिन से सीनियोरिटी दें जिस दिन से भारत सरकार की सर्विस ज्वाइन की तो हमारे यहां इस कैडर के दूसरे लोग हैं, उनके इन्ट्रेस्ट ज्योपार्डाइज होने वाले हैं। इसलिये ऐसा नहीं कर सकते। भारत सरकार ने मान लिया, जिस दिन से लें उस दिन से सीनियोरिटी मानें। यह मानने को तैयार हैं। पेस्केल्स और पे कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जो पे स्केल होंगे, उन पे स्केल्स और हमारे पे स्केल्स दोनों में डिफरेंस हैं। यह उनकी मर्जी पर है कि हमारे पास आयें या नहीं। उनके ऊपर पाबन्दी नहीं है कि हमारे पास आना पड़ेगा। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लिया है, उसके बाद उनको हमारे पे स्केल्स, सर्विस कण्डीशन्स अच्छी लगती हैं, हमारी टर्म्स आफ कन्डीशन्स, पे स्केल्स और हमारे रूल्स अच्छे लगते हैं तो वह आयें, न लगें तो हमारे पास न आयें।

श्रीमती ऊषा प्रकाश (वैर) : फिर वह लोग कहां जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती कान्ता कथूरिया।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 829

श्री मोहनलाल छंगाणी : 829। अध्यक्ष महोदय, श्रीमती कान्ता कथूरिया का टेलीफोन आया, उन्होंने कहा कि आथोरिटी भेजी है। आथोरिटी अभी नहीं मिली है। आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष : मैं वर्बल कैसे मान सकता हूं। रूल्स के अनुसार लिखित में आनी चाहिए।

श्री करणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट लिया है, और सर्विस कन्डीशन••

प्रश्न संख्या 830

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री चिम्मनसिंह !

भोजपुरा फीडर

831. **श्री चिम्मनसिंह भाटी** (भीम) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की भीम पंचायत समिति के अन्तर्गत डो. पी. ए. पी. योजना में भोजपुरा फीडर पर 1 लाख 75 हजार की राशि स्वीकृत की गई है? जब कि यह फीडर उदयपुर जिले में नहीं होकर भीलवाड़ा जिले में है।

(2) क्या उदयपुर जिले की भीम पंचायत समिति के डी.पी.ए. पी की रकम को आसीन्द पंचायत समिति जिला भीलवाड़ा में खर्च किया जा सकता है?

(3) जब कि जिला स्तर पर इस फीडर का विरोध किया जा चुका है फिर भी इसे स्वीकृति क्यों दे दी गई?

विकास मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) उदयपुर जिले की भीम तहसील के अन्तर्गत कार्य भोजपुरा फीडर अनुमानित लागत 1 लाख 75 हजार रुपये हैं, स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजा गया है। अभी तक भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। इस कारण राज्य सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति अभी तक जारी नहीं की गई, यह कार्य उदयपुर जिले की तहसील भीम एवं भीलवाड़ा जिले की तहसील आसीन्द दोनों के क्षेत्र में पड़ता है।

(2) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित राशि का उपयोग केवल इस योजनार्थ चयनित क्षेत्र में ही किया जाना है।

(3) इस प्रकार की कोई सूचना राज्य सरकार के पास नहीं है कि इस कार्य का विरोध जिला स्तर पर किया गया है। फिर भी सरकार इस बात को ध्यान में रख कर ही आगे स्वीकृति देने के बारे में विचार करेगी।

श्री चिम्मनसिंह भाटी : प्रश्न यह है, यह भोजपुरा फीडर आसींद क्षेत्र में पड़ता है और काम उदयपुर जिले की भीम तहसील के अन्तर्गत स्वीकार किया गया है डी. पी. ए. पी. का, इससे यह होगा कि उदयपुर का पैसा भीलवाड़ा जिले में लगेगा।

श्री परसराम मदेरणा : आसीन्द क्षेत्र में भी पड़ता है। और आपके क्षेत्र में भी पड़ता है।

श्री चिम्मनसिंह भाटी : यह सही नहीं है कि यह हमारे क्षेत्र उदयपुर में पड़ता है, यह भोजपुरा फीडर आसीन्द क्षेत्र में पड़ती है।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे बताया गया है।

श्री चिम्मनसिंह भाटी : यह आपको गलत बताया गया है।

श्री परसराम मदेरणा : आप कहते हैं कि गलत बताया है तो मैं चीफ इंजिनीयर से पूछूंगा कि गलत कैसे बताया गया है।

श्री चिम्मनसिंह भाटी : धन्यवाद!

श्री परसराम मदेरणा : आप सुनिये। यह बारह मील लम्बी फीडर है, पांच मील उदयपुर जिले में है और सात मील भीलवाड़ा जिले में है, ज्यादा भीलवाड़ा जिले में है

(श्री परसराम मदेरणा)

मैं इसके एस्टीमेट वगैरह मंगा लूंगा, माननीय सदस्य पांच सात रोज रहेंगे जयपुर में इस सम्बन्ध में गलत सूचना दी है, तो आप जानते हैं कि मैं गलत सूचना देने वाले को कम माफ करता हूं-यह आपको मालूम होना चाहिए। मैं निवेदन कर दूं कि आप सोचते हैं, इस काम को नहीं लेना चाहिए; तो इसका उत्तर मैं प्रश्न के भाग तीन में दे चुका हूं कि राज्य सरकार विचार करेगी। भीलवाड़ा में आसीन्द तहसील में डी. पी. ए. पी. का प्रोग्राम हो या नहीं हो। वैसे यह प्रोग्राम उसी क्षेत्र में लेने चाहिए जो ड्रॉट प्रोन एरिया है। भारत सरकार ने इसे ड्रॉट प्रोन एरिया डिक्लेअर नहीं किया है इसलिए लेने का प्रश्न नहीं है। मैं माननीय सदस्य को निवेदन कर दूं कि यह सारा मामला खटाई में पड़ रहा है, क्योंकि भारत सरकार नये काम संक्शन नहीं करने जा रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री वृजेन्द्रपाल !

ग्राम अस्तल की माध्यमिक शाला

832. श्री वृजेन्द्रपाल सिंह (करोली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि ग्राम अस्तल (करोली सब-डिवीजन) में स्थित नवीन माध्यमिक शाला के प्रधान अध्यापक ने इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स की आज्ञा की अवहेलना करके माध्यमिक शाला को हटा कर दो मील दूर ग्राम सेमरदा में स्थापित कर दिया ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने उक्त पदाधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री जुझार सिंह) : यह सही नहीं है। ग्राम अस्तल स्थित नवीन माध्यमिक शाला विद्यालय निरीक्षक करौली की अनुमति से ही सेमरदा में कुछ दिन चलाया गया किन्तु बाद में निरीक्षण उपरांत एवं दूरी को ध्यान में रखते हुए पुनः पुराने भवन में शाला चलाये जाने की अनुमति दी गई। प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह गहलोत !

मोम का कोटा

833. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बतावें की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में बाटिक पेंटिंग के लिए कितनी संस्थाओं और कितने लोगों को मोम का कोटा दिया जाता है ?

(2) क्या इन संस्थाओं को मोम का कोटा प्रदान करते समय इनके द्वारा तैयार पेंटिंग्स का ब्योरा इस विभाग द्वारा प्राप्त किया जाता है ? यदि हां, तो गत एक वर्ष में कितने लोगों तथा संस्थाओं ने कितने कुल पेंटिंग्स बनाए ? यदि यह विवरण नहीं लिया गया तो बिना अनुमान लगाए किस आधार पर कोटा दिया गया ?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल): (1) वर्ष 1972 में राजस्थान में बाटिक पेंटिंग के लिए छः संस्थाओं।लोगों को मोम का कोटा दिया गया।

(2) जी हां। छः संस्थाओं द्वारा 7500 मीटर कपड़े एवं 2275 साड़ियों पर

(राज्य मंत्री, उद्योग)
पेंटिंग की गई तथा 1350 नग पेंटिंग्स तैयार की गई।

भू-संरक्षण कार्य

834. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत भू-संरक्षण कार्य भी चालू हैं?

(2) क्या यह सही है कि इस कार्य में 25 प्रतिशत व्यय खेत के मालिक से लिया जायेगा जो उसे ऋण के रूप में सरकार से दिया जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि इस राशि का ब्याज देना होगा ?

(4) क्या जहां इस प्रकार के कार्य चल रहे हैं अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ी जातियों के कृषकों को 25 प्रतिशत राशि से मुक्त किया जा सकता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अकाल सहायता मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी हां।

(2) जी हां

(3) जी हां।

(4) यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री **शंकरसिंह रावत** : यह पच्चीस पर्सेन्ट व्यय लिया जायेगा, इससे अनुसूचित जाति के लोगों को मुक्त किया जाना चाहिए-क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री **परसराम मदेरणा** : यही उत्तर दिया है, यह राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री **अध्यक्ष** : श्री भोमाराम।

नमक का उत्पादन

835. **श्री भोमाराम चौधरी** (डीडवाना) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) डीडवाना नमक झील में नमक की कितनी क्यारियां फ्री हैं, कितनी क्यारियां एग्रीमेंट के तहत चलाई जा रही हैं तथा कितनी क्यारियों में सरकार नमक का उत्पादन कर रही है ?

(2) राज्य सरकार किस रेट पर नमक उत्पादित करवा रही है ? व एग्रीमेंट द्वारा संचालित क्यारियों का नमक किस रेट से लिया जाता है ?

(3) राज्य सरकार ने 1968—69 में 300 नमक बनाने को क्यारियां बनवाई थीं जिनका 100 रुपये प्रति क्यारी के हिसाब से हर मजदूर से कुल चार्जेज के नाम से होदा खुदवाने हेतु लिया था तथा 200 रुपये प्रति क्यारी प्रत्येक मजदूर ने स्वयं खुदाई करवाने व लेवलिंग करने में खर्च किए थे ? यदि हां, तो अभी तक उन क्यारियों को मजदूरों को क्यों नहीं चलाने दी है ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने 1971 में पुनः उन 300 क्यारियों

Page No 23

(श्री भोमाराम चौधरी)
के पड़े रहते हुए भी नई क्यारियां खुदवाई ? यदि हां, तो कितनी तथा उनमें से कितनी चालू की गई ?

राज्य मंत्री, राजकीय उपक्रम (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) डीडवाना नमक झील में उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशों के अन्तर्गत 394 क्यारियां फ्री हैं जिन पर देशवालों की मिल्कियत मानी गई है। एग्रीमेंट के आधार पर 240 क्यारियां चलाई जा रही हैं। 73 क्यारियों में सरकार मजदूरों को रखकर उत्पादन कर रही है।

(2) राज्य सरकार के द्वारा क्यारियों में ठेके पर नमक का उत्पादन 0.27 पैसे प्रति क्विन्टल पर कराया जा रहा है। नमक के पानी देने का प्रति क्विंटल 0.15 पैसे राज्य सरकार वहन करती है। इस प्रकार ठेके से नमक उत्पादन पर खर्चा 0.42 पैसे प्रति क्विटल आता है। एग्रीमेंट द्वारा संचालित क्यारियों से उत्पादित नमक को विभाग के द्वारा 1.00 रु. प्रति क्विटल पर लिया जा रहा है।

(3) प्रति क्यारे को खोदने व लेवलिंग पर मजदूरों के 200 रु. खर्च हुए अथवा नहीं—इसकी जानकारी इस विभाग को नहीं है। क्यारियां के लिए नमक के घोल की सामूहिक व्यवस्था करने के लिए होदी खोदने का कार्य, उन्हीं लोगों द्वारा नियुक्त कमेटी ने टेण्डर मांग कर करवाया था जिसके लिये प्रत्येक क्यारे के 100 रु. लिये गये हैं। उपरोक्त 100 रु. प्रति क्यारी नमक बनाने हेतु क्यारा की खुदवाई व लेवलिंग के लिये नहीं है। आगे के दो वर्षों में वर्षा के अभाव से झील के पानी का स्तर गहरा हो जाने से एवं मजदूरों के द्वारा बनाये गये होदे अनुपात में ऊंचे स्तर पर होने के कारण से नमक उत्पादन का कार्य शुरू नहीं हो सकता था अतः मजदूरों से होदों को और खोदने का अनुरोध किया गया था। उपरोक्त क्यारियों में से 87 क्यारियों में मजदूरों के द्वारा पानी के स्तर पर खुदाई कराई गई थी जिसमें बिजली की व्यवस्था करके उसी वर्ष 1968–69 में नमक का उत्पादन कार्य शुरू करा दिया गया था। शेष क्यारियों के लिए पानी का स्तर और गहरा हो जाने के फलस्वरूप मजदूर आगे होदा खोदने के इच्छुक नहीं रहे। मजदूरों के द्वारा होदों को पानी के स्तर तक खोदने के उपरान्त इन होदों में भी नमक उत्पादन का कार्य मजदूरों के द्वारा शुरू करा दिया जावेगा।

जिन मजदूरों को क्यारे दिये गये थे वे दिन में नमक उत्पादन का कार्य करते थे व उसके पश्चात् अपने क्यारों की खुदाई का कार्य करते थे। विभाग के द्वारा उन्हें सुविधाएं प्रदान की गई थीं जिससे वे क्यारे खोदने का व लेवलिंग आदि का कार्य सुचारु रूप से कर सकें।

(4) 1968–69 में मजदूरों के द्वारा 300 क्यारों में से केवल 86 क्यारे ही पानी के स्तर तक खुदाई करके नमक का उत्पादन शुरू किया गया था। उपरोक्त कारणों से वर्ष 1971 में विभाग के द्वारा 283 क्यारियां और बनवाई गई जिससे नमक का उत्पादन बढ़ाया जा सके। इन क्यारियों में से 50 क्यारियां चालू कर दी गई हैं।

श्री भोमा राम चौधरी : अध्यक्ष जी, यह क्यारियां हैं, इनके लिए सौ रुपये लिये गये 300 आदमियों से, उनकी रसीद मौजूद है। क्यारियां खुदाई गई हैं। क्यारियां बेकार पड़ी हैं। चलाने के लिए इन्होंने इजाजत नहीं दी है। मैं स्वयं जाकर आया हूं। उन्होंने वायदा किया था, अप्रेल में बजट प्रावधान होगा अप्रेल में शुरू कर देंगे। उसके बाद नम्बर चार में 300 क्यारियां बताई है, खोदी गई हैं। बेकार पड़ी हैं। पानी के वास्ते पैसा लिया गया, अभी तक पानी नहीं दे रहे हैं। डीडवाना में नमक का काम ऐसा है जिससे हजारों आदमी काम कर सकते हैं। 300 क्यारियों को खोदा गया है, यह शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की हैं। एक तरफ यह कहते है शिड्यूल्ड कास्ट्स आगे आ जायं, उन्हें सम्भला दी जाय, लेकिन शिड्यूल्ड कास्टस के आदमी भटक रहे हैं, उनको एलॉटमेंट नहीं होता है। जो आदमी आये उनसे तीन सौ रुपये मांगे। 300) देते हैं तो क्यारियां एलॉट कर देते हैं। मैं इसको साबित कर सकता हूं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : जितना विवरण उपलब्ध हो सकता था, वह मैंने माननीय सदस्य के सामने प्रस्तुत कर दिया है। उसके बावजूद सबूत वाली कोई बात पेश करना चाहे तो मैं जांच करा लूंगी।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। श्री मोहन लाल छंगाणी।

श्री मोहनलाल छंगाणी : प्रश्न संख्या 327।

श्री भोमाराम चौधरी : डीडवाना सोडियम फैक्टरी का यह हाल है कि वहां पर अधिकारी बैठे हैं, उनकी एन्क्वायरी अगर सी. बी. आई. से कराई जाय तो लाखों रुपयों का घोटाला निकलेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन लाल छंगाणी!

श्री दीपंकर : एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अब दूसरा प्रश्न ले लिया है।

स्थगित प्रश्न

(7-3-73)

माउन्ट आबू में आध्यात्मिक शिविर का आयोजन

327. श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) एवं श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि मार्च-अप्रेल, 1972 में माउन्ट आबू में कन्या स्काउट मैदान में एक आध्यात्मिक शिविर का आयोजन किया गया था ? यदि हां, तो इसके आयोजकों के क्या नाम हैं व शिविर का संचालन किस व्यक्ति द्वारा किया गया ?

(2) कन्या स्काउट मैदान में उक्त शिविर चलाने हेतु किसने व किस अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की व स्वीकृति प्राप्त करने वाले आवेदन-पत्र में किस कार्य हेतु उक्त कन्या स्काउट मैदान के उपयोग को स्वीकृति चाही ?

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
श्री श्रीराम गोटेवाला)

(3) क्या यह सही है कि उक्त आवेदन पत्र में स्वीकृति प्राप्त करते समय यह लिखा था कि आध्यात्मिक शिविर में नग्न होकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया जावेगा?

(4) यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि उक्त आध्यात्मिक शिविर में पुरुष और स्त्रियों द्वारा नग्न होकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की प्रकिया अपनाई गई ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त नग्न प्रदर्शन के समय जिले के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे और उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की ?

(6) क्या यह सही है कि सार्वजनिक स्थान पर नग्न प्रदर्शन कानूनी अपराध है ? यदि हां, तो क्या दण्ड है ?

(7) क्या सरकार उक्त अध्यात्मिक शिवर के संचालक एवं व्यवस्थापक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री गृह (श्रीमती कमला बेनीवाल) (1) जी हां, इस शिविर का आयोजन श्री जयन्ती भाई। अध्यक्ष, जीवन जागृति केन्द्र, चार खटिया रास्ता, नगरपालिका स्कूल के सामने, अहमदाबाद, ने किया था व शिविर का संचालन आचार्य श्री रजनीश, निवासी बम्बई द्वारा किया गया।

(2) उपरोक्त शिविर चलाने हेतु श्री जयंती भाई ने राज्य सचिव, भारतीय स्काउट्स एवं गाइड्स, राजस्थान जयपुर सं. 6 से स्वीकृति प्राप्त की थी। उक्त आवेदन पत्र दिनांक 25-3-72 से 1-4-72 तक एक शिविर चलाने हेतु था।

(3) जी नहीं।

(4) यह सही है कि इस शिविर में कुछ एक साधक नग्न हो गये थे।

(5) इसकी जांच की जा रही है।

(6) जी हां, इस पर तीन माह तक की कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

(7) प्रश्न के कानूनी एवं सामाजिक पहलू का अध्ययन किया जा रहा है और परिणाम के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आप यह तो मानकर चल रहे हैं कि यह कानूनी जुर्म है और इसकी सजा तीन माह कैद या जुर्माना है। मैं पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार को यह सूचना कब मिली कि यहां नग्न कैम्प लगा है और इसमें स्प्रिचुअल साधना का प्रोग्राम नग्नता के जरिये किया जा रहा है। यह सूचना कब मिली ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह इस समय बताने में असमर्थ हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सर्व प्रथम यह सूचना गुजरात से प्रकाशित वेस्टर्न टाइम्स ने 6-4-72 को दी और नग्न प्रदर्शन के फोटोज भी उसमें प्रकाशित हुए।

श्रीमती कमला बेनीवाल : हो सकता है कि सर्व प्रथम उसमें ही प्रकाशित हुआ हो,

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
लेकिन राज्य सरकार को आथेंटिक सूचना किस पेपर या पत्र या चिट्ठी के द्वारा प्राप्त हुई, यह कहने में मैं असमर्थ हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरे द्वारा प्रश्न पूछे जाने के बाद तो अधिकृत सूचना प्राप्त हो गई ?

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी) : केवल यही प्रश्न नहीं है, और भी है, इसमें समय लेने के बजाय दूसरे प्रश्न लीजिये।

श्री जेठमल आर्य (रैवदर) : क्या माउन्ट आबू में इस तरह की बातों को रोकने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के अन्तर्गत जो फ्रीडम आफ रिलीजन का जो फन्डामेन्टल राइट मिला हुआ है, उसको मद्दे नजर रखते हुए इस पर विचार करेंगे ?

श्री मोहनलाल छंगाणी: सरकार यह भी बताने की कृपा करे कि इस प्रकार का नग्न प्रदर्शन भी फन्डामेन्टल राइट के अन्तर्गत आता है या नहीं ? यह जो रजनीश स्प्रिचुअल रीजनरेशन का स्टंट कर रहे हैं वह भी रिलीजन के डेफीनेशन में आता है क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : और इसके साथ यह भी बतायें कि इलस्ट्रेटेड वीकली के अन्दर इसके फोटोज प्रकाशित हुए हैं और कई माननीय सदस्यों ने वह इलस्ट्रेटेड वीकली सात सात दिन अपने पास रखी है इस सम्बन्ध में भी प्रकाश डालें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : जिन लोगों ने उस कैम्प में हिस्सा लिया है उनका भी नाम बतायें हमको पता लगा है कि कुछ माननीय सदस्यों ने भी भाग लिया था, हाई कोर्ट के जज और कोई कहते हैं कि रेवेन्यू बोर्ड के एक मेम्बर और कलेक्टर ने भी भाग लिया था। यह कौन हैं, मालूम नहीं। राज्य सरकार यह भी बताये कि ऐसे कौन से आदमी थे जिनको इस स्प्रिचुअल रीजनरेशन की आवश्यकता थी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां के किसी माननीय सदस्य ने तो भाग नहीं लिया, लेकिन इलस्ट्रेटेड वीकली जिसमें यह तस्वीरें निकली हैं वह सात दिन तक माननीय सदस्य के पास रही यह मेरी जानकारी में है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इसमें फोटो भी पेश कर रहा हूं कि किस किस सदस्य ने भाग लिया। लेकिन सरकार यह बताये कि जब तीन माह की इसके लिए सजा है, तो उसमें किस किस व्यक्ति ने हिस्सा लिया और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री) : इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान के अन्दर स्प्रिचुअल ग्रुप्स बहुत ज्यादा हैं और स्प्रिचुअल रीजनरेशन की भूख इतनी बढ़ गई है कि लोग रोटी रोजी से भी ज्यादा इसको चाहते हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यही घोटाला हो रहा है।

श्री बरकतुल्ला खां : चाहे कोई भी आ जाये, कोई भी सिद्ध महाराज आ जाये, उसके फालोअर्स हो जाते हैं। देश के अन्दर कोई ऐसी इन्स्टीट्यूशन्स हैं, कुछ नई हैं, कुछ पुरानी हैं। आचार्य रजनीश भी वहां पर आये, और स्वाभाविक था कि शुरू शुरू में गवर्नमेंट के आफिसर्स जो अपने काम से थक चुके थे, वह कुछ स्प्रिचुअल प्रेरणा लेना चाहें और वह स्प्रिचुअल प्रेरणा लेने के लिये गये होंगे। मैं भी इनके तो किसी मीटिंग में नहीं गया, लेकिन जब अपने देवगिरी के शंकराचार्यजी यहां आये थे उनके यहां तो मैं गया था। यह बात सही है कि इस मुल्क के अन्दर इतनी तो आजादी है कि जो अपने ट्रेडीशनल रिलीजन्स चले रहे हैं उनको लोग फालो कर सकते हैं और इस तरीके से आपने भी मुलाहिजा किया होगा कि जैन साधू महाराज आते हैं, वह भी नग्न होते हैं, वह व्याख्यान भी देते हैं. . . .

श्री प्रद्युम्न सिंह : दूसरों को भी आजादी है।

श्री बरकतुल्ला खां : लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करके यह देखना है कि स्प्रिचुअलिज्म कहां खत्म होती है और वल्गैरिटी कहां शुरू हो जाती है, यह देखना है कि सेन्सुअसनेस कहां शुरू होती है और यह भी देखना है कि सेन्सेज के द्वारा वह स्प्रिचुअलिज्म अटेन कर सकते हैं या नहीं। तो ऐसे काफी सारे प्रश्न हैं। फन्डामेन्टल राइट्स भी इनवाल्ल्ड हैं, और इसके साथ साथ यह भी देखना पड़ेगा कि किसी इण्डिविजुअल की रिलीजस फ्रीडम को रोक तो नहीं रहे हैं। लेकिन, माननीय अध्यक्षजी, एक बात का मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि इसके लिये हम जागरूक हैं और पूरे तरीके से एन्क्वायरी करना चाहते हैं और इसमें अगर कोई वल्गैरिटी है या धर्म के खिलाफ काम है तो इसको रोकने में राजस्थान सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन पूरे तरीके से सोच विचार करके कदम उठाना चाहते हैं और ऐसी बात नहीं करना चाहते हैं कि बाद में जाकर हमारा ऐक्शन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चेलेंज हो जाये और हम मुकदमा हार जायें।

(शोरगुल)

श्री मोहनलाल छंगाणी : वह कौनसा धर्म है और कौन सी प्रक्रिया है?

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : माननीय सदस्य ने काफी समय ले लिया है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह कौनसा धर्म है? काम वासना के द्वारा वह स्वयं जरूर सेल्फ रिएलाइजेशन कर सकते होंगे, लेकिन क्या यह सरकार की नीति है कि उनको इस प्रकार से खुली छूट दी जाये?

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : मेरा एक प्रश्न है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मेरा ख्याल है यह केम्प फिर लग रहा है और इसके लगने की पूरी सम्भावना है और इसमें फिर नग्न प्रदर्शन होगा और आचार्य रजनीश अपनी स्पेयर्स फिलासफी का प्रचार करेंगे। यह केम्प पहले स्काउट ग्राउन्ड पर लगा था जो कि एक पब्लिक प्लेस है, और जब पब्लिक

(श्री मोहनलाल छगाणी)
प्लेस पर इस प्रकार से नग्न प्रदर्शन करना जुर्म है तो राज्य सरकार को चाहिये कि उसको गिरफ्तार करके उस पर मुकद्दमा चलाये और सजा दें।

(शोरगुल)

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह से लोगों को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जायेगी तो इसका कोई अन्त नहीं होगा। जैसा मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कल को जैन साधुओं के लिये भी आप कह सकते हैं कि उनको भी पकड़ा जाये।

(शोरगुल)

श्री रोशनलाल शर्मा : नया धर्म चालू हुआ है।

(शोरगुल)

आचार्य रजनीश का कोई धर्म नहीं है ।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। इसका असर स्टूडेन्ट काम्यूनिटी पर बहुत खराब पड़ता है। इसलिये मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस प्रकार की एक्टीविटीज की तरफ सतर्कता बरते। यह मसला काफी गम्भीर है इसमें हमें इधर उधर टालमटोल नहीं करना चाहिये और इसको हमें हंसी मजाक में नहीं टालना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : अध्यक्ष महोदय मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार इस गम्भीर मसले में जल्दी से जल्दी निर्णय ले और ऐसी कार्यवाही को रोका जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। काफी कह दिया। आप आसन ग्रहण करें।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्रीजी और आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की एक्टिविटीज का बहुत ही बुरा असर पड़ेगा इस प्रकार की फेन्टअपफोलिज्म नहीं पैदा होने देनी चाहिये। और अगर यह स्टूडेन्ट्स में एक बार घुस गयी और स्टूडेन्ट्स ने इसे अपना लिया तो फिर बहुत ही गम्भीर स्थिति बन जायेगी और फिर राज्य सरकार के लिये मुश्किल हो जायेगा कि वह उसको रोक सके।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जितनी देर तक तालिया बजाते रहेंगे तब तक यह बोलते रहेंगे इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि वह तालियां बजाना बन्द करदें।

श्री फूलचन्द जैन : इनको ऐसे मामलों में काफी बोलने का अनुभव है।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, अगर किसी की धार्मिक भावना किसी प्रकार से शान्त होती है तो राज्य सरकार को इसमें उदारता पूर्वक सोचना चाहिये। लोग आज हमारे देश में चाहे न्यूडेजिम को खराब मानते हैं लेकिन दूसरा

(श्री लक्ष्मणसिंह)

देशों में जैसे अमेरिका, इंग्लैण्ड आदि देशों में लोग न्यूडेजिम में काफी विश्वास करते हैं और अगर हमारे देश में कोई अपनी धार्मिक भावनाओं का न्यूडेजिम के सहारे से अपना विकास करना चाहता है तो इसमें राज्य सरकार को कोई एक्शन ले वैसी बात नहीं होनी चाहिये। आज के मोडर्न युग में इंग्लैण्ड में तो लोग यों ही कपड़े उतार कर घूमते हैं। इसलिये मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार धार्मिक मामलों में उदारता बरते।

एक माननीय सदस्य : श्री लक्षमण-सिंह जी ने काफी अच्छे सुझाव दिये हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में उदारता रखना ही श्रेय कर है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, महारावल साहब ने काफी प्रोग्रेसिव सुझाव दिया है इस पर गौर किया जाना चाहिये।

श्रीमती निर्मलासिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष : आप कहां नग्नता के चक्कर में पड़ रही हैं

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने खड़े होने पर अश्रव्य)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, इस तरीके की जो भी बातें हैं उसकी ओर राज्य सरकार को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये यह बात समाज के लिए अच्छी नहीं है।

श्री रोशनलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अभी थोड़ी देर पहले किसी माननीय सदस्य ने यह कहा था कि इस साल और आचार्य रजनीश का कैम्प लग रहा है इस बारे में राज्य सरकार क्या करने जा रही है इस विषय पर यह सदन में बतायी जाय।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम धर्म के नाम पर हो रहे हैं जो कि आगे चल कर समाज पर खराब असर पटके उन्हें बन्द किया जाना चाहिये।

श्री केदार नाथ : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन इसमें यह है कि आज लोग अपनी जो हंगर होती है चाहे लव अफेयर्स के बारे में हो चाहे धार्मिक भावनाओं के बारे में हो इस प्रकार की एक्टिविटीज को पेन्टअपफीलिंग कहते हैं। मेरा निवेदन यह है कि इसमें हर इन्सान को अपनी पेन्टअप फीलिंग को सेटिस्फाई करने का फन्डामेन्टल राइट है इसमें आप क्या कर सकते हैं इसको आप क्या चैक करेंगे भी कैसे ? यह तो हर आदमी की एम्बीशन होती है कि वह अपनी भूख को किसी प्रकार मिटाये। मैं समझता हूं कि आप इसे नहीं रोक सकते।

मुख्य मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : अध्यक्ष महोदय, अभी जो बात माननीय सदस्यों ने कहीं हैं उसके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि राज्य सरकार इस ओर सतर्क है और हमें इसमें देखना पड़ेगा कि इसमें कितना सही है और कितना गलत। लोग अपने धार्मिक इमोशन्स को किस प्रकार से सेटिसफाई करवे

(श्री बरकतुल्ला खां)

हैं। इसमें देखना पड़ेगा कितनी वलगेरिटी है. अपने आध्यात्मक अध्ययन में जो ओबसीन तरीके हैं उसमें पेन्ट अप इमोशन्स क्या है इस बारे में सोचने की जरूरत है लेकिन राज्य सरकार इसे कोई अच्छा मानती है या बुरा पहले बिना सारी बात सोचे समझे क्या कह सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि आचार्य रजनीश ने अपने शिष्यों को एक सरक्यूलर निकालकर आदेश दिया है कि वो लोग न्यूडिज्म का प्रदर्शन पब्लिक प्लेसेज में नहीं करें। यह बात शुरू में हुई थी जो कि प्रचार के लिये की गयी उसका प्रचार बहुत सी जगहों पर भी हुआ है। आज हमारे भारत वर्ष में यह बात आम नहीं है लेकिन दूसरे देशों में अमेरिका में और इंग्लैण्ड में तो यह बात काफी पायी जाती है। वहां पर लोग कपड़े उतार कर घूमने लग जाते हैं। हमारे देश में ऐसी परम्परा नहीं है और न ही हम ऐसी परम्परा डालना ही चाहते हैं। हमने ऐसे आदेश दे दिये हैं कि इस ओर पूरी सतर्कता बरती जावे। गवर्नमेंट इस ओर नजर रख रखी है और इस बारे में प्रयत्नशील है कि भविष्य में ऐसी बात नहीं होने पावे।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट-3 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

चूरू जिले के छात्रावास

805. श्री मोहरसिंह (चूरू)
श्री लूणाराम (डूंगरगढ़)
श्री रावतराम आर्य—क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू जिले में अनुसूचित जाति की संख्या को देखते हुए समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रावास में अत्यन्त स्थानाभाव है? इसको दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

(2) क्या यह सही है कि चूरू जिले की जनसंख्या को देखते हुए समाज कल्याण विभाग के जिले में सब से कम छात्रावास हैं यदि हां, तो क्या सरकार प्रत्येक तहसील हैडक्वार्टर पर छात्रावास खोलने की कार्यवाही करेगी?

उत्तर

(1) चूरू जिले में वर्तमान में एक राजकीय, एवं द्वितीय एवं एक तृतीय श्रेणी छात्रावास चलाये जा रहे हैं। तीनों छात्रावासों की कुल स्वीकृत संख्या 160 है। नया छात्रावास प्रारम्भ करने के लिए अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं। प्रावधान के अभाव में चूरू जिले की प्रत्येक तहसील हैडक्वार्टर पर छात्रावास खोलना संभव नहीं है।

नगर परिषद् अलवर की बैठकों में गैर हाजिर होने वाले सदस्य

806. श्री हरीकिशन (राजगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर नगर परिषद् के अध्यक्ष ने नगर परिषद् के 2 सदस्यों को चार महीने तक लगातार परिषद् की बैठकों से गैर हाजिर होने के कारण सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की

(श्री हरिकिशन)
सिफ़ारिश राज्य सरकार से की है ? यदि हां, तो कब और वह क्या शिकायतें हैं ।

(2) क्या यह सही है कि लोकल बाडिज के डाईरेक्टर ने इन दोनों सदस्यों को नोटिस जारी किये, जवाब तलब किये और सबूत मांगे ? यदि हां, तो कौन कौन सी तारीखों को ?

(3) क्या यह सही है कि लोकल बाडिज के डाइरेक्टर के पास से सरकार ने इन सदस्यों की जांच की पत्रावली अपने पास मंगाली है ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

(4) क्या सरकार अब उक्त शिकायत पर शीघ्र निर्णय करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

अलवर नगरपरिषद् के पार्षद् सर्वश्री रतनलाल एवं इन्द्रलाल मित्तल को सदस्यता से अयोग्य घोषित करने के लिए शिकायत सर्वश्री हरिप्रकाश शर्मा, पार्षद वार्ड नं. 20 व आनन्दीलाल पार्षद वार्ड नं. 14 ने क्रमश: दिनांक शिकायत दिनांक 25-5-72 व 8–6–72 द्वारा की थी ।

(2) जी हां ।

रिकार्ड मंगवाने की सबूत पेश करने व सुनवाई की अलग–2 तारीखों की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(3) जी हां ।

एक बार अवलोकनार्थ ।

(4) डाइरेक्टर लोकल बोडिज द्वारा शीघ्र निर्णय लिया जावेगा ।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

बूंदी में कांच का कारखाना

808. श्री राजेन्द्र भारतीया (बूंदी) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार बूंदी में कांच का कारखाना खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी नहीं ।

नगरपालिकाओं का श्रेणी विभाजन

810. श्री नानालाल (पाटन) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगरपालिकाओं का (क्लासिफिकेशन) : श्रेणी विभाजन किस आधार पर किया गया है ? श्रेणी विभाजन की सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह सही है कि नगरपालिका राजसमंद की आय एक लाख बतीस हजार रुपया प्रतिवर्ष की है ? यदि हां, तो इसका श्रेणी विभाजन किस श्रेणी में व किस आधार पर किया गया है ?

उत्तर

(1) नगरपालिकाओं का वर्गीकरण जिस आधार पर किया गया है वह राज-

(स्वायत्त शासन मंत्री)
कीय आदेश में स्वयं स्पष्ट है। राजकीय आदेश की प्रतिलिपि व नगरपालिकाओं की श्रेणी विभाजन की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) जी हां।

नगरपालिका राजसमन्द निर्धारित माप दन्डों के अनुसार चतुर्थ श्रेणी में किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

हायर सैकण्डरी का कोर्स

811. **श्रीमती निर्मला कुमारी** (चित्तोड़गढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि राज्य सरकार हायर सैकन्डरी कोर्स को 12 वर्ष का करने की सोच रही है? यदि हां, तो इसका क्या प्रारूप होगा? और यह व्यवस्था कब तक प्रारम्भ कर दी जावेगी?

उत्तर

शिक्षा आयोग की सिफारिश है कि वर्तमान पाठ्यक्रम 10 वर्ष सैकण्ड्री एक वर्ष हायर सैकण्ड्री व 3 वर्ष ग्रेजूएशन को बढ़ाकार 10 वर्ष सैकण्ड्री के लिये, 2 वर्ष हायर सैकण्ड्री व 3 वर्ष ग्रेजूएशन के लिये कर दिया जाय। यह योजना सरकार के विचाराधीन है।

812. **श्री राजेन्द्रसिंह** (उनियारा):– क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में यादगार एडवर्ड मेमोरियल्स कहां-कहां पर बने हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि ये स्थान जन साधारण की आवास की सुविधा के लिए बनाये गये थे? यदि हां, तो इनमें से कितने ऐसे स्थान हैं जो इस काम में न आकर दूसरे काम में लिये जाते हैं?

(3) क्या सरकार उक्त स्थानों को खाली कराकर फिर आवास के लिये उपलब्ध कराने का प्रबन्ध करेगी?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। एयवर्ड मेमोरियल, जयपुर का उपयोग जनसाधारण के आवास हेतु न किया जाकर यातायात पुलिस के कार्यालय के रूप में तथा एडवर्ड मेमोरियल सराय, बांसवाड़ा का उपयोग प्राथमिक शाला भवन के रूप में किया जा रहा है।

(3) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट–5 देखिये)

असिस्टेन्ट जेलरों की पदोन्नति

816. **श्री मोहम्मद गफ्फारअली** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या कारागृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि असिस्टेन्ट जेलर के पदों पर कार्य कर रहे व्यक्तियों

(श्री मो. गफ्फार अली)

को प्रमोशन का लाभ कभी भी नहीं मिलता जबकि अन्य विभागों में सामान्यतया इस अवधि में दो या तीन प्रमोसन्स हो जाते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इस अवरोध को दूर करने का प्रयास कर रही है ?

(2) क्या यह सही है कि जेल विभाग के सभी तेरह डिप्टी जेलरों को गत कई वर्षों से कोई वेतन वृद्धि नहीं मिल रही है और न ही भविष्य में मिलने की आशा है ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को पदोन्नति पर राजस्थान सर्विस रूल्स 26 के अनुसार दो इन्क्रीमेन्ट मिलते हैं लेकिन सहायक जेलर से डिप्टी जेलर के पद पर व डिप्टी जेलर पद से जेलर के पद पर पदोन्नति होने वाले सहायक जेलर व डिप्टी जेलरों को केवल एक ही इन्क्रीमेन्ट मिलता है व डिप्टी जेलर होने पर डिप्टी जेलर को आगे कभी भी इन्क्रीमेंट नहीं मिलता ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। पदोन्नति के समय वेतन निर्धारण नियम 26 ए आर.एस. आर. के अन्तर्गत होता है। नियम 26 ए के अनुसार—

क. पदोन्नति के समय वेतन श्रृंखला के नीचे के स्तर पर एक वेतन वृद्धि देकर उच्चपद की वेतन श्रृंखला में अगले स्तर वेतन निर्धारित किया जाता है।

ख. जो व्यक्ति वेतन श्रृंखला की अधिकतम सीमा पर वेतन पा रहा है, पदोन्नति के कारण उसका वेतन उच्च पद की वेतन श्रृंखला के अगले स्तर पर निर्धारित किया जाता है।

जो कर्मचारी वेतन श्रृंखला की अधिकतम सीमा पर पहुंच जाता है उसको वेतन वृद्धि संभव नहीं होती।

नई भर्ती पर रोक

817. श्री बनवारीलाल (निवाई) : क्या नियुक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने राजकीय सेवाओं में नई भर्ती के लिए रोक लगा रखी है ? यदि हां, तो इस रोक को हटाने का विचार सरकार कब तक रखती है ?

(2) क्या राज्य सरकार के यह ध्यान में है कि इस रोक लगाने से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के आरक्षण की पूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई है ?

(3) क्या अब सरकार इस प्रकार का बैन (रोक) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लिए हटाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(नियुक्त मंत्री)

इस सम्बन्ध में निश्चित अवधि बतलाया जाना संभव नहीं है।

(2) जी नहीं।

विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर केवल उन्हीं अधिशेष कर्मचारियों को लगाया जाता है जिन पर उनका समावेश हो सकता है। शेष पदों पर नियुक्ति के लिए अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र दे दिया जाता है ताकि नियुक्ति अधिकारी द्वारा निर्धारित 28% के आधार पर नियुक्तियां कर दी जाती हैं।

(3) जी नहीं।

टैक्स की अग्रिम वसूली

819. **श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बजट अनुमानों के अनुसार आय पूरी नहीं होने के कारण स्थान स्थान के सी.टी.ओ. तथा उसके सर्वोडिनेट्स मार्च में व्यापारियों से टैक्स जबरदस्ती वसूल करते हैं जिसका आगामी साल में मुजरा दिया जाता है?

(2) क्या इस तरह वसूली करने के बाद भी कामर्शियल टैक्सेशन विभाग अपने बजट अनुमान के अनुसार आय पूरी नहीं कर पाता है?

(3) क्या सरकार इस प्रकार की वसूली को बन्द करने और गलत तरीके से आय की पूर्ति को न करने के आदेश जारी करेगी?

उत्तर

(1) जी हीं।

माह मार्च में समाप्त होने वाली अवधि पर जो टैक्स देय होता है और चूंकि 'टैक्स' की राशि व्यापारियों द्वारा वसूल की हुई होती है ऐसी सूरत में राज्य के हिस्से की राशि को कई करदाता सुविधानुसार मार्च में ही जमा करा देते हैं।

(2) जी नहीं।

केवल 1970-71 को छोड़ कर सभी शेष वर्षों में बिक्री कर की प्राप्तियां निर्धारित अनुमानों स अधिक हुई हैं।

(3) प्रश्न के क्रम संख्या (1) के उत्तर में वस्तु स्थिति स्पष्ट करदी गई है। राज्य सरकार की नीति 'कर' नियमानुसार वसूल करने की ही रही है और रहेगी।

सवाई माधोपुर जिले का औद्योगीकरण

820. **श्री फारुक हसन** (सवाईमाधोपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले म उद्योगों के लिये मिनरल्स उपलब्ध है? यदि हां, तो मिनरल्स का लाभ उठाने के लिय क्या राज्य सरकार सवाई माधोपुर जिले में औद्योगीकरण का इरादा रखती है?

(2) क्या सवाई माधोपुर जिले को उद्योग दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला होने की सूची में शामिल कर लिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

Page No 35

(श्री फारूक हसन)

(3) गत वर्ष कौन कौन से जिले औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों की सूची में शामिल किये गये हैं ?

(4) क्या यह सही है कि तहसील गंगापुर में वेजीटेबिल आयल मिल खोलने की सामग्री उपलब्ध है ? यदि हां, तो इन सामग्रियों से लाभ उठाने के लिये राज्य सरकार कोई उद्योग खोलने का इरादा रखती है ?

(5) क्या सवाई माधोपुर नगर में या उसके आस-पास कोई कारखाना अब करीब खुलने जा रहा है ? यदि हां, तो, कौन सा और कब ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। योजना आयोग, भारत सरकार ने राज्य सरकार के सवाई माधोपुर जिले को पिछड़ा जिला घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।

(3) कोई नहीं।

(4) जी हां। सार्वजनिक क्षेत्र में राज्य सरकार का वेजीटेबिल आइल मिल खोलने का इरादा नहीं है, यदि कोई निजी क्षेत्र में ऐसी मिल लगाने का प्रस्ताव हो तो निर्धारित नीति के अनुसार राज्य सरकार सुविधाएं देगी।

(5) जी हां। सवाई माधोपुर में गिलास, बोटल्स व कन्टेनर्स का उद्योग राजस्थान इन्डस्ट्रीयल एण्ड मिनरल डवलपमेन्ट कारपोरेशन द्वारा लगाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। समय कोई निश्चित नहीं है।

प्राईमरी हेल्थ सेन्टर सिरसी के डाक्टर के विरुद्ध जांच

822. **श्री हनुमान सहाय व्यास** (बैराठ) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्राईमरी हैल्थ सेन्टर सिरसी जिला जयपुर इन्चार्ज चिकित्सा अधिकारी डा. यू. एन. सक्सेना ने फर्जी लूप व नसबन्दी करने का रिकार्ड तैयार किया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त तथ्यों की जांच अपराध अनुसंधान विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा दिनांक 27-9-72 एवं 11-10-72 को की गई और उपरोक्त तथ्य सही निकले किन्तु अभी तक अपराधी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(स्थगित किया गया)

नियोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार

829. **श्रीमती कान्ता कथूरिया** (कोलायत) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के विभिन्न नियोजन कार्यालयों में फरवरी, 70 तक कितने बेरोजगारों को पंजीकृत किया गया और

(श्रीमती कान्ता खतूरिया)
फरवरी, 73 के अन्त तक इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई ?

(2) राज्य में बेरोजगारों की बढ़ती हुई संख्या को पंजीकृत करने हेतु नियोजन कार्यालयों के स्टाफ में कितनी वृद्धि की गई ? जिलेवार स्टाफ वृद्धि की संख्या बताने की कृपा करें।

(3) यदि कहीं स्टाफ में वृद्धि नहीं की गई हो तो उसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) फरवरी, 1970 के अन्त में राज्य के नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर 80,277 बेरोजगार व्यक्ति पंजीकृत थे। फरवरी, 1973 के अन्त में यह संख्या 1,74,632 हो गई।

(2) सन् 1971 में जयपुर तथा बीकानेर कार्यालयों में एक–एक लिपिक तथा 1972 में उदयपुर तथा झुंझुनू कार्यालय के लिए एक–एक अतिरिक्त लिपिक की वृद्धि की गई।

(3) बजट के सीमित साधनों को देखते हुए और अधिक स्टाफ की वृद्धि करना संभव नहीं था।

स्कूटर फैक्ट्री का लाइसेन्स

830. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर जिले में स्कूटर फैक्ट्री लगाने का लाइसेन्स किसको दिया गया है ? यह फैक्ट्री सार्वजनिक क्षेत्र में लगाई जा रही है या निजी क्षेत्र में अथवा संयुक्त क्षेत्र में ?

(2) फैक्ट्री की बिल्डिंग बनाने, मशीनरी लगाने और प्रोडक्शन चालू करने के लिये क्या कोई समय निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो कितना कितना ?

(3) क्या उक्त स्कूटर फैक्ट्री की कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई है ? यदि हां, तो रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रक्खें।

(4) उक्त स्कूटर फैक्ट्री के निर्माण में अभी तक क्या प्रगति हुई है ? क्या यह सही है कि प्रगति शुरुआत निर्धारित लक्ष्य से बहुत धीमी है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(5) उक्त फैक्ट्री में कुल कितनी पूंजी लगने का अनुमान है ? इस पूंजी के नियोजन की व्यवस्था किस प्रकार की गई है ?

(6) इस फैक्ट्री में कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है ? अकुशल कुशल तकनीकी एवं विशेषज्ञों की आनुमानित संख्या क्या होगी ? [प्रशासनिक कर्मचारियों की संख्या क्या होगी ?

(7) उक्त फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता क्या होगी ? स्कूटर की किस्म एक ही होगी या भिन्न 2 ? कृपया प्रत्येक किस्म की सम्भावित कीमत बताने का कष्ट करें।

Page No 37

(उद्योग मंत्री)

उत्तर

(1) अलवर जिले में स्कूटर फैक्ट्री लगाने के लिये एक लेटर ग्राफ इन्टेन्ट राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम जयपुर को मिला है । यह फैक्ट्री सार्वजनिक क्षेत्र में लगाई जा रही है।

(2) जी नहीं। लाईसेन्स मिलने के बाद ही समय निर्धारित किया जायेगा।

(3) जी हां। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई है लेकिन व्यापारिक गोपनीयता के कारण यह सदन की मेज पर रखना संभव नहीं है।

(4) प्रगति सूची 'अ' में अंकित कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) सूची 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) अनुमानतः 1060 व्यक्तियों को रोजगार दिया जावेगा । पूर्ण विवरण निम्नलिखित है।

स्टाफ	
तकनीकी विशेषज्ञ	153
प्रशासनिक	192
कर्मचारी	
पूर्ण स्किल्ड (कुशल)	54
स्किल्ड कुशल	166
अर्द्ध स्किल्ड (अर्द्ध कुशल)	355
साधारण (अकुशल)	140
	1060

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

(7) फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता अंतिम चरण में 24,000 स्कूटर वार्षिक होगी। फिलहाल एक ही प्रकार के स्कूटर बनाने की आयोजना की गई है। आशा की जाती है कि स्कूटर की एक्स फैक्ट्री (Ex-Factory) अनुमानित कीमत 2514/77 रु. होगी। इसमें एक्साईज ड्यूटी तथा अन्य कर शामिल नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगरपालिकाओं को भंगी कष्ट निवारण हेतु अनुदान

460. श्री नानालाल (पाटन) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा सन् 70—71 में भंगी कष्ट निवारण हेतु नगरपालिकाओं को अनुदान दिया गया था ? यदि हां, तो कितनी कितनी राशि किस किस नगरपालिकाओं को दी गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा भंगी कष्ट निवारण हेतु राजसमन्द नगरपालिका को जो राशि अनुदान के रूप में दी गई उसमें एक स्कूटर थ्री व्हीलर दिया गया ? यदि हां, तो उसका क्या उपयोग होता है ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, वर्तमान में इसका उपयोग नगरपालिका द्वारा नहीं किया जा रहा है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)।

सवाई माधोपुर जिले के कस्बों में हरिजन बस्तियों का विद्युतिकरण

461. श्री भरत लाल (बामनवास) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

क्या यह सही है कि बामनवास मलारना डूंगर-मित्रपुरा, पीपल्दा एवं मलारना-चौड आदि सवाई माधोपुर जिले के कस्बों में आज दिन तक भी हरिजन बस्तियों को विद्युत नहीं दी गई है जबकि कई साल पहले इन गांवों में विद्युत उपलब्ध हो चुकी थी ? यदि हां, तो क्यों ? तथा अब कब तक इन गांवों की हरिजन बस्तियों को विद्युत् मिल जावेगी ?

उत्तर

बामनवास में बड़ी व बिचली पटी में हरिजन बस्ती में विद्युत् लगाने के लिये वर्ष 69–70 में 2000) रुपये की स्वीकृति दी गई थी, जिससे 15-9–70 को बिजली लगा दी है। ग्राम मलारनाडूंगर एवं मलारना चौड में जनवरी, 72 तथा ग्राम पीपलदा एवं मित्रपुरा में माह मई, 72 में बिजली पहुंची है लेकिन इन चार गांवों में बिजली लगाने के कोई प्रस्ताव विभाग में प्राप्त नहीं हुए हैं। वर्ष 72–73 में हरिजन बस्तियों में बिजली लगाने के लिए समाज कल्याण विभाग के बजट में कोई प्रावधान नहीं है तथा इस कार्य हेतु प्रावधान राजस्थान विद्युत् मण्डल के बजट में रखा गया है। अत: बिजली लगाने का कार्य राजस्थान विद्युत् मण्डल का है।

वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के अन्तर्गत डूंगरपुर में तहसीलवार प्राप्त प्रार्थना-पत्र

462. श्री रामचन्द्र रौत (चौरासी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जब से वृद्धावस्था पेंशन स्कीम लागू हुई है तब से लेकर आज तक डूंगरपुर में तहसीलवार कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए ? इनमें आदिवासियों से कितने प्राप्त हुए हैं ? दिसम्बर, 72 तक के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र के कितने व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की गई ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूचना निम्न प्रकार है:—

क्र. सं.	नाम तहसील	वृद्धावस्था पेन्शन के कुल प्रार्थना पत्रों की संख्या	कुल प्रार्थना-पत्रों में आदिवासियों के प्रार्थना-पत्रों की सं.	प्राप्त प्रार्थना-पत्रों में से स्वीकृत प्रार्थना-पत्रों की संख्या
(1)	डूंगरपुर	77	9	77
(2)	सागवाड़ा	34	7	34
(3)	आसपुर	8	1	8
	योग ..	119	17	119

(2) सूचना प्रश्न संख्या 1 के कालम 5 में अंकित कर दी गई है।

Page No 39

नियोजन सेवा निदेशालय विभाग के अन्तर्गत रिक्त स्थान

463. **श्री मुन्शीलाल महावार** (बस्सी): क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

नियोजन सेवा निदेशालय राजस्थान विभाग के अन्तर्गत कौन-कौन सी रिक्तियां पड़ी हुई है ? कब से पड़ी हुई हैं तथा आज तक उनको नही भरे जाने के क्या कारण हैं ?

(स्थगित किया गया)

अनुसूचित जाति व अनसूचित जन जाति की बुनकर सहकारी समितियों को अनुदान

464. **श्री अब्दुल हादी** (चौहटन): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति की बुनकर सहकारी समितियों को कुछ अनुदान दिया जाता है ? यदि हां, तो बाड़मेर जिले की कितनी सहकारी समितियों को कितना कितना अनुदान दिया गया ?

उत्तर

जी नहीं। समाज कल्याण विभाग में अनुसूचित जाति व जन जाति की बुनकर सहकारी समितियों को अनुदान देने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

हरिजन बस्तियों में पीने के पानी की व्यवस्था

465. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन):— क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या जिला बून्दी की नगरपालिका बून्दी, नैनवा, केशवराय पाटन तथा लाखेरी क्षेत्र में जहां जहां हरिजन बस्तियां हैं वहां पीने के पानी के लिए नल अथवा कुए हैं ? यदि नहीं तो हरिजन पानी कहां कहां से पीते हैं ?

(2) क्या उक्त क्षेत्र की हरिजन बस्तियों में बिजली की व्यवस्था कर दी गई हैं ? यदि नहीं तो क्यों नहीं और कब तक व्यवस्था कर दी जाएगी ?

(3) क्या उक्त नगरपालिका क्षेत्रों में रिहायसी प्लाट दिये जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त नगरपालिकाओं को 1970-71, 71-72 में समाज कल्याण विभाग द्वारा हरिजन सुधार एवं नल बिजली एवं मकान बनाने के लिये राशि दी जा चुकी है ? यदि हां, तो कितनी कितनी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूचना समाज कल्याण विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(समाज कल्याण मंत्री)

(2) नगरपालिका बूंदी की हरिजन बस्तियों में बिजली लगाने के लिए वर्ष 1968-69 व 69-70 में क्रमश: समाज कल्याण विभाग द्वारा 15500) व 25500) रु. के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये थे। क्योंकि वर्ष 1972-73 से हरिजन बस्तियों में बिजली लगाने के लिये समाज कल्याण विभाग के बजट में कोई प्रावधान नहीं है तथा इस कार्य हेतु प्रावधान अब राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के बजट में रखा गया है, अत: शेष स्थानों की हरिजन बस्तियों में बिजली लगाने का कार्य अब राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल द्वारा किया जावेगा।

(3) इसका सम्बन्ध स्थानीय निकाय विभाग से है।

(4) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

अनुसूचित जाति एवं जन जाति को कानूनी सहायता

466. **श्रीमती भगवती देवी** (भिनाय): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों को कानूनी सहायतार्थ पिछले पांच वर्षों में कितना बजट रखा गया? वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। उसमें से कितनी रकम खर्च की गई तथा कितने व्यक्तियों को सहायता दी गई?

उत्तर

अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों को कानूनी सहायता देने के लिये पिछले पांच वर्ष में प्रति वर्ष 20,000) रुपयों का बजट रखा गया था। वर्षवार खर्च तथा सहायता प्राप्त व्यक्तियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	कुल व्यय	कुल व्यक्ति जिन्हें सहायता दी गई
1967-68	241	—
1968-69	1200	3
1969-70	1252	7
1970-71	8770	75
1971-72	3743	52

अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति

467. **श्रीमती भगवती देवी** (भिनाय): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 1951 में छात्रवृत्ति हेतु कितनी रकम रखी गई थी? तथा 1961 एवं 1971 में कितनी कितनी राशि छात्रवृत्ति के लिये रखी गई?

(2) प्रति छात्र 1951, 1961 एवं 1971 में कितनी छात्रवृत्ति हायर सैकेण्डरी, ग्रेज्युएट एवं पोस्ट ग्रेज्युएट छात्रों को मिलती थी?

Page No 41

उत्तर

(1) राजस्थान में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए वर्ष 1951, 1961 एवं 1971 में पूर्व मैट्रिक एवं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये निम्न प्रकार से राशि रखी गई थी :—

उपलब्ध राशि

वर्ष	पूर्व मैट्रिक	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति
1951	180981	यह छात्रवृत्ति सीधी ही केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी।
1961	414900	196900
1971	990000	1542268

(2) वर्ष 1951, 1961 एवं 1971 में हायर सैकेण्डरी तक के छात्रों की पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति निम्न दर से स्वीकृत की गई थी :—

विभिन्न वर्षों में छात्रवृत्ति की दरें

कक्षा	1951	1961	1971
कक्षा 5	3	3	–
कक्षा 6 से 8	5	5	5
कक्षा 9 से 10	10	10	20
कक्षा 11 वीं	–	10	20

वर्ष 1959-60 से केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति परिशिष्ट 'अ' में उल्लेखित दरों के अनुसार स्वीकृत की जाती थी। वर्ष 1965-66 से उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, केन्द्रीय सरकार के आदेश के अन्तर्गत परिशिष्ट 'ब' के अनुसार स्वीकृत की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विभिन्न कर्मचारियों की संख्या

468. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों और राजकीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अस्थाई, वर्कचार्ज्ड, केज्यूअल, डेली रेटेड आदि कर्मचारियों की संख्या कितनी है ? अलग अलग विभागों व प्रतिष्ठानोंवार ब्योरा देने की कृपा करें।

(2) क्या इनको साप्ताहिक सवेतनिक अवकाश, आकस्मिक अवकाश, शिक्षण एवं चिकित्सा सुविधायें, सेवामुक्ति आदि सुविधायें प्राप्त हैं ? कृपया प्रत्येक विभाग व प्रतिष्ठान की स्थिति से अलग से सूचित करें।

(3) क्या इनको स्थायी करने के भी कोई नियम हैं ? यदि नहीं हैं तो क्या सरकार इस बारे में कोई नियम बनाने का विचार रखती है ?

(स्थगित किया गया)

गृह निर्माण हेतु राशि

469. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गृह निर्माण हेतु ऋण देने के लिए शासन सचिवालय के साथ साथ किन किन अन्य विभागों के कर्मचारियों के लिए प्रावधान रखा जाता है ?

(2) क्या इसके अन्तर्गत आने वाले सभी विभागों के लिए पृथक पृथक राशि एलाट की जाती है ?

(3) क्या यह सही है कि गत 5 वर्षों में इस योजना के अन्तर्गत उपरोक्त किसी अन्य विभाग के एक भी कर्मचारी को ऋण नहीं दिया गया ? यदि हां, तो किस किस वर्ष में नहीं दिया गया और क्यों ? यदि दिया गया तो किस किस सचिवालय या विभाग के कितने कर्मचारियों को दिया गया ?

(4) क्या यह सही है कि केवल शासन सचिवालय के कर्मचारियों को ही ऋण का आवंटन कर दिया जाता है ? यदि हां, तो इसका क्या आधार है ?

(5) गत पांच वर्षों में किस किस के प्रार्थना-पत्र ऋण के लिए आये तथा उनमें से किस किस को कब कब ऋण स्वीकार किया गया और किन किन को स्वीकार नहीं किया गया ? सूची मय नाम, पद जिनके आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं उनके नाम तथा पद, आवेदन-पत्र प्राप्त होने की तिथि, ऋण स्वीकार करने की तिथि तथा आवेदन-पत्र प्राप्त होने की तिथि दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(6) विचाराधीन आवेदन-पत्र के आवेदकों को कब तक ऋण स्वीकार कर दिया जावेगा निश्चित तिथि दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

उत्तर

(1) गृह निर्माण हेतु ऋण देने के लिये शासन सचिवालय के कर्मचारियों के साथ साथ, विधान सभा सचिवालय तथा

(मुख्य मंत्री)
राज्यपाल सचिवालय के कर्मचारियों के लिये भी प्रावधान रखा जाता है।

(2) जी नहीं। शासन सचिवालय, विधान सभा सचिवालय तथा राज्यपाल सचिवालय के कर्मचारियों को उक्त अग्रिम देने हेतु वित्त विभाग द्वारा अलग अलग राशि आवंटित नहीं की जाती है।

(3) जी नहीं। केवल वित्तीय वर्ष 70–71 में विधान सभा सचिवालय तथा राज्यपाल सचिवालय के किसी भी कर्मचारी को उक्त ऋण नहीं दिया गया क्योंकि प्राथमिकता सूची के आधार पर उनका नाम प्राथमिकता में नहीं आता था। बाकी अन्य चार सालों में उक्त सचिवालयों के जितने कर्मचारियों को ऋण स्वीकार किया गया उसकी सूचना संलग्न है। (परिशिष्ट अ)

(4) जी नहीं। ऋण हेतु प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों की प्राथमिकता, निर्धारित सिद्धान्तों के आधार पर, आंकी जाती है तथा उसी क्रमानुसार उन्हें प्राथमिकता पंजिका में दर्ज कर दिया जाता है। जिन कर्मचारियों का नाम प्राथमिकता में आता है उनसे वांछित पत्रादि मांगे जाते हैं जिनके प्राप्त हो जाने पर उन्हें ऋण स्वीकार कर दिया जाता है। जो कर्मचारी वांछित सूचना समय पर उपलब्ध नहीं करते हैं उनके नाम या तो प्राथमिकता सूची में से हटा दिये जाते है या उनके आवेदन-पत्रों पर उनकी प्रार्थना पर अगले वित्तीय वर्ष में विचार कर लिया जाता है।

(5) गत 5 वर्षों में प्राप्त आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में चाही गई सूचना संलग्न है। (परिशिष्ट क से घ)

(6) विचाराधीन आवेदन-पत्रों की सूची संलग्न है। इन्हें कब ऋण स्वीकार कर दिया जावेगा, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। ऋण का दिया जाना वित्त विभाग द्वारा आवंटित प्रावधान पर निर्भर करता है। प्रावधान के अनुसार जितने कर्मचारियों को ऋण मिल सकेगा, दे दिया जावेगा।

(परिशिष्ट क से घ)

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजसमन्द की नौचौकी की पाल पर गार्डन बनाने हेतु स्वीकृत धनराशि

470. श्री नानालाल (पाटन): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि डायरेक्टर, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उदयपुर जिले में राजसमन्द की नौचौकी की पाल पर गार्डन बनाने हेतु सन् 1971 में कुछ धनराशि स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो कितनी और उस राशि का क्या हुआ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की योजनायें राजसमन्द की पाल को पर्यटक केन्द्र के रूप में एक योग्य है? यदि हां, तो इसका विकास क्यों रोका गया? तथा इसके लिए दोषी व्यक्ति कौन है?

(पर्यटन मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां। सामान्य प्रशासन 'क' विभाग द्वारा पत्र संख्या प. 17(31) जीए (ए) 70 दिनांक 18-11-71 के अन्तर्गत 50,000 रुपये की स्वीकृति दी थी। निदेशक, पर्यटन विभाग द्वारा इस प्रकार की कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई। इस राशि का 71-72 में नक्शे एवं अनुमान तयार न हो सकने के कारण उपयोग न हो सका और वर्तमान वित्तीय वर्ष 72-73 में भी इसका उपयोग नहीं किया जा सका। 1972-73 में इस योजना हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 50,000 की मांग की है। यह आशा की जाती है कि यह योजना 73-74 में अवश्य पूरी हो जावेगी।

(2) जी हां। यह पर्यटन केन्द्र के रूप में उत्तम योजना है। इसका विकास रोका नहीं गया है वरन् इसकी कार्यान्विति में विलम्ब अवश्य हुआ है जिसके लिये सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग को लिखा जा रहा है। इसको कार्यान्वित कराने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

पुलिस विभाग के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधायें

471. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गुप्ता कमेटी की सिफारिश के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जो जो सुविधाएं दी गई हैं वे सुविधाएं पुलिस विभाग के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को नहीं दी गई है? अगर हां तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि पुलिस विभाग के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को अभी तक उनके कर्त्तव्यों को देखते हुए सरकार द्वारा कोई नई सुविधा एवं भत्ता वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया है? अगर हां, तो क्यों, अगर नहीं तो क्या सुविधाएं दी गई हैं?

(3) क्या यह सही है कि पुलिस विभाग के ड्राईवर्स को अन्य ड्राईवर्स के मुकाबले भत्ता एवं ओवर टाईम कुछ भी सुविधायें नहीं दी जातीं? यदि हां, तो क्यों? अगर नहीं तो क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं? अब ऐसी सुविधाएं उक्त कर्मचारियों को कब तक दे दी जावेंगी?

उत्तर

(1) गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) पुलिस विभाग के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों और दूसरे विभागों के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के कर्त्तव्यों में भिन्नता नहीं होने से उन्हें अलग से विशेष सुविधा देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) पुलिस विभाग में ड्राईवर का कार्य पुलिस सिपाही ही करते हैं जिन्हें वेतन के अलावा 40।— रुपये माहवार ड्राईवर भत्ता दिया जाता है। पुलिस का सिपाही तीसरा या चौथी श्रेणी के कर्मचारियों में नहीं आता। अतः पुलिस ड्राईवर

(मुख्य मंत्री)
की तुलना दूसरे विभागों के ड्राईवरों या कर्मचारियों से नहीं की जा सकती। इन्हें वह सभी सुविधाएं प्राप्त हैं जो पुलिस के सिपाहियों को दी जाती हैं।

भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में दर्ज मुकदमें

472. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, सावड़ा, जिला जैसलमेर के भूतपूर्व विकास अधिकारी श्री उदयकिसन बोहरा के विरुद्ध भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में पुलिस में एक मुकदमा दर्ज किया गया था? अगर हां, तो किस किस दफा में मुकदमा दर्ज किया गया था और आज तक चालान नहीं करने के क्या कारण हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि विकास अधिकारी श्री उदयकिसन बोहरा ने पुलिस से मिलकर फाईनल रिपोर्ट दिलाने की व्यवस्था करा दी है? अगर नहीं, तो दर्ज शुदा मुकदमे की तफतीश में इतनी विलम्ब के क्या कारण हैं? और उस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है जिसने कि तफतीश में देरी की है?

उत्तर

(1) जी हां। भूतपूर्व विकास अधिकारी के विरुद्ध मजदूरों को पेमेंट न देने और फर्जी मस्टर रोल बनाने की शिकायत पर मुकदमा नम्बर 7 जेर दफा 419/3 ता. हि. दिनांक 15-8-72 को दर्ज किया जाकर तफतीश शुरू की गई थी। दौराने तफतीश दो मजदूरों के निशान अंगुस्त लिए जाकर वास्ते जांच एक्सपर्ट के पास भेजे गये थे जिसका नतीजा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अतः मुकदमा पेन्डिंग चल रहा है।

(2) जी नहीं। तफतीश की स्थिति बताई गई है अतः पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों को चीजों का निर्यात

473. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान से किन किन विदेशों को किन किन चीजों का निर्यात किया जाता है? 70-71, 71-72 व 1972-73 की वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सन् 70-71, 71-72 व 72-73 में जिन जिन वस्तुओं का जिन जिन विदेशों को निर्यात किया गया उसकी सूची संलग्न है। दूसरे संस्थाओं/प्रतिष्ठानों द्वारा निर्यात के आंकड़े राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं।

औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने हेतु प्रार्थना-पत्र

474. श्री हनुमान सहाय (बैराठ): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले के कस्बा दूदू, शाहपुरा, चौमू एवं

Page No 46

(श्री हनुमानसहाय)
मनोहरपुर को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने हेतु विभाग द्वारा सर्वे कराया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) क्या उक्त कस्बों के औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने हेतु सरकार के पास प्रार्थना-पत्र प्रेषित हुए हैं ? यदि हां तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

(3) अब कब तक उक्त कस्बों को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पूरे जयपुर जिले का औद्योगिक सर्वेक्षण लघु उद्योग संस्थान भारत सरकार एवं हैदराबाद की रिएट इन्स्टीट्यूट द्वारा किया जा चुका है उसमें ये भी क्षेत्र शामिल हैं।

(2) जी हां। विभाग में इनका परीक्षण किया जा रहा है।

(3) सर्वे रिपोर्ट की जांच के पश्चात् ही उचित कार्यवाही की जा सकेगी।

कोटा जिले में डकैतियां

475. श्री शिवनारायण (बारां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कोटा जिले में नवम्बर, सन् 1972 से जनवरी, सन् 1973 तक कितनी डकैतियां हुई हैं ? तथा इन डकैतियों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि इनमें से एक भी डकैती के डाकुओं को पकड़ने में पुलिस असमर्थ रही है ?

उत्तर

(1) इस अवधि में कोटा जिला में 7 डकैतियों की वारदातें हुई जिनके मुकदमें दर्ज किये जाकर फौरन तफतीश शुरु की गई है जो जारी है।

(2) जी हां। पुलिस के भरसक प्रयत्न के बावजूद भी इन वारदातों के मुलजिमानों का अभी तक पता नहीं लग सका है।

उद्योगपतियों पर बकाया ऋण

476. श्रीमती भगवती देवी (भिनाय): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान सरकार का किन उद्योगपतियों पर पिछले पांच वर्षों में राजकोय ऋण बकाया है ? वर्षवार तथा व्यक्तिवार सूचना सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त उद्योगपतियों से ऋण की वसूली की क्या कार्यवाही की गई ?

(स्थगित किया गया)

नीम का थाना में केम्प लगाकर गांवों से चोरी का माल बरामद

477. श्री मालाराम (नीम का थाना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-—

नीम का थाना में सन् 1972 में जो केम्प लगा था उस केम्प में आर. ए. सी.

(श्री मालाराम)
और वर्तमान एस. पी. व डी. वाई. एस. पी. ने कितना किन किन गांवों से चोरी का माल बरामद किया ? किस किस के पास नाजायज हथियार बरामद किये ?

(स्थगित किया गया)

मुर्गी पालन

478. श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में मुर्गी पालन व्यवसाय का किन किन स्थानों पर विकास हुआ है ?

(2) क्या राज्य सरकार इस व्यवसाय को विकसित करने के लिये किसी तरह की मदद की योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका क्या प्रारूप होगा ?

उत्तर

(1) राज्य में मुर्गी पालन व्यवसाय का विकास अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर और टोंक में हुआ है।

(2) इस व्यवसाय को विकसित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा पहले से ही सघन कुक्कुट विकास खण्डों की स्थापना की जा चुकी है। इसके अन्तर्गत जो विकास कार्य किये जा रहे हैं वे निम्न हैं :—

1. स्टेट मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना।

2. पोल्ट्री डायग्नोस्टिक लैब की स्थापना।

3. ऐनेलिटिकल लैब की स्थापना।

4. सहकारी समितियों को सहायता देकर क्रय विक्रय को सुदृढ़ बनाने का प्रयास।

5. कोटा व जयपुर में पोल्ट्री एस्टेट की स्थापना।

जैतारण एवं रायपुर तहसीलों में अनाज के कोटा का विवरण

479. श्री सुखलाल सेणचा (जैतारण): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जैतारण व रायपुर तहसीलों में अकाल घोषित होने के पश्चात् कितने अनाज का कोटा दिया गया था ?

(2) क्या स्वीकृत कोटा पूर्णरूपेण वितरित कर दिया गया है ? तथा आने वाले हर माह में इन तहसीलों में कितना कितना अनाज वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है ?

उत्तर

(1) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, आने वाले माह में खाद्यान्न का आवंटन भारत सरकार से प्राप्त खाद्यान्न के ऊपर निर्भर रहता है अतः इस समय कोई लक्ष्य निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

जयपुर जिले में राहत कार्य

480. **श्री सुरेश चन्द्र** (कोटपुतली) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले में किन किन तहसीलों में क्या क्या राहत कार्य शुरू किये गये हैं तथा यह कार्य किन किन तारीखों से शुरू किये गये ?

(2) जयपुर जिले की तहसीलों के लिये कितने कितने मजदूरों को राहत कार्य पर लगाने की स्वीकृति दी गई है ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त स्वीकृति के अनुसार अभी तक मजदूरों को काम नहीं दिया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि कोटपूतली तहसील में इस समय कोई राहत कार्य चालू नहीं है ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले की विभिन्न तहसीलों के लिए जो कार्य स्वीकृत किये गये हैं एवं चालू हुए हैं उनकी तहसीलवार सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) मार्च, 1973 के लिए सहायता विभाग ने जयपुर जिले के लिए मजदूरों की अधिकतम संख्या 25,000 निर्धारित की थी।

(3) पर्याप्त संख्या में राहत कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं। परन्तु श्रमिक इस संख्या तक नहीं लगे हैं क्योंकि पर्याप्त संख्या में मजदूर सहायता कार्य पर नहीं आ रहे हैं। दिनांक 17-3-73 को राहत कार्यों पर जयपुर जिले में मजदूरों की संख्या 11,350 थी।

(4) जी नहीं। जो राहत कार्य कोटपूतली तहसील में चल रहे हैं उनकी सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अलवर जिले में भेड़ पालन व ऊन उत्पादन

481. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला अलवर में भेड़ों की कितनी संख्या है और ऊन की पैदावार कितनी है ?

(2) क्या सरकार का अलवर जिले में भेड़ पालन व ऊन उत्पादन की प्रगति के लिये कोई प्रोग्राम है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1971 की पशुगणना के अनुसार अलवर जिले में 91,057 भेड़े हैं तथा ऊन का उत्पादन लगभग 1,00,000 किलोग्राम है।

(2) अलवर जिले के लिये भेड़ व ऊन विभाग की कोई योजना नहीं है।

कोटा डिवीजन की कृषि उपज मण्डियां

482. **श्री नन्द लाल बैरवा** (पाटन) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा कोटा डिवीजन में कृषि उपज

(श्री नन्दलाल बैरवा)
मंडियां चम्बल कमांड एरिया में स्थापित की जा रही है ? यदि हां, तो कहां कहां ?

(2) प्रत्येक मंडी के निर्माण पर कितनी कितनी धनराशि किस किस मंडी पर व्यय की जायेगी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त मंडियों के लिये भूमि एक्वायर की जा चुकी है ? यदि हां, तो कितनी कितनी भूमि कहां कहां एक्वायर की जाकर उसका मूल्य चुकाया जा चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कोटा डिवीजन के चम्बल कमांड ऐरिया में निम्न कृषि उपज मंडियों के स्थापित करने की कार्यवाही चल रही है:—

1. तालेडा 2. सवान 3. कापरेन 4. इटावा 5. मांगरोल

(2) उपरोक्त मंडियों के विकास के लिये भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में व्यय की जाने वाली धन राशि की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है। इसके अतिरिक्त इटावा मंडी के विकास हेतु एक परियोजना प्रतिवेदन 41,37,000/- रुपये का बनाया जा रहा है।

(3) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

बीकानेर जिले में अनाज व चीनी के थोक व्यापारी

483. श्री लूणाराम (डूंगरगढ): क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर जिले की प्रत्येक तहसील के लिये अनाज व चीनी के थोक व्यापारी कौन कौन कब से नियुक्त हैं तथा उनकी नियुक्ति के क्या आधार हैं ?

(2) क्या यह सही है कि तहसील बीकानेर एवं लूणकरणसर के अनाज के थोक व्यापारियों की नियुक्ति में जिला रसद अधिकारी ने अलग अलग माप दण्ड कायम किये ?

(3) क्या यह सही है कि जिलाधीश के आदेशों के बावजूद तहसील लूणकरणसर के थोक व्यापारी की नियुक्ति तहसील क्षेत्र के निवासियों के प्रार्थना-पत्र होते हुए भी तहसील के बाहर के निवासी की नियुक्ति लम्बे अर्से तक जारी रखी तथा अब पुनः उस व्यक्ति की नियुक्ति के सम्बन्ध में सबसे पहले टेण्डर मांगे गये हैं जब कि अन्य तहसीलों के सम्बन्ध में टेण्डर आमंत्रित नहीं किये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) थोक विक्रेताओं की नियुक्ति के इच्छुक व्यक्तियों से प्रार्थना-पत्र प्राप्त कर सहकारी समितियों को प्राथमिकता देकर एवं प्रार्थियों की माली हालत एवं कार्य-क्षमता को दृष्टि में रखकर की जाती है। बीकानेर जिले की तहसीलों में अनाज

(श्री खाद्य एवं रसद मंत्री)
व चीनी के लिये नियुक्त किये गये थोक व्यापारियों की सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

ट्यूबवैल योजना के अन्तर्गत सर्वेक्षण

484. श्री रमेशचन्द्र सैनिक (हिण्डोली) : क्या भूजल बोर्ड मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बून्दी जिले की नैनवा तहसील में राज्य सरकार ने गत कुछ वर्षों में ट्यूब वेल योजना के अन्तर्गत कोई सर्वेक्षण करवाया है ?

(2) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा और इसके अन्तर्गत कब तक कार्य शुरू होने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) जी हां, बूंदी जिले की नैनवां तहसील में राज्य सरकार ने 1970-71 में भू तल जल के उपयोग के लिये विस्तृत सर्वेक्षण करवाया है।

(2) सर्वेक्षण का विस्तृत प्रतिवेदन मार्च 1973 में प्राप्त होने की सम्भावना है। इस तहसील के लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिये योजना बनाने और कार्यान्वित करने का दायित्व बैंक आफ बड़ोदा को सौंपा गया है।

टोंक जिले की कृषि उपज मण्डियां

485. श्री बनवारी लाल (निवाई) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गत दो वर्षों में (मय 15 फरवरी 1973 तक) टोंक जिले का विभिन्न कृषि उपज मण्डियों में कितना-कितना क्या क्या माल आकर बिका ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

तालिका सदन की मेज पर रख दी है।

(कृपया परिशिष्ट—12 देखिये)

रिटायर आबकारी निरीक्षक के पेन्शन का मामला

486. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री सुमन्तसिंह आबकारी निरीक्षक रिटायर हो चुके हैं ? अगर हां तो कब एवं किस पद से किस स्थान से रिटायर हुए ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कर्मचारी को अब तक पैंशन मुकर्रर होकर नहीं मिली है ? अगर हां, तो क्यों ? अब उक्त कर्मचारी को पैंशन कब तक मिल जावेगी ? निश्चित अवधि बताने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां। श्री सुमन्तसिंह, आबकारी निरीक्षक भीनमाल के पद से दिनांक 1-7-69 के पूर्वान्ह से सेवा निवृत्त हुए हैं।

(आबकारी मंत्री)

(2) महालेखाकार जयपुर के यहां से श्री सुमन्त सिंह को रुपये 98/— मासिक प्रावीजनल पेंशन का पी. पी. ओ. सं. 87257 (आर) एवं रुपये 4140/— का जी.पी.ओ.सं. 44314 दिनांक 31-1-72 को जारी हो चुका है।

कस्बा नोहर का वाटर वर्क्स

437. श्री भीमराज (नोहर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा नोहर जिला गंगानगर का वाटर वर्क्स बन कर तैयार हो गया है ? यदि हां, तो क्या कस्बे को पूरा पानी दिया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि वाटर वर्क्स एवं नहरीय विभाग के आपसी विवाद के कारण पूरा पानी नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो यह विवाद कब तक सुलझा दिया जावेगा ?

(3) क्या सरकार जब तक विवाद नहीं सुलझे कोई ऐसी व्यवस्था करने का विचार रखती है जिससे कस्बे के लोगों को पीने के पानी की कमी दिक्कत न हो ?

(4) क्या यह सही है कि वाटर वर्क्स द्वारा निर्मित दो डिग्गियां बनकर तैयार होते ही बिना काम में लिए ही टूट चुकी हैं और पानी रखने योग्य नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) कस्बा नोहर जिला श्री गंगानगर का वाटर वर्क्स अभी तक पूर्णतया बनकर तैयार नहीं हुआ। अभी तक फिल्टर हाउस का निर्माण किया जाना शेष है। कस्बा नोहर में इस समय नियमित रूप से एक समय रा वाटर (Raw water) दिया जा रहा है। नहरी विभाग द्वारा पूरा पानी नहीं देने के कारण डिग्गियां भरी नहीं जाती हैं। इस कारण पानी कम दिया जा रहा है।

(2) नहरी विभाग द्वारा नोहर माईनर को पक्का कराने के लिये 1,50,000/- रु. की मांग की गई थी जिसके एवज में इस विभाग द्वारा 20,000/-रु. अग्रिम जमा करवा दिये गये हैं।

(3) अधिशाषी अभियंता, सिंचाई पीलीबंगा खण्ड हनुमानगढ़ संगम द्वारा उनके संबंधित सहायक अभियंता, को इस विभाग को पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिये गये हैं। नहर से पानी उपलब्ध जितना होता है उतना उपलब्ध कराया जाता है। अधिक पानी के लिये नहरी विभाग से लगातार कार्यवाही की जा रही है। और उपलब्ध करके दिया जावेगा लेकिन और दूसरी व्यवस्था होना संभव नहीं है क्योंकि नगर में कुए का पानी खारा है।

(4) नोहर जल प्रदाय योजना के लिये दो डिग्गियां बन कर तैयार हो चुकी हैं उनमें पानी भरा जाता है। डिग्गियां कहीं से भी टूटी हुई नहीं हैं और ना ही कहीं दरार आदि है, डिग्गियां सही हालत में है। नहरी विभाग से पानी जो भी उपलब्ध होता है

Page No 52

(जन स्वास्थ्य मंत्री)
उसको डिग्गियों में भरकर ही जनता को उपलब्ध कराया जाता है।

मकराना पंचायत समिति की बांका पट्टी पेय जल योजना

488. **श्रीमती गोरी पूनिया** (मकराना)—क्या जनस्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मकराना पंचायत समिति की बांका पट्टी पेय जल योजना से किन किन गांवों को पानी मिलना प्रारम्भ हो गया है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत बाकी बचे हुए गांवों को पीने का पानी कब तक उपलब्ध हो जायेगा?

(3) क्या यह सही है कि बांका पट्टी जलप्रदाय योजना के साथ ही इन गांवों को सड़क से जोड़ने की भी योजना है? यदि नहीं, तो इतनी लम्बी योजना के नियन्त्रण की क्या व्यवस्था है? यह योजना कुलःकितने किलो मीटर लम्बी चौड़ी है?

उत्तर

(1) मकराना पंचायत समिति की बांकापट्टी पेय जल योजना के अन्तर्गत कुल बीस गांवों को पानी मिलना आरम्भ हो गया है।

सूचि संलग्न है।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत बचे हुए गांवों को करीब एक माह के अन्दर अन्दर पानी उपलब्ध हो जाने की सम्भावना है।

(3) बांका पट्टी जलदाय योजना के साथ इनके गांवों को सड़क से जोड़ने की योजना नहीं है। इस योजना को नियन्त्रण करने के लिए ऊंट सवारी जीप एवं पैदल पेट्रोल द्वारा नियन्त्रण किया जावेगा। यह योजना कुल 120 किलो मीटर लम्बी पाईप लाईन तथा क्षेत्रफल में 23×26 वर्ग किलोमीटर है।

(कृपया परिशिष्ट—13 देखिये)

अधिशासी अभियन्ता जलदाय विभाग सीकर में नियुक्तियां

489. **श्री केशरदेव** (लक्ष्मणगढ़): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अधिशाषी अभियन्ता जलदाय विभाग सीकर में वर्ष 1961 से 1972 तक कितने कितने कनिष्ठ लिपिक व कितने वरिष्ठ लिपिक अनुसूचित जाति व जनजाति के नियुक्त किए गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या रोस्टर रजिस्टर का ध्यान रखा गया है? यदि हां, तो कब कब तथा किन किन की नियुक्तियां की हैं? उनके नाम व पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

उत्तर

(1) अक्टूबर 1966 से दिसम्बर 1972 तक 2 कनिष्ठ लिपिक (वर्क चार्ज मुंशी) की नियुक्ति अनुसूचित जाति व जन जाति में से की गई। वरिष्ठ लिपिक की नियुक्ति नहीं की गई, वरिष्ठ लिपिक के लिए पदोन्नति की जाती है।

(2) रोस्टर रजिस्टर का ध्यान जब से रोस्टर प्रणाली के लिये आर्डर प्राप्त हुए हैं तब से विशेष ध्यान रखा जा रहा है। निम्न लिखित कर्मचारियों की नियुक्ति आरक्षित पदों पर की गई है।

क्र. सं.	नाम	पद	प्रथम नियुक्ति की तिथि	पता
1.	श्री लिखमा राम अनुसूचित जाति	कनिष्ठ लिपिक (वर्कचार्ज)	4–1–69	जलदाय नगर उपखण्ड सीकर।
2.	श्री पन्दरलाल नायक अनुसूचित जाति	कनिष्ठ लिपिक (वर्कचार्ज)	11–12–72	जलदाय उपखण्ड, नीमका थाना।

मनोरंजन कर

490. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

पिछले पांच वित्तीय वर्षों में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा नगरों से वाणिज्य कर और मनोरंजन कर के रूप में कितनी कितनी धनराशि राज्य सरकार को प्राप्त हुई? उसकी अलग अलग सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(वित्त मंत्री)

उत्तर

वाणिज्यिक कर और मनोरंजन कर से प्राप्त आय निम्नानुसार है —

(रुपया लाखों में)

क्र. सं.	नगरों के नाम	1967–68 वाणिज्यिक कर	1967–68 मनोरंजन कर	1968–69 वाणिज्यिक कर	1968–69 मनोरंजन कर	1969–70 वाणिज्यिक कर	1969–70 मनोरंजन कर	1970–71 वाणिज्यिक कर	1970–71 मनोरंजन कर	1971–72 वाणिज्यिक कर	1971–72 मनोरंजन कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	जयपुर	709.54	25.18	771.49	29.38	971.02	33.57	1141.42	35.06	1341.46	43.33
2.	जोधपुर	145.72	10.31	160.78	11.72	193.67	14.30	183.78	13.05	206.67	18.08
3.	अजमेर	147.11	10.84	158.44	12.71	177.24	14.88	190.04	15.06	211.55	19.00
4.	उदयपुर	88.95	4.87	110.92	5.72	128.11	7.34	161.74	8.72	216.07	9.62
5.	बीकानेर	48.40	5.25	50.78	6.06	63.50	7.36	61.66	7.47	72.07	8.40
6.	कोटा	201.13	4.50	220.97	4.95	262.36	7.85	297.40	7.04	374.24	11.83

उपरोक्त आय में नगर की आय के अलावा वाणिज्यिक कर मण्डल के अधीन नगर, उप नगर, जो कि इनके कार्य क्षेत्र में आते हैं, की आय भी शामिल है।

बिक्री कर की वसूली

491. श्रीमती उषा प्रकाश (बेर):– क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1969–70, 70–71 व 71–72 वित्तीय वर्ष में बिक्री कर की कितनी वसूली बाकी रही ? कृपया जिलेवार आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रक्खें।

(2) ऐसी कितनी पार्टियां हैं जिनमें पचास हजार रुपये से अधिक बिक्री कर की रकम बकाया है ? पार्टियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) दिसम्बर, 1972 तक उपरोक्त बकाया में से कितनी वसूली हुई ? कृपया जिलेवार आंकड़े बतायें।

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1969-70, 70-71 व 71–72 में बिक्री कर की राशि क्रमशः रुपये 2,06,73,763/- रु. 2,04, 97, 309/- व रु. 3, 02, 84, 394/–बकाया रही। वृत्तवार सूची 'क' संलग्न है, इस विभाग में वाणिज्यिक कर अधिकारियों को जो कार्य क्षेत्र निश्चित किया गया है वह जिलेवार नहीं है इसलिए जिलेवार सूचना के बजाय वाणिज्यकर अधिकारियों के कार्य क्षेत्र के अनुसार वृत्तवार सूचना दी गई है।

(2) 1-4-72 को ऐसी 56 पार्टियां थीं, जिनकी सूची 'ख' संलग्न है। इन पार्टियों में 31-12-72 को कुल रु. 1, 18,19, 205/–बकाया है। इस बकाया रकम का विवरण निम्न प्रकार है:–

1.	लिक्वीडेशन	13,04,663
2.	स्थगन आदेशों में	76,71,730
3.	भू-राजस्व के अन्तर्गत	23,78,029
4.	विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत	4,64,783
	कुल राशि	1,18,19,205/-

(3) दिसम्बर 1972 तक उपरोक्त बकाया में से रुपये 39, 68, 824/–की वसूली हुई, जिसका वृत्तवार विवरण सूची 'क' में दिया हुआ है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम भवानिया खेड़ी तहसील पिड़ावा का हाई स्कूल

492. श्री हाजीजान मोहम्मद (पिड़ावा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम भवानिया खेड़ी (सलोतिया) तहसील पिड़ावा में राज्य सरकार ने गांव से एक मील दूर जंगल में हाई स्कूल भवन का निर्माण कराया है ? यदि हां, तो क्या इस वक्त वहां स्कूल चलता है या नहीं ? अगर चलता है तो कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं व कितने गांव के विद्यार्थी इसका लाभ उठा रहे हैं ?

(2) उक्त भवन के निर्माण में कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

उत्तर

(1) ग्राम भवानिया खेड़ी तहसील पिड़ावा में हाई स्कूल भवन का निर्माण

(शिक्षा मंत्री)

हुआ है। वर्तमान में वहां कोई हाई स्कूल नहीं चल रहा है, अतः विद्यार्थियों के पढ़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) शाला भवन के लिये खाद्य आयुक्त एवं सचिव, राजस्थान, जयपुर ने 12,000/- की राशि चैरिटी फण्ड से व 3000/- की राशि 50 प्रतिशत के जन सहयोग के आधार पर प्रदान की थी। विकास अधिकारी, पंचायत समिति पिड़ावा, ने सूचित किया है कि उक्त भवन पर अभी तक 34260/- रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि :–

(1) श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा, ने विधान सभा में जन संघ दल के नेता श्री गुमानमल लोढ़ा को ब्लेक दिसम्बर की ओर से प्राप्त पत्र जिसमें जान से मारने की धमकी दी गई है, के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। राज्य में विभिन्न स्थानों में ब्लेक दिसम्बर की ओर से प्राप्त कुछ अन्य पत्रों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से 2 अप्रेल 1973, को एक वक्तव्य दिया जावेगा। अतः मैं चाहूंगा कि उसके साथ राज्य सरकार की ओर से इस पत्र के सम्बन्ध में भी वक्तव्य दिया जाय।

(2) दिनांक 22 मार्च, 1973 को श्री भीमाराम चौधरी, सदस्य विधान सभा द्वारा नागौर जिले के कस्बा डीडवाना के कतिपय गांव के पीने के पानी के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई थी।

(3) दिनांक 22 मार्च, 1973 को सर्व श्री गिरधारीलाल भार्गव, भानुकुमार शास्त्री, मनोहर लाल, गुमानमल लोढ़ा व अजीतसिंह, सदस्य, विधान सभा ने शरणार्थी कैम्प नोमला तहसील शिव में 20 व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में 2 स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी थी।

ये दोनों ही प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

विशेषाधिकार प्रश्न पर व्यवस्था

श्री मोहनलाल छुगाणी, सदस्य विधान सभा ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 157 के अन्तर्गत एक विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना दी है जिसमें उन्होंने यह शिकायत की है कि कल दिनांक 27–3–73 को कुछ वकीलों द्वारा विधान सभा भवन के सम्मुख उनका घेराव किया गया, उन्हें सदन में आने से रोका गया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया तथा मारपीट की गई।

यह मामला उनके द्वारा कल सदन में भी उठाया गया था एवं सदन को इस घटना से अवगत कराया गया था।

मैंने इस मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है। मेरी राय में यह मामला प्रत्यक्षतया (प्राईमाफेशो) विशेषाधिकार के हनन की परिधि में है। अतः मैंने इस प्रश्न

(श्री अध्यक्ष)

को प्रक्रिया के नियम 162 के अन्तर्गत विशेषाधिकार समिति को जांच एवं प्रतिवेदन हेतु सौंप दिया है।

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय मैं भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, कल जो इन्सीडेन्ट हुआ है उसका हमें सभी माननीय सदस्यों को खेद है। सिर्फ माननीय सदस्यों को ही फ्रीडम से घूमने फिरने की स्वतन्त्रता नहीं है बल्कि हिन्दुस्तान के हर नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है और घूमने फिरने का भी अधिकार है। लेकिन मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी बातों के लिए माननीय सदस्य प्रिविलेज का प्रश्न सदन में उठाये यह वाजिब बात नहीं है। माननीय सदस्य को इसे प्रिविलेज पोइन्ट का इश्यू नहीं बनाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जब एक व्यक्ति पोलिटिक्स में आता है, राजनीति में भाग लेता है तो उसे अपना दिल बड़ा रखना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले चुनावों की बात करता हूं कि चौथी विधान सभा का जब इलेक्शन हुआ था तो मॉब ने मेरी गाड़ी के कांच तोड़ दिये और मेरे चश्मे को तोड़ डाला था, लेकिन मैंने तो इसे प्रिविलेज का इश्यू नहीं बनाया। अध्यक्ष महोदय, पोलिटिक्स के बारे में मेरा यह निवेदन है कि इट इज पार्ट आफ दी गेम। माननीय सदस्य को अपने प्रिविलेज का फेटिश नहीं बनाना चाहिये। मॉब को फेस करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, अपने हिन्दुस्तान में पंचतंत्र में दिया हुआ है कि नदीनाम शस्त्रपाणिनाम नखीनाम शृंगविनाम विश्वासो नैव कर्त्तव्यम् स्त्री सु राजकुलेषु च। इसका मतलब यह है कि इन इन लोगों से दूर रहना चाहिये। इन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिये। मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा कि इसे प्रिविलेज का प्रश्न बनाना उचित नहीं होगा, अगर आप पोलिटिक्स में भाग लेते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिये। माननीय सदस्य को वहां पर जाना ही नहीं चाहिये था; और अगर जाते हैं तो आपमें मॉब मेन्टेलिटी को फेस करने की क्षमता रखनी चाहिये। माननीय सदस्य को चाहिये था कि वह मॉब से दूर रहते। इसलिये मेरा माननीय सदस्य से यह निवेदन है कि माननीय सदस्य ने जो किया वह ठीक नहीं किया।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो यह कहा है कि यह ठीक नहीं किया, यह गलत है।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करिये।

श्री पी. के. चौधरी : इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री छंगाणीजी और दूसरे माननीय सदस्यों को भी निवेदन करना चाहूंगा कि वह ऐसी घटनाओं को प्रिविलेज का प्रश्न नहीं बनायें और थोड़ी ऊंची भावना से काम करें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : No debate please. This does not require any reply.

सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र

सदन की मेज पर रखे जाने वाला पत्र मंत्री महोदय।

श्री मूलचन्द (राज्य मंत्री, सामुदायिक विकास एवं पंचायत) : अध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 4 (एल. जे.) पंचायत (ए. आर.) 73 (447.55 दिनांक 12 मार्च, 1973 को जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत तथा न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 में संशोधन किये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति कल्याण समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन का उपस्थापन।

श्री भीखा भाई।

श्री भीखा भाई (सभापति, अनुसूचित जाति एवं जन जाति कल्याण समिति) : अध्यक्ष महोदय, राज्य सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों का प्रतिनिधित्व विषयक, प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री मीठालाल मीणा : सौभाग्य प्राप्त हुआ है आज खड़े होने का।

विधायी कार्य

विचारार्थ विधेयक

राजस्थान नगरीय भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1973 विचारार्थ प्रस्तुत

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य। विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक। मंत्री महोदय।

12.12 म. प.

श्री चन्दन मल बैद : (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरीय भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : माननीय अध्यक्षजी, इस संबंध में निवेदन है कि जो संशोधन इसमें किये गये हैं, मैं जानकारी कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : जनमत हेतु है आपका प्रस्ताव।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : संशोधन भी पेश किये हैं।

श्री अध्यक्ष : संशोधन नहीं हैं। देर से आये। टाइम पर नहीं आये इसलिये एन-टरटेन नहीं किये गये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : दोनों के लिये ही निवेदन कर रहा हूं। कल 3.30 बजे कार्य समिति ने तय किया कि इसको आज ले लिया जाय। फिर इसमें संशोधन देने का कौनसा समय रह गया था उसको जानकारी दे दें, सरकार जल्दी में इसका पास करना चाहती है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गिरधारीलाल जी के कथन का समर्थन करता हूं। संशोधन देने के लिये समय बहुत कम मिला है।

Page No 59

श्री लक्ष्मणसिंह : उनकी अब आज्ञा दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैं इसकी जानकारी ले लूं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : या तो जो प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम हैं उनको ढीला कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी ने तय किया था। किसी ने देर से दिया हो तो भी उसको लेने की सोचूंगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कल 3.30 बजे बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई और यह तय हुआ कि यह बिल आज लिया जाना है। 4.30 बजे तक मालूम हुआ। इसलिये संशोधन पेश करने का मौका नहीं मिला। इसलिये उपयुक्त समझे तो प्रक्रिया के नियमों को ढीला करके जो संशोधन मूव नहीं किये जा सकें उनको यहां पेश करके विचार व्यक्त करने का मौका दिया जा सकता है।

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी के सातवें प्रतिवेदन के अनुसार 27, 28 एलोटेड थे और यह करारोपण विधेयक आगे आना था 29 को। फिर जो रिपोर्ट आयी वह 4–4.30 बजे आया। इसलिये संशोधन देने का समय ही नहीं मिला। इसलिय जो ओन दी स्पोट संशोधन दें तो उनको स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैं इस दलील को ठीक मानता हूं। कल 3.30 बजे कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग हुई उसमें नगरीय भूमि कर विधेयक लिये जाने का तय हुआ। इस सम्बन्ध में जो संशोधन आये हों वे हम ले लेंगे, देर से आये तब भी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, पेश ही नहीं कर सके।

श्री अध्यक्ष : देने चाहिये थे आपको। अभी भी भेजेंगे तो उनको पेश माना जायगा। अब भी दे दीजिये आधे घन्टे में तो मान लिये जावेंगे।

श्री लक्ष्मणसिंह : बहुत से सदस्यों को स्टडी करने का मौका ही नहीं मिला। मनी बिल है सरकार जब चाहे ला सकती है। माननीय सदस्यों के जो सुझाव हैं वे अब दें दें यही हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : संशोधन की बात अलग है। बोलने का मौका जितना चाहे दिया जा सकता है। काफी लम्बे समय तक बैठ कर भी बिजिनेस पूरा किया गया है। अब भी यही नीति है कि जो बोलना चाहेंगे उनको मौका दिया जायगा।

राजस्थान नगरीय भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1973 को जनमत जानने हेतु परिचालन करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्षजी, यह नगरीय भूमि कर संशोधन विधेयक बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक है। मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि यह विधेयक हिन्दी में पेश किया जाना चाहिये था और संशोधन भी हिन्दी में ही दिया जा सके

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)
इसकी व्यवस्था की जानी चाहिये थी और जिस मूल बिल के आधार पर आप इसमें संशोधन करवाना चाहते हैं उस मूल बिल की प्रतिलिपि भी...

श्री अध्यक्ष : हिन्दी में ही दिया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरे पास अंग्रेजी में अमेंडमेन्ट है।

श्री केदारनाथ : दोनों में।

श्री चन्दनमल बैद : मेरी गुजारिश यह है कि मेन बिल अंग्रेजी में है। यह प्रावधान है नियमों में कि यदि मेन बिल अंग्रेजी में हो तो संशोधन भी अंग्रेजी में आ सकता है। इसीलिये संशोधन अंग्रेजी में आया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मूल बिल में संशोधन किया जाना चाहिये। वह भी अंग्रेजी में आना चाहिये था।

श्री चन्दनमल बैद : वह सरकुलेट किया गया था।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जनमत जानने के लिये इसलिये प्रस्तुत करना चाहता हूं कि प्रभारी मंत्रीजी के हस्ताक्षर होने चाहिये थे उनके हस्ताक्षर नहीं हैं। बजट भाषण दिया था तो आपने कहा था कि नगरीय भूमि पर आधा पर्सेन्ट नगरीय भूमि कर लगेगा पचास हजार से अधिक भूमि होगी तो उस पर। इसमें जो प्रावधान किया गया है उसमें 1½ के स्थान पर 2 प्रतिशत किया है। क्या वित्तमंत्रीजी सदन से यह अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं कि 1½ की जगह 2 पर्सेन्ट लगाना चाहेंगे और इसलिये यह संशोधन बिल पेश कर रहे हैं। लेकिन बजट भाषण जो दिया था वह इस भावना के प्रतिकूल था। भाषण दिया था तो कहा 1½ परसेंन्ट और आज दो परसेंन्ट। इसमें यह भी कहा है कि फिर आगे बढ़ेंगे। 50 हजार से 70 हजार की एक रेट, 70 हजार से 90 हजार तक दूसरी रेट होगी और फिर आगे तीसरी रेट होगी। इसके बड़े गम्भीर परिणाम निकलेंगे।

श्री अध्यक्ष : आपने संशोधन भेजे हैं वे 10.50 पर आज रिसीव हुए हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं स्वयं मान रहा हूं मैंने आज दिये हैं। जनमत के लिए तो पहले ही दे दिया था। अमेन्डमेन्ट तो इसको पढ़ने के बाद ही तो दे सकते थे।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि आज टेक्सेज की कमी नहीं है। आप कमाओ तो टैक्स, जोड़ो तो टैक्स, खर्चो तो टैक्स। एक टैक्स और लगा रखा है मृत्यु कर। मरने पर करवा करते हैं तो यह करवा टेक्स है। कर की कोई स्थिति बची नहीं है। हाउस टैक्स लगता है, नगरपालिका लेती है। वैल्थ टैक्स लगाते हैं भारत सरकार लेती है। नगर भूमि कर राजस्थान सरकार लेना चाहती है। वास्तव में नगरीय भूमि कर की मालिक नगरपालिका है और नगरपालिका को ही यह मिलना चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आय कर वाले अलग हैं जो असेसमेन्ट करते है, हाऊस टैक्स वाले अलग हैं जो असेसमेंट करते हैं, वेल्थ टैक्स वाले अलग हैं जो असेसमेन्ट करते हैं। नगर भूमि

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कर के आधार पर डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर, इन्सपेक्टर बनेंगे। एक बहुत बड़ा महकमा राजस्थान में कायम होगा और खूब भ्रष्टाचार राजस्थान में फैलाया जावेगा। इसलिए असेसमेंट के तरीके को रेशनेलाईज करना चाहिये।

एक आधार पर एक ही असेसमेंट आथोरिटि हो। चाहे कोई वो वह असेसमेंट कर ले और जो कर नगर परिषद् को देने का हो, वह उसको दे दिया जाय वैल्थ टैक्स का जितना बने उसे भारत सरकार के विभाग को दे दिया जाय और यह नगरीय भूमिकर, जो वास्तव में मिलना तो नगर परिषद् को ही चाहिये, पर कांग्रेस अपने बहुमत के बल पर यहां बैठकर कानून पास करके स्वयं लेना चाहे, जैसी कि मेरी मान्यता है, यह कांग्रेस दल अपने बहुमत के बल पर राजस्थान सरकार को देने के लिये कानून बनावेगी, वह नगर परिषद् को ये देने वाले नहीं, तो वह राज्य सरकार को दे दिया जाय तो यह काम अगर एक ही सर्वमान्य आथोरिटी करेगी तो इसमें भ्रष्टाचार कम होगा।

पर आपने इसमें लम्बा चौड़ा हिसाब रखा है। आपने इसमें डाइरेक्टर रखा है, डिप्टी डाईरेक्टर रखा है और इन्सपेक्टर, डिप्टी इन्सपेक्टर मालूम नहीं कितना अमला रखा है। जितना वसूल करेगा उसका बहुत बड़ा हिस्सा तो इस उगाहने वाले दफ्तर में ही खर्च हो जावेगा। इसके लिये भी मेरा निवेदन है कि आपके डाइरेक्टर लोकल बाडीज हैं, उनको कोई काम नहीं है। आप इनको ही कर निर्धारण करने वाला अधिकारी नियत कर दें तो नया महकमा खोलने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी।

दूसरा निवेदन करूंगा कि मकान मालिक अगर गरीब है, विधवा है, जिनके मकान जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं छत की पट्टियां भी टूटी फूटी पड़ी हैं। अगर आपके कर निर्धारण करने वाले अधिकारी ने आज की कीमत के हिसाब से, चूंकि वह अच्छी लोकेलिटी में उसको भी पचास हजार से ऊपर की कीमत का तै कर दिया तो परिणाम इसका क्या होगा? मकान में रहने वाला व्यक्ति भले ही इन्कमटैक्स पेअर हो, हो सकता है वहां पर मकान मालिक गरीब भी हो सकता है, जो किसी तरह से किराये की आमदनी से मुश्किल से अपना भरण पोषण करता है, उसको भी आपके इस नये कानून के अनुसार नगरीय भूमिकर देना पड़ेगा और जो मान लीजिये वह किराये के रूप में चालीस रुपया पचास रुपया माहवार पाते हैं या तीस रुपया ही पाते हैं पर मकान की वैल्यूएशन आपने पचास हजार कर दी और इसके हिसाब से पांच सौ रुपया सालाना बनता है, चालीस रुपया माहवार तो वह चालीस रुपया तो सरकार को ही दे देगा, फिर अपना गुजर बसर किससे करेगा अगर कम मिलता है तो अपने पल्ले से मिलाकर सरकार का टैक्स देना पड़ेगा, यह कैसी हालत होगी? इसकी भी आपने कभी कल्पना की है? जैसे मैं निवेदन करूं आप पुरानी बस्ती में पधारिये, इसी प्रकार से छीपावाड़ी में पधारिये, गरीबों के मोहल्ले में पधारिये, शेखावाटी में चलिये। आप मकान उसका पचास हजार का आंक लेंगे पर वहां रहने वाला आपको वहां की तरह

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

का रईस नहीं मिलेगा, गरीब है, तीस चालीस रुपये माहवार कमाता है या इतनी ही किराये की उसकी आमदनी है। पुराना रहने वाला है आज के हिसाब से किराया भी नहीं देता है तो उस गरीब मकान मालिक ने क्या दोष किया है। नौरोज रैस्टोरेन्ट चलाने वाला व्यक्ति इनकम टैक्स पेयर हो सकता है, मकान मालिक उसका एक गरीब मुसलमान है। इनकम टैक्स वह क्या दे ? मुश्किल से जो किराया आता है उससे अपना घर खर्च चलाता है। यह तो मैंने एक उदाहरण के तौर पर बताया है। आप और कहीं चले जावें, दो कमरे एक रसोई होगी, खुला मैदान होगा, अन्दर थोडा लान होगा जहां दो चार मुड्डे डालकर वह उस खुली हवा को एन्जोय करता है आप इसके आधार पर पचास हजार रुपया आंक सकते हैं। आप दो पर्सेन्ट की मत मानिये आधा परसेन्ट के हिसाब से भी आज की तारीख में वेल्यूएशन आंके, आपने आधार आज की तारीख का रखा है, एक अप्रेल 73 से आप इस कानून को लागू करना चाहते हैं मार्केट वेल्यू पर आपका असेसमेंट अलग अलग बाजार का अलग अलग होगा तो पचास हजार पर आप दो पर्सेंट छोड दीजिये आधा पर्सेंट से भी चालीस रुपया माहवार बनता है, पांच सौ रुपया साल का बनता है। तो चालीस रुपया सरकार को देना पड़ेगा। अब विधवा गरीब जो तीस रुपया किराये पर अपना गुजर बसर करते हैं दस रुपया अपने पास से मिलाकर सरकार को देना पड़ेगा उसे।

न मैं किरायेदारों की ओर न मकान मालिकों की हमदर्दी कर रहा हूं। किराये वे बढ़ा नहीं सकते। अब तीस रुपया जिसको किराये से आमदनी है, और पचास हजार की जायदाद असेस हो गई तो गरीब अपनी जेब से खजाने में देगा। जिसके पास मकान है, पर जो मकान का लाभ उठा नहीं सकता उसके पास तो एक रुपया भी बचने का नहीं। मकान मालिक किरायेदार से पैसे लेगा और राज के खजाने में जमा करा देगा।

फिर आपकी मार्केट वेल्यू भी समय के हिसाब से घटती बढ़ती रहेगी। आप किराये को आधार नहीं मान रहे हैं। प्रेजेन्ट मार्केट वेल्यू पकड़ रहे हैं। तो इस हिसाब से वह आज कुछ है, कल दूसरा हो जायेगी यदि किसी गरीब ने कहीं तीस हजार का मकान ले लिया पर आज उसकी मार्केट वेल्यू पचास पचपन हजार हो गई जो महंगाई के साथ बढ़ती जावेगी तो महंगाई तो घटेगी नहीं आप घटाने का प्रयास भी क्यों करने लगे तब। राज्य सरकार की गलतियों के कारण महंगाई बढ़ी और बढ़ती जावेगी उसी हिसाब से मकानों की कीमतें भी बढ़ गई है और यह सरकार महंगाई रोक नहीं सकेगा। जो सरकार महंगाई रोक नहीं सकेगी तो मकानों का वेल्यूएशन भी धीरे धीरे ज्यादा होती जायेगी और इसका परिणाम माननीय उपाध्यक्ष जी यह होगा कि वेल्यूएशन बढ़ती जावेगी और सरकार का भूमिकर भी बढ़ता जावेगा।

(12.25 म.प.)

श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन

गरीब आदमी केवल नाम का मकान मालिक है, किराया वह बढ़ा नहीं पावेगा पर सरकार

Page No 63

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

को बराबर बढ़ता हुआ टैक्स देता जावेगा। यह तो यथा नाम तथा गुण भी नहीं होगा। जेब में पैसा नहीं, कौड़ी नहीं और नाम धराया मकान मालिक का। कहने को धनामल और जेब में कानी कौड़ी भी नहीं।

अब आपने किसी को वेल्यू पचपन हजार कायम कर दी और अगर मकान मालिक चाहे कि इस कीमत पर राज सरकार उसका मकान खरीद ले तो फिर राज्य सरकार को यह भी गारन्टी देनी होगी कि पचपन हजार में राज्य सरकार उसको खरीद लेगी और यदि वह पचपन हजार का नहीं है और बीस हजार का ही रहा तो जो टैक्स लगाया है वह गलत है। तो सरकार को धड़ाधड़ मकान खरीदने के लिये भी तत्पर रहना चाहिये। लोग मकान बेचेंगे और किराया मिलेगा नहीं। किराया जब नहीं मिलेगा और अपने पास से मिलाकर देना पड़ेगा तो कौन नाम मात्र के लिए मकान मालिक कहलाना चाहेगा। वह तो मकान बेचेगा। तो सरकार को खरीदने के लिये तत्पर रहना चाहिये।

मैं निवेदन करूं कि जिस प्रकार की सरकार की हाउस टैक्स की पद्धति है उसी के आधार हर इसका चलाना चाहिये था, ताकि लोगों को मकान बनाने के लिए इन्सेन्टिव मिलता रहे। भारत सरकार की सालाना रिपोर्ट के आधार पर यह कहा गया कि आठ करोड़ यूनिट मकानों की देश में कमी है। इस कारण लोग आज कच्ची बस्तियों में मकान बनाते हैं, सड़कों पर बना लेते हैं। जयपुर में परकोटे के भीतर बना दिया। पटरियों पर मकान बना लिये। जयपुर में आगरा रोड पर ट्रक स्टेण्ड की योजना है। जयपुर के बढ़ते हुए यातायात का नियमन करने के लिये सब ट्रकों का एक मार्केट बनाने की योजना है। वहां डामर की सड़कें सरकार ने बनाई। लोगों ने डामर की उन सड़कों पर मकान बना लिये क्योंकि लोगों के पास अपना तन छिपाने के लिये सिर छुपाने के लिये मकान नहीं है।

आज जब मकानों की इतनी भयंकर कमी है कि लोग सड़कों पर मकान बनाने को मजबूर हो जाते हैं तब जहां हमें मकान बनाने के लिये लोगों को प्रोत्साहन देना था, उसके स्थान पर उल्टे हम इस तरह के टैक्स लाकर यह हालत पैदा करना चाहते हैं कि लोग बनाये नहीं, मकान बेचने को मजबूर होते जावें। सरकार के इस कानून के पास हो जाने के बाद कोई भी मकान बनाने की हिम्मत कदापि नहीं करने वाला है।

ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर यह कर निर्धारण करने वाली आथोरिटी और कोई तो नहीं हो सकती। और कोई क्यों नहीं हो सकती है? हमारे राजस्थान में यह होने वाला है। इस कानून के मुताबिक जो मकान मालिक भूखा मर रहा है—मकान आदमी बनाता क्यों है, जेवर आदमी बनाता क्यों है मेरी पेन्शन हो जायगी। हाथ पैर काम करने लायक नहीं रहेंगे। मेरी आय कम हो जायेगी। बुढ़ापे में मेरा भरण पोषण हो जायगा। पेन्शन प्राप्त होगी 40 रुपया, उसमें वह कैसे अपना और अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर पायेगा।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कंजूसी करके किसी प्रकार किरायेदार रखेगा और उसके पेट पर डबल तरह से मार होगी। उसके लड़कों की शादी होगी उसके लड़कियों की शादी होगी। वह कहां से इस प्रकार के साधन जुटायेगा? उसका 30 हजार का मकान होगा, सरकार उसको 55 हजार का बतायेगी। आज जो मकान मालिक रोटी के अभाव में तड़प रहा है फिर उसकी और क्या हालत होगी, और हालत खराब हो जायगी। मकान मालिक की दशा खराब होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रति वर्ष टेक्स बढ़ेंगे और उसको वेल्यूऐशन बढ़ाते जायेंगे। एक प्रावधान और रखा है। एक व्यक्ति का एक मकान जयपुर में है, एक सांगानेर में है। सांगानेर में म्यूनिसिपेलिटी बन गई और सांगानेर में ही नहीं और कहीं है तो इस पचास हजार में शामिल करने के लिये वेल्यूऐशन करेगी। सरकार चाहेगी किसी न किसी तरह पचास हजार से ऊपर की सम्पत्ति हो जाय, सरकार को उसकी चिन्ता हो जायेगी। सांगानेर में चाहे खेती की जमीन हो, चाहे खाली जमीन पड़ी हो, सरकार पचास हजार की राशि को मिला कर किसी न किसी प्रकार टैक्स लगाने की योजना बना रही है। आपने खेती की जमीनों को अरबन एसेसमेंट में इस प्रकार नापा है। जिस मकान की हालत जीर्ण-शीर्ण पड़ी हुई है, जिसका पांच रुपया किराया नहीं आ सकता है लेकिन खाली जमीन पड़ी है, खण्डहर मकान पड़ा हुआ है। उस पर भी आप टेक्स लगा देंगे। सांगानेर आप मेरे साथ पधारें, छीपों का मोहल्ला है वहां बड़ी बड़ी हवेलियां खाली की खाली पड़ी हुई हैं, रामगंज बाजार में बड़ी बड़ी हवेलियां खाली पड़ी हुई हैं, गंगापोल में बड़ी बड़ी हवेलियां खाली पड़ी हुई हैं। लोगों के पास उन मकानों का किराया आता नहीं है। चाहे खाली जमीन पड़ी है, उस पर भी टैक्स लगाना चाहते हैं जिसकी पांच रुपये माहवार की आमदनी नहीं है, वह 100 रुपया इस टैक्स के रूप में कैसे जमा करायेगा? इस पर राज्य सरकार को विचार करना चाहिये। इस टैक्स पर यह व्यवस्था की गई है वह टैक्स पेयर एक अप्रेल, 1973 से टैक्स देगा। टैक्स पेयर को बिना सरकार से कुछ कहे अग्रिम टैक्स जमा कराना पड़ेगा। वह अग्रिम टैक्स जमा करा देगा। मेरा मकान है, पिताजी के नाम में है या क्या गली मोहल्ला क्या मैं, मेरे मकान का वेल्यूऐशन क्या है आधा पर्सेन्ट, दो पर्सेन्ट क्या लगायेगा। उसके आधार पर आंक कर बैंक में टैक्स जमा करायेगा और फिर उस असेसमेंट के फार्म को लेकर डायरेक्टर बनायेंगे या डिप्टी डायरेक्टर बनायेंगे, उसको पेश करेगा।

राजस्थान में चाहे किसी व्यक्ति का मकान पचास हजार से कम कीमत का हो उस बेचारे को क्या मालूम आपकी दृष्टि में 60 हजार का होगा, आपकी दृष्टि में पचास हजार का है लेकिन उसकी दृष्टि में 30 हजार का है। उसको न मानने वाले आपके डायरेक्टर पचास हजार का घोषित करने की चेष्टा करेंगे और यदि जांच नहीं करायेगा तो उस बेचारे पर जुर्माने का प्रावधान रखा है वह बैंक में जायेगा और

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

लास्ट जून तक पैसा जमा करायेगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अरबन असेसमेंट वह किस आधार पर करेगा ? उस व्यक्ति को क्या मालूम कि मेरा मकान 50 हजार का है या इससे ऊपर नीचे का है · · ·

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि टैक्सेशन एन्क्वायरी कमीशन ने इस प्रकार के टैक्स को नगर परिषद् को दिये जाने की सिफारिश की है, और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टैक्सेशन कमेटी ने कहा है हाऊस टैक्स को भांति इसकी एक ही ऑथोरिटी होनी चाहिये, लेकिन सरकार ने उस सम्बन्ध में विचार नहीं किया। मैं निवेदन करूंगा कि सब लोग रिटर्न भरेंगे, सबको शुरू में फार्म भरना होगा और कोई लोग वंचित रहेंगे तो फिर सरकार को पैनेल्टी के रूप में वसूल करने का अधिकार होगा। कहने को तो सरकार कहेगी, एक बार असेसमेंट हो गया लेकिन आपने लिखा है मैं एट ऐनो टाइम किसी व्यक्ति की जन्म पत्री खोल सकता है। दूसरे साल खोल दें, तीसरे साल खोल दें। आपका मकान 50 हजार से ऊपर का है, उसको बुला सकती है, उसकी जांच कर सकती और जांच करने के बाद उस व्यक्ति पर पैनेल्टी इम्पोज कर सकती है आखिरकार माननीय उपाध्यक्ष जी मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा, इससे मेन्टल परेशानी कितनी बढ़ जायगी? असेसी आयेगा, डाइरेक्टर की खुशामद करेगा, डिप्टी डायरेक्टर का खुशामद करेगा · · ·

श्री निरंजननाथ आचार्य : कोरम भी नहीं है, सुनने वाले भी नहीं है। मिनिस्टर कन्सर्न्ड मस्ट बी हियर। इतनी अवहेलना तो नहीं की जानी चाहिये कि मंत्री महोदय चले जायं।

(गण-पूर्ति घंटी)

श्री गिरधारी लाल भार्गव: तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था इससे मकान मालिक की परेशानी बढ़ेगी और इसके साथ ही साथ पैनेल्टी का क्लाज रखा है। सरकार ने हथियार यहां तक ले लिया है यदि मकान मालिक आपने जो टैक्स लगाया है वह मकान मालिक देने में असफल हो जाय तो सरकार के प्रावधान के आधार पर टैक्स लेने का अधिकार किरायेदार से भी ले लिया है। जो कुछ टैक्स है वह वसूल कर लेगी और अब इसमे मकान मालिक और किरायेदार में झगड़ा होगा। मकान मालिक किरायेदार से कहेगा मैंने नहीं कहा था तुमने क्यों दे दिया ? लोग अदालतों में जायेंगे, वर्षों तक मुकदमें चलते रहेंगे। मकान मालिक और किरायेदार के सम्बन्ध खराब होंगे। इस प्रकार काले कोट वालों का व्यवसाय बढ़ेगा, वकीलों का व्यवसाय बढ़ेगा, अदालतों का भार बढ़ेगा, आप अदालतों का भार बढ़ाना चाहते हैं। गरीब कहां से दावा करेगा तो फिर मकान मालिक सोचेगा। किरायेदार से मकान खाली कराया जाय या नहीं कराया जाय। एक तरफ टैक्स नगरीय भूमि कर के रूप में टैक्स देगा, दूसरी तरफ अन्य टैक्सेज देगा। इस कानून के मुताबिक मकान मालिक और किरायेदार के सम्बन्ध खराब होंगे। रात दिन झगड़े चलते रहेंगे।

Page No 66

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

मैं आपसे अब निवेदन करना चाहूंगा··

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए, काफी समय हो गया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं आपसे अन्त में यह निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष जी, कि इस सारे आधार पर आपने एक प्रावधान और रखा है और वह यह रखा है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मकान का निर्धारण कराना चाहता है तो असैसिंग की फीस भी, यों तो सरकार को असैस करना चाहिए और कहना चाहिए कि तुम्हारे मकान की कीमत 50 हजार की है या 60 हजार की है लेकिन प्रत्येक व्यक्ति असैसिंग अधिकारी को अपने घर पर बुलायेगा और उसको फीस भी मकान मालिक ही देगा। मौत को स्वयं बुलायेगा और पैसे उसके खुद ही देगा मैं समझता हूं कि इस प्रकार का विचित्र कानून है जो सरकार ने बनाया है। उसका क्या निर्धारण होगा और जो निर्धारण करने वाला अधिकारी आयेगा उसको कितना खर्चा देना पड़ेगा, 5 रुपये देने पड़ेंगे या 10 रुपये देने पड़ेंगे? फिर वह कहेगा कि यदि 200 रुपये देते हो तो मैं तुम्हारा असैसमेंट कम करता हूं और मुझे कम देते हो तो असेस ज्यादा करता हूं इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह बड़ा घातक कानून सरकार ने बनाया है।

आधे पर्सेन्ट की घोषणा या 1 परसेन्ट लेने वाली पद्धति से लोगों को अपनी रकम जमा करानी पड़ेगी, किरायेदारों से वसूली कर लेंगे-इस प्रकार का कानून बनाया है। असैस करने वाला अधिकारी कौन होगा, अनापशनाप खर्चा होगा और सरकार ने सारे असेसमेन्ट करने वाली मशीनरी के लिए भी एक क्लाज दिया है जिसमें लाखों रुपये व्यय करने की घोषणा की है 23 लाख 50 हजार रुपये की तो मशीनरी होगी। डाईरेक्टर होगा, डिप्टी डाईरेक्टर होगा। उनकी पे स्केल क्या होगी तो 23 लाख 50 हजार रुपया जब सरकार एस्टैब्लिशमेंट पर खर्च कर देगी तो एक ओर मकान मालिक की हालत खराब, किरायेदार की हालत खराब-दोनों को ही परेशानी और फिर सरकार को भी इससे लाभ होने वाला क्या है? इसलिए मैं आपसे अन्त में यही निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार भूलकर जो विधेयक लाई है इसको जनमत जानने हेतु भेजा जाये, जल्दी नहीं करें और इसको जनता के सामने प्रसारण करें कि हमारी समाजवादी सरकार ने मकान मालिकों को, किरायेदारों को परेशान करने के लिए उनको बेचैन करने के लिए 23 लाख 50 हजार रुपये की योजना के आधार पर लोगों को काम देने के लिए किया है यह सही है कि लोगों को काम जरूर मिल जायेगा लेकिन ऐसी समाजवादी योजना सरकार लाई है इसलिए ऐसे बिल को जनमत जानने हेतु प्रसारित करें। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव दिया है उसे मैं प्रेस नहीं करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन!

(अनुपस्थित)

श्री फूलचन्द जैन।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरीय भूमि कर संशोधन विधेयक जो यहां पर पेश किया गया है वैसे इसके द्वारा म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर जो आधा पर्सेन्ट भूमि पर या भवनों पर टैक्स लगाया गया है उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, और हमने वैसे इस प्रकार से कर लगा करके जो नयी शुरूआत इस दिशा में की है उसको हमने एक अच्छी दृष्टि से लिया है। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह का विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया गया है इससे जो अब तक टैक्सेशन के बारे में आप लोगों को जो शिकायत रहती है उसी तरह का फिर इसके अन्दर ऐसे अजीब ढंग से विधेयक लाकर सारी स्थिति पैदा कर दी गई है कि जिससे आज मुझे बोलने को विवश होना पड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर एक तो यह बताया गया है कि जो भी ऐसे भवन होंगे उनका जो मूल्य है वह उस समय की मार्केट रेट से तय किया जायेगा। इसके लिए जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने बताया कि राज्य सरकार निर्देशन एवं भवन कर की नई संस्था निर्माण करने का इसमें बताया गया है और यह कहा गया है कि इसका जो बाजार मूल्य निर्धारित किया जायेगा वह निर्धारण प्राधिकारीके द्वारा किया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक नया कर है जो कि पहली बार राजस्थान के अन्दर हम लगा रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया हम चाहते हैं कि आगे आने वाले समय के अन्दर यह आधा प्रतिशत से 1 पर्सेन्ट और 2 पर्सेन्ट हो और इससे भी अधिक धीरे धीरे इसको बढाया जाये तब भी आपत्ति नहीं है परन्तु इसके अन्दर और दिक्कतें और कठिनाइयां पैदा होती हैं उनको हमको गम्भीरता से समझने की आवश्यकता है।

पहला तो मुझे इस बात का एतराज है कि आधा पर्सेन्ट कर को वसूल करने के लिए एक नयी संस्था खड़ी करके एस्टेब्लिशमेन्ट का खर्चा बढ़ाया जाये, यह कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कर निर्धारण के बारे में जो निर्धारण के प्राधिकारी के ऊपर छोड़ा गया है वह भी कोई उचित बात नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में यह भी कहना चाहता हूं कि व्यवहारिक रूप से अगर हम देखें तो आज कस्बों के अन्दर ऐसे कई मकान भी हैं कि जिनका वैल्यूएशन करने के समय जमीन की वैल्यूएशन क्योंकि वह शहर के मध्य में स्थित हो सकता है इसलिए उन जमीनों की वैल्यूएशन ज्यादा हो सकती है, लेकिन वह मकान खण्डहर हैं और उनमें जो रहने वाले हैं उनकी आमदनी का कोई सोर्स नहीं है, परन्तु वैल्यूएशन के लिहाज से उस मकान की वैल्यूएशन जमीन को शामिल करने के बाद में 50 हजार से ऊपर आती है और उससे भी आगे बढ़ जाती है तो ऐसे लोग तो एक तरफ हैं और दूसरी तरफ में इसके अन्दर यह नहीं बताया गया है कि जो विवरणी होगी वह मकान मालिक ही प्रस्तुत करेगा अथवा वह भारत से बाहर होगा। तो उसके द्वारा कोई दूसरा आथोराइज जिसको किया गया हैं वह या दूसरी स्थिति के अन्दर जिसको अधिकृत करता है वह पेश कर सकेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय

(श्री फूलचन्द जैन)

भी जिस क्षेत्र से आते हैं हमारे उधर के लोग भारत के बाहर तो नहीं रहते लेकिन राजस्थान के बाहर जरूर रहते हैं। इसमें लिखा गया है कि भारत से बाहर रहते हैं उनके खिलाफ पर दूसरा कर सकता है। कोई आदमी कलकत्ता में रहता है और 3 महीने के अन्दर अगर उसने विवरणी को प्रस्तुत नहीं किया तो आपने लिख दिया कि जो निर्धारण प्राधिकारी है वह जो चाहे फैसला कर देगा। यह बड़ी अजीब बात है और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जैसा मैंने अभी यहां बताया कि इस कर को देने के लिए आपत्ति नहीं होनी चाहिये, कर को बढ़ाने की गुंजाइश है और ऐसा वातावरण इसको पैदा करना चाहिये, परन्तु जिस ढंग से एक नई संस्था को बना करके एक नया एक्स-पेन्डीचर गवर्नमेन्ट अपने ऊपर ले करके जिस तरीके से कर की वसूली का और निर्धारण का और सारी प्रक्रिया इसमें दी गयी है उससे इतना बड़ा असन्तोष फैलेगा, इतनी लोगों को कठिनाईयां पैदा हो जायेंगी कि जिससे कर देने वाला जो आसानी से कर देना चाहता है उसको कठिनाइयों से असन्तोष पैदा हो जायेगा इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को गम्भीरता से दुबारा विचार करके इस तरह से इसका सरलीकरण करना चाहिये कि जिससे हम जिस उद्देश्य से इस कर को लगाना चाहते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति हो और ऐसा वातावरण समाज के अन्दर बने कि जिससे यह कर जो हमने आधा प्रतिशत लगाया है उसको आगे धीरे धीरे बढाते हुए चले जायें परन्तु इस कर की वसूली की प्रक्रिया से जो एक नयी उलझनें आम लोगों के सामने आ जायेंगी उससे असन्तोष पैदा करके हम इसमें और कम्पलीकेशन्स पैदा कर देंगे। यह कोई उचित बात नहीं है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिये कोई अलग से संस्था बनाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। इसके लिए हमारी म्युनिसिपैलिटीज फंक्शन कर रही है, म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर हाउस टैक्स आज भी लगते हैं वह हाउस टैक्स के लिये असेसमेंट करने हैं उनका असेसमेन्ट करने का और उसके बाद हाउस टैक्स लगाने का जो वर्तमान में तरीका है, प्रक्रिया है उसी के तहत में इस कर को जोड़ करके अलग से नये ढंग से लोगों को एक अधिकारी के सामने जाकर अनेक प्रकार की दिक्कतों में फंसना पड़े यह कठिनाइयां हमें नहीं पैदा करनी चाहिये। और इसलिए माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इस कर को कम्पलसरैली म्युनिसिपैलिटीज अपने हाउस टैक्स के माध्यम से या किसी भी तरह से एडजस्ट करके वसूल करे और हाउस टैक्स की जो हमारी वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था है उस व्यवस्था के अन्दर मामूली हेरफेर करने के बाद में गवर्नमेंट वह म्यूनिसिपैलिटीज से वसूल कर ले। या वहां पर म्यूनिसिपैलिटीज के अन्दर एक थोड़ा सा पार्ट टाईम या सब्सीडाईज करके अपना कोई अधिकारी रख दे जो अलग से इसकी वसूली को करके अपने पास पैसा रख कर एक जगह जमा कर दे। एक तो मैं यह कहना चाहता हूं।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि यह जो टैक्स हमने लगाया है इस टैक्स से बचने के लिए जो भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिये जो आवश्यक हो वह

(श्री फूलचन्द जैन)

अवश्य की जानी चाहिये पर इसकी जो व्यवहारिक कठिनाइयां मैंने यहां बतायी हैं इन विवरणी को प्रस्तुत करने की, जो नक्शा प्रस्तुत करना चाहें, इसके बारे में सोचना चाहिये। विवरणी प्रस्तुत करने के अन्दर वह अवसर देने के लिए उनको समुचित अपार्चूनिटी मिलनी चाहिये और भारत की जगह राजस्थान से बाहर भी हमको इसके अन्दर संशोधन करके ठीक करना चाहिये।

और इसके साथ ही इस कर के देने के लिए जो जून और दिसम्बर के बारे में दो किश्तों की बात रखी गई हैं। इसके बारे में भी मैं यह सोचता हूं कि हाउस टैक्स की वसूली के साथ में इसको वसूल करने के लिए एक ही समय वसूल कर लिया जाय। दो किश्तें रखें तब भी कोई एतराज नहीं है या दो बार रखें तब भी कोई बात नहीं है, परन्तु हमको इसके असेसमेंट के, कर निर्धारण के अन्दर, विवरणी प्रस्तुत करने के बारे में विचार करना चाहिये और फिर उसके बाद में भी मान लीजिए बाजार मूल्य हैं उसका निर्धारण करने के अन्दर इस तरह से इसको हमें सरलीकरण करके ऐसा करना चाहिए कि जिससे आम लोगों को इससे किसी प्रकार की असुविधा पैदा नहीं हो। क्योंकि, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमने म्यूनिसिपैलिटीज की रेवेन्यू के लिए हाउस टैक्स लगाया और हाउस टैक्स भी लगाने के बाद में भी गवर्नमेंट ने कई प्रकार की ऐसी शंकाएं की जिनमें कहा गया है कि म्यूनिसिपैलिटीज हाउस टैक्स नहीं लगायेंगी तो हम उनको सब्सीडी नहीं देंगे, और सुविधायें नहीं देंगे। यह सब कुछ करने के बाद में कई म्यूनिसिपैलिटीज राजस्थान में ऐसी हैं...

श्री चन्दनमल बैद : अधिकांश ने नहीं लगाया है।

श्री फूलचन्द जैन : अधिकांश तो नहीं हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अधिकांश ने नहीं लगाया है।

श्री फूलचन्द जैन : यह भी सच हो तो मैं भी आपकी ही बात को कहना चाहता हूं कि अधिकांश भी अगर नहीं लगा पाई हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले के अन्दर जो है आपको इस तरह से कोई स्थिति नहीं पैदा करनी चाहिए कि लोगों के अन्दर इस कर को देने की भावना होते हुए भी उनके सामने नई प्रकार की दिक्कतें पैदा हो जायं। गवर्नमेंट अगर हाउस टैक्स नहीं लगवा पाई तो यह भी गवर्नमेंट की गल्ती है। इसलिए मैं राज्य सरकार को जिम्मेदार मानता हूं, राज्य सरकार म्यूनिसिपैलिटीज के ऊपर दुनियां भर के दबाव, दखल तो रखती है परन्तु म्यूनिसिपैलिटीज हाउस टैक्स नहीं लगाती है तो उसके ऊपर जो प्रॉपर एक्शन लेना चाहिये वह नहीं लेती है। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर कायम हुए उन्होंने भी हाउस टैक्स नहीं लगाया, वे लोग तो लगा सकते थे हाउस टैक्स। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि म्यूनिसिपैलिटीज ने हाउस टैक्स नहीं लगाया है तब भी हाउस टैक्स लगाने के लिए उनको पाबन्द करायें या जैसा मैंने अभी कहा है कि इसको असेसमेंट के अन्दर आप कोई ऐसी व्यवस्था करायें कि जिससे बाजार मूल्य के बारे

(श्री फूलचन्द जैन)

में यह भी बात हो सकती है कि बाजार मूल्य एक बार तो आपने डिसाइड कर लिया लेकिन वह तो बढ़ता रहता है, उसके बारे में आप क्या करेंगे ? मैंने जैसा कहा कि वेल्यूएशन के मामले में आपका जो अफसर है वह व्यावहारिक तौर पर इस बात को नहीं आंक सकेगा कि उसके मकान की कीमत क्या है। वह इस ढंग से निर्धारण नहीं कर दे कि जिससे उसके पास में आज सौ रुपये महीने की आमदनी का भी सोर्स नहीं हो उसके ऊपर आपने उसकी प्रापर्टी को असेस करके टैक्स लगा दिया और वह देने की स्थिति में नहीं है। आपके हिसाब से उसकी कीमत पचास हजार हो जायगी जमीन की वेल्यू से लेकिन उस पर मकान बना ही नहीं होगा। तो ऐसे लोगों के बारे में मैं यह नहीं कहता हूं कि आप इसकी डिटेल में जाकर टैक्स इम्पोज नहीं करें, परन्तु इतना जरूर कर सकते हैं कि जो टैक्स आज आधा पर्सेन्ट लगाया है वह आगे जाकर बढ़ते बढ़ते एक पर्सेन्ट, डेढ़ पर्सेन्ट और पांच पर्सेन्ट तक भी बढ़ाया जा सकता है परन्तु यह इस ढंग से किया जाय कि जिससे लोगों के अन्दर जो आदमी हैसियत के हैं उनसे ही इस कर को लिया जाय। जो आदमी आज डेवलपमेंट प्रोसेस से अनुचित लाभ अपनी बढ़ती हुई कीमतों का लाभ उठाते हैं उन लोगों पर लगे। पर यह ऐसे लोगों पर नहीं लगना चाहिए कि जिसका आपके निर्धारण अधिकारी ने लिख दिया और आपने टैक्स लगा दिया तो वह उसकी अपील कहां करें और कहां जाय, कहां न जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कई ऐसे मकान हैं हमारे इलाके के अन्दर जहां पर कोई रहता ही नहीं है। आप नोटिस किसको देंगे। वहां नोटिस आपने लगा दिया और भारत के बाहर होंगे तो उनके बारे में तो दूसरा लिख सकेगा लेकिन जो राजस्थान के बाहर रहते हैं और जिनको इसका पता ही नहीं है, उन पर आपके अधिकारी ने कर निर्धारण करके नोटिस लगा दिया और तीन महिने के बाद में आगे की कार्यवाही करने लग जावेंगे। आज इस तरह के कानून बनाकर कानून को तोड़ने के लिए

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

जनता को मजबूर न करें और इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि हम इस तरह से व्यवस्था करें कि जो कानून हम बनाते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हम ठीक ढंग से, सही तरीके से लोगों को कांफिडेंस में लेकर करें और इसी तरह का हमको विधेयक लाना चाहिये कि जिससे हमारी जो भावना है उसकी पूर्ति हो और लोगों को अनुचित रूप से तकलीफ और कठिनाइयां नहीं हों।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर।

(अनुपस्थित)

श्री लूणाराम।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरीय भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1973 के सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि यह राजस्थान के अन्दर शुरुआत है नगरीय क्षेत्रों के अन्दर भवनों पर कर लगाने सम्बन्धी।

(श्री लूणाराम)

उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी नई चीज का हम आविष्कार करते है, कर के रूप में या विकास के रूप मे तो उसमें हर प्रकार की हलचल की सम्भावना रहती है। आज जो यह राजस्थान नगरीय भूमि कर संशोधन विधेयक सामने आया है और जब हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट के समय इसकी घोषणा की थी तो उस समय भी हम जब देखते है कि नगर के लोगों के अन्दर इसकी हलचल शुरू हो गयी और हमसे रोजाना पूछते रहते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां तक यह जो विधेयक आया है उसमें काफी सरलीकरण करके और स्पष्ट रूप में इसको यहां लाया गया है पर दरअसल जो भूमि सम्बन्धी व्याख्या की गई है जिन 2 पोइन्ट के ऊपर, जो कि इससे प्रभावित होंगे, उनमें खास कर जो पुराने समय के बनाए हुए मकान हैं, उन मकानों के बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आज जो पुराने मकान हैं उनको देखा जाए तो आज उन मकानों के आधुनिक ढंग के नहीं होने से उनका महत्व नहीं रह गया है और इसलिए ऐसे मकानों का अगर असेसमेंट होगा तो इस बात के लिए ख्याल रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। और ज्यादा जमीन घिरी हुई हैं तो आज वहां की निश्चित तौर पर कीमतें अधिक आंकी जाएगी, जो कि अधिक कीमत आंकने के योग्य ये मकान आज नहीं हैं।

इसी प्रकार असेसमेंट के बारे में निवेदन करूंगा कि आज असेसमेंट के सम्बन्ध में जो एक अधिकारी की नियुक्ति होगी, पर फिर भी हम यह चाहते हैं कि आज जब इस प्रकार से समुचित रूप से कार्य को करने की कोशिश की जा रही है तो इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक सलाहकार समिति का गठन होना चाहिए और वह इसके साथ संलग्न रहे, जिसमें पांच वहां के नागरिक हों, तो इससे और अधिक स्पष्टीकरण होगा। और आम लोगों को इधर उधर भागने की जरूरत नहीं होगी। और इसका मूल्यांकन भी सही रूप में हो सकेगा इसलिए एक कमेटी अगर मंत्री महोदय इसके साथ रख दें तो और भी अति उत्तम होगा।

इसके साथ साथ दूसरा निवेदन यह है कि जहां तक छोटी नगर पालिकाओं का प्रश्न है, हालांकि वह नगरपालिकाएं अवश्य हो गई हैं, पर वहां पर मकानों की दृष्टि से किसी प्रकार से इतना महत्व नहीं है। जितना होना चाहिए। आज जयपुर में जो मकानों की कीमतें हैं उनके बराबर इनको मानें तो यह अतिशयोक्ति होगी। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि कम से कम इस प्रकार अगर इनका क्लासीफिकेशन होकर के इन मकानों का वेल्यूएशन किया जाता है तो यह एक अच्छी बात होती परन्तु यह बात इस विधेयक में नहीं दर्शायी गया है।

इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, जो चौथी कठिनाई आएगी वह यह है कि आज मकान हमारे पुरखाओं के नाम से पड़े हुए हैं। परन्तु इसके अन्दर जो व्याख्या की गई है उससे काफी झगड़े का सामना करना होगा। इसके सम्बन्ध में भी कोई क्लासीफिकेशन नहीं किया गया है। अच्छा होता कि यह भी स्पष्ट किया जाता कि अमुक सम्पत्ति का मालिक वही है घर का मुखिया

(श्री लूणाराम)
या परिवार का सदस्य। जो परिवार की व्याख्या की गई है वह भी ठीक नहीं है। कृषि भूमि की सीलिंग के मुताबिक अगर परिवार को व्याख्या भी स्पष्ट होती तो अच्छा होता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : आपका कोई संशोधन तो नहीं है। जनरल डिबेट के लिए समय दिया गया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपकी कृपा है। समय के लिए धन्यवाद!

वित्त मन्त्री जो ने नगरीय सम्पत्ति के ऊपर कर के सम्बन्ध में जो बिल पेश किया है, उसके सम्बध में दो-तीन बातें निवेदन करने के लिए मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं। सर्व प्रथम तो मैं माननीय वित्त मंत्री को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस बार कोई बिक्री कर नहीं लगाया है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की है। प्रापर्टी के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है और उसमें पचास हजार की प्रापर्टी के ऊपर आधा पर्सेन्ट टैक्स लगाया गया है। इस बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी सीमा 50 हजार से बढ़ा कर एक लाख तक की जाए और एक लाख से तीन लाख तक आधा पर्सेन्ट और बाकी के टैक्स की जो कमी रहे, उसके बारे मे मेरा यह निवेदन है कि 3 लाख की ऊपर की प्रापर्टी के ऊपर अधिक टैक्स एक पर्सेन्ट तक लगाया जाए...

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : वह सीलिंग में आ जायगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सीलिंग कब आएगा और नहीं आएगा इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी हो सकती है। परन्तु मैं तो यहां पर अपनी जानकारी के आधार पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, समाजवाद को प्राप्त करना चाहते हैं, यह हमारा लक्ष्य है तो इसमें जो छूट की सीमा रखी गई है उसमें अधिकतर मध्यम वर्ग के लोग नहीं आ पायेंगे। यह मेरी जयपुर शहर के बारे में जानकारी है। माननीय लूणाराम जी, जो बीकानेर से आते हैं, वे जो फर्मा रहे थे, सही फर्मा रहे थे। सुजानगढ़ में जो मकान हैं और जयपुर शहर में जो मकान हैं उनकी वैल्यूऐशन में बहुत अन्तर है। वैल्यूऐशन के लिए जिस ढंग से प्रोसीजर बताया गया है उसमें जयपुर शहर के अन्दर बहुत ही दिक्कत आयगी। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि सारे राजस्थान के अन्दर इस टैक्स के लिए जो छूट दी गई है उसको 50 हजार के बजाय एक लाख तक बढाया जाय यह मैं निवेदन करता हूं और एक लाख से ऊपर तीन लाख तक आधा पर्सेन्ट यह प्रोपर्टी टैक्स लगाया जाय और उसके ऊपर के लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह टैक्स एक पर्सेन्ट हो जिससे कि आपका इस टैक्स से जो दो करोड़ रुपये प्राप्त करने का लक्ष्य है वह टारगेट पूरा हो सके और जिस काम को हम करना चाहते हैं उसमे भी शीघ्रता आवे।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, एक स्पष्टीकरण वित्त मंत्री महोदय से और जानना चाहूंगा। मान लिजिए कि असेसमेंट किसी मकान का 51 हजार रुपया हो गया तो क्या एक हजार रुपये के ऊपर यह टैक्स लगेगा या 51 हजार के ऊपर यह टैक्स लगेगा। इस बारे में भी वित्त मंत्री महोदय कृपया जानकारी दें।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। वित्त मंत्रीजी ने हिसाब लगाकर यह बताया है कि इस टैक्स की वसूली करने के लिए करीब साढ़े तेइस लाख का खर्चा होगा। दो करोड़ की वसूली के लिये साढ़े तेईस लाख का खर्चा आए तो यह उचित नहीं होगा। इसके अलावा सरकार को और भी खर्चे वहन करने होंगे। इसमें अपील का खर्चा नहीं है। अगर अपील वगैर के खर्च को भी इस में जोड़ें तो यह खर्चा लगभग 40 लाख रुपये प्रतिवर्ष होगा। मैं मानता हूं कि सरकार ने अपने प्रशासनिक व्यय में कटौती की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार आपने इस सारे ढांचे के व्यय में कमी की है, वह एक अच्छा काम किया है सारे राजस्थान में। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस टैक्स को भी हाउस टैक्स के साथ ही वसूल कर लिया जाय या खुद विभाग ही इसकी वसूली कर लें। इसके लिए अतिरिक्त भार राज्य पर पटकना उचित नहीं होगा और यह भार कम से कम चालीस लाख का होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि कामर्शियल टैक्सेशन आफिसर को ही इसके लिए अधिकृत कर देना चाहिए और उनके द्वारा ही इसकी वसूली हो। आपने सारी नगरपालिकाओं को हाउस टैक्स लगाने के लिए आदेश दिया है और जो नगरपालिकाएं हाउस टैक्स नहीं लगा रही है उनको सख्ती से कार्यवाही के लिए राज्य सरकार ने आदेश दिए हैं। जिस प्रकार से आपने मनोरंजन कर वसूल करके अपने पास रख लिया है, मैं इस बारे में यह तो नहीं कहूंगा कि आप हजम कर गए हैं परन्तु इतना अवश्य कहूंगा कि इसके अभाव में हमारी नगरपालिकाएं काफी दुःख पा रही हैं। आज वहां पर डेवलपमेन्ट का काम रुका पड़ा है। इसलिए मेरा तो यही निवेदन है कि टैक्स वसूली के लिए आपके पास कई विभाग हैं और यह टैक्स या तो हाउस टैक्स के साथ ही वसूल हो जाए ताकि राज्य पर साढ़े तेइस लाख का अतिरिक्त व्यय भार न पड़े।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा यदि यह माननीय वित्त मंत्री जी के दिमाग में बैठ जाए और यदि वे इसको उचित समझते हों तो मैं इस बिल के अन्दर यह संशोधन करवाना चाहता हूं, हालांकि यह संशोधन मैंने पेश नहीं किया है, परन्तु इसके पीछे भी अच्छे रीजन्स हैं। आज हमारे राजस्थान में कई शिक्षण संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं उनको बहुत सारी किराए की आमदनी है। यह सत्य बात है और इस किराए की आमदनी से कई विधवाओं, स्टूडेन्ट्स को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, कईयों को काम मिलता है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा और इसमें यह जो लिखा है :

'Lands or buildings used for any common purpose of the community....'

इसके स्थान पर मैं यह चाहता हूं, मेरा यह संशोधन है :

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

"Provided that if the lands or buildings, owned by any public trust or charitable institution are let out and if the income earned is being used for the purpose of object of such trust or institution, than provisions of this Act, shall not apply to such land or building"

मैं यह संशोधन पेश करके यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो संस्थाएं सार्वजनिक हित का काम करती हैं, और उनसे इनकम होती है और उनकी इस इनकम से विद्यार्थियों, विधवाओं की सहायता की जाती है या समाज के कल्याण का काम होता है, उनके ऊपर इस टैक्स का असर नहीं पड़ना चाहिए और उनको इसमें छूट दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक सब से बड़ी प्रेक्टिकल दिक्कत आएगी, और वह वेल्यूएशन के बारे में आएगी। वेल्यूऐशन के बारे में एक बात कही गयी है कि 30 पर्सेन्ट डिफरेन्स रहेगा तो उसके ऊपर पेनल्टी लगायी जाएगी। वेल्थ टैक्स भारत सरकार लगाती है और उसने वेल्यूऐशन के लिए सारे इन्डिया भर के लिए आथोराइज्ड लिस्ट प्रकाशित कर रखा है एक आप भी उसी लिस्ट के आधार पर असेसमेन्ट करवा लें, उस लिस्ट को असेसमेंट करने के लिए मान्यता दे दें। उपाध्यक्ष महोदय, तीस परसेन्ट से ऊपर भी फर्क हो सकता है। जो कर देना चाहता है उसने इसके लिये रिटर्न दाखिल कर दिया और वेल्यूएशन का सर्टिफिकेट लगा देता है जिसकी कि प्रापर्टी एक लाख रुपये की है और आप उसका वेल्यूऐशन एक लाख 25 हजार करके उसके ऊपर पेनल्टी लगाते हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पेनल्टी की वजह से जगह जगह भ्रष्टाचार फैलेगा और इस पेनल्टी को बचाने के लिये वह आदमी भी अपना प्रयत्न करेगा। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारत सरकार ने वेल्थ टैक्स के लिए वेल्यूएशन के लिये, असेसमेंट करने के लिये जो आधार तय कर रखा है वही यहां पर लागू किया जाए। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो पेनल्टी की क्लाज है उसको हटा दिया जाय वह रिटर्न दाखिल कर रहा है। हो सकता है कि आपकी दृष्टि से उसमें फर्क रह जाए डेढ लाख की प्रोपर्टी मानते हैं, असेसमेंट करवाकर देता है अधिकृत आदमी से और उसमें कोई फर्क रहता है और उस फर्क रहने के ऊपर पेनल्टी इम्पोज होती है तो मैं यह मानकर चलता हूं कि यह गलत होगा। इसलिए मेरा निवेदन करना है कि इस पेनल्टी की क्लाज के बारे में भी आप दुबारा सोचे।

मैं दुबारा यही बात कहते हुए कि जो मैंने शिक्षण संस्थाओं के बारे में निवेदन किया कि उनको किराये से जो आमदनी होती है और उसके बारे में मैंने जो एमेंडमेंन्ट दिया है उस एमेंडमेंट के बारे में माननीय मन्त्रीजी विचार करेंगे। और कम से कम कई शिक्षण संस्थाओं में यह काम में आता है। इसका आपको पता है जैसे सुबोध कालेज है अग्रवाल कालेज है, इनको गृह की आमदनी है वह सब इस प्रापर्टी में आ जाते हैं और सारी बातें समाज के हित के लिए

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
काम में आती है। शिक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की है। उस सारे काम को यह संस्थाएं आपकी करती हैं उनके ऊपर यह टैक्स लगाना, मैं यह मानकर चलता हूं कि वह एक गलत कदम है। इससे वह जिस काम को करना चाहती है वह पूरा नहीं कर पायेंगी। इस कदम को वापस लें। यह कहते हुए कि इस संशोधन को, जो मैंने पेश किया है, उसको स्वीकार करेंगे, इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, नगरीय संपत्ति के विषय में चर्चाएं चल रही हैं। इसके मुताल्लिक सरकार का यह कदम, जो मन्त्री महोदय ने उठाया है, उसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं कि यह समाजवाद की दिशा की ओर कदम है। परन्तु इस बिल में थोडी हिचकिचाहट रही है वह पूरी होनी चाहिए। वह हिचकिचाहट इस मायने में है कि जो टैक्स इम्पोज किया गया है, उससे इसमें कोई शक नहीं है कि शहरों के रहने वाले लोग यह सोचने लगे हैं कि सम्पत्ति को इधर उधर कैसे किया जाय। परन्तु जैसा कि अभी माननीय सदस्यों ने बताया कि प्रापर्टी की असेस की हुई लिस्ट है तो वह एक बड़े शहर की बात है। मैं समझता हूं कि छोटे नगर, जिनको गांव ही कहें शहरों की संज्ञा में नहीं आते हैं, नगरपालिकाएं वहां पर है। बड़ा वहां पर इस बात से माना जाता है कि जिनके पास में बड़े नोहरे हों और बड़े बड़े गैराज हों, महफिले हों वहां इस तरह की इमारतें बनी होना चाहिए उनका एसेसमेंट, जहां पालिकाएं हैं सही मायने में नहीं करवा पा रही हैं। दूसरी तरफ यदि जांच की जाय तो उनका एसेसमेंट ठीक नहीं है। सरकार जो एसेसमेंट करेगी उससे नगरपालिकाओं की आमदनी बढ़ेगी। उनका एसेसमेंट और इनका एसेसमेंट दोनों के मिलने से नगरपालिका की आमदनी बढेगी। इसलिए एसेसमेंट तो उनका होना बहुत जरूरी है।

मुमकिन हो कि और कोई बात हो लेकिन बड़ा आदमी बनने के लिए उन्होंने नोहरों में काफी भूमि का अतिक्रमण कर रखा है। उन्होंने बड़े बड़े बाड़े बना रखे हैं। उनकी चहार दीवारी बना रखी है। एक तरफ तो यह समस्या है कि लोग आबाद होना चाहते हैं और जगह चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं मिलती है, दूसरी तरफ जगह2 पर मीलों तक लम्बी लाइन इस तरह की बनी हुई है जहां कोई आबादी नहीं है लेकिन मालिक जरूर हैं। मैं समझता हूं कि जो आधा पर्सेन्ट टैक्स इस पर लगाया जा रहा है उस को और बढ़ा दिया जाता तो लोगबाग इस मोह से विमुख हो जाते कि चहारदीवारी बनाकर भूमि पर कब्जा करें। मैं मानता हूं कि उससे अलग होने की कोशिश करेंगे। एक-दो पर्सेन्ट होता तो उन पर भारी पड़ता तो वह और ज्यादा अच्छा रहता। मैं समझता हूं वे वहां नहीं रहते हैं वह केवल बाड़े बनाने के लिए और शादी करने के लिए वहां

(श्री दीपंकर)

आते हैं, और इस तरह से लोगों को बसने से रोकते हैं, तो उन लोगों को मौका मिलता है। अब भी इसमें यह प्रावधान होना चाहिए कि जितनी जमीन है उस पर टैक्स तो होना ही चाहिए उसके साथ साथ एक परिवार को परिभाषा के अनुरूप जितनी भूमि उनके पास रहना चाहिए उससे अधिक भूमि अधिग्रहण करके पालिका को यदि सौंपा जाय तो मैं समझता हूं कि नगरपालिकाओं की बहुत बड़ी समस्या सरकार की मदद से हल हो सकती है वहां के लोगों को आबाद करने की। इसके कारण से गांव के लोग बहुत दूर जाकर बसने की कोशिश करते हैं। खेती की जमीन होती है उसको आबादी में करवाने में काफी समय लगता है, और लोग गांव के नजदीक बस नहीं पाते हैं, दूसरी तरफ बड़े लोग नोहरों में बड़ी बड़ी जमीनों पर कब्जा किये हुए हैं। उन जमीनों पर लोग आबाद नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार से यह कठिनाई दूर हो जायेगी।

जहां तक नगरपालिका द्वारा टैक्स लगाने की, हाउस टैक्स लगाने की चर्चा हुई नगरपालिका ने लगा रखा है, और यह उनके लिये लगाना जरूरी रखा है। परन्तु नगरपालिका ऐसी स्थिति में होती हैं कि दो-दो, चार-चार साल तक का टैक्स उनका अदा नहीं होता है। इसलिये नगरपालिका की आमदनी नहीं होती है। तो इतना जरूर किया जाना चाहिये कि नगरपालिका का टैक्स भी सरकार अपने संग साथ-साथ ले ले तो नगरपालिका के एसेसमेंट और सरकार के एसेसमेंट में कोई फर्क नहीं रहेगा और इस विधेयक से जो झगड़ा हो सकता है वह नहीं होगा, और दूसरा नगरपालिका इसके साथ सम्मिलित रहेगी तो समय पर टैक्स उनको मिल सकेगा। नहीं तो हाउस टैक्स जैसी चीज एक ऐसी है जिसकी निश्चित आमदनी पालिका के बजट में रखी हुई है वह समय पर अदा नहीं होती है, और उससे पालिका की हालत खराब रहती है। यहां तक देखा जा रहा है कि वार्ड की लिस्ट जो होती है प्रापर्टी की उसमें बहुत से लोग अपने मकानों के विवरण उस लिस्ट से अलग करवा लेते हैं। इस तरह के बहुत से उदाहरण अगर देखे जायं तो राजस्थान में मिलेंगे। इसलिये जो है शहर में जो नगरीय संपत्ति पर टैक्स लगाना चाहते हैं वह बहुत वाजिब है, और इस टैक्स के जरिये जो आमदनी सरकार को होगी उससे सरकार का घाटा तो पूरा होगा ही, परन्तु उसके साथ साथ पालिका को इसके साथ लगाया जाय तो, पालिका की आमदनी बढ़ेगी, और पालिका के क्षेत्र में रहने वाले लोग किसी तरह से बस सकेंगे अगर जो भूमि पर कब्जा किये हुए बड़े बड़े सेठ लोग बैठे हुए हैं उनके पास से ली जाय। अगर टैक्स बचने के लिये वह जमीन बेचेंगे तो काफी बड़ी रेट पर बेचेंगे। इसलिये पालिका का जो टैक्स है वह इसके साथ-साथ किया जाय।

जो छूट दिये जाने की बात कही जाती है कि कई ट्रस्ट ऐसे बने हुए हैं जो अच्छा सार्वजनिक काम करते हैं, दवा-दारू का काम करते हैं, स्कूल चला रहे हैं परन्तु इसमें कोई गुन्जाइश नहीं रहना चाहिये कि ऐसे ट्रस्ट भी हैं जहां अपने निजी आवास की हवेली को भी ट्रस्ट में डाल रखा है और सरकार को एक पैसा देते नहीं है। ऐसे ट्रस्टों की जांच होना चाहिये। ट्रस्टीज

Page No 77

(श्री दीपंकर)

में खुद के परिवार के लोग भरे हुए हैं। इस तरह के कई ट्रस्ट हैं। हमारे नागौर जिले में लाडनूं में मैं समझता हूं सबसे ज्यादा ट्रस्ट बने हुए हैं। वहां पर एक चांदमल भूतोड़िया ट्रस्ट है उस ट्रस्ट में घर के जितने भी छोटे बच्चे हैं वे भी उसमें हैं और हवेली में रहते हैं। बड़ी, आलीशान हवेली है। वे म्युनिसिपेलिटी को टेक्स नहीं देते हैं। हम हाउस टेक्स के लिए कहते हैं तो यह कहते हैं कि यह ट्रस्ट की जमीन है। मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यदि उस हवेली का एसेसमेंट करवाया जाय तो वह 5-4 लाख की होगी। ट्रस्ट को वे सिर्फ 21 रुपया महीना उसके किराये का देते हैं। इस तरह से लोगबाग ट्रस्ट के नाम से बड़ी बड़ी हवेलियां और इमारतें निजी काम में लाते हैं। न वे नगरपालिका को टेक्स देना चाहते हैं और न सरकार को देना चाहते हैं। इस तरह से टेक्स से ट्रस्ट के नाम से लोग बच निकलते हैं वह नहीं बचने चाहिए।

जहां तक 50 हजार की, मैं समझता हूं जो सीमा बान्धी है वह बिल्कुल उपयुक्त है। इसको बढ़ाकर तीन लाख तक को करेंगे या आगे दूसरे दूसरे नाम के मुताबिक आल इंडिया बेसिस पर 5 लाख की जो कुछ संपत्ति के नियम बनाने जा रहे हैं तो उसके पीछे वह आधार हमें छोड़ना नहीं चाहिए। 50 हजार का तो सही है। तीन लाख का बना देंगे तो बहुत से लोग जिनके ट्रस्ट नहीं हैं वह भी ट्रस्ट बना देंगे। इस प्रकार की मिसलें बहुत सी तहसीलों में पड़ी हुई है। वह कहते हैं कि प्रापर्टी ट्रस्ट में लगा दी है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, हमारे आदमी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है इसलिए बहुत से कागजात पड़े हुए हैं। ट्रस्ट के नाम से छूट नहीं होनी चाहिये। नगरीय संपत्ति पर जो यह आधा परसेन्ट का कानून बना है, मैं समझता हूं वह उपयुक्त है। यह समाजवादी कदम है। इससे सारे राजस्थान भर में सरकार की प्रशंसा होगी बल्कि भारत में इसको प्रशंसा मिलेगी, और बड़ा महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाया है इसलिए मंत्री महोदय को बार बार बधाई पेश करता हूं और मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जोहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल पर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। मेरा एमेंडमेंट नहीं है लेकिन सुझाव के रूप में इसको लिया जाय। ऐसा है कि यह मार्केट वेल्यू का लफज है यह बड़ा वेग है। इस वक्त इस वर्ड का एक्सप्लायटेशन लेण्ड एक्वीजिशन एक्ट में और दूसरे एक्ट में पार्टीज के लिए होता रहा है गलत तरीके से। यह अन्दाजा करना मुश्किल है कि इसकी मार्केट वेल्यू क्या है। इसी झगड़े के बिना पर बहुत से मुकद्दमात चल रहे हैं और बहुत गम्भीर समस्याएं पैदा होती हैं। यह सही है कि मार्केट वेल्यू का लफज रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मेरा सुझाव यह है कि पी. डब्ल्यू. डी. का एक फार्म है उस फार्म के मुताबिक वह वेल्यू एसेस करते हैं तो किसी भी मकान की वेल्यू मार्केट वेल्यू के हिसाब से होगी उसके सरकम्स्टान्सेज के हिसाब से होगी, लेकिन वह किसी भी हालत में वह उस एस्टीमेट से

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
जो कि पी. डब्ल्यू. डी. के फार्म के ऊपर कायम किया जाता है उससे कम नहीं होगा इससे मार्केट वेल्यू के आधार पर असेसिंग ऑथोरिटी के डिस्क्रीशन पर ही छोड़ देंगे तो मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार के लिए बहुत बड़ा रास्ता आप खोल देंगे। जहां तक कानून का पैमाना है रिश्वत लेने को कम कर सकें वह मैं समझता हूं सही कदम होगा। इसलिए मेरा यह सुझाव है, यह जो असेसिंग ऑथोरिटी है, उसके पास पी. डब्ल्यू. डी. का भी एक असेसमेन्ट होना चाहिए। जो वेल्यू असेस की जाये। वह भी वही होगी जो पी. डब्ल्यू. डी. से असेस होगी। आज जो अच्छी जमीन है, वह 500 रु. गज जमीन मिल सकती है। मैं यह जरूरी समझता हूं कि वित्त मन्त्री जी इस पर ध्यान दें। दूसरा यह है कि आप 50 हजार तक की वेल्यूएशन का ऐग्जेम्पशन करते हैं। तो मान लें कि किसी का वेल्यूएशन 51 हजार का होता है तो क्या आप 50 हजार को छोड़कर 1 हजार पर टैक्स लेंगे या 51 हजार पर लेंगे। इसका इण्टरप्रिटेशन इसमें होना चाहिए।

श्री चन्दनमल बैद : कैसा ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मेरा निवेदन है कि 50 हजार को आपने एग्जम्पशन दिया है। तो किसी का वेल्यूएशन 51 हजार होता है तो उसमें क्या 50 हजार भी शामिल करेंगे या 1 हजार पर चैक है।

श्री चन्दनमल बैद : अगर 51 हजार होगा तो 1 हजार पर ही टैक्स लिया जायेगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : इसका मतलब है, बेलेंस पर लिया जायेगा।

श्री चन्दनमल बैद : इतना साफ और सरल कानून तो कभी आया ही नहीं होगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : On the balance value of the market value of the land......

वह इस प्रकार लिया जायेगा। उसका इण्टरप्रिटेशन भी हो जाये। दूसरी चीज मैं यह कहूंगा, एग्जेम्पशन के लिए आपने एतिहात बरता है। सभी एजूकेशन इन्स्टीट्यूशन को आपने एग्जम्पशन दिया है।

श्री चन्दनमल बैद : जिनकी खुद की बिल्डिंग में चल रहे हैं। यह नहीं है कि किराया भी ले रहे हैं और हम से एड भी ले रहे हैं। इधर कह रहे हैं कि हमको एग्जम्पशन भी दो।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं प्राइवेट इन्स्टीट्यूट्स को ऐसा ही मानता हूं। मैंने पहले भी यह सुझाव दिया था, जिनके इन्स्टीट्यूट्स कामर्शियल बेसिस पर चल रहे हैं, जो नफा कमा रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटवाला : नफे का काम तो नहीं होना चाहिए।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : ऐसे इन्स्टीट्यूशन्स हैं, जिन्होंने 5–5 लाख रुपये को जमीन ले रखी है। ऐसे बड़े इन्स्टीट्यूट्स हैं जो बड़ी बड़ी जमीन लिये बैठे हैं। 50 हजार की बिल्डिंग बनवादेंगे और किराया ले रहे हैं।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

मेरा कहने का मतलब यह है कि जो कार्मशियल बेसिस पर चल रहे हैं, उनको कोई सुविधा नहीं होनी चाहिए। वह कमाते हैं, उनका यह आमदनी का जरिया है। वह उसका रिटर्न दें। उनसे हाउस टैक्स लिया जाये। जिनका वैल्यूएशन 50 हजार से ज्यादा है, उनसे वह लिया जाये। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह परपज आफ कम्युनिटी यह बड़ा वेग टर्म है। इसका इण्टरप्रिटेशन होना चाहिये। जो कम्युनिटी परपज के लिए आता है, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा नुकसान होगा। आपको टैक्स की आमदनी बहुत कम हो जायेगी। क्योंकि किसी भी इन्स्टीट्यूशन के लिए वह कह दें कि यह कम्यूनिटी परपज के लिए है। मेरा निवेदन है कि इस क्लाज को डिलीट हो जाना चाहिए। आपने रखा है कि यह फलां परपज के लिए है तो फिर यह वेग टर्म रखा है। वह टैक्स का नुकसान होने वाला है। तो मेरा यह सुझाव है कि इसको आप किसी न किसी तरह से बदलें। क्योंकि इसके बाद इसका स्पष्टीकरण नहीं है। इसके अलावा हर बिल्डिंग वाले का नोटीफिकेशन निकलेगा या नहीं? ऐसा है, जैसा कि हम तो यह समझ रहे हैं कि हमारी बिल्डिंग का वैल्यूएशन 50 हजार से कम है। लेकिन वह ज्यादा भी हो सकता है। एक्चुअल क्या है, वह उसके पास पहुंचाया जाये। उसकी नालेज में यह कैसे होगा, इसका प्रोसीजर इसमें नहीं है। रूल्स बनायें तो ठीक है। नहीं बनाते हैं तो फिर हम इस डिफीकल्टी को कैसे करेंगे? लाखों करोड़ों लोगों के पास प्रापर्टी है। इसके लिए उन तक चीज पहुंच जाये। तो इस ला को भी आप इनकारपोरेट फरमायें। यह उनके पास पहुंच जाये। मैं समझता हूं कि यह समाजवाद का सही काम है।

श्री चन्दन मल बैद : यह सही है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपने समाजवाद की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। अभी तक प्रतिक्रियावादी तत्वों की ओर झुका करते थे। वह रुख अब बदला है। इसलिए इस एक्ट के लिए गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूं। मैं आशा करता हूं कि इस कानून के अलावा हम और भी कानून ला सकेंगे। जो रेण्ट कण्ट्रोल एक्ट है, उसको भी गवर्नमेंट लायेगी। ताकि बहुत से जो मुसीबत जुदा लोग हैं, उनको राहत मिले।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वित्त मन्त्री जी।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को जानता था कि इस विधेयक पर बहुत कुछ लोगों को नहीं कहना है। क्योंकि यह एक बहुत प्रगतिशील विधेयक है। और, मैं जहां तक समझता हूं इस बात को शायद जो प्रदेश अपने आप को बहुत प्रगतिशील कहते हैं, उन्होंने भी ऐसे प्रगतिशील विधेयक को अभी तक पास नहीं किया है। कुछ लोगों ने पास किया। केरला ने पास किया केरला भी इस स्थिति में नहीं है, जिस स्थिति में राजस्थान में पहली बार हमने यह कोशिश की है। शहरों में आज लोग रहते हैं। शहरों की आबादी बढ़ने के कारण लोगों की सम्पत्ति की कीमत भी बढ़ी है। जिनकी सम्पत्ति बढ़ी है, उनसे

(श्री चन्दनमल बैद)

हम टैक्स लें। और, इस बात का संकेत प्रकट किया गया है। हमने आधा पर्सेण्ट बजट में घोषणा की थी। 2 प्रतिशत रख दिया। यह प्रोवीजन है। साथ ही साथ मैंने यह लिखा है, जब तक अधिसूचना नहीं निकल जायेगी, आधा पर्सेण्ट पर ही टैक्स वसूल किया जायेगा। यह अगले साल कोई भी वित्त मन्त्री हो, आधा पर्सेण्ट करना चाहें, 10 पर्सेण्ट करना चाहें वह करे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: आपने घोषणा की है, पहले ही।

श्री चन्दनमल बैद : कानून जो बनाये जाते हैं, वह पांच साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल को देख कर बनाये जाते हैं। बल्कि मैं तो यह चाहता था, दो पर्सेन्ट के बजाय पांच पर्सेन्ट रखा जाय···

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अभी कर दीजिये।

श्री चन्दनमल बैद : मैं उम्मीद करता था, कोई प्रगतिशील सदस्य इस बात का संशोधन लाते। क्योंकि आखिर हम सम्पन्न लोगों से पैसा नहीं लेंगे, जैसे खुद जनसंघ के माननीय सदस्य इस बात को कहते हुए नहीं थकते हैं कि हिन्दुस्तान की पचास प्रतिशत जनता बहुत पावर्टी लाइन के नीचे रहती है, उन पावर्टी लाइन के नीचे रहने वालों के लिए कुछ काम किये हैं चाहे पानी का काम हो स्कूल का काम हो, सड़क का काम हो, दूसरे हों तो उनके लिए पैसा कहां से आयेगा ? सम्पन्न लोगों से आयेगा। जो टैक्स लगाया गया है, जिनकी सम्पत्ति पचास हजार से ऊपर है··

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जो आप करना चाहते हैं, वह करना चाहिए, हाउस उसका समर्थन करेगा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यह गलत ढंग है। मकान पचास हजार से ऊपर का है, जीर्ण-शीर्ण अवस्था का है, और पहले जिस किराये पर दे रखा है, उसे किराये से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : मैं जानता हूं इस बात को, इस बात में जनसंघ के माननीय सदस्य और मुझ में मतभेद है। वह जिस प्रगतिशीलता की बात करते हैं उससे हम परिचित हैं। जो प्रगतिशील कदम हम उठाना चाहते हैं उसका वह समर्थन नहीं करते हैं मैं उनको बाध्य भी नहीं करता··

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं निवेदन करूं, प्रगतिशीलता के नाम पर जो··

श्री श्रीराम गोटेवाला : इनके संस्कार भी नहीं हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जो बिल ला रहे हैं, उसको आपने दल के माननीय सदस्यों ने भली प्रकार से पढ़ा भी नहीं है। वह बिल पढ़ लेते तो केवल आपके नारे के आधार पर आपके साथ ताली बजाने वाली कार्यवाही नहीं करते।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अनपढ़ तो आप नजर आ रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : वह मानकर चलते हैं, माननीय सदस्य ही केवल पढ़ने

(श्री चन्दनमल बैद)

वाले हैं, दूसरे माननीय सदस्य पढ़ते नहीं है, बिना पढ़े बोल देते हैं। यह उनकी महानता है, मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिए, वह इस बात को मानते हैं कि 184 में से वही एक सदस्य हैं, जो सजग है···

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा फर्ज है, इसलिए मैं पढ़ता हूं, पढ़ कर आया हूं।

श्री फूलचन्द जैन : बीच में नहीं बोलें।

श्री चन्दनमल बैद : आप पढ़ कर आये है, आपने सजग होकर पढ़ा है मैं जानता हूं इस बात को। जयपुर से दूसरे जो माननीय सदस्य आये हैं, गफ्फार अली, जो सामने बैठे हैं, वह भी पढ़ कर आये हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : वह आपकी हां में हां कर रहे हैं। इसका परिणाम नहीं सोचते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : इसका परिणाम अच्छा होगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : परिणाम सोच लिया है, इसका परिणाम गलत नहीं होगा, जैसा आप सोच रहे है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : परिणाम गलत होगा क्योंकि असेस करने का तरीका है, वसूली करने का तरीका है। वह गलत तरीका है।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि म्युनिसिपेलिटी का हाउस टैक्स है, उसको इसके साथ मर्ज कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं यह तो नहीं सोचता हूँ कि म्युनिसिपेलिटी के हाउस टैक्स के साथ अपने आपको मर्ज कर दूं, क्योंकि म्युनिसिपेलिटी जो हाउस टैक्स वसूल कर रही है उनकी हालत सब जानते हैं। मेरी खुद की कॉन्स्टीट्यूएन्सी सरदारशहर, जिसकी आबादी चालीस हजार है, वहां पर चार हजार हाउस टैक्स वसूल नहीं होता···

श्री श्रीराम गोटेवाला : देते नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : लोग देते नहीं हैं, वसूल नहीं करते हैं।

श्री फूलचन्द जैन : करते भी हैं। हमारे यहां करते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हमारे यहां पन्द्रह लाख होता है।

श्री चन्दनमल बैद : मैं हर एक जगह की बात नहीं कह रहा हूं। आगे जाकर इस प्रकार का प्रयत्न हुआ, म्युनिसिपेलिटी इस प्रकार का प्रयत्न करे कि वह अपना हाउस टैक्स मेरे इस टैक्स के साथ मर्ज करना चाहें तो उस पर विचार करेंगे। हम अपना टैक्स उनके टैक्स के साथ मर्ज कर दें, तो उनके पास पैसा नहीं आयेगा। वह अपना हाउस टैक्स हमारे इस टैक्स के साथ मर्ज करना चाहें तो हम उस पर विचार करेंगे, उनके साथ विचार विमर्श करेंगे। लेकिन हम अपना टैक्स उनके हाउस टैक्स के साथ मर्ज नहीं करेंगे।

जहां तक हिन्दुस्तान के बाहर रहने वाले लोग हैं, उनके बारे में कह सकते हैं, उनके बारे में यह बात हो सकती है कि दूसरे लोग साइन कर सकते हैं। लेकिन हिन्दुस्तान के अन्दर जो रहने वाले हैं, जो कलकत्ता में रहते हैं, बम्बई में रहते हैं और उनकी सम्पत्ति सरदारशहर में है, चूरू में है, उनके लिए इन्कम टैक्स में भी प्रोविजन

(श्री चन्दनमल बैद)

है कि उनका खुद साइन करना होगा। इन्कम टैक्स के कानून में प्रोविजन है तो हमने यह प्रोविजन रखा है, यह गलत नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक सरलीकरण का सवाल है। मैं भी इस विधान सभा में 1952 से, केवल पांच साल को छोड़ कर बराबर सदस्य रहा हूं और मैंने बराबर इस बात की पूरी कोशिश की है कि विधेयक को इतना सरल बनाया जाय, जिससे आम तौर पर लोग समझ सकें और उनको गलतफहमी नहीं हो। साथ ही मैंने इस बात की खास कोशिश की है कि यह नहीं हो जाय कि असेसमेंट करते रहें, साल दो साल असेसमेंट में लग जाय और एक पैसा भी वसूल नहीं कर सकें। इसलिए रखा है, 1 अप्रेल को यह कानून लागू होगा, उसके बाद 90 दिन के अन्दर रिटर्न भरना होगा। उसके बाद में एक इन्स्टालमेंट में, दो इन्स्टालमेंट में पैसा जमा कराना होगा और रिटर्न आपका 30 पर्सेन्ट से कम होगा तो जितना टैक्स ज्यादा होगा, उसकी पचास पर्सेन्ट पैनल्टी लगेगी। हमने इस बात की कोशिश की है, इस साल में इस टैक्स से जो कुछ आमदनी चाहते हैं वह आमदनी हो जाय, यह नहीं हो, 1964 के एक्ट की जो हालत हुई है, वही इसकी हो• • •

श्री श्रीराम गोटेवाला : इस पैनल्टी से छूट मिलनी चाहिए।

श्री चन्दनमल बैद : क्यों मिलनी चाहिए ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : रिटर्न गलत भरता है, लेकिन चोरी की नीयत नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : 30 पर्सेन्ट की छूट दे रहे हैं, एक लाख रुपया वह आंकते हैं और हम 1 लाख 30 हजार तक आंकते हैं तो इस तक छूट है. उससे ज्यादा छूट देना • • •

श्री श्रीराम गोटेवाला : वेल्थ टैक्स में छूट है पैनल्टी वाली।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो कुछ भी इस विधेयक में मैंने प्रस्तुत किया है, बहुत साफ तरीके से सही और सरल तरीके से पेश किया है। यह एक नया एक्सपेरिमेंट है, एक नया एक्सपीरियेंस है। हो सकता है, एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियेंस के बाद हम कुछ सीख सकें और सीखने के बाद हमें तरमीम करनी पड़े यह हमेशा होता है, लेकिन यह नया एक्सपेरिमेंट है, नया एक्सपारियन्स है • •

गिरधारीलाल भार्गव : सीखने के लिए लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : यह आप मानते हैं

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आप भी मानोगे समय आने पर।

श्री चन्दनमल बैद : मैं मानता हूं, जनसंघ के माननीय सदस्य इसको अत्याचार कहेंगे और इसका समर्थन नहीं करेंगे • • • •

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सरलीकरण करेंगे तो हम भी समर्थन करेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : आपकी नीति है • • •

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपके दल को इसमें इन्ट्रेस्ट नहीं आ रहा है इसलिए आप अकेले बैठे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : एक मिनिट ग्राप विराज जाइयें, मैं निवेदन कर दूं।

जनसंघ के माननीय सदस्य को मैं याद दिलाना चाहूंगा, यदि वह बुरा न मानें, मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूं · जब हमने एक इस तरह का प्रस्ताव पास किया कांग्रेस ने कि शहरी प्रापर्टी की हदबन्दी इतनी होनी चाहिए तो उस समय जनसंघ ने उससे नीचे ग्राकर लाख की हदबन्दी करने का प्रस्ताव पास किया था· · ·

श्री गिरधारी लाल भार्गव : पुराने जन संघ की बात कर रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : पुराने की बात कर रहा हूं, जनसंघ मर गई · ·

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह जो बात कही है· · ·

श्री श्रीराम गोटेवाला : नकल करते हैं तो नकल में भी ग्रकल की जरूरत होती है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें, कोई पार्टी मर गई यह ग्रापके लिए शोभाजनक नहीं है। यह बात सही है ग्राप जीत कर ग्राये हैं। ग्राप में घमण्ड ग्रा गया है, वित्त मंत्री जी, प्रजातन्त्र में जब तक पोलिटिकल पार्टियां जीवित हैं तब तक प्रजातन्त्र जीवित है। प्रजातन्त्र रहेगा तब तक पोलिटिकल पार्टियां रहेंगी। किसी सम्माननीय पोलिटिकल पार्टी के लिए यह नहीं कहना चाहिए· · · ·

श्री श्रीराम गोटेवाला : प्रजातन्त्र है सत्य पर कायम रहता है, ग्रापने दो लाख की बात कही है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 145 जीत कर ग्रा गए तो विरोधी दल की बात सुनेंगे नहीं। विरोधी दल की बात सुनना नहीं चाहते हैं ग्रौर ताली बजवा कर विरोध को दबाना चाहते हैं, तो ग्राप प्रजातन्त्र में जीत कर ग्राये हैं, यह कोई ग्रच्छी बात नहीं है। हमारा विरोध करने का ग्रधिकार है, यह ग्रधिकार जनता ने दिया है ग्रौर इसका पूरा पूरा उपयोग किया जाएगा। मैं पुनः निवेदन करूंगा जनसंघ के लिए इस प्रकार के शब्द कहे कि 'जनसंघ मर गई' इस प्रकार के शब्द कहे हैं, खुले दिल से प्रोसीडिंग्स में से निकालने के लिए ग्राप कहेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने इस सन्दर्भ में कहा· ·

श्री रामनारायण चौधरी : ठीक है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : ग्रसलियत है।

श्री चन्दनमल बैद : यह कहा, ग्रापने यह कहा कि उस समय की जनसंघ ने कहा, तो मैंने कहा, उस समय की जनसंघ मर गई। जनसंघ एक है, ग्रापने· ·

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह ग्रसलियत है।

श्री चन्दनमल बैद : दो लाख की सीमा की बात कही। ग्रब जो भूमि सीमा निर्धारण कर टेक्स लगाने का बिल ला रहे हैं, उसमें पचास हजार से ऊपर की सम्पत्ति पर हाफ पर्सेंट टैक्स लगाया है। ग्राज किसी के पास एक लाख की सम्पत्ति जयपुर शहर में है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा, उसमें पचास हजार माफ है ग्रौर पचास हजार बचेगा उस पर हाफ परसेन्ट लगेगा, कितना हुग्रा ? ढाई सौ रुपये लगेंगे, एक लाख की बिल्डिंग पर ढाई सौ लगेंगे· ·

Page No 84

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ढाई सौ रुपये साल के।

श्री चन्दनमल बैद : ढाई सौ रुपये साल के लगेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पचास हजार पर हाफ पर्सेन्ट के हिसाब से हुआ पांच सौ रुपये, साल के, चालिस रुपये माहवार पड़ जायगा ...

श्रीमती सुमित्रा : माननीय सदस्य की गणित कमजोर नजर आती है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह हिसाब में कमजोर हैं।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, इस हिसाब से मेरी बड़ी मुश्किल हो जायगी ..

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : ज्यादा आये हैं, इसलिए इन्हें दिक्कत पैदा हो गई है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जिसका मकान पुराना है, पट्टियां टूटी पड़ी हैं उसके पास मरम्मत के लिए पैसा नहीं है। बाड़ा पड़ा हुआ है।

श्री चन्दनमल बैद : इसलिए मैंने मार्केट प्राइस रखी है कि आज डूंगरगढ़ में मकान की कीमत कुछ हो सकती है, जयपुर में अलग हो सकती है, सरदारशहर में अलग हो सकती है, अजमेर में अलग हो सकती है, कोटा में अलग हो सकती है। इसलिए मार्केट प्राइस रखी गई है जिसमें कि यह न हो कि एक ही तरह के मकान 10 जगह हों तो उनकी कीमत एक ही आंकी जाए। जहां तक मार्केट प्राइस का सवाल है, मैं जानता हूं कि नया कानून आता है, उस बारे में दिक्कतें हो सकती हैं इसलिए मैंने कहा कि यह एक्सपेरीमेंट है और दिक्कतें आएंगी। विधान सभा की बैठक कोई आज समाप्त होने वाली नहीं है। फिर बैठेंगे। अगर अनुभव के आधार पर महसूस होगा कि कानून से दिक्कतें बढ़ी हैं तो साल्व करेंगे लेकिन यह प्रगतिशील कानून है, इसका हम सब को स्वागत करना चाहिए, और जिन्होंने स्वागत किया उनको मैं बधाई देना चाहता हूं, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन प्रस्ताव जो जनमत जानने हेतु है ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं स्वीकार नहीं करता।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री गिरधारीलाल भार्गव से) आप अपने संशोधन प्रस्ताव को वापस लेते हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं कायम हूं अपने प्रस्ताव पर वापस नहीं लेता।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री फूलचन्द जैन से) आप वापस लेते हैं।

श्री फूलचन्द जैन : मुझे वापस लेने की अनुमति दी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि इनको अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दी जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री फूलचन्द जैन : मैं अपना जनमत जानने लिए जो संशोधन प्रस्ताव है, उसको वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लूणाराम ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरीय भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1973 में जो संशोधन प्रस्ताव जनमत जानने के लिए प्रस्तुत किया गया है, उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरीय भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

राजस्थान नगरीय भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1973 पर खण्डशः विचार एवं पारण

खण्डशः विचार । खंड 2 लगायत 8 तक कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं है ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरीय भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1973 के खण्ड 2 लगायत 8 तक स्वीकार किये जायं ।

(स्वीकृत)

खण्ड 2 लगायत 8 तक स्वीकार किए गये ।

खण्ड 9 । श्री खेतसिंह ।

श्री खेतसिंह (मुख्य चेतक) : खण्ड 9 में निम्न प्रकार से मैं अपना संशोधन प्रस्ताव करता हूं:—

(a) In new section 7 (1) (c) for 'extent' substitute 'name' and

(b) In new section 15 A(5) for 'assessee' substitute 'owner'.

श्री चन्दनमल बैद : मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरीय भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1973 के खण्ड 9 में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय खेतसिंह ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 मय संशोधन के स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड 9 मय संशोधन के स्वीकार किया गया ।

खण्ड 10 ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरीय भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1973 के खण्ड 10 को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

Page No 86

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 10 स्वीकार किया गया।

खण्ड 11। श्री खेतसिंह।

श्री खेतसिंह : खण्ड 11 में मेरा संशोधन इस प्रकार है :

In new section 16 A, in clause (ii) insert tax' after the expression 'half the amount of'

श्री चन्दनमल बैद : मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव . मेरा संशोधन है। मैंने 10 बजे दे दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : आप मूव करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने लिखा है: Substitute '½%' instead of '%' in the seventh line of part (i) of the proposed section of the Bill.

इसमें पेज 3 पर लेवी ग्रोन लैंड्स एण्ड बिल्डिंग्ज। इसमें लिखा है :—

"from the owner of such lands and buildings,at such rate not exceeding 2% of the market value thereof as the State Government may, by notification in the official Gazette declare in this behalf"

श्री उपाध्यक्ष : मैंने क्लाज 11 ले लिया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा संशोधन...

श्री उपाध्यक्ष : आपका संशोधन आया है क्लाज 11 व 15 में।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पेज नं. 3 पर प्रातः काल 10 बजे संशोधन दिया है, कार्यालय से मालूम किया जाय। समय पर दिया है 11 बजे से पूर्व।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड 2 से 8 स्वीकृत हो चुके हैं, उनमें कोई आपत्ति नहीं हुई। आप 11 पर फरमायें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप ध्वनि मत से भले ही पास करा दें। एक सदस्य को यह सुविधा है, मैंने कई संशोधन दिये हैं, 10 बजे कार्यालय में दिये है, मेरी भूल नहीं, शासन की ओर से संशोधनों को पढ़ा जाना चाहिये था। मेरा नाम पुकारने तो मैं बोल सकता। आप चाहें तो पूरे के पूरे विधेयक को ध्वनि मत से पास करालें। यह बड़ा घातक बिल है। कमेटियों के फार्म भरे जायेंगे या नहीं लेकिन सदस्यों को पूरा समय नहीं मिले...

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज 11 पर बोलें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा अधिकार है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप वाक आउट करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं कमजोरी वाली बात नहीं करना चाहता। मेरा अधिकार है। अध्यक्ष ने प्रातः काल मुझे 10 बजे कहा था कि आपके संशोधन आए हैं, 11 बजे से पहले संशोधन दिए हैं, उसके बाद एक बजे तक का समय माननीय

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
सदस्यों को संशोधनों के लिए दे दिया गया, उसमें भी संशोधन दिये हैं लेकिन नियमानुसार जो दिये हैं, कम से कम उन संशोधनों पर मुझे बोलने का अधिकार मिलना चाहिए। बाकी चेयर की रूलिंग से पास कर लें, 'हां पक्ष जीता' 'ना पक्ष जीता' आप कार्यवाही पूरी कर दें, यह घातक बिल है जो राजस्थान की जनता पर थोपने जा रहे हैं, इसके परिणाम बाद में सामने आयेंगे। मैंने अलग प्रोवीजो बनाकर दिया है 2 प्रतिशत के बारे में, मुझे बोलने का अधिकार दें।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य ने जो कहा है कि 'हां पक्ष जीता' 'ना पक्ष जीता' कहकर कार्यवाही पूरी करेंगे, यह आसन पर रिफलेक्शन है। ये शब्द सदन की कार्यवाही से निकाल दिए जायं। यह सीधा आक्षेप है आसन पर।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सीधा आसन पर नहीं है। सत्तारूढ़ दल पर है। मैं जीतकर आया हूं। मुझे अधिकार है, मैंने समय पर संशोधन दिए हैं। मुझे खेद है कि संशोधन आपके सामने आने चाहिए थे, मेरा नाम पुकारा जाना चाहिए था, मुझे संशोधन रखने का अधिकार है, फिर 'हां' पक्ष 'ना' पक्ष करते, मेरा संशोधन प्रस्ताव गिर जाता तो मुझे आपत्ति नहीं होती।

श्री उपाध्यक्ष : हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य ने आपत्ति उठाई है कि खंड तीन में उनके संशोधन पर बोलने की स्वीकृति दी जाय। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 2 खंड लगायत 8 तक मैंने सदन के समक्ष रखे थे। इनमें कोई संशोधन नहीं है और खंड 2 लगायत 8 पारित करने के जो पक्ष में थे उन्होंने 'हां' कहा, जो विपक्ष में थे उन्होंने 'ना' कहा और सदन से खंड 2 से 8 तक पारित किये जा चुके हैं। अब वह स्टेज समाप्त हो चुकी है और इस सम्बन्ध में पुन: खंड तीन पर माननीय सदस्य को बोलने की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरी भूल नहीं है। जब मैंने कार्यालय को 10 बजे दे दिया तो आपके पास मेरे संशोधन आने चाहिये थे, आसन की ओर से मेरा नाम पुकारा जाना चाहिए था। जब आप ही टालना चाहते हैं तो किस वाणी से कहूं, बोलने का अधिकार देना चाहिये।

श्री रामनारायण चौधरी : आप खड़े हो सकते थे।

श्री उपाध्यक्ष : आप खंड 11 पर बोलें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : प्रारम्भ से लें वरना तृतीय वाचन में जो कुछ विचार रखने होंगे व्यक्त करूंगा। यूं तो एक सदस्य की मानहानि हो जाती है, लेकिन जो बोलने का अधिकार है, जब समय पर संशोधन दिए हैं उनको अगर नहीं लें तो विरोध स्वरूप मैं बहिर्गमन तो नहीं करना चाहूंगा अभी तो मुझे कुछ नहीं कहना है। अब मुझे जो कुछ भी कहना होगा वह तृतीय वाचन में कहूंगा।

(एक साथ कई माननीय सदस्य बोलने लगे—व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज, ग्रार्डर प्लीज। क्या श्री गिरधारीलालजी भार्गव ग्राप खण्ड 11 में कोई संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं क्या ?

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो ग्रब तृतीय वाचन में बोलना चाहेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने साढ़े दस बजे संशोधन प्रस्ताव रखे वह तो ग्राये नहीं है ग्रौर जो मैंने संशोधन डेढ़ बजे रखे वह संशोधन प्रस्ताव ग्रा गये हैं। इसका क्या मतलब हुग्रा। जो मैंने साढ़े दस बजे संशोधन प्रस्ताव रखे थे उनमें मैंने यह दिया था कि दो पर्सेन्ट उसमें नगरपालिकाग्रों को मिलना चाहिये। खैर, मैं ग्रभी तो नहीं बाद में जब तृतीय वाचन होगा तब बोलूंगा।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, इन्हें बोलने का मौका नहीं मिला है ग्राप कृपा करके इन्हें मौका दें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जिसका थर्ड रीडिंग हो गया है उस पर यह कैसे बोल सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरीय भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1973 में जो खण्ड 11 में जो संशोधन प्रस्ताव श्री सेठीजी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरीय भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1973 के क्लाज 11 को मय संशोधन के स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 11 मय संशोधन के स्वीकृत किया गया

खण्ड 12 से खण्ड 18 के ग्रन्दर कोई संशोधन पेश नहीं किया गया है। प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरीय भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1973 के खण्ड 12 लगायत खण्ड 18 स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

खण्ड 12 लगायत 18 स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरीय भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1973 के खंड 1, अधिनियामक सूत्र व प्रस्तावना ग्रादि को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरीय भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1973 के खंड 1, अधिनियामक सूत्र व प्रस्तावना ग्रादि को स्वीकार किया गया।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरीय भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1973 को यथा संशोधित पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरीय भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1973 को पारित किया····

एक माननीय सदस्य : ग्रभी तो तृतीय वाचन होना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि कर निर्धारण करने की कोई आथोरिटी होनी चाहिए जो कि बाद में इसका फैसला करे कि इसमें कितना हिस्सा किसको जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी इस सदन में जब कि माननीय श्री मथुरा दासजी वित्त मंत्री थे तब उन्होंने यह कहा था कि उन्होंने इस बारे में एक कमेटी गठित की है और उसकी कई मीटिंग्ज हुई थीं। और शायद उसने कोई रिपोर्ट भी दी थी, कुछ सिफारिश भी की थी, लेकिन अभी इतना समय गुजरने के बाद भी उन्हें आज तक प्रकाशित नहीं किया गया है। मैं पुनः सदन में आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि एक समिति गठित की जाय जिससे कर निर्धारण करने वाले अधिकारी चाहे वह कोई भी हो आँथोरिटी दो जाय। लेकिन आपने इस के लिए जो स्टाफ बताया है उस पर आपने करीब 25 लाख रुपये खर्च करना बताया है जो कि राज्य सरकार पर अतिरिक्त भार होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह सिर्फ अतिरिक्त भार ही नहीं पड़ेगा पर इससे काफी भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। इससे अच्छा होता कि आप किसी एक व्यक्ति को रख देते। अब आपने इसमें ऐसा प्रावधान रखा है कि मकान मालिक अपना मकान जो भी होगा उसकी कीमत आंक कर पैसे बैंक में जमा करा देगा और फिर आपने जो डिपार्टमेंट बनाया है उसके उच्च अधिकारी के पास जाकर अपने मकान की कीमत के पेटे जो पैसा टैक्स का बैंक में जमा कराया है उसकी रसीद पेश करेगा। इसमें हो सकता है कुछ गलती रह जाय। आपका ऐसेसमेंट अधिकारी यह कहेगा कि यह मकान इतनी कीमत का नहीं है और उसने अगर पैसा कम जमा कराया होगा तो और जमा करना पड़ेगा और ज्यादा करा दिया तो पैसा आपको वापिस करना पड़ेगा। इसी कम ज्यादा के चक्कर में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। आज जिन लोगों ने जयपुर में मकानात बना रखे हैं उनमें कई ऐसे भी हैं जिन्होंने एक एक रुपये पर मकान किराये दे रखा है अब किरायेदार मकान खाली करते नहीं हैं। आपने ऐसे कानून बना दिये हैं कि मकान मालिक की यह स्थिति है कि वह मकान ठीक करा नहीं सकता है। आखिर यह होगा कि आपको वह हाथ जोड़ देगा कि आप ही मकान रखलो। क्योंकि उसकी कैपेसिटी है नहीं कि इतना पैसा दे सके। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो आपने पचास हजार रुपये की कीमत की बात रखी है टैक्स के लिए उसको बढ़ा कर एक लाख रुपये का मकान जो हो उस पर टैक्स लगाने की व्यवस्था करावें। आज जयपुर में एक लाख के नीचे के बहुत से मकान हैं। उन्होंने, उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि एक-एक रुपये में मकान किराये दे रखे हैं। उनके पास पूरा किराया भी नहीं आता है और आप उन पर और टैक्स लगा रहे हैं। अब उनकी इतनी क्षमता कहां है कि वह टैक्स दे सकें। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें रियायत दें और जैसा मैंने संशोधन रखा है उसके अनुसार कार्यवाही की जाय। इसके अलावा दो परसेन्ट तो उस अधिकारी को लेना चाहिये बाकी सब पैसा उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि नगरपालिका

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

को दिया जाना चाहिये । और आप चाहें तो इसमें से करीब दस परसेन्ट राज्य सरकार को दे दें । उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाओं की हालत बहुत खराब है जो मनोरंजन कर के करीब 37 लाख रु. जो कि म्यूनिसिपलिटी को मिलना चाहिये वह और करीब दो हजार 50 रु. जो कि सरकार के आमद होती थी वह और दूसरी ऐसे और भी टेक्सेज हैं वह कुल मिलाकर करीब 60-70 लाख रुपया जो कि म्यूनिसिपेलिटी को मिलना चाहिये था वह राज्य सरकार ने हड़प लिया है और उसके बदले में सीर्फ तीन लाख रुपये नगरपालिका को दिया जा रहा है। यह सरासर अन्याय राज्य सरकार नगरपालिका के साथ कर रही है । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जो भी आपको इससे टेक्स प्राप्त हो उसमें कुछ पर्सेन्टेज नगरपालिका को दी जानी चाहिये। आज आपने 50 हजार रुपये के मकान पर टेक्स लगाया है । महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, हो सकता है वही मकान थोड़े समय बाद एक लाख का हो जायगा तो आप उसके अनुसार टेक्स वसूल कर लेंगे और थोड़े दिन बाद हो सकता है जैसे कि आज तक हो रहा है आपसे महंगाई रुकती नहीं है और अगर उस मकान की कीमत अगर डेढ़ लाख रुपये हो गई तो उन गरीब मकान मालिकों का क्या होगा ? इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसकी सीमा कम कीजिये इसे पचास हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये के मकान पर टेक्स लगाने के मेरे सुझाव को मानलें, नहीं तो मकान का वेल्यूऐशन दिन पर दिन कम होता जायेगा वह ठीक नहीं है। आज लोग एक रुपये का मकान किराये का प्राप्त कर रहे हैं, इधर आपने डाईरेक्ट एसेसमेन्ट करने की बात बता दी है । उसका एसेसमेन्ट मकान मालिक करके पैसे जमा करावे, फार्म भी वही भरे । पैसे भरके वह खुद ही उस सम्बन्धित अधिकारी के पास जावे रसीद पेश करे, अगर उसमें कम ज्यादा हुआ तो मकान मालिक नुकसान में होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बारे में राज्य सरकार जैसे मैंने संशोधन रखे हैं उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके बाद में कोई कार्यवाही करे तो ठीक रहेगा ।

मैं अब आप से निवेदन करूंगा कि ये जो बातें रखी हैं उन पर आपको विचार करना चाहिये । भ्रष्टाचार फैलाने वाला एसेसमेन्ट अधिकारी हमारा जायेगा उसको पैसा देना पड़ेगा । एसेसमेन्ट करवाने की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार को स्वयम् को होनी चाहिये और जो रेट्स मैंने बतायी हैं उनमें कमी करें । फिर आप उसको नोटिस दें कि आपका मकान पचास हजार से ऊपर का है या कम कीमत का है । आपको फार्म भर कर देना है। आप एक भूल भुलैय्या के आधार पर घातक कानून बना रहे हैं । मैं पुनः निवेदन करूंगा कि लोगों ने इसको पढ़ा नहीं है । माननीय सदस्य पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने, कइयों ने इसका गम्भीरतापूर्वक अध्ययन नहीं किया है जल्दी में पास करवाना चाहते हैं । जल्दी में पास करने से राजस्थान की जनता के साथ कहीं अन्याय न हो जाय । मेरे सामने बैठे हुए माननीय सदस्यों की भी यही भावना होगी कि राजस्थान की जनता को किसी प्रकार का संकट न हो जाय और वित्त मंत्रीजी भी चाहेंगे कि राजस्थान की जनता संकट में न फंस

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
जाय। लोग बहुत परेशान हैं। हाउस टैक्स, वैल्थ टैक्स, इन्कम टैक्स के केसेज से परेशान हैं और नया आपने यह टैक्स लगा दिया है उससे राजस्थान की जनता और परेशान होगी। माननीय वित्त मंत्रीजी को इस पर विचार करना चाहिये। मैं पुनः यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के विधेयक को जल्दी में नहीं लाना चाहिये। मैं इसका पुनः विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो नगरीय भूमि कर (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। राजस्थान ही यह पहला प्रदेश है भारत वर्ष में जिसने इस ओर कदम की शुरूआत की है। यह क्रान्तिकारी कदम है और सबसे पहला समाजवादी कदम हमारी सरकार ने यह कानून लाकर बढ़ाया है। इसके लिये मैं वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस कानून के बन जाने के बाद जिन लोगों ने गलत तरीके से धन अर्जित किया है और जो जमीनें और प्रॉपर्टी अर्जित की हैं वह समाज के सामने आवेगी और सरकार उनको टैक्स करेगी।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इससे अनावश्यक परेशानियां बढ़ेंगी। प्रजातन्त्र में कोई भी पार्टी इसके बिना चल नहीं सकती है। प्रजातन्त्री तरीके से चलना है तो जिन लोगों के पास अधिक सम्पत्ति है उनको टैक्स देना पड़ेगा। पचास हजार की वैल्यूएशन तक की प्रॉपर्टी तो छूट में है। उसके बाद में कोई ऐसा परिवार नहीं रहता है जो गरीब हो और टैक्स नहीं दे सकता हो। 1½ पर्सेन्ट के हिसाब से रखा है उसके लिये निवेदन करूंगा कि स्लेब सिस्टम करना चाहिये। शुरुआत राजस्थान में की गयी है, इसका अनुकरण दूसरे प्रदेशों में भी किया जावेगा, किया भी गया है कुछ प्रदेशों में जब आपने इसको रखा था। इसलिये इसमें स्लेब सिस्टम आपको रखना चाहिये। एक लाख की प्रापर्टी जिनके पास है उनका बढ़ाना चाहिये और दो लाख से 2½ लाख तक के स्लेब को बढ़ाना चाहिये, और उससे अधिक है उसको हेवीली टैक्स करना चाहिये। 2 लाख से अधिक जिसके पास सम्पत्ति होती है तो उसको हेवीली टैक्स करना चाहिये क्योंकि उन लोगों की देने की भी क्षमता होती है। उनसे लेना भी चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि स्लेब सिस्टम होना चाहिये।

यह भी आशंका व्यक्त की गयी कि टूटे-फूटे मकान भी इसमें आजावेंगे। जहां इनकम नहीं है वह नहीं आ सकेगा। 50 हजार की लिमिट के बाद जयपुर, कोटा जैसे बड़े शहर, जो इन्डस्ट्रियल टाउन्स हैं उनमें कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जो गरीब है और उसको टैक्स देना पड़ेगा। यह क्रान्तिकारी कदम है और मैं इसका समर्थन करना चाहता हूं। मैं पुनः माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो टैक्स रखा है उसको स्लेब के अनुसार रखेंगे तो उचित होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्रीजी।

श्री चन्दन मल बैद (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, दो माननीय सदस्यों ने

(वित्त मंत्री)

आपने विचार प्रकट किये हैं। दूसरे माननीय सदस्य ने जो विचार प्रकट किये हैं उनके बारे में इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि जो उन्होंने संशोधन विधेयक का स्वागत किया है उसके लिये उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही उन्होंने यह भी सुझाव रखा है कि विधेयक में स्लेब सिस्टम का प्रावधान भी रखें। मैंने पहले ही कहा है कि हम पहले साल इस बात का एक्सपीरियन्स करना चाहते हैं कि जो टैक्स हम लगा रहे हैं उससे कोई परेशानी तो नहीं होगी। और उस सारे एक्सपीरियन्स के बाद में हम इस चीज को सारे तरीके से बनाना चाहते हैं इसलिये स्लेब सिस्टम का प्रावधान भी रखा है और दूसरे प्रावधान भी रखे हैं। ज्यों 2 हमें अनुभव होगा उसी तरीके से हम काम करेंगे।

दूसरे माननीय सदस्य जो हवामहल से आते हैं उन्होंने तीन चार बातें कही। उन्होंने कहा कि 2 पर्सेन्ट का टैक्स लगा दिया। मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि 64 से जो जमीन खाली पड़ी हुई थी, उस जमाने में बिल पास किया, उसके सेक्शन 3 में 2 पर्सेन्ट टैक्स का प्रावधान किया है। मैं सेक्शन 3 पढ़ कर सुना देता हूं :—

"Subject to the other provisions contained in this Act, there shall be levied and collected for each year a tax on urban lands, (hereinafter referred to as the urban land ... from every owner of urban land, at such rate not exceeding 2% of the market value of such urban land as determined under section 4, as the State Government may by notification in the official Gazette declare in this respect:"

खाली पड़ी हुई जमीन के बारे में आपने 64 में कानून पास किया और 2 पर्सेन्ट टैक्स लगाया। उसके 9 वर्ष बाद 50 हजार से ऊपर की प्रॉपर्टी पर 2 पर्सेन्ट टैक्स रखें तो कोई अन्याय नहीं किया है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : बजट भाषण में आपने 1/2 पर्सेन्ट की घोषणा की। आपको उस समय ही 2 पर्सेन्ट की घोषणा करना चाहिये थी। बजट भाषण में और इसमें अन्तर पड़ा इसलिये निवेदन किया।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सदस्य बोलते हैं तो मैं बीच में खड़ा नहीं होता हूं। अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो बाद में पूछ लें। दो चार भाषण और दे दें तो मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन भाषण के बीच में भाषण देने लगते हैं तो मुझे याद आ जाती है कि हवामहल और हवा किला।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ऐसी कोई व्यवस्था हो कि असत्य को सत्य बताने के लिये पूछने के लिये समय दे दें तो इन्टरप्ट नहीं करूंगा।

श्री चन्दनमल बैद : एक बात आपने कही उसको मुझे पहले से ध्यान है।

(वित्त मंत्री)

सरकार जिस कीमत को मार्केट रेट मानें उस बिल्डिंग को खरीद लें तो अच्छा हो।

मैं खुद कोशिश कर रहा हूं, भारत सरकार से पत्र व्यवहार भी कर रहा हूं। कुछ लोग जो अपनी सम्पत्ति को कम कीमत बताकर बेच रहे हैं और स्टाम्प टैक्स की भी चोरी कर रहे हैं और अपना रजिस्ट्रेशन भी यहां नहीं, बल्कि जो भारत सरकार का कानून बना हुआ है उसकी तहत बम्बई और कलकत्ता और दिल्ली में करवा रहे हैं, उनके लिये मैं चाहता हूं कि भारत सरकार मुझे अधिकार दे कि ऐसे लोग रजिस्ट्रेशन भी बाहर नहीं करवा पावें और जिस कीमत पर वे अपनी सम्पत्ति को बेच रहे हैं उसी कीमत के आधार पर खरीदने का अधिकार राजस्थान सरकार को मिल जावे।

इस तरह का एक कानून मैं जल्दी ही सदन में लाऊंगा और अगर अनुमति मिल गई तो जो लोग कम कीमत पर बेच रहे हैं उस कीमत पर खरीदने का सरकार का पक्का इरादा है। दस दस बीस बीस करोड़ की प्रापर्टी पांच सात लाख में जो बेचते हैं और जो स्टाम्प ड्यूटी की चोरी करते हैं, उनके लिये तो मैं खुद चाह रहा हूं कि वह प्रापर्टी सरकार खरीद ले।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं इसके लिये नहीं कह रहा हूं, यह आप करें अच्छा है, पर आपके असेसर जो मार्केट वेल्यू इन मकानों की तय करेगा उस रेट पर आप उन मकानों को खरीदने को तैयार हैं या नहीं। मैं तो इसकी बात कह रहा हूं।

श्री चन्दनमल बैद : इनकम टैक्स एक्ट में जो प्रोविजन किया गया है उसमें मैं अमेन्डमेन्ट चाहता हूं। भारत सरकार की इसमें अनुमति प्राप्त करना चाहता हूं। अनुमति मिल जावेगी, ऐसी आशा है तो मैं जल्दी ही इस तरह का प्रोविजन ला रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आगे यह कहा गया कि पांच रुपये रोज की जगह पेनल्टी कम क्यों नहीं रखी जाय। माननीय सदस्य बात कर रहे हैं मानो यहां कोई हम किसान मजदूरों से डील कर रहे हों। मैं उनकी बात कह रहा हूं जिनके पास पचास हजार की प्रापर्टी है। जो सम्पन्न हैं। पांच रुपया रोज की पेनल्टी उनके लिये नहीं करें तो क्या दो आना चार आना और आठ आना करके उनकी बेइज्जती करूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप प्रथम बार असेसमेन्ट करने जा रहे हैं। और आपने प्रोविजन रखा है कि वह स्वयं असेस करके ट्रेजरी में रकम जमा करा दे। तो इसमें अन्तर तो करियेगा।

श्री चन्दनमल बैद : अब यह कहा गया कि राष्ट्रपति की असेन्ट की इस कानून के लिये जरूरत पड़ेगी। मैं उनकी सूचना के लिये अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक मुझे जानकारी है और जहां तक मुझे सरकारी कानून वेताओं की सम्मति मिली है इस विधेयक के लिये राष्ट्रपति की असेन्ट की जरूरत नहीं है। इसमें केवल राज्यपाल की असेन्ट से ही काम बन जावेगा। इस वास्ते माननीय सदस्य को जो यह भ्रम है कि राष्ट्रपति की असेन्ट के लिए यह जावेगा वे यह भ्रम अपने मन में से निकाल दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह केन्द्रीय सूची में है ।

श्री चन्दनमल बैद : मेरी सूचना और कानूनी सलाह जो मुझे मिली उसके आधार पर मैं यह सूचना सदन को दे रहा हूं । इससे भी बड़ी कोई और कानूनी सलाह आपके पास हो तो आप उस सलाह को मान सकते हैं । मुझे इसमें दिक्कत नहीं है । पर सरकार ने जो कानूनी सलाह दी है कानूनी एक्सपर्ट हमारे हैं वे कहते हैं कि इसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है । राज्यपाल की स्वीकृति ही पर्याप्त होगी, और वह हमें मिल जावेगी ।

इसके अतिरिक्त विशेष कुछ मुझे नहीं कहना है । यह प्रगतिशील कानून है । सारे सदन का समर्थन इसको प्राप्त है । मैं इसके लिए सारे सदन का आभारी हूं । ठीक है, मैं यह जानता हूं कि हमारे जनसंघ के माननीय सदस्य का समर्थन इसको नहीं मिल पाया है । उनकी नीतियों में आज मेल नहीं है, और हमारी उनकी नीतियों में मेल हो भी नहीं सकता । होना चाहिये भी नहीं । हमारी नीति प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने की है और वे उसको रोकना चाहते हैं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कम्यूनिस्टों का समर्थन आपको हैं । आज वह प्रगतिशील हो गई है आपके लिए ।

श्री चन्दनमल बैद : इसलिए कहते हैं जब नहीं थी, तब नहीं कहते थे ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप भूल गये वे दिन जिस दिन आप हमारे साथ थे । और इनको प्रतिगामी कह रहे थे और न जाने क्या क्या कह रहे थे । उस वक्त देश की रक्षा के लिए आप हम एक थे । जो जो जनता के लिए गरीब के लिये अहितकर बात होगी उसके लिए कहना और जनहित विरोधी बात का विरोध करना हमारा कर्तव्य है ।

श्री चन्दनमल बैद : जिस दिन आपकी पार्टी ने शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारण की बात कही और प्रस्ताव दो लाख का पास किया था उस वक्त हमने कहा था कि जनसंघ पार्टी प्रगतिशील है । पर आज जब आप इसका विरोध करते हैं तो आज प्रगतिशील हम नहीं कह सकते । आप माफ करें मुझे इसके लिए ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप अच्छे संशोधन लावें तब न अच्छे संशोधन लावें हम आपका वैसा ही स्वागत करेंगे ।

श्री चन्दनमल बैद : इस वास्ते मैं प्रार्थना करता हूं कि मैंने जो प्रस्ताव पेश किया है इस राजस्थान नगरीय भूमिकर (संशोधन) विधेयक, 1973 को पारित किया जाय उसे सदन स्वीकार करे ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरीय भूमिकर (संशोधन) विधेयक, 1973 को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरीय भूमिकर (संशोधन) विधेयक, 1973 यथासंशोधित पारित किया गया ।

Page No 95

राजस्थान यात्री एवं माल करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1973

राजस्थान यात्री एवं माल करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1973। माननीय वित्त मंत्रीजी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर कानूनी आपत्ति उठानी है। या फिर वे पेश कर दें। फिर बोल लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : वे पहले पेश कर दें। फिर आप बोल लें।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान यात्री एवं माल करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : विचारार्थ प्रस्तुत हुआ। श्री गिरधारीलालजी।

संवैधानिक आपत्ति राजस्थान यात्री एवं माल करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1973 पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने आदि संबंधी

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्षजी, इस सम्बन्ध में मेरी कानूनी आपत्ति है। इस बिल के द्वारा अलग अलग प्रदेशों में जिनसे हम टोल करेंगे उनका आधार क्या होगा, इसका उल्लेख इस एक्ट में नहीं है।

फिर मैं आपका ध्यान संविधान की धारा 14 के तहत जो प्रोविजन है उस ओर ले जाता हूं:—

'The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.'

इसके साथ मैं आपका ध्यान राइट आफ फ्रीडम की ओर ले जाता हूं:—

'(f) to acquire, hold and dispose of property, and

(g) to practise any profession, or to carry on any occupation, trade or business.'

इसके बाद में, उपाध्यक्षजी, धारा 301 की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

'Subject to the other provisions of this Part, trade, commerce and intercourse throughout the territory of India shall be free.'

धारा 302 में केवल संसद को ही अधिकार है और 304 (A) (B) की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। (A) में लिखा है:

"304 (a) Impose on goods imported from other States any tax to which similar goods manufactured or produced in that State are subject to, however, as not to discriminate between goods so imported and goods so manufactured or produced; and

(b) impose such reasonable restrictions on the freedom of

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

trade, commerce or intercourse with or within that State as may be required in the public interest;"

मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन यह करना है कि जो यह बिल वित्त मन्त्रीजी ला रहे हैं, उसमें खामी है। संविधान की धाराओं के अनुसार इस पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है जिसका कोई उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। इसलिये राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना वित्त मन्त्रीजी इस विधेयक को यहां प्रस्तुत नहीं कर सकते।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो आपत्तियां प्रस्तुत कीं और जो उसके समर्थन में दलीलें दीं वे लचर हैं। केवल एक आपत्ति को मैं ठीक मानता हूं कि राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति इसमें लेनी चाहिये थी। जो हमने ले ली है वह स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है और माननीय सदस्यों को वितरित भी कर दी गई है। विधान सभा को भेज दी गई है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : राष्ट्रपति की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली गई है इस प्रकार की कोई प्रतिलिपि किसी को, हम को भी नहीं मिली है। इसके बिना आप अगर इसे सदन में लावेंगे और पारित भी कर लेंगे तो लोग हाई कोर्ट में जावेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जावेंगे। ऐसे इन्स्टान्स पहले भी हो चुके हैं। विजय प्रतापसिंहजी का केस है हमारे सामने। समयाभाव के कारण मैं ऐसे केसों को यहां कोट करना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि सदन में आप लोग बैठे हैं। अच्छे अच्छे जानकार लोग भी बैठे हैं। कहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अध्यक्षता में यहां ऐसे कानून न बन जावें कि जिसे आगे जाकर लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेन्ज करें कि राष्ट्रपति की स्वीकृति इसमें लेनी थी वह नहीं ली गई। और फिर वहां...

श्री चन्दनमल बैद : ले ली गई है, ले ली गई है ...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : नहीं की गई है, नहीं की गई है। सरक्यूलेट कर दें या हो गई होगी तो माननीय सदस्यों को वितरित नहीं की गई है। इसलिये मैंने पाइन्ट आफ आर्डर के नाते रेज की है। माननीय वित्त मंत्रीजी की ओर से उत्तर नहीं चाहता। मैं चेयर की ओर से उत्तर चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : और कोई माननीय सदस्य।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा से ही सरक्यूलेट हुई है। इसमें लिखा है प्रतिलिपि 23 मार्च, 1973 चन्दनमल प्रभारी मंत्री है और सचिव विधान सभा ने दी है-"राष्ट्रपति महोदय प्रस्तुत विधेयक को विषय वस्तु से अवगत होने के पश्चात् संविधान के अनुच्छेद 304 (बी) के परन्तुक के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।" दूसरा पत्र- "राजस्थान सरकार भी संविधान के अनुच्छेद 207(1) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान

(श्री चन्दनमल बैद)
विधान सभा में पुरःस्थापित किये जाने की सिफारिश करते हैं।" अब यह विधान सभा से सरक्यूलेट हुआ है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं निवेदन कर दूं माननीय सदस्यों को वितरित नहीं की गई है। पेज नं. 2, इसमें केवल प्रभारी मंत्री लिखा हुआ है। प्रभारी मंत्री के दस्तखत होने चाहिये थे, वह जगह बिलकुल खाली पड़ी हुई है। चन्दनमल जी बैद के दस्तखत होने आवश्यक हैं। प्रभारी मंत्री कौन ? प्रभारी मंत्री परसरामजी मदेरणा या बरकतुल्ला खां—कौन है? यह संवैधानिक आपत्ति है और जो सरक्यूलेट नहीं की गई है। यह आपत्ति मंजूर होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : अभी हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ मुद्दे उपस्थित किये हैं। सबसे पहले व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सदन को इस सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार है या नहीं मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में कई बार इसी आसन से व्यवस्थायें दी जा चुकी हैं। ज्यूरिस्डिक्शन का जो प्रश्न है वह प्रश्न कभी यहां तय नहीं किया जाता है और उस प्रश्न को हमेशा न्यायालय के लिये छोड़ा जाता है कि इस कानून को बनाने का ज्यूरिस्डिक्शन सदन को है या नहीं। दूसरी आपत्ति माननीय सदस्य की यह है कि राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय की पूर्व स्वीकृति इस विधेयक की माननीय सदस्यों के समक्ष यहां विधान सभा के प्रांगण में लिए जाने से पूर्व ली जानी आवश्यक थी। इस सम्बन्ध में कार्यालय से जानकारी कर ली है और मुझे जानकारी दी गई है कि इससे पूर्व महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने जो स्वीकृति दी है वह सरक्यूलेट कर दी गई है, भेज दी गई है। तीसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया प्रभारी मंत्रीजी के लिये। मैं समझता हूं इस स्टेज पर कि माननीय सदस्यों के समक्ष इस बिल को पुरःस्थापित किया गया और माननीय वित्त मंत्री जी ने पुरःस्थापित किया। माननीय वित्त मंत्री जी ने ही उसको आज विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव किया है इसलिये जो यह मुद्दा उठाया गया है, प्रभारी मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन हैं यह अहम प्रश्न नहीं रह जाता है और मैं इसको अहम प्रश्न मानता भी नहीं हूं इसलिये व्यवस्था के रूप में जो आपत्तियां उठाई गई हैं उनको स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं निवेदन करूंगा····

श्री उपाध्यक्ष : कोई निवेदन नहीं। व्यवस्था के बाद कहीं किसी भी विधान सभा में चर्चा नहीं होती है···

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार सदस्यों का राइट है। जब गलत ढंग से कानून लाया जा रहा है तो मैंने आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। चेयर की रूलिंग तो सर्वमान्य है किन्तु मेरा निवेदन यही है कि पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नही बनाना चाहिये। माननीय राष्ट्रपति महो-

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

दय की स्वीकृति ले ली है—दो दो प्रति मेरे पास मौजूद हैं। माननीय सदस्यों से भी जानकारी प्राप्त कर लें, नहीं सरक्यूलेट की गई है। यदि आपकी फ़ाइल में लगी हुई हो तो भी मैं मान सकता हूं। आपकी फाईल में भी नहीं है। मैं पुनः निवेदन करूंगा इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं मान कर चूंकि कान्स्टीट्यूशनल प्रश्न मैंने उठाया है इसलिए स्वीकार नहीं किया जाय। इसलिए मैं पुनः निवेदन करूंगा इस पर फिर से विचार किया जाय।

श्री फूलचन्द जन : उपाध्यक्ष महोदय, प्रथम तो आपके द्वारा व्यवस्था दी जा चुकी है और दूसरे राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। कार्यालय में प्राप्त हो गई है। अगर माननीय सदस्य को नही मिली तो· · ·

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मुझको नहीं, माननीय सदस्यों को नहीं मिली है। आप अपनी कापी को फूलचन्द जी उठा कर देख लें उसमें दस्तखत होने आवश्यक थे।

श्री फूलचन्द जैन : सदन को यह तसल्ली हो गई है कि राष्ट्रपति महोदय की पूर्व स्वीकृति प्राप्त हो गई है इसलिये अब और विवाद की स्थिति न बना कर और कानूनी मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट हो गई है तो आगे का कार्यक्रम लिया जाना चाहिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय· · ···

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(पुनः माननीय सदस्य के बोलने पर)

आर्डर प्लीज! व्यवस्था पहले ही दे चुका हूं। अब आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं समझता हूं।

राजस्थान यात्री एवं माल करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1973 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री लूणाराम : संशोधन प्रस्ताव है।

आप फरमायें तो··· ···

श्री गिरधारी लाल भार्गव : परसों जो ऐजेन्डा वितरित किया गया था उसमें मेरा राइट है। आप बोलने की आज्ञा दीजिये नहीं तो बैठता हूं।

एक माननीय सदस्य : आप तो रोज बोलते हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैंने हक लिया है, किसी की कृपा से नहीं। आज्ञा दें तो बोलूं।

(मौन स्वीकृति)

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस एक्ट के तहत, इस बिल के तहत हमारे जो यातायात के साधन एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में जायेंगे, उनको हम क्या देंगे, यह बात तय करने की है। अब एक प्रान्त से हमारे सम्बन्ध अच्छे हैं, हम उसको ज्यादा दे देंगे। दूसरे प्रान्त से सम्बन्ध हमारे खराब हैं, हम उसको कम देंगे। हम क्या देंगे ? इस बात का आधार बिन्दु क्या होगा ? यह इस एक्ट में लिखा हुआ

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
नहीं है और इस सम्बन्ध में रेट्स क्वान्टिटी का उदाहरण जो प्रस्तुत किया गया है इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस एक्ट में जो बातें नहीं लिखी गई हैं, वे लिखी जानी चाहिये और इस सबके लिए आखिर हमारे देश के जो प्रान्त हैं, जो राज्य हैं उनसे किस प्रकार का सम्बन्ध, क्या रेट्स तय होंगी, इस सम्बन्ध में कहीं पर विवेचन नहीं है इसलिये यही निवेदन करूंगा इस बिल को जनमत जानने हेतु प्रान्तों के सम्बन्ध किस प्रकार होंगे, जनमत जानने हेतु प्रसारित करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी !

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह संशोधन प्रस्ताव जनमत जानने के हेतु पेश किया है। मैं इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। यदि आप आज्ञा दें तो बोलूं नहीं तो तृतीय वाचन में······

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आपका विवेक है।

श्री रामनारायण चौधरी : लास्ट स्टेज पर····

श्री उपाध्यक्ष : यशवन्त सिंह नाहर !

श्री यशवन्त सिंह नाहर : जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय। आज सुबह तक तो आया नहीं था···

श्री फूलचन्द जैन : नहीं, पहुंच गया।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : हमारे पास तो नहीं पहुंचा।

श्री फूलचन्द जैन : हमारे पास सबके पास आ गया है।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : जो कुछ बोलना है। वित्त मंत्री जी हैं, उन्होंने इसे..

(विराम)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप पढ़कर आये नहीं हैं··

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं नहीं बोलता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य (श्री गिरधारीलाल भार्गव) अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेना चाहेंगे ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं अपने संशोधन प्रस्ताव को वापिस नहीं लेना चाहता हूं। मैं उसको प्रेस करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री गिरधारीलाल भार्गव ने जो यह प्रस्ताव रखा है कि राजस्थान यात्री एवं माल करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1973 को एक सप्ताह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये—को स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु रखा गया संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

राजस्थान यात्री एवं माल करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1973
विचार एवं पारण

प्रश्न यह है कि राजस्थान यात्री एवं माल करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय ने टैक्स की वसूली में इस चालू वित्तीय वर्ष में··

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप तृतीय वाचन पर बोल लें क्योंकि खण्डशः संशोधन इस पर कोई नहीं है। किसी माननीय सदस्य ने पेश नहीं किये हैं। तो आप तृतीय वाचन पर बोल लें।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि चालू वित्तीय वर्ष में उन्होंने करों से होने वाली आमदनी के अन्दर काफी वृद्धि की है और वह भी अपनी कार्य-कुशलता और एफीशियेन्सी के द्वारा। लेकिन एक तरफ उनका ध्यान कैसे नहीं गया, यह मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पैसेंजर्स टैक्स में जो चोरी भयंकर रूप से हो रही है उस तरफ आपका ध्यान कैसे नहीं गया? इसी तरफ में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जनता से मोटर मालिक सरकार के कानून के मुताबिक पैसेंजर्स टैक्स वसूल करते हैं और जो भी राजस्थान का नागरिक मोटरों में सफर करता है अपना टैक्स देता है और वह यह उम्मीद करता है कि उसका टैक्स सरकार के खजाने में जाये और राजस्थान के विकास में उसका सदुपयोग हो······

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि यह टैक्स की चोरी होती है यह इस संबंध का बिल नहीं है। माननीय सदस्य पढ़कर नहीं आये। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वे ही व्हीकल्स जायेंगी उनसे टैक्स की क्या रेट्स होगी। यह इस संबंध का बिल है। तो मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा कि सिर्फ वित्त मन्त्री जी की वाहवाही करनी है और उनको धन्यवाद देना है तो बात अलग है, फिर तो बस 3 बजे सदन को समाप्त करके चले जाओ। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो बात बोलनी है वह बोलें। क्या बोलना चाहिए यह मैं समझता हूं कि थोड़ा पढ़ कर आते तो मुनासिब होता।

श्री रामनारायण चौधरी : किसी भी कानून में यदि कोई संशोधन आ जाता है तो इसमें माननीय सदस्यों को अधिकार हो जाता है कि उसके तमाम पहलुओं पर अपने विचार प्रकट करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पाइन्ट आफ आर्डर रेज किया कि माननीय सदस्य को इस बिल के सम्बन्ध में ही बोलना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस संबंध

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
में बिल रखा गया है और जिसके बारे में माननीय सदस्यों को पढ़कर आना चाहिए था और केवल उसी बात पर बोलना चाहिए था। वर्ना एक दिन में लाखों रुपया सदन का खर्च होता है और दूसरी प्रकार की बातें करके आपका समय, माननीय सदस्यों का समय और राज्य सरकार का लाखों रुपया जो सरकार सदन चलाने में खर्च करती है वह नहीं करना चाहिए। माननीय सदस्य बहुत जिम्मेदार हैं और उपाध्यक्ष महोदय आपके पद पर सुशोभित रहे हैं और उपाध्यक्ष रहे हैं···

एक माननीय सदस्य : कम से कम हमारा समय भी बरबाद न करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उनको सदन का समय खराब नहीं करना चाहिए इस लिए पाइन्ट आफ आर्डर मैंने रेज किया है और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दें कि क्या माननीय सदस्य दूसरी बातों के ऊपर भी विचार रखते हैं जो कि इसके परव्यू में नहीं आतीं···?

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। माननीय वित्त मंत्रीजी पारित करने के लिए मोशन मूव करें।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान यात्री एवं माल करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1973 को पारित किया जाये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, में तृतीय वाचन पर विरोध करता हूं और इसलिए करता हूं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के आधार पर आपका किस प्रकार का व्यवहार होगा? आप उत्तरप्रदेश को ज्यादा पैसा देना चाहें, पंजाब को कम देना चाहें, हरियाणा को आप और भी कम देना चाहें और भी हमारे जो अन्य राज्य हैं उनको क्या देना चाहें तो आखिरकार जैसे में निवेदन करूं कि यहां से हम धौलपुर जायें तो बीच में आगरा पड़ेगा। आगरा उत्तरप्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को हम क्या देंगे? तो विभिन्न सरकारों को हम कितना कितना देने वाले हैं—इन सब बातों की घोषणा इस सारे बिल में नहीं की गयी है। यों तो मैंने संवैधानिक आपत्ति उठाई थी उसको आपने अस्वीकार कर दिया। संवैधानिक आपत्ति आज भी स्टेण्ड करती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल में इस प्रकार का कोई ऐसा नहीं कहा गया है कि विभिन्न राज्यों को कितना कितना देना होगा और इक्विटी के आधार पर सब को समान रेट देंगे या अलग अलग प्रान्तों की अलग अलग रेट्स निर्धारित करेंगे—उस सम्बन्ध में विवेचन होना चाहिये था इसलिये मै आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस बिल का विरोध करता हूं। इस बिल को पारित नहीं किया जाना चाहिये।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि यात्री राजस्थान में इस उम्मीद से टैक्स देता है कि उसका सदुपयोग हो, सरकार के खजाने में वह जाये और राजस्थान के विकास में उसके टैक्स का सदुपयोग हो। वित्त मंत्री जी ने टैक्स की वसूली में चालू वित्तीय वर्ष में कारगर कदम उठाये जिसके कारण टैक्स की वसूली में वृद्धि हुई और राजस्थान के खजाने में

(श्री रामनारायण चौधरी)

बढ़ोतरी हुई लेकिन यह जो टेक्स पेसेन्जर से वसूल किया जाता है राजस्थान के अन्दर उसकी तरफ माननीय मंत्री महोदय का ध्यान नहीं गया। क्यों नहीं कारगर कदम उठाये गये कि जो पैसा यात्री देते हैं वह खजाने में पहुँचे ? तो मैं यह सुझाव देना चाहता हूं और मान्यवर आपकी मार्फत देना चाहता हूं कि वह इस प्रकार का फार्मूला जिस प्रकार से एन्टरटेन्मेंट टैक्स सिनेमा मालिक आपको देते हैं उसी प्रकार से कोई व्यवस्था आप मोटर मालिकों के साथ भी लागू करें ताकि जो टैक्स राजस्थान की जनता का आपके नाम पर वसूल किया जाता है और बिचौलिये उसको बीच में रख लेते हैं और सरकारी खजाने में जमा नहीं होता है-यह बात समझ में आने वाली नहीं है। आज तमाम गाड़ियां ओवरलोडेड चलती हैं और उनकी टिकटें नहीं काटी जाती हैं . . .

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। फिर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो बिल रखा गया है माननीय वित्त मंत्री जी भी मुझसे सहमत होंगे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो हमारी वेहीकल्स जाती हैं उसके अन्दर टैक्स की क्या पद्धति होगी-इस सम्बन्ध में यह बिल है। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि इस पर बोलने का नहीं है। माननीय सदस्य जो भूतपूर्व उपाध्यक्ष हैं यदि उनको बोलने की भूख मिटानी है तब वह मिटायें लेकिन मैं समझता हूं कि वह पढ़कर नहीं आये हैं इसलिए मैं आसन से व्यवस्था चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य को इस पर बोलने की अनुमति आप देंगे और यदि यह अनुमति उनको देते हैं तो फिर मैं भी बोलना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने सुन लिया। हवा-महल से आने वाले माननीय सदस्य ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि माननीय सदस्य श्री रामनारायण चौधरी जिस प्रश्न पर बोल रहे हैं वह इसमें अन्तरनिहित नहीं है। मैं समझता हूं कि यह उनका कहना उचित नहीं है। करों की चोरी, मौजूदा कर जो लगाना चाहते हैं जिसको इन्ट्रोड्यूज किया है उसमें भी लागू होता है और जो आलरेडी टैक्स इम्पोज किया है उसके ऊपर भी लागू होता है। इसलिए मेरी मान्यता है कि आप ऐसे प्रश्न पर बोल रहे हैं जो कि इससे सम्बन्ध रखता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अप्रत्यक्ष रूप से।

यह आपकी इच्छा है कि आप अनुमति दें।

श्री **रामनारायण चौधरी** : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बिचौलिये जो बीच में सरकार के नाम से वसूल किया हुआ टैक्स अपने पास रख लेते हैं और उसको वह हजम कर जाते हैं, उसकी तरफ बराबर कार्यवाही होनी चाहिए। अभी केवल इतना ही होता है कि अगर किसी को आपने पकड़ लिया तो उस पर आप पैनल्टी इम्पोज कर देते हैं जो नाकाफी है अपने आप में। तो जो धन बीच में जो आदमी रख लेते हैं, मैं मानता हूं कि वह धन सार्वजनिक है, जो सरकार के खजाने

(श्री रामनारायण चौधरी)

में जमा करने के लिए राजस्थान के नागरिक ने उस बिचौलिये को, मोटर मालिक को या मोटर मालिक के प्रतिनिधि कण्डक्टर या जो भी एजेंसी है उसको दिया है, उसकी वसूली की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए और आपको पूरी वसूली करनी चाहिए।

वैसे आपने यहां यह घोषणा की थी कि रोडवेज के द्वारा इन तमाम मोटर वेहिकल्स जो आज चल रही हैं ए और बी श्रेणी का नेशनेलाइजेशन करना चाहते हैं लेकिन इसमें लगभग पांच वर्ष का समय लग जाएगा। उसके बाद भी राजस्थान में बहुत बड़ी लम्बी संख्या सी क्लास की रह जायेगी जिसपर लाखों करोड़ों रुपयों का टैक्स आप वसूल करते हैं। तो मैं बहुत संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं और मेरे कहने का मकसद यही है कि रोड टैक्स की जो चोरी बड़ी भारी तादाद में होती है उसकी तरफ आप ध्यान दें और वसूली का कोई कारगर तरीका अख्तियार करें जिसमें बिचौलिये यह पैसा खा नहीं सकें और सरकार के खजाने में वह धन जमा हो ताकि धन देने वाले आदमी को जो आज टैक्स देता है, एक रुपया का धन यह पैसेन्जर टैक्स देता है उसको स्वयं को यह मालुम है कि यह पैसेंजर टैक्स उसके पाकेट से जाता है, मोटर मालिक की पाकेट में जाता है, मुझे मालूम है कि वह पैसा सरकार के खजाने में नहीं पहुंचेगा, तो बड़ी वेदना होती है, मान्यवर, उस सज्जन नागरिक को जो राजस्थान का रहने वाला है। इसमें सुधार होना चाहिए ताकि पैसेन्जर टैक्स का रुपया सरकार के खजाने में जाय। आज सरकार के खजाने के लिए यात्री टैक्स देता है राजस्थान के विकास के लिए न कि बिचौलियों का घर भरने के लिए। यही संक्षेप में मेरा निवेदन है कि इस ओर आप ध्यान दें और इसकी तरफ कदम उठायें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय वित्त मंत्रीजी।

श्री **चन्दनमल बैद** (वित्त मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के बारे में मैं दो तीन बातें अर्ज करना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि यह जो सुविधाओं का प्रावधान किया जा रहा है वह न केवल वेस्टर्न झोन में ही है बल्कि नदर्न झोन और दूसरी सभी जगहों पर किया जा रहा है। हम सब मानते हैं कि एक गाड़ी दिल्ली से चलती है, अहमदाबाद से चलती है, बीच में जितनी स्टेट्स की चैक पोस्ट्स आती हैं उनको वहां रुकना पड़ता है और उनकी बराबर चैकिंग होती है और उनको टैक्स देना पड़ता है। उसमें जो हमारे माल का मूवमेंट होता है उसमें काफी देरी लगती है, उसमें काफी परेशानी होती है। इस वास्ते जितने भी झोन की स्टेट्स हैं उन लोगों ने बैठकर तय किया कि इस देरी को हटाने के लिए हमको कुछ कारगर उपाय करने चाहिए। इस काम के लिए, इस व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने पहले की जिन गाड़ियों को इस तरीके से परमिट दिए जायेंगे वह हमारी स्टेट को तो टैक्स देंगे ही इसके अलावा हर स्टेट को जिसमें से होकर गाड़ी जाएगी, उस को भी टैक्स देंगे और सात सौ रुपया और देंगे। इससे नुकसान नहीं होगा फायदा ही होगा। उसके बदले में उसको हर चैक पोस्ट पर रुकना नहीं पड़ेगा और माल का मूवमेंट

(श्री चन्दनमल बैद)

भी अच्छी तरह से हो सकेगा। जो मूवमेंट धीरे धीरे होता है वह तेजी के साथ हो सकेगा। जो माल आज अहमदाबाद से जयपुर तीन दिन में पहुंचता है वह शायद दो दिन में पहुंचेगा। तो इस तरह से सुविधा होगी और फायदा भी होगा। मुझे ताज्जुब तो इस बात का है कि अगर जो सुविधा दी जाती है तो उसका भी विरोध होता है और टैक्स लगाने की बात होती है तो उसका भी विरोध होता है। ऐसे कह रहे हैं जैसे हम उनको तकलीफ दे रहे हों जब कि यह कानून उनको सहयोग देने के लिए, उनको सुविधा देने के लिए है। और सब लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं, सारे जोन्स में इस तरीके के कानून बनाए जा रहे हैं और कोशिश तो यहां तक हो रही है कि कुछ गाड़ियों के लिए सारे हिन्दुस्तान का एक जोन बनाया जाय। कुछ गाड़ियां ऐसी हों सारे हिन्दुस्तान में जो सब स्टेट्स का टैक्स देकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकें और माल के मूवमेंट में जो अनावश्यक देरी होती है वह देरी नहीं हो।

दूसरी बात, जो माननीय सदस्य ने कही हैं उसके लिए मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा ध्यान इस तरफ है। मैं चाहता हूं कि पैसेंजर टैक्स में जो चोरी हो रही है वह रुके। और जो मैंने कल फिगर दिए थे उनमें भी मैंने बतलाया था कि पिछले साल के मुकाबले 71-72 और 72-73 के पैसेंजर टैक्स की वसूली में काफी प्रगति हुई है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं इस बात को कि इस मामले में ज्यादा चोरी होती है। इसको रोकने की मैं कोशिश कर रहा हूं। एक हमने यह किया था कि जितने भी टिकट इश्यू किये जाते हैं उन पर हमारे जो टिकट हों उनको चिपकाया जाय, लेकिन हाई कोर्ट से स्टे आ गया। जिस दिन हमारा यह स्टे दूर हो जाएगा, जिस दिन यह हो जाएगा कि जितने भी टिकिट काटे जायं जैसे सिनेमा के टिकिट पर एण्टरटेनमेंट टैक्स का टिकट चिपकाया जाता है, उसी तरह हमारे पैसेंजर टैक्स का टिकिट भी पैसेंजर टिकिट पर चिपकाया जाय। जब तक यह नहीं होता है हम कोशिश कर रहे हैं हमारी फ्लाईंग स्क्वायड को बढ़ावें, चैकिंग पार्टीज को बढ़ा कर चैकिंग करें . .

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** : सिनेमा में अब टिकिट नहीं चिपकाए जाते हैं। अब तो टिकिट में भी एण्टरटेनमेंट टैक्स छपता है।

श्री **चन्दनमल बैद** : ठीक है, पहले छपता था। अब पहले उस समय मैंने यह भी बताया था कि हम जो एक दूसरे—मुझे माफ करेंगे मुझे सिनेमा जाने का मौका नहीं मिला।

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** : आप तो मुफ्त में देखते हो, तो टिकिट खरीदते ही कहां हो जो आपको मालूम हो। आपको तो वहां पर और खातिर होती है।

श्री **चन्दनमल बैद** : मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि जयपुर में आए हुए मुझे 29—21 साल हो गए हैं लेकिन आज तक मैंने बिना पैसे दिए सिनेमा नहीं देखा है।

(व्यवधान—अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अगर आप पैसा देकर देखते तो आपको पता होता यह 16 वर्ष पुरानी पद्धति थी जो म्युनिसिपेलीटि वाले एण्टरटेनमेंट टैक्स वसूल करने के लिए टिकिट चिपकाया करते थे। अब आपके हाथ में यह आ गया तब से यह परिपाटी बन्द हो गई। आप भले ही कांग्रेस पार्टी वालों से चूंकि आप बड़े जोरदार वित्त मंत्री हैं उनसे तालो बजवा लें लेकिन आपको मालूम नहीं है कि मनोरंजन कर का टिकिट नहीं चिपकाया जाता अब। अगर आपने टिकिट लेकर सिनेमा देखा होता तो उसका आधा हिस्सा आपके हाथ में आता तो आपको मालूम हो जाता और अगर उस आधे हिस्से को जेब में डालकर घर गए होते तो भी मालूम हो जाता, लेकिन आप तो मुफ्त में देखते हो और ऊपर से खातिर होती है। टिकट लेने को आपको आवश्यकता ही क्या है? आप देखते कहां से?

श्री चन्दनमल बैद : आप कभी भी मुझे बिना टिकट सिनेमा देखते हुए देख लें तो बता दें और मैं मान लूंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अच्छी बात है, अब ध्यान रखूंगा। मैं सिनेमाघरों के गेटकीपरों को कह दूंगा कि वे इस बात का ध्यान रखें।

श्री चन्दनमल बैद : मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि केवल डिविजनल हैडक्वार्टर के सिनेमाघर में टिकिट चिपकाने की व्यवस्था को डिसकंटीन्यू किया है बाकी सारे सिनेमाघरों में जो डिविजनल हैडक्वार्टर पर नहीं है उन पर टिकिट चिपकाये जाते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वह तो खटमल टाकीज होंगे, टाट पट्टियों पर बैठाते होंगे।

श्री चन्दनमल बैद : आंशिक रूप से सही कहा है। फिर भी मैं इस बात को मानता हूं कि इन दिनों सिनेमा जाने का मुझे मौका नहीं मिला और जब मौका मिलेगा तो जरूर देखूंगा और...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : साथ चलेंगे आप और हम।

श्री चन्दनमल बैद : आपके साथ में मैं नहीं जाऊंगा। मेरा नियम है कि मैं सिनेमा अपनी पत्नी के साथ ही देखता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वह भी आप मुफ्त में जाते हैं और खातिर और होती है।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट स्पीच में जवाब के समय भी मैंने यह कहा था कि हमने स्पेशल चैकिंग की थी और उस चैकिंग में हमें कई लाख रुपयों का फायदा हुआ था। वह 16 लाख थे या 27 लाख थे मुझे अभी पूरा याद नहीं है लेकिन हमें स्पेशल चैकिंग में फायदा हुआ। यह बात नहीं है कि इस तरफ मेरा ध्यान नहीं है, ध्यान जरूर है। इसके उपरान्त भी मैं इस बात को मानता हूं कि इसमें जितनी चोरी होती है उतनी दूसरे टैक्सों में नहीं होती। इस बात की पूरी कोशिश करेंगे और मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें जो लीकेज हैं जो चोरी है उसको रोकने की ओर भी आगे कोशिश करेंगे जिससे आगे सुधार हो सकें। इन शब्दों के साथ में प्रार्थना करूंगा माननीय सदस्यों से

(श्री चन्दनमल बैद)
कि माननीय सदस्य इस बिल को पारित करें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान यात्री एवं माल करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1973 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान यात्री एवं माल करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1973 पारित किया गया।

राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1973 : विचारार्थ प्रस्तुत

वित्त मंत्रीजी।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1973 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल) : माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान टैक्सेशन लाज (अमेंडमेन्ट) बिल, 1973 के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि यह जो ज्यूरिस्डिक्शन है इसके आगे For the words "Jurisdiction" wherever occurring, the words "Territorial jurisdiction" shall be substituted.

यह और जोड़ लेते तो बहुत अच्छा होता।

श्री उपाध्यक्ष : पहले तो आपका प्रस्ताव जनमत जानने के लिए है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यही निवेदन कर रहा हूं। आज यदि हम यह संशोधन लायेंगे तो इससे भयंकर नुकसान होंगे...

और नुकसान यह होगा कि डी.सी.एम. देहली क्लाथ मिल्स, कोटा का, जे. के. सिन्थेटिक्स का, इन दोनों के मुकद्मे चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और पिछले वाले कानून में यह खामी थी और उस खामी को लेकर यह सुप्रीम कोर्ट में मुकद्मा चल रहा है। यदि आज हमने इस कानून में संशोधन कर लिया तो, माननीय उपाध्यक्ष जी, राज्य सरकार को इस मुकदमे में हार खानी पड़ेगी इसलिए कानून के विशेषज्ञों ने यह जो सलाह दी है मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह उपयुक्त समय पर नहीं दी गयी है। थोड़े दिनों के बाद यह सलाह दी जानी चाहिए थी। पांच साल विधान सभा की अवधि है। अगले साल, दूसरे साल यह संशोधन लाते तो अच्छा होता। इससे माननीय वित्त मंत्री जी को ठीक कानूनी सलाह नहीं मिली है।

दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि सन् 1957 में केन्द्र ने राज्य सरकार के साथ यह समझौता किया था कि अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी जिसको कि अंग्रेजी में एडीशनल एक्साइज ड्यूटी कहते हैं वह भारत सरकार वसूल करेगी और राज्य सरकार को टैक्स

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

लगाने की आवश्यकता नहीं है। और वह अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी भारत सरकार राजस्थान सरकार को देगी और भारत सरकार राजस्थान सरकार को वह एक्साइज ड्यूटी दे रही है और देती रही है। जब यह एग्रीमेन्ट पहले से हो गया तो, माननीय उपाध्यक्षजी, तब सेल्स टैक्स नहीं लगाना चाहिए था। यह जब तय हो गया था तब फिर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी का राजस्थान सरकार को लाभ मिल रहा है, भारत सरकार पूरा का पूरा यह हिस्सा दे रही है तब क्या हम यह चाहते हैं कि राजस्थान के नागरिक और सैल्स टैक्स दे। अगर यह सेल्स टैक्स लगता है तो जो कपड़े के व्यापारी है जो कपड़े का व्यवसाय है उस पर यह सैल्स टैक्स लगेगा। कपड़े पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी पहले से लगी हुई है और सैल्स टैक्स लगने से राजस्थान में कपड़ा और मंहगा हो जाएगा। पिछली बार भी बजट पर हुई बहस के दौरान में जब मुझे मौका मिला था वित्त मंत्री जी को इसका एक नोटिफिकेशन प्रस्तुत किया था और कपड़े के व्यापारी भी आपसे मिले थे और वित्त मंत्रीजी आपने मौखिक रूप से व्यापारियों को यह आश्वासन दिया था कि इस एक्ट की मंशा कपड़े के व्यापार पर सेल्स टैक्स लगाने की नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप पहले से ही इसके लिये बचनबद्ध हैं, आपने वचन दिया है। एडीशनल एक्साइज ड्यूटी जिसको भारत सरकार ले रही हैं उससे ही आप अपना काम चलाएं, एक तो मेरा यह निवेदन है। इस सारी ड्यूटी से लगभग दस करोड रुपया या इससे अधिक रुपया मिल रहा है फिर भी राजस्थान की हालत इतनी खराब है कि बचनबद्ध होकर इस सारे प्रश्न को नहीं देख रहे हैं कि इससे कपड़ा मंहगा होगा और इस कारण लोग कपड़ा नहीं पहन सकेंगे। आप कपड़े पर टैक्स लगाना चाहते हैं जबकि लोग भूखे मर रहे हैं। इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो आश्वासन दिया है, कपड़े के व्योपारी को आश्वासन दिया है, उसको ध्यान में रखते हुए आप यह सैल्स टैक्स नहीं लगावें और यह जो बिल लाया गया है ऐसे अवसर पर कि जब कि सुप्रीम कोर्ट में आपके मुकदमें चल रहे हैं और यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया गया तो इन मुकदमों में राज्य सरकार को हारना पड़ेगा और हारने पर पैसा देना पड़ेगा। यह पैसा वित्त मंत्री महोदय आपकी जेब से नहीं जाएगा, यह राजस्थान की गरीब जनता की जेब से जायेगा। आप कहते हैं, कपड़े की दुकानें खुलवा दी हैं, अनाज की दुकानें खुलवा दी हैं, मिट्टी का तेल दे रहे हैं। आप थोड़ा सा जौहरी बाजार में जाकर देखिये लोग रात्रि के 11-11 बजे तक चार चार चौराहे की लाइन तक खड़े रहते है परन्तु उनको मिट्टी का तेल नहीं मिलता है। अनाज नहीं मिलता है। चीनी नहीं मिलती है। इंजन को चलाने के लिए क्रूड आइल नहीं मिलता है और कपड़ा जो तन ढकने के लिये काम आता है—असेम्बली में आज एक नग्न चित्र देखा है तो क्या आप सबको नंगा देखना चाहते है? क्या समाजवाद के आधार पर सबके लंगोटी लगवाना चाहते हैं। आज कारखाना सरकार का, खेती सरकार की, सारी की सारी चीजें सरकार की है

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)
'सर्वे भूमि गोपाल' की तरह सभी चीजें सरकार की हो गई है—तब आप चाहते क्या हैं? क्या लोगों से लंगोटी लगवाना चाहते है? इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस सम्बन्ध में विचार करें और यह जो संशोधन आपने बिल में पेश किया है वह उपयुक्त समय पर नहीं किया है, उपयुक्त समय पर यह अमेन्डमेंट नहीं ला रहे हैं। दूसरा निवेदन यह है कि आप इसके लिये वचन बद्ध हैं भारत सरकार आपको एक्साइज ड्यूटी दे रही है तब आपको सेल्स टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है।

यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मनोरंजन कर के बारे में यहां पर पहले भी निवेदन किया जा चुका है। 37 लाख रुपया आप जयपुर शहर के सात सिनेमाओं मनोरंजन कर का वसूल कर रहे हैं। जयपुर नगरपालिका ने जब यह टैक्स लगाया था उस वक्त तीन सिनेमा थे और एक रुपये पर 6 पैसे मनोरंजन कर का था। आज राज्य सरकार एक रुपये पर 65 पैसा मनोरंजन कर का वसूल कर रही है सिनेमा वालों से। तो कहां एक रुपये पर छ: पैसा और कहां एक रुपये पर 65 पैसा। कहां पर तीन सिनेमा और कहां सात सात सिनेमा? और आज सिनेमा देखने वालों की संख्या भी अधिक हो गई है और उससे आमद भी बढ़ गई है और जन संख्या के बढ़ने के साथ साथ मनोरंजन कर की दर भी बढ़ गई है तो भी राज्य सरकार जयपुर नगर परिषद को तीन लाख रुपया प्रति वर्ष देती है और जिसमें से डेढ़ लाख रुपये वाटर वर्क्स का काट लेती है और इस तरह से डेढ़ लाख रुपया ही नगरपालिका को मिल पाता है। 37 लाख रुपये में से सिर्फ डेढ़ लाख रुपये देना कहां न्याय संगत है? फिर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 55 में नगरपरिषद् के पास आय के लिए और भी कई साधन थे जो टूर्नामिन्ट्स होते थे, जो प्रदर्शनी लगाई जाती थी, या अन्य कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता था उस पर नगरपालिका टिकिट लगाकर मनोरंजन कर की वसूली करती थी परन्तु नगरपरिषद के इस अधिकार को भी राज्य सरकार ने सन् 55 से अपने हाथ में ले लिया है। विधायकों और पत्रकारों का टूर्नामेंट अभी हुआ, उसके मनोरंजन का पैसा आपको अकाल राहत कोष में जमा करा देना चाहिए परन्तु उस पर भी जो मनोरंजन कर लगाया वह भी राज्य सरकार ले जाएगी। वह तो कम से कम पूरे का पूरा पैसा माफ करके अकाल सहायता कोष में भेजना चाहिए। कोई टूर्नामेंट हो गया, किसी प्रकार का आयोजन हो गया तो उस पर मनोरंजन कर लगाने का अधिकार भी राज्य सरकार ने छीन लिया है। मैं यहां निवेदन करना चाहता हूं कि जैमिनी सर्कस जयपुर में लगता है। इसकी आमदनी भी सरकार ले जाती है। एक एक दिन की आमदनी इससे 2075 रुपये की होती है। यह सर्कस नगरपरिषद् की भूमि पर लगता है। मनोरंजन नगरपरिषद की भूमि पर होता हैं। वहां पर लोग जाएंगे तो गन्दगी फैलायेंगे, मल-मूत्र होगा, हाथी-घोड़े लीद करेंगे उन सबकी सफाई का काम आएगा तो वह नगरपरिषद पर आएगा। रोशनी का प्रबन्ध नगरपरिषद् को करना होगा पीने के पानी की व्यवस्था नगरपरिषद् को करनी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

होगी, अगर आग लग जाए तो उस पर काबू पाने के लिए प्रबन्ध नगरपालिका को करना होगा। आग बुझाने के लिए आठ गाडियों में से एक गाड़ी है "हुस्न बानों"। यह कैसे चलती है। सड़क पर चलती है तो पेशाब करती चलती है और जब आग बुझाने के स्थान पर पहुँचेगी तो उसके अन्दर एक बूंद पानी नहीं होगा। नगरपरिषद की यह 'हुस्न बानों' जैमिनी सर्कस की आग बुझाने जाएगी और इधर नगर में कहीं आग लग जाएगी तो उसके लिए भी यही 'हुस्न बानों' जाएगी जैमिनी सर्कस की आय का पैसा भी नगरपरिषद् को नहीं मिल पाता है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सिनेमा वालों से प्रति सौ रुपये के पीछे दस रुपया और वसूल किया जाता है और वह टैक्स का पैसा भी राज्य सरकार रख लेती है। आखिरकार यह सम्पूर्ण मनोरंजन कर नगरपालिकाओं को मिलना चाहिये मेरी तो ऐसी मान्यता है कि 67 लाख रुपया प्रतिवर्ष मनोरंजन कर राज्य सरकार लेती है और उसमें से राज्य सरकार नगरपरिषद को डेढ़ लाख रुपया ही देती है। यह अन्याय नहीं है तो क्या है? इसके अभाव से राजधानी की सफाई नहीं हो पाती है। सड़कें खराब है, गड्ढे पड़े हुए हैं लोगों को दिक्कत होती है आज राजस्थान की नगरपालिकाओं की हालत क्या है? इसलिये उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये मैं पुनः यह निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी आय के साधन को बढ़ाने के लिये एक राजस्थान वित्त आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाए और जैसा कि हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय कहते हैं कि केन्द्रीय सरकार हमारे साथ पक्षपात करती है, केन्द्र राजस्थान सरकार को सहायता नहीं देता है, केन्द्र का इस बारे में हमारे साथ पक्षपात का व्यवहार है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी इसी प्रकार से राजस्थान की नगरपालिकाओं और पंचायतों के साथ पक्षपात का व्यवहार करते हैं, और जैसी आपको भारत सरकार से शिकायत है, मेरे को भी आपसे ऐसी ही शिकायत है, राजस्थान के वित्त मंत्री से शिकायत है। इसलिये आप शीघ्र ही एक राजस्थान वित्त आयोग का गठन करें जो प्रत्येक नगरपालिका से होने वाली आय का बराबर का बंटवारा करे। पंचायतों तक भी वह पैसा आपका पहुँचे। इसी प्रकार से मनोरंजन कर और बिजली कर आप वसूल करते हैं। उसके आधार पर जो आय होती है, उसके लिए राजस्थान में वित्त आयोग की स्थापना होनी चाहिए। मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि विज्ञापन कर के बारे में भी आपने कहा है। सिनेमा में जाएं, वह कर भी आप वसूल करते हैं। दीवारों पर जो विज्ञापन लगे हैं वह भी आप ही वसूल करेंगे। आज कहीं भी बाहर चले जायें। विधान सभा के बाहर चले जायें, गोविन्ददेवजी के मन्दिर चले जायें, गोपीनाथ जी के मन्दिर चले जायें, हनुमानजी के मन्दिर चले जायें तो वहां क्या लिखा होगा। एक, दो, तीन बस। बच्चे अपने मां बाप से पूछते हैं कि यह एक दो तीन क्या है? माचिस पर एक, दो, तीन, बस। सिगरेट पर एक दो, तीन, बस। आखिर यह प्रचार होता क्या है। यह

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)
अश्लील प्रचार होता है। यह विज्ञापनों पर हो रहा है। विज्ञापन मे दिखाया गया है, हवन हो रहा है। वरवधू चक्कर लगा रहे हैं पुत्र और पुत्र वधू ढोक देते हैं तो उनको परिवार नियोजन का आशीर्वाद दिया जा रहा है ! मैं राजस्थान के मन्त्रिमण्डल के सभी सदस्यों से पूछता हूं। सभी माननीय मेम्बरों से पूछना चाहता हूं। समाजवाद के कार्यक्रम में विश्वास रखने वालों से पूछना चाहता हूं। उनके कितने कितने बच्चे हैं। रही मेरी बात, मेरे तीन बच्चे हैं। आप विधान सभा का रिकार्ड उठाकर देख लें। जो लोग समाजवाद की दुहाई देते हैं। परिवार नियोजन का नारा लगाते हैं। उनके 10-10 बच्चे हैं।

श्री फूलचन्द जैन : आपके तीन ही कैसे रह गये हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरी बात सुनिये। आप मेरी बात तो सुनिये। बोलते ही जा रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पोस्टरों में इस प्रकार से अश्लील प्रचार किया जाता है। आप मिर्जा इस्माइल रोड पर चलें जायें, आमेर रोड पर चले जायं, टेलीफोन के खम्भे लगे हुए हैं। टेलीफोन के खम्भों पर परिवार नियोजन का प्रचार, स्टेट लाटरी का प्रचार, अन्य विभिन्न प्रकार का प्रचार। टेलीफोन के खम्भे राष्ट्रपति की तहत में आते हैं। भारत सरकार की तहत में आते हैं। दिल्ली के आदमी यहां देखने के लिए नहीं आते हैं। विभागों का प्रचार है। टेलिफोन के खम्भों पर लगाते हैं। जौहरी बाजार में लगा हुआ है। विभिन्न बाजारों में लगे हुए हैं। वह टैक्स राज्य सरकार को वसूल करना चाहिए। राजस्थान सरकार उसको वसूल करे और जैसी कि मैंने मांग की है, राजस्थान वित्त निगम की, उसमें शामिल किया जाना चाहिए। म्युनिसिपैलिटीज वास्तव में गरीब हैं। ये जो कर हैं, उनको मिलने चाहिए। मनोरंजन कर की जो आय है, विज्ञापन कर की जो आय है, आप गम्भीरता से विचार करें। नगरपालिका को विज्ञापनों से कर मिलना चाहिए। मनोरंजन कर मिलना चाहिए।

राजस्थान में जो बिक्री कर की पद्धति है, उससे यहां पर कोई व्यवसाय पनप नहीं सकता है। वह इसीलिए नहीं पनप सकता है कि यहां पर व्यापार की क्या हालत है ? आपका बिक्री कर वसूल करने का जो तरीका है, वह उचित नहीं है। उसका तरीका सरल होना चाहिए। छोटी छोटी चीजों पर आपने बिक्री कर लगा दिया है। रामनिवास बाग में आप पतासे खाने के लिए जायें। एक रुपये के पतासे खायें तो वह आपका नाम पूछेगा। आप अपना नाम बतायेंगे, मेरा नाम चन्दनमल है।

श्री चन्दनमल बैद : वह 50 हजार का है नहीं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : छोटे छोटे दुकानदार, वह पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं। पढ़े लिखे होते तो वह भी एम. एल. ए. का चुनाव लड़ते। पढ़े लिखे हैं नहीं। अपना पेटपालन के लिए अपना काम चलाते हैं। छोटे छोटे हलवाई अपना काम चलाते

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

हैं। आपने इन व्यवसायों पर बिक्री कर लगाया है। वह पद्धति अच्छी नहीं है। आपकी यह पद्धति निकम्मी है। आप पड़ौसी राज्यों में जायें। आप स्वयं देखें कि वहां पर बिक्री कर का कितना सरलीकरण है। हलवाइयों ने इसके लिए मांग की है। हमको आप कोई सरल तरीका बता दें। उन्होंने आपको ज्ञापन दिया है। लेकिन आप उस पर विचार नहीं करना चाहते हैं। आप तो चाहते हैं कि राजस्थान के लोग परेशान हों। आप कहते हैं, बच्चों से मैं डरता नहीं, औरतों से मैं डरता नहीं। आप तो कहते हैं कि गड़बड़ हो जायेगी तो मैं पुन: विचार कर लूंगा। आप तो वह ऊंट हैं, जिसकी पीठ पर ढोल बजते है तो इस ढम ढम से डरने वाले नहीं हैं। विधान सभा के बाहर प्रदर्शन हों। वकील भूख हड़ताल पर बैठे हैं आपने कहा है कि हाईकोर्ट की बैंच के बारे में क्यों झगड़ा करते हैं। आपस में बैठ कर इस सम्बन्ध में विचार कर लें। बताइये, कौन-सी तारीख को आपके घर पर वकीलों को ले आयें। आप यह स्टेटमेन्ट दे दें। यह स्टेटमेन्ट न्याय मंत्री रामचन्द्र चौधरी से दिला दें। सहानुभूतिपूर्वक बैठकर विचार करलें। अगर पहले ही यह विचार करते तो यह झगड़ा क्यों होता। वकीलों के खोपड़े क्यों फूटते? पुलिस वालों से वकीलों की दुश्मनी क्यों होती? सम्बन्ध खराब क्यों होते? जब विधान सभा पर वकीलों का प्रदर्शन आता है। आप उनके बीच में जायें। सहानुभूतिपूर्वक आप जायें। आप उनसे कहें कि मैं चन्दनमल बैद आया हूं। आप चले जायें वकीलों के बीच। वहां शराबबन्दी वाले बैठे हैं। गोकुल भाई बैठे हैं। गोकुल भाई के आप अनुयायी हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनिट में समाप्त करता हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बिक्री कर के साथ में सरलीकरण किया जाये। यहां पर सरलीकरण नहीं है। उसके अभाव में व्यापारी पड़ौसी राज्यों में जाते हैं। इसी कारण कोई व्यापार यहां पर पनपता नहीं है। कुटीर उद्योग यहां पर पनपता नहीं है। घरों की बिजली कटौती कर दी है। जो व्यापारी लोग यहां पर व्यापार करने की इच्छा से आते थे, वह यहां की लालफीताशाही के कारण, जो व्यापार स्थापित करना चाहते थे, वह यहां से पड़ौसी राज्यों में चले जाते है। वह जाता है उत्तर प्रदेश, वह जाता है दिल्ली में, वह जाता है हरियाणा में। उनको लाइसेन्स मिलेगा नहीं, उद्योग यहां स्थापित होंगे नहीं। राजस्थान बिक्री कर प्रणाली के आधार पर बड़ी हालत खराब है। बड़े कारखाने थे खेतड़ी में ताम्बा प्रोजेक्ट था वह क्यों चला गया? कहां से बिक्री कर मिलेगा? कारखाना वहां चला गया, कारखाना राजस्थान में नहीं है। नाम राजस्थान का है खेतड़ी और आफिस है कलकत्ते में। खाली नाम के द्वारा राजस्थान ने प्रगति की है तो राजस्थान के 13 आदमियों ने और वह कहते हैं कि अन्तर्भारतीय हो गये। अन्तर्भारतीय के नाम से, माननीय उपाध्यक्ष यह करना चाहते हैं।

इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से मनोरंजन कर के बारे में निवेदन किया, बिक्री

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

कर के बारे में निवेदन किया कि यह भूल की है जिसकी वजह से सिंघानिया और डी. सी. एम. के मुकदमें चल रहे हैं। इसमें संशोधन कीजिये। जब आपको एडिशनल एक्साइज ड्यूटी मिलती है तो आप सैल्स टैक्स नहीं लेंगे। कपड़े का व्यापार चौपट हो जायगा। लोगों के लंगोटी लग जायगी। इसलिए आपको गलत सलाह दी गई है, गलत कानूनी सलाह दी गई है। आपने कहा कि हाई कोर्ट की बैंच के बारे में सहानुभूति से विचार करने को तैयार हूं तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करना चाहूंगा कि आज अधिवेशन जल्दी ही समाप्त हो जायगा। आपके लोग तो बोलेंगे नहीं और विरोधी दल वाले हैं नहीं और मैं जो बोला हूं वह सुना या नहीं। कई बार, उपाध्यक्ष महोदय, कोरम की घंटी बजाते हैं तो कोई चाय पर बैठा हुआ मिलेगा, कोई बाजार में रिक्शे पर घूमता हुआ मिलेगा। बोलने की हमारे लिए क्या आवश्यकता है? हमारा काम बोलने का नहीं है। हमारी एब्सोल्यूट मैजोरिटी है। 145 है जिनमें से एक अध्यक्ष हो गया और 144 रह गये। बाहर 144 की धारा और हाउस में 144 की धारा है। आप संशोधनों पर विचार नहीं करते हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) सदन की कार्यवाही कुछ समय में समाप्त हो जायगी। आप मेरे साथ चलिए और मैं वकीलों से कहूंगा यह चन्दनमलजी बैद हैं। मैं आपका परिचय करा दूंगा। आपकी तारीफ करूंगा और जयपुर में हाई कोर्ट बैंच हो इस मांग का आप समर्थन करेंगे और सायंकाल 7 बजे तक उनके साथ भूख हड़ताल में शामिल होकर उनकी मांग का समर्थन करेंगे। आपको समर्थन करना चाहिये क्योंकि आपके जिले की यह मांग है।

श्री उपाध्यक्ष : यह भी संशोधन प्रस्ताव में है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण चौधरी।

(अनुपस्थित)

माननीय वित्त मंत्री।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने कराधान विधेयक की जितनी क्लाजेज थीं उन सब क्लाजेज के बारे में विस्तार से बातें कह दीं। मैं समझता हूं कि सारी क्लाजेज के बारे में वे विस्तार से कह चुके हैं तो क्लाज बाइ क्लाज जब डिसकशन होगा उस समय शायद सदन का समय लेने की ज्यादा कृपा नहीं करेंगे।

मैं एक बात उनके लिए अर्ज कर देना चाहता हूँ कि हमने केवल सैल्स टैक्स एक्ट शेड्यूल था उसमें जो 18वीं एन्ट्री थी उसको डिलीट किया है, और जो हमने सैल्स टैक्स लगाया है वह उन्हीं चीजों पर लगाया है जिन पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगी हुई है। अगर वे चाहें तो वह नोटिफिकेशन पढ़ दूं—

"In exercise of the powers conferred by section 5 of the Rajas-

(श्री चन्दनमल बैद)

than Sales Tax Act, 1954 (Rajasthan Act 29 of 1954), the State Government hereby notifies that with immediate effect the rate of tax payable by a dealer in respect of khandsari sugar and unprocessed rayon....."

जो है अनप्रोसेस्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क फ्रेब्रिक्स के ऊपर वह "...and artificial silk fabrics, on which additional excise duty is not leviable under the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957, or, if leviable, has specifically been exempted from such duty, shall be 3%" तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह तो ठीक है कि आपने भाषण दिया। बहुत पढ़कर आते हैं। आप विद्वान आदमी हैं आपकी विद्वत्ता का मैं कायल हूं, आप जो पढ़कर आते हैं। उसका मैं कायल हूं। लेकिन पढ़कर जो आते हैं वह जो मैंने पढ़कर सुनाया है वह हिन्दी में भी है अगर आप यह कहें कि मैं अंग्रेजी कम पढ़ा हुआ हूं..

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** : मैं बी. ए. एल. एल. बी. हूं। आप शायद एम. ए. होंगे तो मुझसे से ज्यादा पढ़े है और नहीं तो कम हैं।

श्री **चन्दनमल बैद** : मैं एम. ए., एल. एल. बी. हूं। मगर अपने को बी. ए. ही पढ़ा हुआ समझता हूं।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : बड़े ने बड़े को पहचान लिया।

श्री **चन्दनमल बैद** : यह तो मैंने जैसा कि कहा है कि डी. सी. ए. और जे. के. का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट, में, माननीय उपाध्यक्ष, इनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि पहले भी वित्त मंत्रीजी ने जब कि केस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तब यहां कुछ बयान दिया था और इन्ट्रेस्टेड एडवोकेट ने उन बयानों की कापियों को सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में पेश करके सरकार को नुकसान पहुंचाया था। मैं नहीं चाहता कि जो बयान मैं आज दूं उसका दुरुपयोग हो। इस वास्ते मैं चुप रहना चाहता हूं। वह केस चल रहे हैं। इस वास्ते नहीं बोलना चाहता कि केस सबजुडिस हैं। लेकिन यह मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि कम से कम हर साल वसूली करेंगे, देंगे तो नहीं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा जैसा भी फैसला होगा देखा जायगा। मैं इतना ही इसमें कहना चाहता हूं।

अब उनका जो कहना है कपड़े पर टैक्स लगा और बहुत सी चीजों पर लगा दिया। जिन पर कि एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है उन पर टैक्स नहीं लगाया है। कपड़े पर दूसरी एक्साइज ड्यूटी लगी हुई हैं इस वास्ते उन पे टैक्स लगाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। आप पधारे थे और व्यापारी भी पधारे थे तो उनके सामने मैंने कहा था और आज भी आपके सामने साफ कर देता हूं कि केवल दो चीजों पर 3 पर्सेन्ट के हिसाब से सैल्स टैक्स लगाया है। तीन चीजें हैं। एक तो खण्डसारी, दूसरा अनप्रोसेस्ड रैयन और अनप्रोसेस्ड आर्टिफिशियल सिल्क फैब्रिक्स...

Page No 114

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अनप्रोसेस्ड रेयन इसकी परिभाषा क्या है और इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : हिन्दी में दिया हुआ है उसको पढ़ लें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या क्या वस्तुएं आती हैं वित्त मंत्रीजी को जबानी याद होगा।

श्री चन्दनमल बैद : जो रेयन अन-प्रोसेस्ड है। सुप्रीम कोर्ट में सारी बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इन्टर-प्रेट करें।

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्री जी खादी भी इसमें आयगी कि नहीं।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय उपाध्यक्ष माननीय सदस्य चाहते हैं मुझे कुछ चीजों में डेंग करना जिसमें में डेंग नहीं होना चाहता।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जिसमें ज्ञान नहीं है उसको ढूंढ कर लेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : मैं मानता हूं इस चार्ज को। मैं इस चीज में मैं डूंग होना चाहता हूं जिससे स्टेट के इन्ट्रेस्ट में नुकसान हो। आपका चार्ज मान लेता हूं। आपको अगर जानकारी है तो अच्छा है। मैं अज्ञानी ही सही लेकिन कम से कम इतना ज्ञान तो है कि मेरे स्टेट-मेंट से अगर स्टेट को नुकसान होता है तो अज्ञानी बनना ज्यादा अच्छा है बनिस्बत इसके कि स्टेट के इन्ट्रेस्ट का नुकसान हो।

दूसरी बातें आपने कही हैं। मैं कह चुका हूं कि बंगला देश के सिलसिले में जो लेवी लगाई थी उसको हटा कर अकाल पीड़ितों के लिए कर दिया है। वैसे आप बातें तो बहुत करते हैं अकाल के बारे में कि इतने लोगों को रोजगार नहीं दिया। इसमें मैंने क्या किया है ? सिर्फ एक करोड़ का टैक्स लगाया है और हमारे भाई जो अकाल से पीड़ित हैं जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ 30 लाख हैं, क्या हम उनके लिए इतना भी त्याग नहीं करना चाहते हैं ? दो रुपये का सिनेमा का टिकट खरीद कर सिनेमा देखे तो अकाल पीड़ित भाइयों के लिए 10 पैसा नहीं देना चाहते। 3 या 4 रुपये का टिकट खरीद कर सिनेमा देखने जायगें तो अकाल पीड़ित भाइयों के लिए 20 पैसा भी नहीं देना चाहते। अकाल राहत मंत्री स्टेटमेंट देते हैं और बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं। मैं तो समझता हूं कि इसके लिए ज्यादा चार्ज करने को कहना चाहिए। मैं तो समझता था कि माननीय सदस्य यह कहेंगे कि बंगला देश की लेवी अकाल पीड़ितों के लिए बढ़ा कर दुगनी कर दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह किसने मना किया है ? न मैंने अपने भाषण में इस प्रकार की बात कही है कि बंगला देश के शरणार्थियो के लिए जो आपने टैक्स लगा रखा है वह वापिस लें और अकाल के नाम पर खर्च करें तो बाड़मेर में जो हिन्दू शर-णार्थी हैं उन पर खर्च करें। उनके लिए आप अर्थदान लेना चाहें तो मैं आपके साथ में झोली पसार कर डगर डगर आपके साथ चलने को तैयार हूं, तत्पर हू ।

श्री चन्दनमल बैद: आप झोली पसार कर काम करना चाहें तो उस से मैं मना नहीं करता आपके साथ जाऊं या न जाऊं यह अलग बात है। आप झोली पसार कर अकाल पीड़ितों के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोकेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: कर रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद: आपको धन्यवाद है इसके लिए अगर आप कर रहे हैं तो, लेकिन सिनेमा देखने के लिए दो रुपये का टिकट खरीदते हैं उसके 2 रुपये और 10 पैसे ले लेते हैं और अगर चार रुपये का खरीदते हैं और उसके 4 रुपये 20 पैसे ले लेते हैं तो क्या बुराई करते हैं?

श्री गिरधारीलाल भार्गव: टैक्स का पैसा आप ले लेते हैं लेकिन नगरपालिका को मनोरंजन कर का हिस्सा देना चाहिए। आप अकाल के नाम से...

श्री वृद्धिचन्द जैन: आप प्रशंसा करिये।

श्री चन्दनमल बैद: जो आपने पाईन्ट उठाये हैं वे सारे क्लियर कर दिये हैं इसमें जो शंकायें है, वह निर्मूल हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप डिग करना चाहें, चाहे आप अज्ञानी कहें, बेवकूफ कहें, कुछ भी कहें, मैं डिग नहीं होऊंगा। एक बार सरकार ऐसा नुकसान उठा चुकी है, दुबारा नुकसान नहीं उठाना चाहती है।

इन शब्दों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: जनमत के प्रस्ताव के बारे में।

श्री चन्दनमल बैद: जनमत के लिए प्रसारित करने का प्रस्ताव है उसे स्वीकार करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1973 के सम्बन्ध में श्री गिरधारीलाल भार्गव ने जनमत जानने हेतु विधेयक को परिचालित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: स्वीकृत किया जाय।

राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1973: विचार एवं पारण

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया

माननीय मंत्री जी!

श्री फूलचन्द जैन: तीसरा वाचन है, मैं दो मिनट लेना चाहता हूं।

श्री चन्दनमल बैद: क्लाज बाई क्लाज है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर खण्डशः विचार होगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : वह बाद में होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोई अमेंडमेंट नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें कोई अमेन्डमेन्ट नहीं हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : नहीं है तो भी खण्डशः एक एक पर, 'हां' 'ना' करायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फूलचन्द जैन।

श्री चन्दनमल बैद : किसी खण्ड पर कोई संशोधन नहीं है इसलिए इसको खण्डशः लेने की जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव मूव कर दीजिये।

श्री चन्दनमल बैद : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1973 को पारित किया जाय।

श्री फूलचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक ही बात इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मनोरंजन कर के बारे में अभी जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है और न हम इस बारे में कुछ कहना ही चाहते हैं। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, राजस्थान के अन्दर जैसा कुछ देर पहले माननीय वित्त मंत्री ने भी कहा है, हाउस टैक्स के मामले में नगरपालिकाओं की क्या स्थिति है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति करीब करीब अधिकांश स्थानों पर खराब है। एक मौलिक प्रश्न पैदा होता है, चाहे वाटर वर्क्स हो, चाहे दूसरे वित्तीय साधन हों जिनसे नगरपालिकायें अपनी वित्तीय स्थिति ठीक कर सकती हैं—उन सबको धीरे धीरे राज्य सरकार अपने हाथ में ले रही है। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, जो मनोरंजन कर राजस्थान के अन्दर राजस्थान सरकार एकत्रित कर रही है, और जो हिस्सा म्युनिसिपैलिटी को मिलना चाहिये उसका, जो सन् 1951 पहले से निर्धारित हमने किया, उसके बाद से लेकर आज तक उस आधार पर म्युनीसिपैलिटी को दिया जाता है, वह बहुत अनुचित है। 1951 के बाद आज 1973 तक राजस्थान के अन्दर मनोरंजन कर की वसूली के अन्दर बढ़ोतरी हुई है—यह माननीय वित्त मंत्री जी भी मानेंगे और इसके साथ साथ में जैसा आपका स्वयं का मानना है कि नगरों के अन्दर जो छोटे मोटे डेवलपमेन्ट के और दूसरे वहां के विकास के काम हैं—उनका सारा उत्तरदायित्व म्युनिसिपैलिटी के ऊपर आता है। उनको रेवेन्यू का कोई मोटा सोर्स है, वह उनके पास में आज नहीं है। उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री को यह विचार करना चाहिए कि किस तरह से आप मनोरंजन कर में से प्रोपोर्शनेटली म्युनिसिपैलिटी को हिस्सा दें, 1951 के बजाय आज जो मिल रहा है उसके आधार पर आप रिवाइज करके म्युनिसिपैलिटी को दें। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस बारे में भी गम्भीरता से माननीय वित्त मंत्री को विचार करना चाहिए जो हमारे वित्तीय साधन हैं, जो स्थानीय स्रोतों से हमें मिलता है, उसके अन्दर से भी हम किस प्रकार से

(श्री फूलचन्द जैन)
टाउन डेवलपमेंट के लिए जो म्यूनीसिपैलिटी फंक्शन करती हैं, उनको सब्सीडाइज कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में खास तौर से मैं मनोरंजन कर के बारे में कहूंगा, वित्त मंत्री जी इस बारे में गम्भीरता से विचार करके ठोस निर्णय करें। इसके साथ ही और टैक्सेज के बारे में जो भी रास्ता निकाल सकते हैं, वह आपको निकालना चाहिए जिससे म्यूनीसिपैलिटी की आर्थिक स्थिति में उचित सुधार हो और वह टाउन के डेवलपमेंट का रोल और ड्यूटी ठीक तरह से पूरी कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, टैक्सेशन लाज अमेंडमेंट बिल के तृतीय वाचन पर बहस हो रही है, इस अवसर पर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा राज्य सरकार से कि जिस प्रकार से आपने सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन के समक्ष राजस्थान की वित्तीय स्थिति को रखते हुए भारत सरकार से यह मांग की है कि एक नये तौर पर किसी प्रकार से केन्द्रीय फाइनेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाय, सेन्टर और स्टेट के बीच, किस प्रकार जो पिछड़े हुए राज्य हैं उनकी पिछड़ी हुई स्थिति को देखते हुए उनको अधिक वित्तीय सहायता दी जाय और ऐसे जो राज्य हैं, जो कि क्रानिकली बैकवर्ड हैं उनकी बैकवर्डनेस को खत्म करने के लिए किस प्रकार केन्द्र से व्यवस्था की जाय। जिस प्रकार भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में वित्तीय सम्बन्धों पर विचार करने के लिए फाइनेन्स कमीशन आवश्यक है, मैं समझता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार से आज राजस्थान में भी यह प्रश्न इन सभी दृष्टिकोण से है कि राज्य सरकार और स्वायत्त शासन संस्थाओं, नगरपालिकाओं या पंचायतों—इनके बीच में वित्तीय सम्बन्ध क्या हों इन पर नये तौर से विचार करने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट को अपनी इस पालिसी पर डिनोवो विचार करना चाहिए और इसके लिए एक हाई पावर कमीशन बैठाया जाना चाहिए, जिसको यह पाइन्ट रेफर किया जाना चाहिए कि यह जो स्वायत्त शासन संस्थायें, नगरपालिकायें या पंचायतें बन रही हैं, उनके जो अपने कर्तव्य हैं, उन कर्त्तव्यों को वह पूर्णतया निभा सकें— इसके लिए इन्हें किस प्रकार से वित्तीय तौर पर सक्षम बना सकते हैं। इस दृष्टिकोण से इस पर विचार किया जाना चाहिए कि कौन से ऐसे साधन हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को अवेलेबल हो सकते हैं, कौनसे ऐसे साधन हैं जो कि इन स्वायत्त शासन संस्थाओं को ट्रान्सफर किये जाने चाहिए। यह बात विचार करके ही हम इन स्वायत्त शासन संस्थाओं को सक्षम बना सकेंगे। उसी प्रकार से यह प्रश्न भी राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में अभी तक जो विकास की नीति अपनाई गई है, मैं पहले भी कई बार निवेदन कर चुका हूं उनके पीछे एक सुसंगत वैज्ञानिक दृष्टिकोण न रहते हुए जो पूंजीवादी दृष्टिकोण है या इधर उधर के राजनैतिक दबाव के दृष्टिकोण से राजस्थान में विकास की नीति अपनाई गई है, जिसके कारण राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जिलों में इम्बेलेन्स पैदा हुआ है, जो कि एक असंतोष का कारण है। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो इस सदन में किन्हीं माननीय सदस्यों द्वारा या किन्हीं पार्टियों द्वारा विभाजन की बात की जाती है—हमारा दल इस विभाजन की बात को तो बिल्कुल मुखालफत करता है लेकिन मैं यह समझता हूं कि उसकी आवाज उठी है ना, उसकी पृष्ठ भूमि है जो ब्रोडिग ग्राउन्ड है, उसको खत्म किया जाना चाहिए। और वह ब्रोडिग ग्राउन्ड, असंतोष का कारण असंतुलन है और इस इम्बेलेन्स को दूर करने के लिए यह जो फाइनेन्शल एलोकेशन है अलग अलग जिलों में, इसका आधार क्या है ? किसी प्रकार का वैज्ञानिक आधार हो, यह बात भी विचार करने योग्य है और अभी भी जितना इम्बेलेन्स क्रीएट हो गया, उसको कैसे हम ग्रेजूएली दूर कर सकें जिससे राजस्थान की जनता को आश्वस्त कर सकें कि राजस्थान के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला है उसके हितों की उपेक्षा हम नहीं करते। जो फ्रानिकली पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, डेजर्ट एरिया है, जो लोग वहां रहते हैं, वे आश्वस्त होने चाहिए कि राजस्थान के जो ज्यादा साधन-सम्पन्न क्षेत्र हैं उनके हिस्सों से कुछ मात्रा में उनके क्षेत्रों पर विकास के लिए ज्यादा धन खर्च किया जायगा, उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जायगी साथ ही दूसरे क्षेत्र के लोगों को भी विश्वास में लिया जाना चाहिए कि दूसरे डेजर्ट एरियाज के विकास होने तक उनके विकास के काम को फ्रीज नहीं किया जायगा बल्कि उनको भी मौका दिया जायगा कि वे आगे बढ़ सकें, और उनके एरियाज में विकास कार्यक्रम हाथ में लिए जायेंगे। मोटे तौर पर मैं समझता हूं इस प्रकार का कोई भी एक तरीका हो सकता है जिसमें पर्टीक्यूलर माऊंट तक सब जिलों में सब क्षेत्रों में विकास पर खर्चा किया जाए और एक पूल बना लें जो क्रानिकल बेकवर्ड एरियाज हैं उनके लिए उस पूल में से पैसा लेकर हम खर्च करें और उस हद तक उनको भी एडीशनल पैसा मिले ताकि उनकी बेकवर्डनेस शनैः शनैः दूर होकर दूसरे क्षेत्रों की बराबरी में आ सके।

जब आज राज्य सरकार एक नई पृष्ठभूमि में अपना बजट बनाने का प्रयत्न कर रही है तो अपनी कर-नीति के अंदर भी डीनोवो विचार करना चाहिए और जो गरीबी हटाने का उद्देश्य है, उस दृष्टिकोण से जो साधनसंपन्न तबका है उस पर जो टेक्सेशन का बोझ हो और जो दबा हुआ गरीब तबका है उससे उसको राहत मिले, यह दृष्टिकोण आपके कर प्रस्तावों का होना चाहिए। अभी तक वही पुराने प्रोपोजल्स, जो बिल्स पास किए और जिन पर विचार कर रहे हैं, उनको दिशा लगभग वही ही है जो कि पहले चल रही थी और बुनियादी तौर से इस प्रकार के रास्ते आप निकाल सकते थे, उदाहरण के लिए ....

श्री चन्दनमल बैद : अर्बन प्रापर्टी टैक्सेशन बिल को आप उसी ध्वनि से मान रहे हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब अर्बन प्रापर्टी विधेयक पर विचार हुआ, तो मैं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
मौजूद नहीं था परन्तु पहले जिस समय 1965 में यह बिल मंजूर हुआ था उस समय भी हमने कहा था और आज भी हमारी ध्वनि है कि जब आप 50 हजार के बाद केवल हाफ पर्सेन्ट ही लगाने की बात करते हैं इसका मतलब सबको एक ही लेविल में रखना चाहते हैं। वह आपने पावर्स ली हैं कि स्लेब सिस्टम को कर सकें, लेकिन भविष्य में वह तो केवल आप उम्मीद की बात करते हैं, लेकिन आपने जो लागू किया है वह तो 50 हजार से ऊपर आधा पर्सेंट रेट आपने लागू किया है। तो 1965 में भी जब यह पास हुआ हमने स्लेब सिस्टम के प्रोपोजल्स पेश किए थे जिनके द्वारा जो हाई इन्कम वाले थे उन पर काफी ऊंचा....

श्री **उपाध्यक्ष** : वह विधेयक तो पारित हो चुका है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : मुझे मालूम है। चूंकि यह फाइनेन्शियल बिल है मैं जनरल टैक्सेशन पालिसी के बारे में बोलना चाहता हूं इसमें जनरल और टैक्सेज के सम्बन्ध में संशोधन प्रस्ताव हैं ...

श्री **उपाध्यक्ष** : मौजूदा जो टैक्सेशन बिल हैं उसमें लैंड टैक्सेशन वाली बात शामिल नहीं करनी चाहिए।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : तृतीय वाचन है। मैं सरकार की जनरल टैक्सेशन पालिसी के बारे में जिक्र कर रहा हूं कि किस तरह से सरकार को टैक्सेज लगाने चाहिए। वह तो उदाहरण के लिए ही है। हमने सदन में कहा है बहुत वर्षों तक इस प्रकार के कर वसूल ही नहीं हुए। इस साल आपने चेंज की है तो और इफेक्टिव होना चाहिए जिस से जो ज्यादा साधन सम्पन्न हैं उनसे ज्यादा ले सकें, इस प्रकार किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से यहां पर प्रोपोजल्स पहले भी आये, खुद सरकार की तरफ से भी टर्नओवर टैक्स के बारे में बिल्स यहां पर आए, लेकिन बाद में वह बिल्स इधर-उधर हो गए और आगे नहीं बढ़े। इसी प्रकार से जो ठेकेदार लोग हैं या जिनको खानों की लीज मिलती है उन पर सरचार्ज के रूप में या और प्रकार से उन पर एडीशनल लेवी लगाई जा सकती थी, वह नहीं लगाई जा रही है। तो इस रूप से सरकार को अपनी टैक्सेशन पालिसी में बुनियादी तौर से परिवर्तन करना चाहिए। जो 1971 के चुनाव घोषणा पत्र में उन्होंने कहा है, उस दृष्टिकोण से टैक्सेशन पर नई नजर आवश्यक है। मैं समझता हूं नए साल में वित्त मंत्री, या वित मन्त्रालय को जो हैड करे, उस पर विचार करके इस प्रकार के प्रस्ताव लायेंगे जिससे वास्तव में गरीब लोगों को राहत मिलेगी और रिच सेक्शन्स से ज्यादा पैसा ले सकेंगे।

जहां तक मनोरंजन कर का सवाल है, यह प्रश्न इस सदन में बार बार उठाया गया है और जो मैंने पहले प्रोपोजल्स दिए हैं कि किस तरह से स्वायत्त शासन संस्थाओं को सक्षम बनाया जाय, यह बात उसी में आ गई है, परन्तु इस समय उस पैसे का डिस्पोजल जिस आधार पर कर रहे हैं उसके पीछे वैज्ञानिक, जस्टीफाइड आधार नहीं है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आर्बिट्रेरी डेट से आपने माना है कि उस तारीख से जहां पर मनोरंजन कर लगाते थे उन नगरपालिकाओं को आप मनोरंजन कर में से हिस्सा दे रहे हैं और उस तारीख के बाद जहां पर मनोरंजन कर लगा है, उन नगरपालिकाओं को आप नहीं देते हैं। यह आधार उचित नहीं है। आपको मनोरंजन कर में से हिस्सा देना है तो टाउनशिप्स डेवलप हो रही हैं, वहां मनोरंजन कर शुरु हुआ है, यहां स्वायत्त शासन संस्थाओं को उसमें से हिस्सा मिले, वही पर्टीक्यूलर डेट को वायस क्यों मानते हैं उससे पहले वालों को क्यों नहीं यह तो सिवा वित्तीय तरीके से पैसे को बचाने के और कुछ नहीं है। सही नीति अपनाई जाए, उसका यह आधार नहीं हो सकता। इस रूप में काफी नगरपालिकायें और पंचायतें होंगी जहां पर मनोरंजन कर लगता होगा, लेकिन उनको उसमें से हिस्सा नहीं मिलता होगा। जब तक कोई बड़ा टैक्सेशन कमीशन बैठे और वह विचार करे तब तक आप भी विचार कर सकते हैं। और सही आधार यही है कि उस तारीख से जहां भी मनोरंजन कर मिलता है, उसका प्रोपोरशन तय करें, उसका प्रोपोरशन नगरपालिकाओं या पंचायत को मिले, कुछ प्रोपोरशन राज्य सरकार को मिले, उसका रेश्यो तय करना चाहिए बजाय इसके कि आप सब बातों में डेट तय करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय अब मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा वह है हाई कोर्ट के बारे में। कल भी इस सदन में इसका जिकर आया था। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी की तरफ से इस सदन में कई बार यह मुद्दा उठाया गया कि हाईकोर्ट की बेंच जयपुर रखी जाये। इस बारे में हमने दो-तीन प्रस्ताव भी रखे थे। और अभी जो बैलट निकले थे कि नान-आफिशियल डे की कार्यवाही के लिये उसके लिये भी मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि वह भी हमारे काम्यूनिस्ट पार्टी का रिजोल्यूशन दिया हुआ है वही खुला था। तो, उपाध्यक्ष महोदय हमारे दल का यह स्पष्ट दृष्टिकोण है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में हाई कोर्ट की बेन्च आनी चाहिये। इसके लिये हम जोधपुर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, और न ही इससे हम जोधपुर के क्षेत्र को क्षति पहुंचाने के लिये यह कर रहे हैं। लेकिन यह करना एक तरह से डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना है। और इसके लिये सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारा दल इस पक्ष में है कि हाईकोर्ट की बेन्च जयपुर में आये। लेकिन इस बात को लेकर दूसरे जो इकोनामिक इश्यूज हैं जो इससे भी जटिल इश्यूज हैं उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता।

मेरा निवेदन है कि जो इकोनामिक इश्यूज हैं उनको प्रायोरिटी दी जानी चाहिये। हम उनके खिलाफ में इसको पहले लेना नहीं चाहते। हम इस बात के खिलाफ हैं कि जब हमारी राज्य सरकार महंगाई को दूर करने के लिये और बेरोजगारी को दूर करने के लिये होल सैल ट्रेड हाथ में ले रही है चाहे वह गेहूं का हो चाहे और किसी एक चीज का, ताकि यहां की जनता को सस्ता अनाज मिल सके और अनाज की उचित कीमत काश्तकार को मिले। आज लोग इसके लिये

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

एक्सप्लायटेशन कर रहे हैं। आज एक बात हो रही है डिक्लेअर्ड तरीके से या अनडिक्लेअर्ड तरीके से। ऐसे वक्त पर हमें ऐसे कदम उठाने चाहिये कि जिससे कि कन्जूमर्स जो कि करीब 25 प्रतिशत हैं उनको टच करता है और टच करता है 75 पर्सेन्ट राजस्थान के काश्तकारों को जो कि प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें किसी प्रकार का नुकसान न हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। आज हमारे देश मे एक नई व्यवस्था जो हो रही है। हमारी सरकार होल सेल ट्रेड को टेक ओवर करने जा रही है हमें उस पर विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन इसके लिये एक वर्ग ऐसा है जो कि इसको और तरीके से मोड़ देना चाहता है। वह एक तरफ है दूसरी तरफ है प्रोग्रेसिव फोर्सेस जो कि इसे कामयाब करना चाहते हैं वह चाहते हैं कि यह सक्सेसफुल हो जाय। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो वर्ग इसको कामयाब नहीं होने देना चाहते हैं जो इन्हें फेल करना चाहते हैं उनके इरादों को पूरा नहीं होने दें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस प्रश्न को दूसरा मोड़ दे रहे हैं चाहे हाईकोर्ट के प्रश्न को लेकर चाहे और दूसरा। हाई कोर्ट का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आज हम जो होलसेल ट्रेड शुरू कर रहे हैं। वर्ना यह हाईकोर्ट आन्दोलन एक प्रकार से टारपीडो का काम करेगा, क्योंकि लोगों का ध्यान रिएक्शनेरीज पेशेन्टली सबवर्ट करना चाहते हैं। इन्ट्रेस्टेड लोग इसमें सेबोटेज करना चाहते हैं इसलिये मेरा सदन के माननीय सदस्यों को और जो भी प्रोग्रेसिव थिंकिंग के लोग हैं उन्हें निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस आन्दोलन को ज्यादा नहीं बढ़ावें। हम इसके खिलाफ नहीं हैं कि हाईकोर्ट को बेंच जयपुर में नहीं आये हम तो इसके पक्ष मे हैं, लेकिन इस बारे में अभी आन्दोलन करें जैसी बात नहीं है। हमें इसमें ऐसे क्रूशियल समय पर आन्दोलन नहीं करना चाहिये। इस इश्यू को हमें सभी लोगों को बैठ कर, बातचीत करके इसे हल करना चाहिये। क्योंकि इस समय हमारे पास में हाईकोर्ट की बेंच जयपुर में हो इससे भी बड़ा इश्यू हमारे सामने है। जिसे हमें प्रायोरिटी देना है। मैं माननीय सदस्यों को तथा बार ऐसोसिएशन के सदस्यों को तथा जयपुर के लोगों को यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी इस प्रेस नहीं करें, क्योंकि इसको अधिक प्रेस करने से हमारे दूसरे वाईटल इश्यू की इम्पार्टेन्स कम हो जायेगी। जो तबका आज इस होल सेल ट्रेड को फेल करना चाहता है व इसको हाईकोर्ट की बेन्च के नाम से एक्सप्लायट कर रहे हैं। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे मेजर इश्यू पर काफी गम्भीरता से सोचने की जरूरत है। आज हाई कोर्ट की बेन्च को लेकर आन्दोलन का रास्ता अपनाना मैं गलत समझता हूं, क्योंकि इसका इम्पेक्ट दूसरी बातों पर पड़ेगा और वह जो हमारे मेन परपज जो अनाज का थोक व्यापार की बात है उसको डिफीट करेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि हमें क्षेत्रीय भावना से ऊपर उठ कर काम करना चाहिये। आज ऐजीटेशन करने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की जरूरत नहीं है। हमें इस मसले को सिर्फ बैठ कर निपटाने की जरूरत है। हमें इसको आन्दोलन का स्वरूप नहीं देना चाहिए नहीं तो जो आज गवर्नमेन्ट मशीनरी इस होलसेल के ट्रेड को हाथ में लेने से झिझक रही है जो कि इसको फेल करना चाहती है जो इसे कामयाब नहीं होने देना चाहती है उसे बढ़ावा मिलेगा। इसलिये हमें ऐसी व्यवस्था पैदा करनी है कि जिससे यह हमारी योजना फेल नहीं हो। हमें ऐसी व्यवस्था करनी है जिससे जनता को लाभ हो। हमें इस प्रकार की योजना बनानी है जिससे कि एक्सप्लायटिंग क्लास इसका फायदा नहीं उठा सके।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : जो आप बोल चुके हैं उन पर नहीं बोलेंगे। जो रह गया हो उसके बारे में कह सकते हैं। जो जरूरी हो वह कहें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वही कह रहा हूं। जो जरूरी है वही कह रहा हूं। मेरी एक प्रार्थना है, उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि आज नगरपरिषद् की हालत बहुत खराब है। नगरपरिषद के सदस्यों की हालत भी बहुत ही दयनीय है। आज उनको एक पैसा भी तनख्वाह नहीं मिलती। नगर का जो प्रथम नागरिक है नगरपालिका का अध्यक्ष उसको जो, जयपुर की नगरपालिका का अध्यक्ष है उसको राज्य सरकार 175 रुपये माहवार देती है और जो दूसरे बोर्ड है जैसे आमेर और चौमू उनके प्रथम नागरिक को सिर्फ 75 रुपया मिलता है। आप भी सोचिये, उपाध्यक्ष महोदय कहां 175 रुपये और कहां 75 रुपये? इससे कैसे काम चल सकता है?

(3.47 म.प.)

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली, सभापति पदासीन)

सभापति महोदय, आप जरा गौर करें अगर प्रथम नागरिक के पास दो चार सदस्य आकर बैठ जायें तो उसको तो 175 रुपया मिलता है वह तो सदस्यों की चाय पानी में ही चला जाय। अगर वहां पर दो चार सदस्यों के साथ म्यूनिसिपैलिटी का इन्जीनियर या कमिश्नर आकर बैठ जाय तो हो गया उसका तो बेड़ा गर्क। अब रहा नगरपरिषद् के सदस्यों को उसके लिये तो आपने यह कह दिया कि वह तो सिर्फ सेवा भाव ही करें, लेकिन, सभापति महोदय आखिर कुछ तो अलाउन्स नगरपरिषद् के सदस्यों को मिलना चाहिये।

इसके बाद में जो निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि आज नगरपरिषद् की तरफ से कोई स्कूल नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है और न ही कोई वाचनालय ही है। आज न हीं कोई पार्क है नगरपरिषद् के। आज अगर नगरपरिषद् के कोई पार्क हो तो लोग वहां पर जाकर बैठें जिमनास्टिक हो तो कसरत वगैरह करें अगर सरकार यह व्यवस्था जगह-जगह, मोहल्ले-मोहल्ले में करदे तो काफी लोग कसरत करके अपने घर जायेंगे तो थके-मांदे होंगे जाकर सो रहेंगे और उन्हें दूसरी गड़बड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आज जो राज्य सरकार परिवार नियोजन पर लाखों रुपया

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

जो खर्च कर रही है और फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है वह बच जायेगा। और राज्य सरकार के परिवार नियोजन करने के उद्देश्य को भी पूरा कर देगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि नगर परिषद् द्वारा जगह-जगह मोहल्ले-मोहल्ले में पार्क खोले जायें और मेरी कही हुई व्यवस्थायें अगर की गयी तो आपको काफी लाभ होगा। आज लोगों को खुली हवा मिलती नहीं है शहर में गटर जगह जगह से बह रहे हैं। आज हमें अगर लोग कहें कि नगरपालिका की तरफ से फव्वारे लगाओ तो हम कह सकते हैं कि यह जो शहर गटर में से जो कि जगह जगह जगह फूट गये हैं वहां से पानी फव्वारों की तरह से ही निकल रहे हैं। इन गटर्स को ठीक नहीं कराया जा रहा है। आज शहर में हर चौराहे पर मलबा पड़ा है उसे उठाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा हैं अगर हमें लोग इनको उठाने का कहें तो हम उनसे कह सकते हैं कि इन्हें उठाने की जरूरत नहीं है। इससे आप लोग अपने घरों की छतों पर गेहूं की खेती करिये ताकि आप लोगों को खाद की जरूरत नहीं पड़े तो इस प्रकार से सभापति महोदय आज बरसात के दिनों में जब पानी बहता है तो वहां पर ऐसी स्थिति बन जाती है कि आप चाहें तो इसमें कागज की नहीं बल्कि लकड़े की नाव भी चला सकते हैं। सभापति महोदय आज इतनी अव्यवस्था है कि अगर कहीं पर आग लग जाये तो नगरपरिषद् की आग बुझाने वाली गाडी की हालत खराब है। वहां पर कोई अच्छी मशीन नहीं है जिससे कि उससे पानी उस आग बुझाने वाली गाडी 'हुस्नबानू' से आग बुझाई जा सके। वैसे भी हुस्नबानू अकसर खराब पड़ी रहती है। ऐसी स्थिति है कि इस से जनता को आज बहुत परेशानी हो रही है। अगर आपने गटर्स को ठीक नहीं कराया तो पानी बढ़ेगा और बहुत ही खराब दशा हो जायेगी।

और आज, माननीय सभापति जी, आप भली प्रकार जानते हैं। हरिजनों के लिये पैसा प्रोवाइड हुआ है। सड़कों की हालत खराब है। मैं बड़ा दुखी म्युनिसिपैलिटी का मेम्बर निवेदन कर रहा हूं। माननीय वित्त मंत्रीजी, हवामहल कान्स्टीट्यून्सी में नगरपालिका का ज्यादा हिस्सा है। ब्रह्मपुरी भी इसी हवामहल क्षेत्र में आती है जहां पर नगरपरिषद् का ही क्षेत्र है और जहां पानी नहीं आता है। मैंने निवेदन किया कि हरिजन बस्ती में नल नहीं है, पाइप नहीं है। आप चलें मेरे साथ में हरिजनों के मोहल्ले में। आपने खूब वाह-वाही लूटी है। लेकिन आप देखेंगे कि एक पाइप है। कागदी वाड़ा है...

श्री चन्दन मल बैद : दो जगह के नाम बताये उसके मैंने आदेश दे दिये हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : फकीरों की बस्ती में गया था आमेर रोड पर। भिक्षावृत्ति आप रोकना चाहते हैं। जलप्रदाय विभाग आप के पास है उन लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। हवामहल क्षेत्र में कहीं चले जाइये। आलोचना प्रत्यालोचना नहीं करना चाहता हूं। गंगापोल की चौकड़ी का एरिया है। जयपुर शहर का आप विकास करना चाहते हैं। सड़कों पर आप डामर पुतवा रहे हैं। उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। क्योंकि जयपुर का रहने वाला हूं विरोधी दल से

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
चुन कर आया हूं जनसंघ को ओर से। दूसरे माननीय सदस्य भी आये हैं। सभी उसका लाभ उठाते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : सारे जयपुर में एयर कण्डोशन नहीं है आपके एरिया में ही है विधान सभा में।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपका वश चले तो जैसे भंगेड़ी फेंटा बांध कर खींचे फेंटा फट जायगा और विधान सभा यहीं रह जावेगी। यहां का विकास कर दिया अच्छा है। यहां आम जनता तो आ नहीं सकती है। पासों का भी आपने कड़ा प्रबन्ध कर दिया। दर्शक-दीर्घायें खाली पड़ी हैं। लोग आते नहीं। सिरेड्योढ़ी बाजार को देख लीजिये।

श्री चन्दनमल बैद : ऊपर भी देखिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इतनी खाली पड़ी है।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : लेडीज गेलरीज को देख रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आगे की ओर देख रहा हूं।

रामविलास सिनेमा के पास भाटे उठे हुए हैं। गोविन्द देवजी के मन्दिर में लोगों का आनाजाना रहता है। आप भी दिल्ली पधारते हैं। वे भाटे मोटर में आजावें तो कहीं ऐसी नौबत न आजावे कि मुझे आपकी राजी खुशी पूछने आना पड़े। 184 सदस्य मेरे प्रतिथि हैं मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। बाहर के लिए भी है। यहां पर ट्यूब वैल क्यों नहीं लगेगा।

श्री नानालाल : आपका निमन्त्रण स्वीकार है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : धाभाई जी की हवेली है। जहां माननीय सदस्य रहते हैं। जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं वे स्वयम् जानते हैं कि सुबह पानी बन्द हो जाता है। सुबह नहाने जाऊं तो लोगों से पानी की बाल्टो मांगता फिरूं या एक बाल्टी ले जा कर मुंह धोऊं। यह धाबाई जी हवेली की हालत है। जयपुर का विकास कर रहे हैं। गटर लाइन डाल रहे हैं। ट्यूब वैल लगा रहे हैं मंत्रीजी ने कहा कि जयपुर को पैरिस बना दूंगा। उनका प्रयास है। सी स्कीम मे नाला पड़ा है। मेरे यहां पन्नी नालों का नाला पड़ा है। तोपखाना घाट दरवाजे का बह कर नाला पन्नीवालों के वाले में होकर माधोविलास के पीछे होकर जाता है जहां कि लोग स्वास्थ्य का लाभ करते हैं, जहां काटेज वार्ड बने हुए हैं। गंदे पानी का नाला है। आप के पास लाखों रुपया आया आय का नगरपालिका को जो आय आनी चाहिये थी उसका है। यदि मैं म्युनिसिपेलिटी का अध्यक्ष बनूं तो ग्रोमोर फूड नहीं 'ग्रो मोर टट्टी' बार-बार आने इनाम में ले ओ। मल-मूत्र डालो।

श्री फूलचन्द जैन : माननीय सदस्य टैक्सेसन पर बहुत बोल चुके हैं और अब मलमूत्र पर आ गये हैं। आप थक गये हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : टैक्सेज पर ही कर रहा हूं। ब्रह्मपुरी में कूड़ा पड़ा

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

है। पन्नीवालों का नाला खराब है, कच्चा है, बड़े बड़े व्यापारी रहते हैं, वहां से वह गन्दा नाला जाता है। जोरावरसिंह के दरवाजे तक पहुंच, व्यवस्था समाप्त हो गई। आमेर रोड़ पर पानी पड़ा हुआ है। विकास का प्रबन्ध नहीं। नाली बनायी उधर नाली ऊंची और इधर नीची। आपने दो लाख रुपया पचास लाख में से खर्च किया। सदुपयोग नहीं हो रहा है। बराबर का पैसा बांटना चाहिये। जयपुर शहर मेरा है। जहां भी विकास योजनाएं हैं उनको दें। लेकिन थोड़ा इस ओर भी ध्यान देंवे तो बड़ी कृपा होगी। म्युनिसिपैलिटी के पास साधन नहीं सिवाय चुंगी के। कहां और कैसे वह विकास के कार्य करे? किशनपोल, गंगापोल सब जगह आवश्यकता है। म्युनिसिपैलिटी के पास आय का साधन है केवल चुंगी कर। वह तोल पर है। रेडियो भी तोल के आधार पर। अन्य नगरों में जैसी व्यवस्था है वैसी होनी चाहिये। चुंगी वस्तुओं पर, अदद पर लगना चाहिये।

गृह-कर लगाया बड़े बड़े लोगों पर नहीं लगाया। नाम नहीं खोलना चाहूंगा। दो चार मिनिट ही बोलने को मिले हैं। मुझे बैठने के लिये कह दिया जावेगा।

आज नगरपालिका के पास, माननीय वित्त मंत्री जी जमीन बेचने के भी अधिकार नहीं हैं। कौन से साधन हैं कि जिससे हरिजन कर्मचारियों को राणावत वेतन आयोग का वेतन दिया जा सके? मंहगाई भत्ता दिया जा सके? मंहगाई उनको भी सताती है। जिस प्रकार सरकार अपने कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देती है और अन्य सुविधायें देती है वैसी ही सुविधायें और मंहगाई भत्ता उनको भी मिलना चाहिये। राज्य सरकार के कर्मचारी कार्य करते हैं स्वायत्त शासन में रहने वाले कर्मचारी भी वैसा ही काम करते हैं। कर्मचारी सब एक हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों को अधिक वेतन और मंहगाई भत्ता मिले और म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारियों को कम मिले ऐसा नहीं होना चाहिये। समान मिलना चाहिये।

राज्य सरकार के कर्मचारियों की महंगाई आप बढ़ाते हैं तो उसी तरह से स्वायत्त संस्थाओं में भी बढ़ना चाहिये उनका भत्ता। आखिर महंगाई का असर तो उन पर भी पड़ता है।

आपने स्वायत्त संस्थाओं को चारों तरफ से वित्त संकट के घेरे में डाल रखा है। उनके वित्तीय स्रोत बन्द कर रखे हैं। वे जमीनें आपकी पूर्व अनुमति के बिना नहीं बेच सकते, स्ट्रिप आफ लैंड भी नहीं बेच सकते। शहर के चार दीवारी के भीतर आपने उसको सीमित कर दिया है। अगर कोई डिस्प्यूट है तो वह भी नगरपालिका से नहीं कर सकती, राज सरकार से करेगी। पांच सौ रुपये तक की जमीन नीलाम कर सकती है पर वह भी कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं। तो आखिर नगरपालिका क्या करे? जमीन बेचने का अधिकार और साधन जो हो सकता था वह आपने छीन लिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवीं योजना तक में सबके लिये अनुदान

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

का प्रावधान रखा है, पंचायतों के लिये रखा है, और रखा है पर नगरपालिकाओं के लिए एक पैसा नहीं रखा। आज नगरपालिकाओं की यह हालत है कि बिजली घर के बिल नहीं चुका पाने के कारण मोहल्ले के मोहल्ले अन्धेरे में पड़े हैं। बल्ब खराब होने पर दूसरे नहीं लगा सकती। इसके लिये उसके पास पैसा नहीं। आज जयपुर में यह हाल है। सिरेड्योढ़ी बाजार में अन्धेरा रहा। राजस्थान विधान सभा के सामने उसकी नाक के नीचे जलेबी चौक अन्धेरे में डूबा रहता है, जहां नगरपालिका का स्वयं का दफ्तर है। कहावत है 'दिया तले अन्धेरा'। रात को गलियों में अन्धेरा रहता है डर के मारे बहू-बेटियां घर से बाहर नहीं निकल सकती। आज यह हालत है। इसलिये निवेदन करूंगा कि मनोरंजन कर जो एक सशक्त साधन हो सकता है जिसके लिये माननीय फूलचन्द जी ने भी कहा। आपको देना तो अधिक चाहिये, पर उतना नहीं देना चाहते तो कम से कम छः पर्सेन्ट के हिसाब से तो उनको दे दें। नगरपरिषदों के अध्यक्षों के सम्मेलन में इस बात पर निर्णय हुआ। उस निर्णय को आप नहीं मानना चाहते। आखिर प्रजातन्त्र में आप करना क्या चाहते हैं? प्रजातन्त्र में आप विश्वास करने वाले हैं तब तो मनोरंजन कर पूरे का पूरा नगरपालिकाओं को मिलना चाहिये। पर फिर भी अगर छः पर्सेन्ट के हिसाब से भी दें तो तीन लाख के बजाय सात लाख 64 हजार रुपया जयपुर नगर पालिका को मिल सकता है और इसमें वह अपने नगर को अच्छी सेवा कर सकती है। सात सिनेमाओं के आधार पर जन संख्या के आधार पर यह रकम अधिक भी हो सकती है। तो मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी।

इसी तरह सैल्स टैक्स के बारे में निवेदन किया था। हलवाइयों पर आपने टैक्स लगाया। और छोटे छोटे अनपढ़ दुकानदारों पर लगाया। इस तरह जिस पद्धति को सरकार अपनाना चाहती है वह गलत है। इस पर आप को सही तरीके से विचार करना चाहिये।

मैं निवेदन करूंगा जैसा रामानन्दजी ने कहा कि हाई कोर्ट वाली बात में जनसंघ किधर है। भारतीय जनसंघ ने विभाजन की बात कभी नहीं कही। यह जरूर चाहता हूं कि जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच होनी चाहिये। यह जनसंघ का प्रस्ताव है। जनसंघ ने कभी यह नहीं कहा कि नहीं होनी चाहिये।

श्री **केसरीमल** : गुमानमलजी क्या कहते हैं?

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** : नेता के नाते जो पार्टी का रुख हैं वही उनका है। पार्टी ने कभी भी इस प्रकार से कोई प्रस्ताव पास नहीं किया है कि जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच नहीं होनी चाहिये। हमने विभाजन की बात भी नहीं कही है। हमने तो यहां तक कहा है कि हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में ही नहीं, बीकानेर में भी होनी चाहिये, उदयपुर में और कोटा में भी होनी चाहिये ताकि लोगों को और भी सस्ता न्याय मिले और जल्दी से मिले। सहूलियत से मिले। हाई कोर्ट की बैंच कहां कहां स्थापित की जानी चाहिये, इस बारे में जनसंघ की

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

नीति अत्यन्त स्पष्ट है और बिलकुल तर्क संगत है ।

श्री सभापति : वित्त मंत्री ।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सभापति महोदय, ...

श्री केदारनाथ : सभापति जी, मैं यह जानकारी चाहता था माननीय वित्त मंत्री जी से कि जो हमने फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में टार्गेट था वह पूरा किया, सैकण्ड में जो टार्गेट था उतना टैक्स हमने रिकवर कर लिया, थर्ड में टार्गेट से ज्यादा टैक्स वसूल कर लिया । चौथी योजना में आपका टार्गेट उससे भी ज्यादा पैसा वसूल करने में कामयाब रहा ।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं, इसमें कम किया । 13 करोड़ कम रहा ।

श्री केदारनाथ : इसमें एक साल आपने और बढ़ाया । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता था कि जब टैक्सेज के टार्गेट आपने एचीव कर लिये । फिर आपने जैसा कहा आपने फाइव पाइन्ट प्रोग्राम बनाया । टैक्सों की चोरी, एरियर की वसूली, सही असेसमेंट इन सबका राशनेलाइजेशन हो ।

पर मैं निवेदन कर दूं यह टैक्सेशन का काम नहीं होता । इसका सिद्धान्त दूसरा है । इसका इन्स्टेन्स किस पर पड़ा, क्या बुनियादी तौर पर जनता के साथ रिलेशन्स में तब्दीलियां आई या हम कुछ कितना जनता को दे पाये इस इन्सीडेन्स के मार्फत । क्या हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, किस रफ्तार से कितना बढ़ा, हमारे रिलेशन टैक्सेशन से इसके साथ बदले या नहीं ? टैक्सेशन का यह जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हमने कितना प्राप्त किया ? यह लक्ष्य नहीं है कि हमने कितना पैसा बटोर लिया । केवल पैसा बटोरना टैक्सेशन का लक्ष्य नहीं है । केवल पैसा बटोरने तक इसको सीमित रक्खेंगे तो टैक्सेशन का जो उसूल है उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते । स्टेट की इकोनोमी को बिल्ड करना भी इसका लक्ष्य है, उसमें इफेक्टिव स्टेमिना आवे । इकोनोमिक डवलपमेंन्ट आप कर सकते हैं ।

(4.05 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

ब्लेकमनी ने जो पेरेलल इकोनामी बना ली है उस पर इसका कितना असर पड़ा है यह भी हमें देखना है । हालांकि ब्लेकमनी का यह सवाल यहां उठाने का मेरा मतलब और कुछ नहीं है । यह सेन्ट्रल इश्यू है । फिर भी जैसा वित्त मंत्री जी ने कहा केलेमिटी फण्ड के बारे में लाबी क्रीएट की । काले धन की पेरेलल इकोनामी जो सारे देश में है उसका हमारी इकोनोमी पर डिवास्टेटिंग इफेक्ट कितना क्या किस तरह पड़ रहा है । टैक्स लगने के बाद इसके द्वारा इन्सीडेन्स क्रीएट करने पर वह ब्लेक मनी की पेरेलल इकोनोमी रहेगी अगर, तो आप समझ लें कि आपके स्टेट के सारे असैट्स, आपके सारे प्रोग्रेसिव स्टेप्स और आपकी यह टैक्सेशन की पालिसी फेल होती जावेगी । आपका टैक्सेशन और प्रोग्रेसिव स्टेप्स तभी सफल हो सकेंगे जब कि ब्लेकमनी की पेरेलल इकोनोमी खतम हो और इसका असर कम होता जाय ।

(श्री केदार नाथ)

वांचू रिपोर्ट के बाद भी आपने इस में तीन साल लगाये। इन्टेरिम रिपोर्ट के बाद फाइनल भी आ गई। मैं एक बात महसूस कर रहा हूं कि जो मोनोपोली हाउसेस थे इस सारे देश में जिनका बहुत बडा ग्रिप है यहां की इकोनोमी पर, उसके होते हुए आप के ये सारे प्रोपोजल्स, मैं समझता हूं, नल एण्ड वायड हैं, फेल हैं, बेकार हैं, मान्यवर।

जब आप कल फरमा रहे थे कि टैक्सेज के सारे एलास्टिक रिसोर्सेज केन्द्र के हाथ में हैं, वही बात यहां की स्वायत्त संस्थाओं को देखते हुए उनके साथ आपके बरताव को देखते हुए आपके लिए कही जा सकती है। जब आप कई मामलों में फाइनेन्शियल मेटर्स में डिसेन्ट्रलाइजेशन चाहते हैं सेन्टर से और कहते हैं कि इसके लिए एक जोइन्ट कौंसिल बने जो यह तै करें। इसके लिए मेरा निवेदन है कि यह बाडी पांच साल के लिए नहीं हो, परमानेन्ट हो। यह परमानेन्ट बाडी होनी चाहिये। ताकि फाइनेन्सियल रिलेशन्स समय समय पर तै हों।

तो जो डिसेन्ट्रलाइजेशन की पालिसी अपने बारे में चाहते हैं वह आप स्वायत्त संस्थाओं पर भी लागू करें। आप चाहते हैं कि वे अपने पैरों पर खड़े हों तो सारी इकोनामी के उनके अपने रिसोर्सेज उनको दें। और जब तक कमीशन नियत न हो तब तक सद्‌भाव के तौर पर आप इतना तो कर ही सकते हैं कि एन्टरटेनमेन्ट का टैक्स म्युनिसिपैलिटियों को दे दें ताकि वे डेवलपमेन्ट स्कीमें अपनी पूरी कर सकें और इसी तरह से पंचायतों को देहातों में उनके साधन उनको दे दें। फिलहाल इन्टेरिम अरेन्जमेन्ट आप इस तरह का कर देंगे तो उनका उत्साह बढ़ेगा। इस फाइनेन्स बिल के बाद कुछ उत्साह बढेगा। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, आम लोगों में बड़ा उत्साह था। अब एक होल सेल ट्रेड हाथ में ले रहे हैं, कोई उत्साह नहीं। उत्साह बहुत बड़ा होना चाहिये। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से ज्यादा बड़ा स्टेप है–इकोनोमी को दुरुस्त करने में, बहुत कुछ स्टेप्स हैं। इसलिए जब एप्रोप्रियेशन बिल पास कर रहे हो, फाइनेन्स बिल पास कर रहे हो, टैक्सेशन बिल पास कर रहे हो उस समय कितना उत्साह होता है। आम लोग कितना अपने आपको रीलिफ महसूस करेंगे। कीमतों का, बेकारी से, डिसपेरिटी से और डिसपेरिटी को दूर करने में आप कहां जा रहे हैं? डिसपेरिटी बढ़ रही है, पावर्टी बढ़ रही है। फिजिबिलिटी गलत है। एक्सपर्ट की कमेटी बनाइये ताकि टैक्स स्ट्रक्चर बदले। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री जी।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तृतीय वाचन के सिलसिले में टैक्सेसन पालिसी और कई बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये। कुछ खास कारणों से उनमें से कई जो विचार प्रकट किये गये उन पर मैं अपने विचार प्रकट करूंगा। कइयों को मैं छोड़ दूंगा जैसे हाई कोर्ट का मसला है, रीजनल इम्बेलेन्स है। उन चीजों को मैं जान बूझ कर टच नहीं करना चाहता हूं। पहले मैं अर्ज कर

(श्री चन्दनमल बैद)

चुका हूं। मेरे पास फीगर्स हैं। मैं इस हाऊस को देना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता किसी भी क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य हो, उनकी भावना को ठेस पहुंचे और जब मैं जानता हूं शायद कल नहीं तो परसों नॉन-आफिसियल डे है और नॉन-आफिसियल डे में पहले श्री रीजनल इम्बेलेन्स के सिलसिले में बातें हुई थीं, फिर परसों बातें होंगी। मैंने मुख्य मन्त्री महोदय से प्रार्थना की है या तो वे या सदन के उप-नेता इस विषय पर सदन में अपने विचार प्रकट करें। बजाय इसके कि मैं एक सामान्य मंत्री कहूं इसलिये मैं इन मुद्दों को छोडूंगा।

एक बात जो माननीय सदस्य सुजानगढ़ से आने वाले हैं। उन्होंने एन्टरटेन्मेंट टैक्स के सिलसिले में कही। हमने एक आर्बीट्रेरी डेट फिक्स कर रखी है हम म्यूनिसिपेलिटी, नगरपालिकाओं को हिस्सा देते हैं। सारी स्टेट्स से जानकारी की है और सारी स्टेट्स का मानना है एन्टरटेनमेन्ट टैक्स है वह प्रदेश की आय का उनका हक है एक हिस्सा है–लाजमी, कानूनी और कुछ उनका हक है इसलिए प्रदेश की आय का हक माना जाना चाहिए। यह विषय दो बार मंत्रि मण्डल को गया। किस किस तारीख को गया, यह मालूम नहीं है लेकिन सूचना दी है, जब मैं मन्त्रि मण्डल में नहीं था, तब गया था चूंकि यह प्रदेश की आय का हिस्सा है इसलिए नगरपालिकाओं को कुछ विशेष हिस्सा दिया जाय, ऐसा नहीं माना गया लेकिन इसके बावजूद मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं एक बार फिर मन्त्रि मण्डल में मैं जाऊंगा और मेरी कोशिश यह रहेगी कि नगरपालिकाओं को एन्टरटेनमेन्ट से ज्यादा हिस्सा मिले। लेकिन इसके अलावा मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं नगरपालिकाओं के पास आय के दूसरे साधन हैं लेकिन हो क्या रहा है जिस तरीके से आज हमें कहते हैं, हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने से घबराते हैं, डरते हैं, उसी तरह हमारी नगरपालिकायें हैं। टैक्स लगाने में शाई हैं, घबराती हैं; डरती हैं।

आज हाउस टैक्स के बारे में ले लीजिये कितनी नगरपालिकायें वसूल कर रही हैं, और वसूल कर रही हैं तो कितनी नगरपालिकायें पूरे रुपये वसूल कर रही हैं? चुंगी कर के बारे में आपने कहा वजन के आधार पर चुंगी दर वसूली की जाती है चाहे घड़ी हो तो वजन के आधार पर, मोटा कपड़ा हो तो वजन के आधार पर, रेशमी कपड़ा हो तो वजन के आधार पर, नायलोन हो तो वजन के आधार पर, इस तरह टैक्स लिया जाता है···

श्री फूलचन्द जैन : सब जगह नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : सब जगह नहीं है, ठीक है। नगरपालिकाओं को कौन मना करता है। जो नगरपालिकाओं के अधिकार है टैक्स स्ट्रक्चर को बदलिये···

श्री केदारनाथ : करों के बारे में सामान्यीकरण सब जगह होना चाहिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपकी जानकारी के लिए अर्ज कर दूं प्रस्ताव भेजे लगभग 6 माह हो चुके हैं।

श्री चन्दनमल बैद : आपकी बात मैंने बहुत शान्ति से सुनी है अगर आप मेरी बात शान्ति से सुनेंगे तो मैं समझूंगा आपकी मेरे पर बड़ी कृपा है और आप कहते भी हैं कृपा रखता हूं। वह कृपा मुझ पर भी रखेंगे तो बड़ी भारी कृपा होगी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बोलूं नहीं आप कहें तो।

श्री चन्दनमल बैद : मैं एक बात और करना चाहता हूं नगरपालिकाओं के एन्टरटेनमेन्ट टैक्स में एक अप्रेल आर्बीट्रेरी डेट फिक्स कर रखी है उसके बावजूद पानी के सिलसिले में, बिजली के सिलसिले में जितनी बकाया है, उसको माफ की है- करोड़ों की संख्या में। अभी पी. एस. सी. की रिपोर्ट आई है, माननीय सदस्यों ने पढ़ा होगा दो करोड़ रुपया नगरपालिकाओं को माफ किया है आज जितनी नगरपालिकाओं के सार्वजनिक नल लगे हुए हैं उसका पैसा हम वसूल नहीं करते हैं, इसके अलावा आज माननीय सदस्य ने खुदने कहा है, जो हवामहल से आते है उन्होंने कहा है 50 लाख रुपया सड़कों की मरम्मत के लिए, नालियों की मरम्मत व निर्माण के लिए दिये हैं···

श्री केदारनाथ : एट दी कास्ट आफ राजस्थान।

श्री चन्दनमल बैद : एट दी कास्ट आफ राजस्थान समझिये···

(एक साथ दो तीन माननीय सदस्यों एक साथ बोलने पर)

मैं नहीं कह रहा हूं, दूसरे माननीय सदस्य कह रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं तो आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं।

श्री चन्दनमल बैद : उसी तरीके से न केवल यह चीजें और बहुतसी बातों पर नगरपालिकाओं को आठ आना और 12 आना के हिसाब से जो अनुदान देते हैं, वह दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं मानता हूं कि नगरपालिकाओं की स्थिति को सुधारना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ नगरपालिकाओं को टैक्स लगाने के बारे में, वसूल करने में ढाई नहीं होना चाहिए। जिन प्रदेशों में हिम्मत के साथ टैक्स लगाया है, उन्होंने विकास का काम किया है, वे आगे बढ़े हैं। उनकी स्थिति अच्छी हुई हैं। वहां की जनता सुधरी और जिन प्रदेशों में घबराहट दिखाई है और हिम्मतपस्त रहे हैं वह स्टेट पीछे रही हैं। इसके आंकड़े देख सकते हैं- कोई भी देख सकता है। इस वास्ते नगरपालिका को मेरी सलाह है और पूरी कोशिश मैं हूंगा कि एन्टरटेनमेन्ट टैक्स में जो हिस्सा मिल रहा है उससे ज्यादा मिले, लेकिन इस बात की जरूर सलाह दूंगा कि जो टैक्स लगाने का अधिकार है, उसको काम में लिया जाय, वसूली करें ठीक से और अपनी हालत को ठीक करें।

एक बात जो अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि अरबन प्रॉपर्टी पर जो टैक्स लगाया आधा पर्सेन्ट लगाया वह 50 हजार से ऊपर पर लगाया, यह काफी नहीं है। ज्यादा लगना चाहिए, ऐसी शायद उनकी मंशा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : स्लेब सिस्टम पर लगना चाहिये ।

श्री चन्दनमल बैद : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अभी तक जो टैक्स लगा हुआ है केवल व तामिलनाडू में है । वह भी पाईन्ट जीरो चार पर्सेन्ट है और वह वेकेन्ट लैण्ड पर है, प्रॉपर्टी पर नहीं है । राजस्थान पहला स्टेट है । केरल में लगा हुआ था उन्होंने रिपील कर दिया या हटा दिया । राजस्थान पहली स्टेट है जिसने प्रॉपर्टी पर पाइन्ट फाइव पर्सेन्ट टैक्स लगाया है और जो पोजीशन थी वह दो पर्सेन्ट के करीब थी । इसका कारण था कि यह फोर्थ फाइव इयर प्लान का लास्ट ईयर है । एक तारीख से लास्ट ईयर शुरू होगा जिससे टैक्स लगेगा और जो टैक्स लग जायगा वह नॉन प्लान गेप में बढ़ जायगा । ऐडीशनल रिसोर्सेज फाइव ईयर प्लान का नहीं माना जायगा और फिर हमें फिफ्थ प्लान में रेज करना पड़ेगा । आगे हमें 500–600 करोड़ का प्लान बनाना है तो ऐडीशनल रिसोर्सेज रेज करने पड़ेंगे और आज ही सारे ऐडीशनल रिसोर्सेज को एक्जास्ट कर देते हैं तो फिर फिफ्थ प्लान में क्या करेंगे ? मैं भी महसूस करता हूं लेकिन आज सेल्स टैक्स पर क्या बढ़ा सकते हैं, दूसरी चीजों पर क्या बढ़ा सकते हैं इसलिए ऐडीशनल रिसोर्सेज बढ़ाने के लिहाज से हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य नाराज हुये और कहा यह एक्सपेरिमेंट है, स्कीम है । मैं यह एक्सपीरियन्स करना चाहता हूं कि 50 हजार की प्रॉपर्टी पर आधा पर्सेन्ट टैक्स लगाने के बाद मुझे कितनी आमदनी होती है और फिर मैं देखना चाहता हूं कि फिफ्थ प्लान में कितने ऐडीशनल रिसोर्सेज इससे रेज कर सकते हैं इस वास्ते आधा पर्सेन्ट लगाया है । माननीय सदस्य हवामहल से आने वाले इस बात से गुमराह न रहें कि मेरा मकान जयपुर में है और उसकी कीमत 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है या 5 लाख है । वह तो असेसमेन्ट करने वालों को पता होगा और मैं इससे घबरा जाऊंगा कि लैण्डेड प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं लगे । यह जो अभी आधा पर्सेन्ट है यह बढ़ने वाला है । अगर हमें एडीशनल रिसोर्सेज रेज करने हैं तो यह टैक्स वही देंगे जिनकी कि पेइंग केपेसिटी है । यह नहीं हो सकता कि 50 पर्सेन्ट लोग पावर्टी लाइन के नीचे रहें और कुछ लोग सम्पन्न बने रहें और देश के जो साधन हैं उनका उपभोग करते रहें । अगर देश को हमको समृद्ध बनाना है, आगे बढ़ाना है और 56 करोड़ आदमियों को मजबूत बनाना है और 56 करोड़ आदमियों के बल पर दुनियां को डराना है और दुनियां को धमकाना है तो उनको सशक्त बनाना होगा और सबको ठीक करना होगा और उसके लिए जरूरी है कि जो आज सम्पन्न हैं, जिनको पेइंग केपेसिटी है उनसे लेकर दूसरों को मजबूत बनाना पड़ेगा...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह केवल नारा है आपका लोगों को भूखों मारकर बेरोजगार करना चाहते हैं ।

श्री चन्दनमल बैद : मेरा नारा है तो आप कहिये मुझे उस बात से कोई दुख नहीं

(श्री चन्दनमल बैद)

है लेकिन एक जो फिलासफी है इसके पीछे मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज जब कि फिफ्थ फाईव ईयर प्लान शुरू होने वाला है और अगर मैं अपने एडीशनल रिसोर्सेज को एग्बास्ट कर दूं तो मुझे एडीशनल रिसोर्सेज रैज करने हैं वह आगे कैसे करूंगा, वह चाहे प्लानिंग कमीशन के हिसाब से 75 करोड़ हो या 76 करोड़ हो या 100 करोड़ हो उसको रैज करने के लिए हमें अपने रिसोर्सेज को थोड़ा महफूज रखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से कहां कहां जायेंगे। इसलिए जो अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही उसका थोड़ा सा मैंने जिक्र किया..

श्री रामानन्द अग्रवाल : वेकेन्ट लैण्ड के ऊपर वसूली की ?

श्री चन्दनमल बैद : जी हां।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कितनी हुई ?

श्री चन्दनमल बैद : वह इसलिए नहीं हुई कि अभी तक इसका डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट था और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास इस तरह का स्टाफ नहीं था, लेकिन पिछले साल से वेकेन्ट लैण्ड पर टैक्स लागू हो गया और जो टैक्स है वह वसूल होगा। लेकिन उस टैक्स में और इस टैक्स में सन् 64 में जो एक्ट बनाया और इस बार जो बिल बना है और आपने जो अभी पास किया है उसमें फर्क है। उसमें था कि हम असेसमेंट करेंगे, सर्वे करेंगे और उसके बाद टैक्स लगायेंगे और इसमें यह है कि एक्ट लागू होने के 3 महीने के अन्दर अन्दर आपको अपना फार्म भरकर अपना टैक्स जमा कराना पड़ेगा। बहुत बड़ा फर्क है इनमें। हमारे असेसमेंट में और सर्वे में साल लगें, दो साल लगें पता नहीं कितना समय लग जाये। हमारे यहां 157 म्युनिसिपल बोर्ड्स हैं, शायद 145 या 144 होंगे कोई माननीय सदस्य मुझे करेक्ट कर दें उन सबका सर्वे करायें, उनका असेसमेंट करायें, उसमें साल लगे या दो साल लगे इतना टाइम मैं नहीं लेना चाहता। मैंने कहा कि 90 दिन के अन्दर अन्दर आप अपने मकान को जितनी कीमत समझते हैं उसके अनुसार फार्म भरिये और उसके बाद टैक्स दीजिये। चाहे एक इन्स्टालमेंट में दे दें या 2 इन्स्टालमेंट्स में दे दें। हम असेसमेंट करायेंगे और उसमें 30 परसेन्ट से ज्यादा का फर्क होगा तो पैनेल्टी लगेगी और अगर 30 पर्सेंट के भीतर भीतर होगी तो पैनेल्टी नहीं लगेगी। तो जो पहले वाला एक्ट है और आज जो हमने पास किया है उसमें फर्क है। हमारी मन्शा यह है कि इस साल कुछ न कुछ इससे मिल जाना चाहिए जिससे पांचवी पंचवर्षीय योजना शुरू होने के पहले सरकार को मालूम हो जाए कि इससे कितने एडीशनल रिसोर्सेज रैज कर सकते हैं, और यह सम्पन्न आदमियों के ऊपर टैक्स लगेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सम्पन्न आदमियों के ऊपर कितना बोझा डाल सकते हैं यह पांचवी पंचवर्षीय योजना के पहले जानना चाहते हैं। कुछ लोगों ने इसका स्वागत किया है। कुछ लोग ब्लैक मनी को मकानों में लगाते हैं। बाहर से सादा दिखता है और अन्दर संगमरमर और न जाने क्या क्या लगाते हैं। नहीं तो हम कह देते कि हम एरिया नाप लेंगे और आपके मकान की

श्री चन्दनमल बैद)

कीमत ग्रांक लेंगे। तो उनके लिए बडी ग्रासानी होती। तो हम मार्केट वेल्यू देखेंगे तो उसमें संगमरमर है या आपका बाथरुम कैसा है, यह सब हम देखेंगे। हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य की ओर से शिकायत थी कि टूटे फूटे मकान होंगे उनकी कीमत 50 हजार ग्रांक लेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे कैसे ग्रांक लेंगे। ग्राखिर मार्केट वेल्यू भी कोई चीज है या नहीं।

मैं तो इसका विधेयक लाना चाहता हूं और भारत सरकार से पत्र व्यवहार कर रहा हूं कि हमें प्रीजेम्पशन (Presumption) का अधिकार दिया जाये। हमारे यहां जो प्रापर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है उस प्रापर्टी का अगर अण्डर वेल्यूशन पर रजिस्ट्रेशन होता तो हमें अधिकार होना चाहिये कि उस प्रापर्टी को सरकार खुद खरीद सके जिससे जो नुकसान होता है एक तो स्टाम्प ड्यूटी हमसे छीनी जा रही है और दूसरे वह हम सबको धोखा दे रहे हैं, उससे हम बच सकेंगे। हम खुद पत्र व्यवहार कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि भारत सरकार इस को मान लेगी। अभी भारत सरकार ने इन्कम टेक्स एक्ट में इस तरह का प्रावधान किया है और जब उन्होंने इसका प्रावधान किया है तो उनके पास अधिकार नहीं हैं कि मुझे इन्कार करे। मुझे उम्मीद है कि हमें जल्दी ही इसकी अनुमति मिल जावेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। टेक्स स्ट्रक्चर के बारे में और दूसरी बातों के बारे में बहुतसी बातें कही गयी। मैं खुद सोचता हूं इस बात को कि हमें बहुत जल्दी ही टेक्स स्ट्रेक्चर के बारे में कुछ गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। और गम्भीरता से विचार करके कुछ निर्णय लेना पड़ेगा यह किस तरीके से होगा, कमेटी के मार्फत होगा, सरकारी स्तर पर होगा, प्लानिंग कमीशन के स्तर पर होगा या प्लानिंग डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्टस हैं उनके साथ मिलकर होगा या कैसे होगा यह मैं इस समय कहने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन यह निश्चित रूप से है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में अगर हम बहुत तेजी के साथ, बहुत बड़े तरीके से, 'इन ए बिग वे' आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की तो यह प्रदेश हमेशा हमेशा के लिए पिछड़ा रहेगा।

डेजर्ट का सवाल है हमारे सामने तो साथ में हमारे सामने तो उन जिलों का सवाल भी है जहां अण्डर ग्राउन्ड वाटर अवेलेबल है। अलवर में अवेलेबल है, सीकर में अवेलेबल है, झुन्झुनू में अवेलेबल है, भरतपुर में अवेलेबल है, सवाईमाधोपुर में अवेलेबल है–वहां हमें बिजली का प्रसार करना है। हमें वहां कुओं के लिए सब्सीडी देनी चाहिए और लोन देना चाहिए। यह भी हम चाहते हैं। हम यह नहीं चाहते कि एक इलाके को उन्नत बना दें, विकास कर दें और दूसरे जो इलाके हैं उनको हम विकसित नहीं करें। मैंने 5 जिलों का नाम लिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि अजमेर या भीलवाड़े को छोड़ गया हूं। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि जो काम जहां हो सकता है वह हमें करना है। करके अगली पंचवर्षीय योजना में बहुत बड़े तरीके से चाहे इसके लिए हमें प्रदेश पर कुछ एक्स्ट्रा बोझा भी लेना पड़े तो उसको लेकर भी विकास की

(श्री चन्दनमल बैद)

तरफ हमें बढ़ना होगा। अगर हम तेजी के साथ नहीं बढ़ेंगे तो देश के दूसरे प्रदेश बहुत तेजी के साथ बढ़ जायेंगे और हम बहुत पीछे रह जायेंगे और उसके बाद अगर हम दौड़ना भी चाहेंगे तो दौड़ कर नहीं जा सकेंगे। इस वक्त हमारे लिए जरूरी होगा कि हम टैक्स स्ट्रक्चर पर हमारी बहुत सी बातों पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें।

इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा सदन के माननीय सदस्यों को, आपको मार्फत कि इस बिल को पारित करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1973 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1973 पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल बृहस्पतिवार दिनांक 29 मार्च, 1973 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 4 बज कर 31 मिनिट पर बृहस्पतिवार, दिनांक 29 मार्च, 1973 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 814 की सूची)

क्र. सं.	ग्रामों के नाम	जन संख्या सन् 61 की जनगणना के अनुसार	क्र. सं.	ग्रामों के नाम	जन संख्या सन् 61 की जनगणना के अनुसार
1.	केराप	1053	1.	पालोट	817
2.	अगरैतिया	117	2.	जोरावरपुरा	91
3.	भंडारी	406	3.	ठाकुरियावास	549
4.	भामरोदा	586	4.	भुवाड़िया	209
5.	ढाडेल	208	5.	नवरंगपुरा	151
6.	चौमूं	292	6.	चेक	172
7.	सिमवा	785	7.	खारड़िया	398
8.	बरोद	488	8.	दुधोली	726
9.	आगुनता	901	9.	वालदु	1403
10.	रानसीसर	874	10.	दादुवासनी	13[illegible]
11.	सोगुकलां	564	11.	गरदेजा बासनी	202
		6274			4856

पार्ट—I

डिजाइन जनसंख्या 9,500

पार्ट—

डिज़ाइन जन संख्या 7,500

परिशिष्ट—2

तारांकित प्रश्न संख्या 821 की सूची

STATEMENT SHOWING THE PENDING CASES AS ON 31-12-1972.

Labour Court

S.No.	Description	Total	1959	64	65	66	67	68	69	70	71	72
1.	Reference	506	1	..	4	4	8	21	58	86	126	198
2.	Complaints U/s 33A	21	..	..	1	1	1	..	3	4	5	6
3.	Misc. App U/s 33 (2)b	57	..	..	..	..	..	2	2	26	12	15
4.	Misc App. U/s 33(c) 2	483	..	10	10	22	..	17	51	43	146	194
5.	Mis . App. U/s 33 (*c*)2 Central	133	..	..	3	1	2	2	3	22	77	23
6.	S.O. Appeal U/s 6	6	..	..	..	..	..	..	3	1	..	2
7.	Misc. App. U/s 13A	8		..	..	..	..	..	..		3	5
	TOTAL ..	1214	1	10	18	28	1	42	120	182	369	433

Statement showing the number of cases Instituted and Disposed off by the Industrial Tribunal Rajasthan, Jaipur from 1-1-72 to 31-12-1972

S.No.	Description	Opening balance	Instituted during the year 1972	Total	Disposed	Balance	Remarks
1.	Reference under section 10	236	86	322	77	245	
2.	Complaints under section 33A	257	148	405	114	291	
3.	Misc. cases under section 33(2) (*b*)	56	71	127	44	83	
4.	Central Government's reference u/s 10	32	45	77	31	46	
5.	-Do- u/s. 33A	8	11	19	9	10	
6.	-Do- u/s. 33(2)(*b*)	3	10	13	4	9	
7.	Misc. Appeal u/s. 91	1	2	3	1	2	
	TOTAL ..	593	373	956	280	686	

Statement showing the number of cases pending before the Industrial Tribunal Jaipur as on 31-12-1972

S.No. No. of cases		1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	Total
1. Ref. u/s 10	245	5	1	1	..	..	1	1	2	3	8	8	13	17	47	62	76	
2. Complaints u/s 33A	291	..	..	1	..	..	..	2	..	..	4	4	18	5	9	51	116	
3. Misc. u/s 33(2)b	83	..	..	..	2	...	..	..	..	..	..	..	10	..	4	17	50	
4. Central Govt. Ref. u/s 10	46	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	1	2	39	
5. Ref. Central Govt. u/s 33A	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..1	
6. Ref. Central Govt. u/s 33(2) (b)	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	9	
7. Misc. appeal u/s 91	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	
TOTAL ..	686	5	1	2	2	..	1	3	2	3	12	12	42	25	142	133	301	=686

Statement showing the cases of the Labour Court. Rajasthan Jaipur Instituted and Disposed off during the year 1972.

S.No.	Description	Balance	Instituted during the year, 1972	Total	Disposal during the year, 1972	Closing Balance.	Remarks
1.	Reference	408	227	635	129	506	
2.	Complaint 33A	32	10	42	21	21	
3.	Misc. Case 33 (2)b	63	17	80	22	58	
4.	Misc. app (c)2	376	197	573	90	483	
5.	Misc. app. 33(C)2 Central	113	23	136	3	133	
6.	S.O. appeal U/s 6	5	2	7	1	6	
7.	Misc. app. U/s 13A	3	5	8	Nil	8	
	TOTAL ..	1000	481	1481	266	1215	

परिशिष्ट—3

समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर

झालावाड़ जिले में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रावास

836. श्री भैरूलाल (अकलेरा)—क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) झालावाड़ जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कितने छात्रावास हैं ?

(2) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ क्षेत्रान्तर्गत अकलेरा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लोगों की आबादी अधिक है ?

यदि हां तो इस क्षेत्र में समाजकल्याण विभाग की ओर से कोई छात्रावास खोले जाने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई ?

(3) समाज कल्याण विभाग कस्बा अकलेरा में अनुसूचित जन जाति के कल्याण हेतु कोई छात्रावास खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के छात्रों के लिये कुल चार छात्रावास स्वीकृत हैं।

(2) अकलेरा तहसील की कुल जन संख्या 1,35,155 है जिसमें से अनुसूचित जन जाति की जन संख्या 30,070 है। वर्ष 1971-72 में अकलेरा में एक तृतीय श्रेणी छात्रावास खोलने की स्वीकृति दी गई थी लेकिन भवन उपलब्ध नहीं होने के कारण छात्रावास प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

(3) तृतीय श्रेणी छात्रावास स्वीकृत किया जा चुका है। आगामी शैक्षणिक सत्र में भवन उपलब्ध होते ही छात्रावास प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

भू-जल का सर्वे

837. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर)—क्या भू-तल जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान प्रान्त के किन किन जिलों में भू-तल जल प्राप्ति की दृष्टि से विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है ? सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रतियां सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में अभी तक भू-तल जल प्राप्ति की दृष्टि से विस्तृत सर्वेक्षण नहीं हुआ है ?

(3) क्या राज्य सरकार सन् 72-73 में बाड़मेर जिले में विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य हाथ में लेगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान प्रान्त के किसी भी जिले में भू-जल प्राप्ति की दृष्टि से विस्तृत सर्वेक्षण नहीं हुआ है। अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी हां, बाड़मेर जिले में जल प्राप्ति की दृष्टि से विस्तृत सर्वेक्षण नहीं हुआ है। परन्तु अर्द्ध विस्तृत सर्वेक्षण सिवाना एवं धारीमना पंचायत समिति में किया गया है।

(3) जी नहीं। सिर्फ अर्द्ध विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य एक पंचायत समिति में किया जाएगा।

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न सं. 86 की सूची)

श्री इन्द्रलाल मित्तल सदस्य के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर रेकार्ड मंगवाने, सबूत पेश करने व सुनवाई की अलग 2 तारीखों पर की गई कार्यवाही का विवरण।

1. शिकायत संचालक के कार्यालय में प्राप्त हुई	7-7-72	
2. अध्यक्ष, नगर परिषद से रेकार्ड मांगने की तिथि	27-7-72	
3. सदस्य से स्पष्टीकरण मांगने की तिथि	8-8-72	
4. स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर स्मृति पत्र दिया गया।	8-9-72	
5. स्पष्टीकरण प्राप्त,	2-9-72	
6. सुनवाई के लिए तिथि	10-10-72	रेकार्ड देखने के लिए सदस्य ने समय चाहा गया।
7. ,, ,,	19-10-72	नगर परिषद के रजिस्टर देखने के लिए सदस्य ने समय चाहा
8. ,, ,,	4-11-72	सदस्य ने उपस्थित होने में असमर्थता प्रकट की अत: दूसरी तिथि दी गई।
9. ,, ,,	13-11-72	सदस्य उपस्थित नहीं हुए।
10. ,, ,,	31-3-73	सुनवाई के लिए निश्चित है।

श्री रतनलाल सदस्य के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर रेकार्ड मंगवाने, सबूत पेश करने को व सुनवाई की अलग-अलग तारीखों पर की गई कार्यवाही का विवरण।

1- शिकायत संचालक के कार्यालय में प्राप्त हुई 5-6-72

Page No 142

2.	जिलाधीश से जांच रिपोर्ट भेजने के लिए लिखा गया	[illegible]	
3.	अध्यक्ष, नगरपरिषद से रैकार्ड मांगने की तिथि	27–7–72	
4.	सदस्य से स्पष्टीकरण मांगने की तिथि	8–8–72	
5.	सदस्य द्वारा जवाब पेश करने के लिए समय और चाहा	2–9–72	
6.	स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ	21–9–72	
7.	सुनवाई के लिए तिथि	11–10–72	सदस्य ने बीमारी के कारण तिथि बदलवाई
8.	"	4–11–72	सदस्य ने उपस्थित होने में असमर्थता बतलाई।
9.	"	13–11–72	सदस्य उपस्थित नहीं हुए।
10.	"	31–3–73	सुनवाई के लिए निश्चित है।

परिशिष्ट–5

(तारांकित प्रश्न संख्या 812 की सूची)

यादगार एडवर्ड मेमोरियल सूची

(1) एडवर्ड मेमोरियल, जयपुर।
(2) एडवर्ड मेमोरियल, अजमेर।
(3) एडवर्ड मेमोरियल सराय, बांसवाड़ा।

परिशिष्ट—6

(तारांकित प्रश्न सं. 830 को सूची)

सूची (अ)

स्कूटर फैक्ट्री के निर्माण में निम्न प्रगति हुई है :—

1. प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा डिजाइन व ड्राईंग का कार्य पूरा हो चुका है।

2. पांच प्रोटा टाइप बन चुके हैं जिनमें से एक व्हिकल रिसर्च डवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, अहमदनगर को जून 1972 में दे दिया गया है जिसकी टेस्टिंग वहां जारी है।

3. स्कूटर का नाम 'चेतक' रखा गया है तथा इस प्रोजेक्ट के लिए "अरावली स्वचालित वाहन लिमिटेड" नामक कम्पनी गठित की जा चुकी है और 11 जुलाई, 1972 से इस कम्पनी को व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण-पत्र भी प्राप्त हो चुका है।

4. फैक्ट्री निर्माण हेतु 50 एकड़ भूमि मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर में प्राप्त कर ली तथा फैक्ट्री भवन निर्माण का कार्य चल रहा है।

5. प्रोजेक्ट के हेतु प्लाट एवं मशीनरी का चयन किया जा चुका है। जिसमें से लम्बी अवधि को डिलीवरी वाली मशीनरी के लिये 29,41, 517 रु. का आर्डर दिया जा चुका है तथा लम्बी अवधि के बिजली के उपकरणों का भी सात लाख रु. का आर्डर दिया जा चुका है।

6. आयातित उपकरणों के लिए आवश्यक आवेदन-पत्र भारत सरकार को भेजा जा चुका है।

7. स्कूटर के अन्य ऐसे पुर्जे जो बाहर से खरीदे जावेंगे उनकी सूची तैयार कर ली गई है तथा सप्लायर्स को भी सूची बना ली गई है।

8. प्रोजेक्ट मैनेजर व अन्य आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जा चुकी है। इसका कार्यालय अलवर में स्थापित हो चुका है।

9. लम्बी अवधि के कर्जे के लिये भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को आवेदन-पत्र दिया जा चुका है।

Page No 145

सूची (ब)

इस फैक्ट्री की कुल अनुमानित लागत निम्नलिखित हैं —

स्थायी सम्पत्ति		131-26 लाख रु.
अन्य सम्पत्ति		58-59 लाख रु.
कार्यशील पूंजी		153-20 लाख रु.
	योग	343-05 लाख रु.

इस पूंजी के नियोजन की आयोजना इस प्रकार है ।

इक्वीटी शेयर्स द्वारा		85-00 लाख रु.
प्रीफरेन्स शेयर्स द्वारा		25-50 लाख रु.
आन्तरिक रिसोर्सेज द्वारा		136-29 लाख रु.
	योग--	246-79 लाख रु.
	कर्जों द्वारा	96-26 लाख रु.
	कुल योग	343-05 लाख रु.

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न सं. 460 की सूची)

समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 1970–71 में भंगी कष्ट मुक्ति योजना के अन्तर्गत विभिन्न नगरपालिका को स्वीकृत की गई धनराशि की सूची।

क्र.सं.	नगरपालिका	मेकेनिकल स्कूटर बाल्टी, ढोल, झाड़ खुरपा खरीदने हेतु	निजी शौचालय को फ्लश में परिवर्तन करने हेतु अनुदान	नगरपालिका के सूखे तहारतों को फ्लश में बदलने हेतु अनुदान	योग
1	2	3	4	5	6
1.	सरदारशहर	0–30	0–25	0–15	0–70
2.	सुजानगढ़	0–30	0–25	0–15	0–70
3.	धोलपुर	0–25	0–15	0–10	0–50
4.	फतहपुर	0–25	0–15	0–10	0–50
5.	रतनगढ	0–25	0–15	0–10	0–50
6.	किशनगढ़	0–25	0–15	0–10	0–50
7.	नवलगढ़	0–25	0–15	0–10	0–50
8.	नसीराबाद	0–25	0–15	0–10	0–50
9.	करौली	0–25	0–15	0–10	0–50
10.	बारां	0–25	0–15	0–10	0–50
11.	गंगापुर	0–25	0–15	0–10	0–50
12.	हिण्डौन	0–20	0–10	0–05	0–35
13.	लक्ष्मणगढ	0–20	0–10	0–05	0–35
14.	राजगढ़	0–20	0–10	0–05	0–35
15.	हनुमानगढ़	0–20	0–10	0–05	0–35
16.	आबूरोड	0–20	0–10	0–05	0–35
17.	डीग	0–20	0–10	0–05	0–35
18.	मकराना	0–20	0–10	0–05	0–35

1	2	3	4	5	6
19.	सोजत	0-20	0-10	0-05	0-35
20.	डूंगरपुर	0-20	0-10	0-05	0-35
21.	चौमूं	0-20	0-10	0-05	0-35
22.	फलौदी	0-20	0-10	0-05	0-35
23.	कुचामन	0-20	0-10	0-05	0-35
24.	बारां	0-20	0-01	0-05	0-35
25.	दौसा	0-20	0-10	0-05	0-35
26.	प्रतापगढ़	0-20	0-10	0-05	0-35
27.	सांभर	0-20	0-10	0-05	0-35
28.	रामगढ़	0-15	0-10	-	0-25
29.	नाथद्वारा	0-15	0-10	-	0-25
30.	नोहर	0-15	0-10	-	0-25
31.	लाखेरी	0-15	0-10	-	0-25
32.	डीडवाना	0-15	0-10	-	0-25
33.	मेड़ता	0-15	0-10	-	0-25
34.	चिड़ावा	0-15	0-10	-	0-25
35.	सादडी	0-15	0-10	-	0-25
36.	पीपाड	0-15	0-10	-	0-25
37.	केकड़ी	0-15	0-10	-	0-25
38	बयाना	0-15	0-10	-	0-25
39	बिलाड़ा	0-15	0-10	-	0-25
40.	शाहपुरा	0-15	0-10	-	0-25
41.	कामा	0-15	0-10	-	0-25
42.	बालोतरा	0-15	0-10	-	0-25
43.	राजगढ़	0-15	0-10	-	0-25
44.	भीनमाल	0-15	0-10	-	0-25
45.	खण्डेला	0-15	0-10	-	0-25

1	2	3	4	5	6
46.	नीमाखेड़ा	0–15	0–10	–	0–25
47.	पिलानी	0–15	0–10	–	0–25
48.	श्री माधोपुर	0–15	0–10	–	0–25
49.	करणपुर	0–15	0–10	–	0–25
50.	कोटपूतली	0–15	0–10	–	0–25
51.	राजसमन्द	0–15	0–10	–	0–25
52.	राजलदेसर	0–15	0–10	–	0–25
53.	बांदीकुई	0–15	0–10	–	0–25
54.	मालपुरा	0–15	0–10	–	0–25
55.	तारानगर	0–10	0–5	–	0–15
56.	नीम का थाना	0–10	0–5	–	0–15
57.	भादरा	0–10	0–5	–	0–15
58.	उदयपुर	–	–	0–60	0–60
	योग	10–35	6–30	2–55	19–20

परिशिष्ट 8

(अ. ता. प्र. सं. 465 की सूची)

वर्ष 1970–71 व 1971–72 में नगरपालिका बूंदी नेनवा, केशवरायपाटन तथा लाखेरी क्षेत्र में भंगी कष्ट मुक्ति एवं गृह निर्माण हेतु स्वीकृत राशि की सूची।

क्र. सं.	नाम नगरपालिका	भंगी कष्ट मुक्ति योजना		गृह निर्माण हेतु अनुदान		गृह निर्माण हेतु विभाग द्वारा ऋण	
		1970–71	1971–72	1970–71	1971–72	1970–71	1971–72
1.	बूंदी	–	–	10000	–	–	–
2.	नेनवा	–	1200	–	–	3200	1200
3.	केशवराय पाटन	–	1200	–	–	–	–
4.	लाखेरी	25000	–	–	–	–	–

परिशिष्ट–9

(अतारांकित प्रश्न सं. 479 की सूची)

पाली जिले में दिनांक 6-1-73 से अकाल घोषित किया गया है एवं उसके पश्चात् जैतारण व रायपुर तहसीलों में निम्नांकित अनाज दिया गया:–

नाम तहसील	माह	गेहूं	मक्का	ज्वार
जैतारण	जनवरी	700	1500	–
	फरवरी	2000	–	–
	मार्च	1100	–	2200
रायपुर	जनवरी	650	1500	–
	फरवरी	2000	–	–
	मार्च	1200	–	1800

परिशिष्ट–10

(अतारांकित प्रश्न सं. 482 की सूची)

भारत सरकार द्वारा कोटा डिविजन के चम्बल कमाण्ड एरिया में नियमन की जाने वाली कृषि उपज मंडियों को अनुदान के रूप में व्यय की जाने वाली राशि की संख्या।

क्रम संख्या	मण्डी	व्यय (लाख रुपयों में)
1.	तालेड़ा	2.00
2.	लवान	2.00
3.	काप्रेन	2.00
4.	इटावा	3.00
5.	मांगरोल	2.00

परिशिष्ट–11

(अतारांकित प्रश्न सं. 483 की सूची)

बीकानेर जिले की तहसीलों के लिये अनाज व चीनी के थोक व्यापारी की तालिका

	नाम तहसील	चीनी के थोक व्यापारी	अनाज के थोक व्यापारी
1.	बीकानेर	सरदारारामं केसर देसर तह. बीकानेर 3–1–72 में 30-9-72 तक बाबूलाल बीरबल बीकानेर 1-10-72 से 31-12-72 तक खाद्य निगम बीकानेर 1-1-73 से	मोहन खां सोहन खां बीकानेर 18–1–73 से
2.	लूणकरणसर	सम्पतराय हंसराज लूणकरणसर [illegible] से 31-12-72 तक खाद्य निगम लूणकरणसर 1-1-73 से	श्री महावीर प्रसाद मूंदड़ा, [illegible] से 30-12-72 हजारांराम मेघराज लूणकरणसर 8-1-73 से
3.	नोखा	मै. भंवरचन्द किशन लाल नोखा, 25-1-72 से 31-12-72 खाद्य निगम, बीकानेर 1-1-73 से	क्रय विक्रय सहकारी समिति नोखा, 12-10-72 से अब तक
4.	कोलायत	सरदारारांम 3-1-72 से 30-9-72 बाबूलाल बीरबल बीकानेर 1-10-72 से 31-12-72 खाद्य निगम, बीकानेर 1-1-73 से	मोहन खां सोहन खां, बीकानेर 12-10-72 से

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न सं. 485 की सूची)

टोंक जिले की मंडियों में कृषि उपज की आवक (आंकड़े क्विंटलों में दिये गये हैं)

नाम जिन्स	निवाई 71-72	निवाई 72-73	मालपुरा 71-72	मालपुरा 72-73	टोंक 71-72	टोंक 72-73	देवली 71-72	देवली 72-73
1. गेहूं	24489	13322	24697	18791	42900	41220	14622	35689
2. चना	3489	3081	20097	22951	11679	13323	16603	21977
3. जौ	9910	11295	12877	1213	26823	17365	13796	25316
4. बाजरा	12394	2796	7033	2852	7676	2228	7569	2119
5. ज्वार	553	856	9377	2109	32825	4526	10809	2315
6. मक्का	1050	767	4355	1250	650	795	10356	5120
7. तिल	40	15	224	248	1679	614	917	1039
8. मूंग	392	184	224	11	2477	389	227	122
9. मोठ	2	—	—	—	—	—	—	—
10. उड़द	5	3	—	—	9	1	—	—
11. अलसी	772	1014	104	426	1955	1994	1369	2492
12. जीरा	3762	2828	246	46	1483	318	639	169
13. धनिया	3	5	254	73	332	130	250	79
14. मूंगफली	60415	57110	149	225	732	762	2894	7773
15. मिर्च	17	—	556	85	6223	4480	855	391
16. गुड़	—	—	—	—	908	232	1628	966
17. सौंफ	—	—	420	439	1134	264	—	—
18. सरसों	8207	4029	—	228	1158	431	—	—
19. तारा मिरा	22471	18020	932	564	1568	7964	—	—
20. रूई	—	—	12	4	18	—	—	—
21. कपास	—	—	306	185	—	—	860	952
22. ग्वार	834	258	285	87	—	—	409	686
23. अरहर	1960	1151	—	—	—	—	—	—
24. अण्डोली	—	—	—	—	—	—	491	1049
25. मसूर	—	—	—	—	—	—	183	484

नोट :—वर्ष 1972 की सूचना अप्रेल, 1972 से फरवरी, 73 तक की संकलित है।

Page No 154

परिशिष्ट–13

(भ्रारांकित प्रश्न सं. 488 की सूची)

प्रश्न 1 की सूची

गांवों के नाम

1. गच्छीपुरा
2. रामपुरा
3. झम्बोई कलां
4. भीया खुर्द
5. भीयाकलां
6. डोबरी सावलदास
7. डोबरी कलां
8. डोबरी खुर्द
9. जसवन्तपुरा
10. रामसियां
11. मनाना
12. रानी गांव
13. भालमेलियां
14. बिन्जारी
15. बनाथना
16. कल्याणपुरा
17. कुचेरियां
18. नूनहा
19. छपारस
20. खाड़िया ।

शुद्धि-पत्र

बुधवार, दिनांक 28 मार्च, 1973

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
30	नीचे से 12	गई	की गई
32	„ से 8	50	50%
68	ऊपर से 1	न्हो	नहीं
112	„ 8	व्यनियों	व्यक्तियों
133	नीचे से 1	अन्द	अन्दर
139	ऊपर से 17	लागों	लोगों
146	„ से 11	डेलपमेंट	डवलपमेंट
147	„ से 13	इनम	इनकम
154	नीचे से 1	विसी	किसी
160	ऊपर से 6	वा	का
172	नीचे से 15	धियक	विधेयक
174	ऊपर से 2	रवें	रखें
186	„ 15	पेल्टी	पेनल्टी
189	„ 1	मान	मात्र
209	„ 16 व 17	हा	हों
219	„ 1	भगव	भार्गव
227	„ 11	अर	और
238	नीचे से 2	जो	जिस
275	ऊपर से 10	स्पस्टीकण	स्पष्टीकरण
280	„ से 11	सुनानगढ	सुजानगढ
286	„ से 13	हजारा राम	हजारीराम